एकादश माला खंड 10, अंक 16

शुक्रवार, 14 मार्च 1997
23 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र (भाग - एक)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरुणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय-सूची

[एकादश माला, खंड 10 चौथा सत्र, (भाग–एक) 1997/1918 (शक)]

अंक 16, शुक्रवार, 14 मार्च, 1997/23 फाल्गुन, 1918 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 285	2–26
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 286 से 300	26–54
अतारांकित प्रश्न संख्या 3105 से 3334	54–289
सभा पटल पर रखे गए पत्र	289–304
राज्य सभा से सन्देश	305
रेल अभिसमय समिति	
दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश–प्रस्तुत	305
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक–वापस लिया गया	305
उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के प्रवर्तन को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प–स्वीकृत	307–309
नियम 377 के अधीन मामले	309–311
(एक) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता	
प्रो. अजित कुमार मेहता	309
(दो) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में दिघा में राजकीय जलजीवशाला शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता	
श्री सुधीर गिरि	309–310
(तीन) उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त उच्चाधिकारियों पर शीघ्र मुकदमा चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री अमर पाल सिंह	310
(चार) महानगरों, विशेष रूप से हावड़ा, पश्चिम बंगाल में गंदी बस्तियों के प्रतिस्थापन के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. आर. दासमुंशी	310–311

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
(पांच) सुन्दरबन डेल्टा परियोजना चरण–दो को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	311
सामान्य बजट 1997–98—सामान्य चर्चा	313–336
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	313–325
श्री शरद यादव	326–330, 334–336
अवैध आप्रवासन के बारे में संकल्प	336–386
श्री मनोरंजन भक्त	336–340
डा. अरूण कुमार शर्मा	340–349
प्रो. रासा सिंह रावत	349–356
श्री चित्त बसु	356–360
श्री अनादि चरण साहू	360–364
श्री के. परसुरामन	364–366
श्री सत्यपाल जैन	366–368, 370–373
श्री जी. एम. बनातवाला	382–386

लोक सभा

शुक्रवार, 14 मार्च, 1997/23 फाल्गुन, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वा 11.01 बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण मुझे इस सभा को हमारे माननीय मित्र श्री वीरेन्द्र पाटिल के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल सातवीं तथा आठवीं लोक सभा के सदस्य थे जिन्होंने 1980-84 तथा 1984-89 के दौरान कर्नाटक के बागलकोट तथा गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वह 1952-56 के दौरान तत्कालीन हैदराबाद विधान सभा तथा 1957-71 के दौरान तत्कालीन मैसूर विधान सभा के सदस्य थे। 1968-71 के दौरान वह तत्कालीन मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री रहे और कई वर्षों तक उन्होंने मंत्री के रूप में अपने राज्य की सेवा की तथा अनेक मंत्रालयों का कार्य बखूबी निभाया।

श्री पाटिल 1972-78 के दौरान राज्य सभा के सदस्य भी रहे। वह कर्नाटक के मुख्य मंत्री भी रहे।

एक योग्य सांसद के रूप में श्री पाटिल ने 1980-85 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में मंत्री के रूप में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला।

उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। 1965 में वह सोवियत संघ में भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि बनकर गए तथा 1973 में पश्चिमी जर्मनी भेजे गए। वे संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल का निधन बंगलौर में आज प्रातःकाल 73 वर्ष की आयु में हुआ।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोकसंतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

अब सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वा 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्य दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वा 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड

***281. श्री शरत पटनायक** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "महानदी कोलफील्ड" द्वारा कुल कितना राजस्व कम कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त कोलफील्ड के प्रचालन का विस्तार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[हिन्दी]

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानदी कोलफील्ड्स लि. (म.को.लि.) द्वारा अर्जित किए गए कुल राजस्व की राशि नीचे दर्शाई गई है :—

(करोड़ रु. में)

1995-96	1994-95	1993-94
1081.94	810.12	700.97

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1995-96 में महानदी कोलफील्ड्स लि. में कोयले का वास्तविक उत्पादन 32.71 मिलियन टन हुआ था। कंपनी के कोयले का अस्थाई लक्ष्य वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 2001-02, जो कि नौवीं योजना का अंतिम वर्ष है, में क्रमशः 37.00 मि. टन, 39.50 मि. टन तथा 47.20 मि. टन हुआ। वर्तमान में म.को.लि. के पास सात चालू कोयला परियोजनाएं हैं, जिनकी प्रतिवर्ष कुल क्षमता 22.60 मि. टन की है (मि. टन प्रतिवर्ष)। इसके अतिरिक्त, अग्रिम कार्रवाई स्कीमें 20.35 मिलियन टन प्रतिवर्ष की कुल क्षमता के साथ म. को. लि. में 6 और कोयले की परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार क्षमता बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश को आमंत्रित करने या महानदी कोलफील्ड लि. के प्रचालन का निजीकरण करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक विदेशी निवेश

का सवाल है, अभी वर्ल्ड बैंक से हमें एक बिलियन डालर मिल रहा है। माननीय सदस्य कृपया अपने प्रश्न को दोहरा दें।

श्री शरत पटनायक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार फारेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और क्या प्राइवेटाइजेशन के लिए अनुमति देने के लिए तैयार है और इन दोनों कामों को क्या सरकार आगे बढ़ा रही है, और क्या प्राइवेट पावर प्लांटों, एम.सी.एल. आदि के साथ कोई इस प्रकार का एग्रीमेंट किया है, यदि हां, तो वह कितने साल का है और उसकी क्या शर्तें हैं ?

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है। जो एग्जिस्टिंग माइन्स हैं, वे तो पहले से ही हैं और रहेंगी। जो नई परियोजनाएं हैं उनमें फारेन इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : फायनेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या बाहर से पैसा ले रहे हैं ?

श्रीमती कांति सिंह : जो नई परियोजनाएं हैं उनमें बाहर से पैसा ले रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक : उड़ीसा के वन क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, महानदी कोलफील्ड द्वारा विस्तार के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किए गए उपाय रुक गए हैं। चांदीपुरा और नोट डुआल जैसी कई परियोजनाएं हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए वन स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह विभाग इसे चलाने में रुचि लेगा या नहीं।

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक फारेस्ट क्लियरेंस का सवाल है, वह हम लोगों को मिल चुकी है और हमारी जो महानदी कोल फील्ड है उसमें हम भी इंटरैस्ट ले रहे हैं कि यह जल्दी से चालू की जाए।

[अनुवाद]

श्री शरत पटनायक : उड़ीसा के वन क्षेत्रों में रोक लगा रखी है। उच्चतम न्यायालय ने वन क्षेत्रों में खनन कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। मैं सरकार से क्रमवार उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार नई परियोजनाएं चलाएगी या नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने फारेस्ट क्लीयरेंस के बारे में पूछा है और सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बारे में कहा है, मैं बताना चाहती हूं कि हमारी जितनी भी परियोजनाएं हैं और जितनी भी कंपनियां हैं उनमें फारेस्ट क्लीयरेंस की वजह से कोई कठिनाई या रुकावट आने वाले समय में नहीं आने वाली है।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे यहां पंजाब में दो थर्मल पावर स्टेशन रोपड़ और भटिंडा हैं। इन दोनों में सिर्फ तीन दिन का कोयला रह गया है। वहां पर यदि और कोयला जल्दी नहीं भेजा गया तो तीन दिन के बाद बिजली का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। इनके बारे में हमने पिछले वर्ष भी जब ऐसी स्थिति आई थी तो बहुत कोशिश कर के कोयला लिया था और उनको चालू बनाए रखा। यही स्थिति इस वर्ष भी हो रही है। इसलिए हम मंत्री महोदया से चाहते हैं कि वे कोई एश्योरेंस हाउस में दें कि पंजाब के थर्मल पावर प्लांटों को कोयले की कमी के कारण बंद नहीं होने दिया जाएगा और समुचित मात्रा में कोयला उपलब्ध करवाया जाता रहेगा ?

[अनुवाद]

महोदय यह महत्त्वपूर्ण मामला है। इसीलिए मैंने यह उठाया है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बरनाला जी, आपका पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन यदि मंत्री जी जवाब देना चाहें, तो वे दे सकती हैं।

श्रीमती कांति सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मुझे इस बारे में अभी सूचना दी है। मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूं कि यदि ऐसी कोई कमी आएगी, तो उसे पूरा किया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि यह महानदी कोलफील्ड, कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड के भीतर सबसे नया कोलफील्ड है और इसमें सबसे ज्यादा कोयले के रिजर्व हैं, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना में महानदी कोलफील्ड का उत्पादन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्या है ?

[अनुवाद]

क्या निवेश प्रस्ताव है जिससे कि महानदी कोलफील्ड लि. के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : महानदी कोलफील्ड की परियोजनाओं हेतु स्वीकृत अग्रिम कार्रवाई योजनाएं कम्पनी द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं। वसुन्धरा वेस्ट ओपन कॉस्ट प्रोजेक्ट में 2.40 मिलियन टन का प्रतिवर्ष इन्वेस्टमेंट है। यह नौवीं पंचवर्षीय योजना में है। कुल पूंजी 156.63 का 5.006 का इन्वेस्टमेंट है। छेदीपाड़ा ओपन कॉस्ट प्रोजेक्ट में दो करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। भुवनेश्वरी ओपन कॉस्ट प्रोजेक्ट में 5.79 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। हिंगुला ओपन कॉस्ट प्रोजेक्ट में 5.82 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। कनिआह ओपन कॉस्ट प्रोजेक्ट में 6.39 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और कुल्दा में 8.62 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू : मैं माननीय मंत्री से महानदी कोलफील्ड्स में चल रही सात परियोजनाओं के नामों को बताने का अनुरोध करता हूं।

फिर भी, महानदी कोलफील्ड्स में एक कमी है। वे समुचित ढंग से रेत नहीं भरते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इन सभी जारी परियोजनाओं के लिए कोयले को निकाले जाने के बाद रेत भरने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : जो चालू परियोजनाएं चल रही हैं वह सात न होकर नौ चल रही हैं। उनमें हम 756.60 मिलियन करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : उन्हें रेत भरे जाने सम्बन्धी उत्तर के लिए उचित सूचना देनी चाहिए थी।

उपाध्यक्ष महोदय : वे कागजात पढ़ रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कांति सिंह : सैंड फिलिंग के बारे में जो कहा जा रहा है उसमें जितना हमको दिया जा रहा है, वह पूरा भर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : कृपया आप श्री पाणिग्रही और मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दें। हम महानदी कोलफील्ड क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : 5 सप्लीमैंटरी पूरी हो चुकी हैं। हाउस जो चाहे वह ठीक है। मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन यह आपका ही फैसला है।

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस तरह का कोई रूल बनाया न जाए।

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : हमने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। हम क्या कर सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, गाड़ी रिवर्स में आ गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बीच में छूट गया था। मैं अभी बुलाता हूं।

[अनुवाद]

श्री के. पी. सिंह देव : महोदय, भारत का एक-तिहाई कोयले का भण्डार इब घाटी और महानदी कोलफील्ड्स में है। माननीय मंत्री के पूर्ववर्ती मंत्री, वर्तमान माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की थी कि महानदी कोलफील्ड्स के लिए एक वृहद् 1200 करोड़ रुपयों की परियोजना चलाई जा रही थी जब वो सम्बलपुर में इसका उद्घाटन कर रहे थे। अब महानदी कोलफील्ड्स डुभरी के छह इस्पात संयंत्रों और दक्षिण भारत के सभी बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति कर रही है। पिछले वर्ष मार्च 1996 माह में कोयला मंत्रालय और साथ ही उड़ीसा सरकार ने **'चेन्डीपडा ओपन कास्ट'** परियोजना का उद्घाटन किया था। आज तक कुछ भी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। कार्य कब आरम्भ होगा और इसमें क्या बाधाएं आ रही हैं ? इसका एक वर्ष पहले उद्घाटन किया गया और किसी भी प्रकार के कार्य को अभी तक आरम्भ क्यों नहीं किया गया। क्या मुझे इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कान्ति सिंह : जैसा कि एक साल पहले उसका शिलान्यास किया गया था उस सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अगर इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी सूचना आप हमें दे दें। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : एक मिनट में कर लेते हैं, पांच के बजाय सात सप्लीमेंटरी हो जाएंगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध मेरे निर्वाचन क्षेत्र से है।

[हिन्दी]

महानदी कोलफील्ड्स सबसे कनिष्ठ कम्पनी है; लेकिन यह प्रोफेटेबिलिटी में, ग्रोथ रेट में, प्रोडक्टिविटी में इंडिया में बैस्ट है।

नवें प्लान के आखिर तक जो 47.20 का लक्ष्य रखा गया है, इसके लिए जो पूरी धनराशि चाहिए और लैंड एक्वीजिशन और दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी चालू नहीं हुई है, इनकी क्या स्थिति है ? उसके बाद अभी इनकी चारी कमेटी रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने एडाप्ट किया है।

[अनुवाद]

इसका अर्थ है सरकारी नीति के उलट किया जा रहा है और कोयला उद्योग और कोलफील्ड्स का निजीकरण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अभी कोल पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी है, इससे सारी इंडियन कोल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, खतरा हो गया है, चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई है, इसमें महानदी कोलफील्ड्स का जो 47.20 लक्ष्य रखा है, यह लक्ष्य नाइंथ प्लान में पूरा होगा कि नहीं ?

इसकी धनराशि की जो व्यवस्था है, उसकी अभी क्या स्थिति है, मंत्री जी उसका जवाब दें ?

श्री के. पी. सिंह देव : उन्होंने प्राइवेटाइजेशन का तो पहले ही कह दिया।

श्रीमती कांति सिंह : प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, हमारी सरकार की जो योजना है ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : आपका कोल अब चीपर हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पूछ लिया है। ठीक है।

श्रीमती कांति सिंह : वैसे इम्पोर्ट के बारे में जैसा आपने कहा कि कम कर दी गई है तो इससे क्या होगा कि अगर हम लोग प्राइवेट लोगों को ऑफर करते हैं तो इसमें प्रतियोगिता की भावना ज्यादा रहेगी और हमारी कम्पनियां ठीक होंगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब पांच के बजाय सात सप्लीमेंटरी हो गईं। आगे किसी और में पूछ लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए करावकाश

\+

***282. श्री काशीराम राणा :**

श्री ब्रजमोहन राम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने वर्ष 1994-95 के अपने बजट भाषण में देश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके प्रारंभिक 5 वर्ष के दौरान कराधान में 100 प्रतिशत करावकाश की घोषणा की थी;

(ख) क्या तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अधिसूचित नहीं किया है ताकि औद्योगिक इकाइयां 100 प्रतिशत करावकाश का लाभ उठा सकें;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा को पूरा नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1994-95 के बजट भाषण में, वित्त विधेयक, 1994 पेश करते समय, तत्कालीन वित्त मंत्री ने उन नए औद्योगिक उपक्रमों को पांच वर्ष का कर-अवकाश देने की घोषणा की थी जो 1-10-94 से 31-3-1999 की अवधि के दौरान ऐसे जिलों में उत्पादन करना आरंभ करेंगे जो निर्धारित किए जाने वाले कुछेक मार्गनिर्देशकों के अनुसार पिछड़े जिले हैं।

(ख) से (ङ) आयकर अधिनियम की धारा 80-झ क के अंतर्गत 100% कर अवकाश की स्वीकृति देने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए वित्त मंत्रालय में एक अध्ययन दल का गठन किया गया था। उक्त अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कुछ राज्य सरकारों ने यह अनुरोध किया था कि जिलों की अपेक्षा तालुका अथवा तहसील जैसी छोटी इकाइयों को लाभ दिया जाए। इस पहलू तथा कुछेक अन्य मामलों की जांच करने हेतु अध्ययन दल की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए एक दल का गठन किया गया था। समीक्षा अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1996 में प्रस्तुत कर दी है और यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

श्री काशीराम राणा : वित्त अधिनियम, 1993 में नई औद्योगिक इकाइयों, जो कि आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पिछड़े राज्य में 31-3-1998 के पहले 1-4-1993 से उत्पादन शुरू किया है, के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 के अंतर्गत एक पंचवर्षीय करावकाश को प्रस्तावित किया गया था।

सरकार को अन्य राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए भी पंचवर्षीय करावकाश को बढ़ाने के लिए कई अभ्यावेदन दिए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने अभी कहा था कि तत्कालीन वित्त मंत्री ने लोक सभा में वित्त विधेयक को प्रस्तावित करते हुए घोषणा की थी कि वे इस उद्देश्य के लिए एक अध्ययन दल का गठन करेंगे। वह अध्ययन दल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है और यह वित्त मंत्री के पास विचाराधीन है।

इन परिस्थितियों में मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को भी पंचवर्षीय कर अवकाश का लाभ मिलेगा और क्या सरकार 31-3-1998 से पिछड़े राज्यों के सम्बन्ध में कर अवकाश और आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसकी व्यापक सम्भावनाएं हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, दो अलग-अलग प्रश्न हैं। जहां तक पिछड़े राज्यों का सम्बन्ध है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध राज्यों को प्रोत्साहन जारी रहेंगे। चालू अवधि की समाप्ति पर यदि इसे बढ़ाना आवश्यक हुआ तो हम इस पर उचित समय पर विचार करेंगे। इसके प्रति मेरा खुला दृष्टिकोण है।

पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में, यह सही है कि एक अध्ययन दल की रिपोर्ट आई है और यह भी सही है कि राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर आधारित समीक्षा समिति की रिपोर्ट भी आई है। हमने इस पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विचार किया है। मुझे आशा है कि हम इस पर जल्दी ही एक निर्णय लेंगे। अध्ययन दल द्वारा प्रतिवेदित सूची के प्रति सभी को सहमत करना आसान नहीं है क्योंकि कोई न कोई जिला छूट जाता है और हर कोई अपने जिले को इसमें समाविष्ट कराना चाहता है। इसलिए मैं अध्ययन दल के प्रतिवेदन के प्रति सभी को सहमत करने का प्रयास कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा : मंत्री महोदय ने बताया कि इसमें जल्दी नहीं है। उन्होंने 1993 की रिपोर्ट के बारे में बताया। फिर रिव्यू स्टडी ग्रुप बनाया गया, उसको बने हुए भी चार साल हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछड़े जिले हैं उनको बहुत जल्दी लिया जाए। आपने पिछड़े जिलों के लिए जो क्राइटेरिया और गाइडलाइंस तय की हैं, कई राज्य सरकारों ने कहा है कि इसमें परिवर्तन किया जाए।

[अनुवाद]

हमारे देश का एक जिला औद्योगिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र होता है।

[हिन्दी]

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकारों ने गाइडलाइंस पर आपत्ति उठाई है और इनमें परिवर्तन करने के बारे में कहा है, सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है जिसमें पिछड़े जिलों को पूरा लाभ मिल सके ? क्या जिलों के बजाय तालुकों को भी उसी स्तर पर टैक्स हॉलीडे की सुविधा देने पर विचार कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : अध्ययन दल का प्रतिवेदन अक्तूबर, 1994 में मिला था। तत्पश्चात् पिछली सरकार द्वारा इस पर विचार किया गया था। परन्तु वे जून, 1996 तक निर्णय, उन कारणों के चलते जो कि अब मेरे समक्ष पूरी तरह स्पष्ट है, नहीं ले पाए। फिर अध्ययन दल, राज्य सरकारों के दृष्टिकोण और कुछ अन्य अभ्यावेदित दृष्टिकोणों पर विचार कर अपनी रिपोर्ट 1996 में दी। जैसा कि मैंने कहा दो महीनों पहले हमने एक उच्चस्तरीय बैठक की थी। मैं सभी को अध्ययन दल के प्रतिवेदन को मानने के लिए राजी कर रहा हूं। जैसा कि स्पष्ट है मेरे लिए यह कठिन है कि मैं सभी को उस रिपोर्ट से सहमत करा पाऊं क्योंकि किसी के जिले को समाविष्ट किया गया और किसी के जिले को समाविष्ट नहीं किया गया। यदि मैं तालुका और तहसील स्तर पर आता हूं तो मैं कभी भी आम सहमति नहीं बना पाऊंगा। मेरे विचार से विर्निदिष्ट जिलों पर सहमति बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए और मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री ब्रजमोहन राम : वर्ष 1994-95 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि अक्टूबर 1994 से 31 मार्च, 1999 तक की अवधि के दौरान जो इकाइयां पिछड़े जिलों में लगेंगी, उनको कर अवकाश मिलेगा। सरकार को इस सम्बन्ध में सारी रिपोर्ट मिल गई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां औद्योगिक इकाइयों को कर अवकाश का लाभ मिलने वाला है ?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह कहने के लिए मुझे क्षमा कीजिए कि प्रत्येक राज्य के जिलों के नामों को उल्लेखित करने का यह उचित समय नहीं है। इससे और ज्यादा कलह बढ़ेगा। सरकार के इस निर्णय के बाद कि कौन से जिलों को शामिल किया जाना है, मैं सूची को सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। परन्तु अभी कह देने से हम कभी भी सहमति नहीं बना पाएंगे।

श्री संतोष मोहन देव : महोदय मंत्री जी ने सही कहा कि योजना को 1994-95 में आरम्भ किया गया था। तब से यह कई कठिनाइयों का सामना कर चुकी है। इस पर समितियों और उप समितियों ने विचार किया और अब जाकर रिपोर्ट आई है। जब आप इसे क्रियान्वित करेंगे तो क्या आप पांच वर्षों के उस समय से शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि चार वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। दूसरी बात, उदार बनिए और केवल अपने 13 संघटकों का ध्यान रखने के बजाय आनुपातिक आधार पर सभी राजनीतिक पार्टियों पर विचार कीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं नहीं समझता कि हमें अवकाश अवधि की शुरूआत के वर्ष जो कि 1994 है को बदलना चाहिए। परन्तु हम अन्तिम अवधि, जो कि 1999 है, को बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं। मैं सभी को, विनिर्दिष्ट किए जा चुके जिलों के प्रति, सहमत करने में कठिनाई का सामना कर रहा हूं। अब आप मेरी कठिनाई को बढ़ा रहे हैं। मैं सभी को, विनिर्दिष्ट किए जा चुके जिलों के प्रति, सहमत करने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं बुला रहा हूं। एक-एक करके ही बुला पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री सुनील खान : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल के अत्यधिक पिछड़े जिले बांकुरा में एक औद्योगिक इकाई को स्थापित करने के लिए संयुक्त मोर्चा सरकार ने कोई प्रस्ताव किया है।

श्री पी. चिदम्बरम : यह प्रश्न माननीय उद्योग मंत्री से पूछा जाना चाहिए।

श्रीमती रजनी पाटिल : सबसे पहले विनिर्देशन जिलों के आधार पर किया गया है। अपने उत्तर में आपने कहा कि कुछ राज्यों ने अनुरोध किया कि यह छोटी इकाइयों जैसे तालुक और तहसील के आधार पर किया जाना चाहिए। महोदय, तालुकों के नाम पर, व्यावहारिक रूप से यह हुआ कि उन्हीं जिलों, जो कि औद्योगिक रूप से विकसित हैं, को फिर से अधिक सुविधाएं दी गईं थीं। उदाहरण के लिए मैं पुणे जिले के इन्दापुर, बारामती और शिरूर जिलों और ठाणे जिले के भिवण्डी और शाहपुर क्षेत्रों का नाम ले सकती हूं। मैं जानना चाहती हूं क्या सरकार के पास

पूरी तरह से अविकसित जिलों जैसे मराठवाड़ा के बीड और उस्मानाबाद क्षेत्रों के लिए कोई विशेष योजना है ?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं किसी विशेष जिले के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे सकता ...*(व्यवधान)* महोदय, मुझे पूरा उत्तर तो देने दें। यदि वे व्यवधान डालेंगे तो मैं उत्तर कैसे दे सकूंगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें पूरा उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रजनी पटेल : जनरेलाइज्ड जवाब दीजिए।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : हां, मैं एक जनरेलाइज्ड उत्तर दे रहा हूं। तालुकों और तहसीलों को लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रस्ताव केवल जिलों को लाभ प्रदान किए जाने का है। मैं नहीं समझता यदि तालुकों और तहसीलों तक चले जाते हैं तो किसी प्रकार की सहमति पर पहुंचना सम्भव होगा। यह लगभग असम्भव कार्य है। अब हमारे पास जिले हैं। ऐसी रिपोर्टें हैं जिन्होंने जिलों को विनिर्दिष्ट किया है। माननीय सदस्य सही हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कतिपय मानदण्डों के अधीन 'उद्योग विहीन जिले' के रूप में जिस जिले को वर्गीकृत किया जाय उस जिले को समाविष्ट किया जाना चाहिए। हम परामर्श को स्वीकार करना चाहते हैं।

श्री जी. जी. स्वैल : महोदय, माननीय मंत्री के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि वो विभिन्न राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों को, इस बात पर कि कौन-सा क्षेत्र पिछड़ा और कौन-सा क्षेत्र पिछड़ा नहीं होना चाहिए, सहमत नहीं कर पा रहे हैं। मैं इस समस्या को समझ सकता हूं। आप इस समस्या का सामना कर चुके हैं। परन्तु देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें औद्योगिक रूप से पिछड़ा माना जा चुका है। इसके बारे में कोई प्रश्न या विवाद नहीं है। संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। मैं जानना चाहता हूं क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। यदि नहीं तो पूरी योजना में विलम्ब करने के बजाय इसे एक अग्रिम कार्रवाई के रूप में चयनात्मक आधार पर आरम्भ क्यों नहीं करते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत पहले ही समाविष्ट किया जा चुका है। यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभों से किसी भी तरह सम्बन्धित नहीं है। 8वीं अनुसूची में अनुसूचित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पहले से ही आयकर लाभ मिल रहा है। अब हम अन्य राज्यों में जिलों को विनिर्दिष्ट करने के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को पहले ही समाविष्ट किया जा चुका है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों का पारिश्रमिक

***283. श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले प्रबंधकीय पारिश्रमिक संबंधी अधिकतम सीमा को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) प्रबंधकीय पारिश्रमिक से सम्बंधित कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों में संशोधन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये उपबन्ध भारत में पंजीकृत सभी पब्लिक कम्पनियों (और उन सभी प्राइवेट कम्पनियों पर भी जो पब्लिक कम्पनियों की सहायक हैं) पर लागू होते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : अध्यक्ष जी, आपने अच्छा जवाब दिया है।

[अनुवाद]

अधिकतम सीमा को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

इसलिए भी अच्छा लगा। मंत्री जी का जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रेम है, इसलिए इन्होंने कहा कि उन्होंने 200 साल तक राज किया। उससे और ज्यादा साल तक मुनाफा कमाएंगे। इस प्रकार का कुछ स्टेटमेंट हमने पढ़ा। इसलिए मन में थोड़ी-सी आशंका उत्पन्न हुई। मैं जानना चाहूंगी कि अभी तो कोई प्रपोजल नहीं है। लेकिन क्या सरकार को कम्पनी एक्ट का जो शेड्यूल-13 है उसमें जो सीलिंग है, वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के ऊपर भी दस प्रतिशत है। इसके लिए इस पारिश्रमिक की सीमा हटाने के लिए कुछ ट्रांस-नेशनल कंपनियों से या और किसी से क्या कोई और रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आजकल सब में बात होती है, क्या उसके अंदर इस दृष्टि से सरकार विचार कर रही है ? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : प्रश्न क्या है, महोदय ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या आपने इस अधिकतम सीमा को हटाने के लिए किन्हीं ट्रांस नेशनल कम्पनियों से अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं। क्या आप इस पर विचार कर रहे हैं ?

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया हो। यदि कोई अभ्यावेदन मंत्रालय को प्राप्त हुआ है तो मैं उस पर विचार करूंगा। परन्तु मुझे याद नहीं है कि कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : आपको हिन्दी नहीं आती है और

मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, क्योंकि मैं बहुत सीधी-साधी महिला हूं इसलिए आपको तकलीफ होगी।

महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि साधारणतया यह देखा गया है कि जितनी भी ट्रांस-नेशनल कम्पनियां होती हैं, जैसे किरलोस्कर हैं तो उनका सीएमडी बाहर का है। सीमेंस कम्पनी हो या कोई भी हो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियां रहती हैं उनकी जो हायर मैनेजिरियल पोस्ट रहती हैं उनमें साधारणतया देश के बाहर के ही लोग रहते हैं। इसलिए इसमें जो रेम्यूनरेशन मिलता है, मेरा अपना विचार है कि इसमें ज्यादातर बाहर ही जाएगा। लेकिन कम्पनियों के शेयर होल्डर हिन्दुस्तान के नागरिक हैं। मैं जानना चाहूंगी कि अगर इस प्रकार दस प्रतिशत भी बाहर जाता है, यानी अगर एक कम्पनी सौ करोड़ का मुनाफा कमाती है तो उसमें से दस करोड़ रेम्यूनरेशन के हिसाब से एक साल में बाहर जाएगा। मैं जानना चाहूंगी कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसी किसी विशेषज्ञ समिति का गठन करने पर सरकार विचार कर रही है जो यह जानेगी कि फोरन एक्सचेंज और साथ ही साथ डोमेस्टिक इनवेस्टर्स का जो डिविडेंड है, फोरन एक्सचेंज जब बाहर जाता है तो उस पर कितना असर होता है। इस पर थोड़ा सा विचार करने के लिए क्या कोई ऐसी विशेषज्ञ समिति गठित की गई है या करने का सरकार का विचार है ?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : विशेषज्ञ समिति को गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरे विचार से वर्तमान विधि पर्याप्त है और कम्पनी अधिनियम को नए सिरे से बनाने के लिए गठित दल ने भी सिफारिश की कि वर्तमान विधि पर्याप्त है और कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

श्री पी. धनंजय कुमार : मैं जान सकता हूं क्या मंत्री इस बात से अवगत हैं कि कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों को निष्क्रिय करने के लिए अनुलाभों के रूप में अधिक परिश्रमिक देने की प्रवृत्ति सहज है और क्या सरकार द्वारा अनुलाभों सहित पूरे पारिश्रमिक को अधिनियम में विहित सीमा के भीतर लाने के लिए निरीक्षण और नियंत्रण हेतु उपायों पर विचार किया गया है ? मेरे प्रश्न का भाग 'ख' है क्या सरकार का ध्यान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य व्याप्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पदों पर नजर रखने की प्रवृत्ति की ओर गया है।

सेवा निवृत्ति के तुरन्त बाद या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के बाद भी, अधिकतर बेहतर कर्मचारी प्रमुख पदों को प्राप्त करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। क्या सरकार ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए उपाय करने के बारे में सोच रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, अधिनियम में उपबंधित है कि किसे पारिश्रमिक की परिभाषा में समाविष्ट किया जाना चाहिए और किसे पारिश्रमिक की परिभाषा में समाविष्ट नहीं किया जाना चाहिए। कुछ अनुलाभ निस्संदेह पारिश्रमिक की परिभाषा से बाहर हैं। इसमें भविष्य निधि में अंशदान, सेवा निवृत्ति निधि, उपदान का भुगतान, छुट्टी को भुनाया जाना, निर्वासितों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता और यात्रा रियायत छुट्टी शामिल नहीं है। सामान्यतः इनको पारिश्रमिक की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाता है।

श्री वी. धनंजय कुमार : निशुल्क आवास के सम्बन्ध में क्या उपबन्ध है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। सदस्य निःशुल्क आवास के बारे में जानना चाहते हैं।

मैं कम्पनी अधिनियम की धारा 198 के अंतर्गत स्पष्टीकरण की ओर उनका ध्यान आकर्षित करता हूं जिसमें उल्लिखित है: "इस धारा और धारा 309 इत्यादि के उद्देश्यों हेतु, पारिश्रमिक में किसी निःशुल्क आवास को प्रदान करने में कम्पनी द्वारा किया गया कोई खर्च या निःशुल्क आवास के सम्बन्ध में किसी अन्य प्रकार का लाभ या सुविधा शामिल होगी।"

अधिनियम में यह सब उपबन्धित है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, यह ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। मुम्बई में एक-एक लाख में मकान दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपको उत्तर कैसे दे सकता हूं। मुझे पहले उन्हें उत्तर देना है ...*(व्यवधान)* यदि आप हिन्दी में उल्लेख करते हैं, तो मुझे 'हेड गियर' का प्रयोग करना होगा। कम से कम आपको तो अंग्रेजी में उल्लेख करना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर देना चाहता था।

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह नतीजा है इनकी इनवैस्टमेंट पॉलिसी का कि वित्त मंत्री महोदय बिना 'हैडगियर' के समझ ही नहीं सकते।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : क्या डा. जोशी ने मेरी हिन्दी के बारे में कुछ कहा ?

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैंने कहा कि आप बिना पगड़ी वाले भूतपूर्व मंत्री डा. मनमोहन सिंह के समान दिखते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : आप ऐसा कई बार कह चुके हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसलिए आप अपना 'हैड गियर' सुरक्षित रखिए जिससे कि आप माननीय सदस्य क्या कहते हैं उसको सुनें और आप चिदम्बरम बने रहें और पगड़ी विहीन डा. मनमोहन न बने रहें।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं सरल शब्दों में बोली जाने वाली हिन्दी समझ लेता हूं। परन्तु मैं पंडित जी की हिन्दी को कैसे समझ सकता हूं ?

[अनुवाद]

डा. मुरली मनोहर जोशी : मैं तो तमिल से मिलती-जुलती हिन्दी बोलता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं कोशिश करूंगा। काफी मुश्किल है।

श्री अनंत कुमार : कोशिश करने के बाद सही रास्ते पर आ रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कृपया प्रश्न पर आइए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय मुझे सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात् सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

श्री नीतीश कुमार : कम से कम आप हिन्दी में बातचीत करने का प्रयास कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इस बीच आप अनुवादकों की सहायता लीजिए और तमिल में उत्तर दीजिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा वातावरण बनाए रखिए।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस : मेरा सुझाव है कि श्री नीतीश कुमार तमिल बोलें और ये हिन्दी में बोलें तो देश की एकता के लिए भला होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : सेवानिवृत्त हो चुके सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं नहीं समझता कि सेवानिवृत्ति के पश्चात् रोजगार तलाशने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर पूर्ण निषेध आरोपित करना उचित या सही नहीं होगा। परन्तु सरकारी सेवकों के लिए एक नियम है, मुझे विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र में भी ऐसा नियम होगा कि सेवा निवृत्ति के दो वर्षों के पश्चात् उसे अनुमति लेनी होगी और यह वह अवधि है जिसके दौरान सेवानिवृत्ति के पश्चात् सरकार उस पर निगरानी रख सकती है।

श्री वी. धनंजय कुमार : यह शर्त केवल उस मामले में लागू होती है जब उसे निदेशक के रूप में लिया जा रहा हो और किसी अन्य नौकरी पर नहीं।

श्री पी. चिदम्बरम : ऐसे नियम हैं। आप एक अलग प्रश्न पूछिए और मेरे विचार से उद्योग मंत्री आपके प्रश्न का उत्तर देंगे।

श्री सुब्रमण्यम मेलावाला : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को व्यावसायिक बैंकों के साथ सम्मिलित कर दें या एक अलग बैंक बनाया जाना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : इस बात का इस प्रश्न से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इसके लिए अलग से सूचना की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष जी, मुम्बई शहर के अंदर बड़ी-बड़ी कंपनियों के हैड-ऑफिसेज़ हैं। वहां के जो ऐक्जीक्यूटिव हैं, मान लीजिए उनको 10-15 हजार रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, परंतु जो बड़े-बड़े मकान होते हैं, उनका 70-80 हजार रुपए महीने का भाड़ा है और कंपनियों की मांग अभी भी बहुत ज्यादा है। आपने उत्तर दिया कि तनख्वाह के अंदर मकान का भाड़ा निकाल दिया है। यह ठीक नहीं है। क्या आप इसकी कुछ जांच करवाएंगे ? आप इनकम-टैक्स विभाग से जांच करवाइए। मुम्बई के कॉमर्शियल रैण्ट सबको मालूम हैं। 70-80 हजार रुपए महीने इनको भाड़ा देते हैं। आपने जो उत्तर दिया, उसमें विसंगति है या फिर आपका उत्तर गलत है क्योंकि वस्तुस्थिति हमको मालूम है।

[अनुवाद]

हमें वास्तविकता का पता है। यह सब कुछ मुम्बई में ही हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : माननीय सदस्य पर प्रिविलेज का केस आ जाएगा। महाराष्ट्र के सदस्य को हमें बताना पड़ेगा कि 'बंबई' नहीं, 'मुम्बई' कहें ?

[अनुवाद]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : मुझे क्षमा कीजिए।

[हिन्दी]

मैंने जो इनफोर्मेशन दी, क्या मंत्री जी उसकी जांच करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय इस सूचना की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को सभी जानते हैं कि मुम्बई में किराए बहुत ज्यादा हैं। परन्तु यह कम्पनी या निदेशक का कार्य नहीं है। परन्तु यह दूसरे अन्य घटकों जैसे भूमि की कमी, आवासीय स्थलों की कमी और मुम्बई में उपलब्ध आवासीय क्षमता को बढ़ाने में असफलता के कारण है। उनका कम्पनी या निदेशक से कोई लेना-देना नहीं है। मैं अपने माननीय मित्र के प्रश्न के उत्तर में कम्पनी अधिनियम की धारा 198 का स्पष्टीकरण पढ़ रहा हूं : 'पारिश्रमिक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है ?' परन्तु "कर कौन देगा ?" यह प्रश्न निदेशक और कम्पनी के बीच है।

श्री ए. सी. जोस : यह स्थिति अत्यंत कठिन है। बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने के कारण और ये कम्पनियां युवा

इंजीनियरों को भारी वेतन का भुगतान कर रही हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि कोई अधिकारी या कोई निदेशक अपनी सेवानिवृति के दो वर्षों के पश्चात् ही किसी अन्य कम्पनी में रोजगार से लग सकता है। यह उच्चतम स्तर पर है। परन्तु मध्यम स्तर के प्रबन्धन पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में भारी कमी है क्योंकि मध्यम स्तर के प्रबन्धक छोड़कर जा रहे हैं या कम्पनी अधिनियम द्वारा लगाए गए नियंत्रण एवं अंकुश के कारण तेजी से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार ग्रहण कर रहे हैं। मैं मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि विशेष मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में, यदि वे लागू करें, क्या सरकार कुछ असाधारण परिस्थितियों को निर्मित करने—आपातिक मामलों और विशेष मामलों में—को स्वीकारने और मध्यम स्तर के प्रबन्धकों, जो कि अत्यधिक बुद्धिमान हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के कम्पनियों को छोड़कर निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर भाग रहे हैं, को ज्यादा वेतन देने के बारे में विचार नहीं कर सकती है ? वे उन्हें ज्यादा अनुलाभों और अन्य अनुषंगी लाभों को देकर उन्हें आकर्षित कर रहे हैं। माननीय मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं क्या वे ऐसा करने के लिए तैयार हैं ? अब कम्पनी अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है। सरकार द्वारा कुछ उपबन्धों को किया जाना होगा जिससे कि सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां कतिपय उपबन्धों को हटा सकें और सार्वजनिक क्षेत्र में इन असाधारण रूप से कुशल लोगों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त परिश्रमिक दे सकें।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, कम्पनी अधिनियम के उपबन्ध मात्र वह अधिकतम सीमा निर्धारित करते हैं जिसके भीतर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना चाहिए। यह सही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकों का वेतन ऐसे ही निजी क्षेत्र में मिलने वाले वेतन से काफी कम है। उच्च क्षमता वाले कार्मिकों को आकर्षित करने या अपने पास ही नियुक्त करने में सार्वजनिक क्षेत्र के असफल होने का एक कारण कम वेतनमान भी है। उद्योग मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्धकों के वेतन और प्रतिकार पैकेज पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अधीन एक समिति को नियुक्त किया है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न आप पूछेंगी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : मैं यहां नहीं थी, मैं प्रश्न के लिए तैयार नहीं हूं।

[अनुवाद]

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, अगला प्रश्न मुझे पूछना है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्षमा चाहता हूं, श्री कुरियन।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : उपाध्यक्ष जी, आप क्विश्चन ऑवर को रोकिए। मेरे जिले में छात्रों को जेल में बन्द किया जा रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री पी. जे. कुरियन को बुला चुका हूं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मुझे महिला को अवसर देने में आपत्ति नहीं होती परन्तु प्रश्न काल के दौरान मैं ऐसा नहीं करूंगा।

भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट

***284. प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन एजेंटों को कमीशन का भुगतान करने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) इन एजेंटों को पिछले तीन वर्षों में कुल कितने कमीशन का भुगतान किया जाना था और वस्तुतः कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि दि. 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार देश में लगभग 5.14 लाख सक्रिय एजेंट कार्यरत थे और उनके दावों के निपटान के सम्बन्ध में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ।

2. निम्नलिखित सारणी में उस कुल कमीशन को दिखाया गया है जो जीवन बीमा निगम द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों में देय था और जिसका भुगतान उसके द्वारा किया गया :

मद	1995-96 (करोड़ रु.)	1994-95 (करोड़ रु.)	1993-94 (करोड़ रु.)
1. कुल अनुमानित देय और भुगतान योग्य कमीशन	1078	960	851
2. अनुमानित जारी किया गया कमीशन	1073	948	845

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, प्रश्न के भाग (घ) में मैंने जानना चाहा कि एजेंटों को देय कमीशन की धनराशि कितनी थी और उनको वस्तुतः कितनी धनराशि का भुगतान किया गया। मेरे विचार से मंत्री जी ने शब्दों की हेरा-फेरी की है। एजेण्टों को वास्तविक रूप से भुगतान किए गए कमीशन की धनराशि को उत्तर में बताने के स्थान पर उन्होंने जारी किए गए प्राक्कलित कमीशन

को दर्शाया है। मैं जानना चाहता हूं क्या भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी किया कमीशन वस्तुतः एजेण्टों को जारी किया गया या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जारी की गई धनराशि और एजेंटों को प्राप्त धनराशि में अन्तर होता है। मुझे इस तथ्य पर स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह मात्र एक स्पष्टीकरण है।

मेरा अनुपूरक प्रश्न है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं और उनकी बहुत ज्यादा उपेक्षा की जाती है। माननीय मंत्री ने कहा कि आज की तारीख में भारतीय जीवन बीमा निगम में 5.14 लाख एजेण्ट हैं। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे एजेण्टों की संख्या कितनी है जिनकी एजेंसियां व्यपगत हो गई हैं या फिर समाप्त कर दी गई हैं। इसके क्या कारण हैं और इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

दूसरी बात क्या यह सही है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट उनको मिलने वाले लाभों और उनकी सेवा शर्तों को संशोधित करने की मांग कर रहे हैं ? क्या यह भी सही है कि कुछ समय पहले तक भारतीय जीवन बीमा निगम में एजेंटों की विकास अधिकारी के रूप में भर्ती की जाती थी और अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यदि हां तो इसका कारण क्या हैं ? सरकार इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत एजेंटों की सेवा शर्तों को संशोधित और बेहतर क्यों नहीं कर रही है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इसमें शब्दों की कोई हेरा-फेरी नहीं है। भारतीय जीवन बीमा द्वारा एकत्रित किए जाने वाले प्रीमियम का तीस प्रतिशत भाग सामान्यतः वर्ष की अन्तिम तिमाही में एकत्रित किया जाता है। वस्तुतः फरवरी और मार्च महीनों में संचय किया जाता है। इसलिए देय कमीशन की धनराशि और जारी किए जाने वाले कमीशन की धनराशि को निर्धारित करते समय शीघ्रता या देरी हो सकती है और कभी भुगतान मार्च में और कभी अप्रैल में किया जाता है। इसी कारण जब एक बार कमीशन को भुगतान योग्य मान लिया जाता है तो इसे भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी कर दिया जाता है। परन्तु इसके पश्चात् कई प्रक्रिया सम्बन्धी चरण पूरे किए जाने होते हैं। इन कमीशनों को वस्तुतः एजेंटों को पूर्ववर्ती वर्ष की अन्तिम तिमाही में या अगले वर्ष की प्रथम तिमाही में भुगतान किया जाता है। यह ऐसी बात नहीं है जो आज घटित हुई हो। यह चिर परिचित और सुदृढ़ प्रणाली है। यह इसलिए होता है क्योंकि 30 प्रतिशत व्यवसाय वर्ष की अन्तिम तिमाही में होता है। इसलिए अगले वर्ष के लिए अतिरिक्त धन को ले जाया जाता है। मैं उत्तर दे चुका हूं। वर्ष 1995-96 में जांच के पश्चात् भुगतान योग्य और देय 1078 करोड़ रुपयों में से 1073 करोड़ रुपयों की धनराशि को कमीशन के रूप में जारी किया गया। इसका कुछ भाग का वस्तुतः कभी मार्च के महीने में या कभी अप्रैल के महीने में भुगतान किया जाता है। इसमें देर-सवेर हो सकती है और मेरे विचार से इसमें शायद ही कोई समस्या है क्योंकि पूर्ववर्ती वर्षों में ऐसा ही होता आया होगा। मार्च में देय कमीशन को अप्रैल के महीने में दिया गया होगा। मेरे विचार से इस पर कोई गम्भीर शिकायत नहीं है। मेरी दृष्टि में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें किसी ने मुझसे यह शिकायत की हो कि यह एजेंटों को गम्भीर रूप से हानि पहुंचा रहा हो। एजेंट लम्बी सेवा करने वाला बिक्री प्रतिनिधि है और वह जानता है कि उसे यह अप्रैल के महीने में मिलेगा और इसीलिए वह इस बात को गम्भीरता से नहीं लेता है। यह सम्भव नहीं है कि मार्च में किए गए व्यवसाय का कमीशन मार्च से पहले ही भुगतान किया जाए। कमीशन का भुगतान किए जाने से पहले अभिलेखों की जांच की जानी होती है।

महोदय, कमीशन और सेवा शर्तों को बेहतर बनाने के अन्य प्रश्न पर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी मांगें की जा रही हैं। समय-समय पर ऐसी मांगें की जाती हैं परन्तु अब हमने इन शक्तियों को भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रत्यायोजित कर दिया है। अब भारतीय जीवन बीमा निगम एक ऐसी कम्पनी है जिसका प्रबन्ध बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। इसका पूर्ण सदस्यीय बोर्ड है। भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड को विचार करना होगा कि कैसी सेवा शर्तें और क्या पारिश्रमिक भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों को दिया जाना चाहिए। मैं ठीक नहीं समझता कि उस सम्बन्ध में मुझे उन्हें कोई निर्देश देने चाहिए। एजेंसी समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में यह कहना मुश्किल है क्योंकि एक एजेंट सक्रिय नहीं हो सकता है परन्तु उसकी एजेंसी को समाप्त नहीं किया जाता है। उसकी एजेंसी को केवल उस स्थिति में समाप्त किया जाता है यदि यह पाया जाता है कि कोई दुराचार या कोई लापरवाही हुई हो। वह निष्क्रिय बन जाता है। कुल 5.14 लाख सक्रिय एजेंटों में से कुछ ऐसे एजेंट हैं जो साल में 20 लाख रुपए कमाते हैं जबकि कुछ ऐसे एजेंट हैं जो वर्ष में मात्र 20,000/- रुपए कमाते हैं। यदि कोई एजेंट अपने व्यापार में रुचि नहीं रखता है तो वह अन्य कारोबार कर लेता है। चूंकि वह थोड़ा बहुत कारोबार करता है इसलिए बर्खास्तगी का प्रश्न नहीं उठता। बर्खास्तगी का प्रश्न तभी उठता है जब वह कोई कदाचार या दुर्व्यवहार करता है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : एजेंटों से विकास अधिकारियों की भर्ती करने की प्रथा पहले से विद्यमान थी। अब यह समाप्त कर दिया गया है। यह एक मुद्दा है।

श्री पी. चिदम्बरम : अब विकास अधिकारियों की भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। अब भारतीय जीवन बीमा को जब कभी विकास पदाधिकारियों की आवश्यकता होती है तो वह नियमों के अनुसार की जाती है। उसे विनियमों की शर्तों पर पूरा उतरना पड़ता है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : एजेंटों के माध्यम से ?

श्री पी. चिदम्बरम : हां, यदि वह नियमों की शर्तों को पूरा करता है तो उसे भी भर्ती किया जा सकता है। उसे विनियमों

को पूरा करना होता है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं नहीं कहता कि यह गुमराह करने वाला है। यह तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। पहले एजेंटों से ही विकास पदाधिकारियों की भर्ती करने की प्रथा थी। उनके लिए विशेष कोटा हुआ करता था। अब वह समाप्त कर दिया गया है। यही मेरा प्रश्न है और आपको उसी का उत्तर देना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं इस विशेष समस्या से अवगत नहीं हूं कि वह कोटा समाप्त कर दिया गया है। मैं उसकी छानबीन करूंगा।

प्रो. पी. जे. कुरियन : ठीक है। इसके लिए धन्यवाद। मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आपने दूसरा अनुपूरक प्रश्न पहले ही पूछ लिया है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : नहीं, नहीं; मैं मात्र उस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम : यह उनका डेढ़ अनुपूरक था।

प्रो. पी. जे. कुरियन : स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। आज यह कुल जनसंख्या का 35 प्रतिशत है। हमारे देश की 35% जनसंख्या भारतीय जीवन बीमा को प्रीमियम देने में सक्षम है। उन्हें भारतीय जीवन बीमा के दायरे में लाना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्यम वर्ग के उन लोगों, जो भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रीमियम दे सकते हैं, का प्रतिशत क्या है जिन्हें एल.आई.सी. के दायरे में लाया गया है। शेष क्षमतावान लोगों को एल.आई.सी. के दायरे में लाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? क्या आपके विभाग ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है ? यदि नहीं, तो क्या आप निजीकरण के स्थान पर अध्ययन और उन लोगों को एल.आई.सी. के दायरे में लाने के लिए कुछ कदम उठाने को तैयार हैं ?

श्री पी. चिदम्बरम : मैं एक प्रश्नोत्तर काल को किसी पालिसी पर वाद-विवाद में बदलने की इच्छा नहीं रखता। इसे पालिसी विवाद में बदला नहीं जा सकता है। वित्तीय वर्ष 1995-96 में 110.21 लाख पालिसियों का नया कारोबार हुआ है। आज 51,815 करोड़ रुपए की राशि का नया कारोबार हुआ है। आज की तिथि में जीवन बीमा निगम के पास लगभग 6,55,00,000/- की पालिसियां हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि 6,55,00,000 लोगों का बीमा हुआ है। क्योंकि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पालिसी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि अभी भी अधिकतर लोग इसके दायरे से बाहर हैं।

अब एल.आई.सी. का एकाधिकार है। एल.आई.सी. को जीवन बीमा कारोबार से मुक्त करने या इसका एकाधिकार समाप्त करने का फिलहाल मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। एल.आई.सी. से मेरा अनुरोध है कि वह अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाए। एल.आई.सी. हर संभव प्रयास कर रहा है और जीवन बीमा के दायरे में अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करते रहेंगे।

श्री अनन्त कुमार हेगड़े : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे यह जान पड़ता है कि वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम के नेतृत्व में यह सरकार बीमा क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, विशेषकर विदेशी कम्पनियों के लिए खोलेगी। जब ऐसा प्रस्ताव मन में हो तो माननीय वित्त मंत्री, उन 5,14,000 एजेंटों का भविष्य क्या होगा जो एल.आई.सी. कमीशन एजेंट के रूप में कार्यरत हैं ?

श्री पी. चिदम्बरम : वे एल.आई.सी. के एजेंट के रूप में कार्य करते रहेंगे।

श्री अनन्त कुमार हेगड़े : इसका मतलब है कि वह इस क्षेत्र को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खोलना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि यह पालिसी मुद्दे पर चर्चा नहीं है। यह प्रश्नकाल है। लेकिन यह मुद्दा काफी महत्त्वपूर्ण है। एल.आई.सी. के एजेंटों का भविष्य एल.आई.सी. पर निर्भर करता है। अतः क्या माननीय मंत्री सभा को इस बात से आश्वस्त करेंगे कि एजेंटों के हित, चूंकि वे परिचालन के क्षेत्र में लगे हैं, और एल.आई.सी. के उज्ज्वल भविष्य को देखते हुए—जैसा कि यह अभी चल रहा है तथा आज देश के सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में से सबसे अधिक प्रशंसनीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, भविष्य में इसके महत्त्व को कम तो नहीं किया जाएगा?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, संयुक्त मोर्चा सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम और सामान्य जीवन बीमा निगम को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाएगी। मैंने अपने बजट भाषण में इससे संबंधित नीति का उल्लेख किया था। बजट भाषण में मैंने जो भी कहा था उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे प्रश्न पूछने का मौका नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं आप लोग एक प्रश्न के ऊपर आठ-आठ सप्लीमेंट्री पूछते हैं। मैं तो चाहता हूं और लोगों के नाम भी आ जाएं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस आंकड़ों में कोई हेराफेरी नहीं है लेकिन उत्तर में दर्शाए गए आंकड़े उनकी कोशिश को बताते हैं। यदि यह अतिरिक्त धन है

तो अनुमानित कमीशन के रूप में जारी क्यों नहीं किया जाता है ? यदि यह अतिरिक्त है तो 1995-96 में इस पर अनुमानित कमीशन 1073 रुपए था जो कि 948 रुपए की अनुमानित कमीशन से अधिक है जो कि 845 रुपए की अनुमानित कमीशन से फिर ज्यादा है। अतः इस अतिरिक्त आंकड़े की यहां पर प्रविष्टि की जानी चाहिए थी। चूंकि ऐसा हो रहा है इसलिए इससे ऐसा जान पड़ता है कि कमीशन की अदायगी की समस्या थी और शायद इसी कारण अदा न किए जाने की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। अतिरिक्त धन को समायोजित करने का यही नियम है।

श्री पी. चिदम्बरम : यदि साल दर साल कारोबार में वृद्धि होती है, यदि देय कमीशन साल दर साल बढ़ता है तो अतिरिक्त धन में भी हर साल बढ़ोतरी होगी। किसी विशेष समय में कुछ धन जारी करना होता है लेकिन रिकार्डों की छानबीन या अन्य कारणों से अदा नहीं की जाती है। अतः हमेशा ही ऐसा धन होता है जो जारी तो किया जाता है लेकिन उसकी अदायगी नहीं हो पाती है लेकिन जब आप अनुपात को देखेंगे तो पाएंगे कि यह बराबर ही है। अनुपात में आप पाएंगे कि कुछ धन को अब जारी नहीं किया गया है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : वास्तव में यह घट रहा है। यह मुद्दा है।

श्री पी. चिदम्बरम : माननीय सदस्य द्वारा बीच में ऐसी टोका-टोकी ठीक नहीं है। उन्हें उत्तर का इंतजार करना चाहिए। वर्ष 1993-94 में अनुमानित राशि और जारी राशि में 6 करोड़ रुपए का अंतर था। 1994-95 में यह अंतर 12 करोड़ रुपए का था। 1995-96 में यह 5 करोड़ था। अनुमानित राशि और जारी राशि में अंतर हमेशा रहेगा। मेरा यह भी कहना है कि जारी की गई राशि में से कतिपय राशि हमेशा ऐसी होती है जो वास्तव में वर्ष के अंत में अदा की जाती है। श्री पी. जे. कुरियन ने प्रश्न पूछा था कि 'वर्ष समाप्त होने के पूर्व आप राशि अदा करते हैं।' मैंने कहा "नहीं" क्योंकि नया कारोबार फरवरी और मार्च में किया जाता है। कमीशन तो जारी कर दिया जाता जबकि इसकी अदायगी अप्रैल और मई तक होती है और यदि पिछले बार की अतिरिक्त राशि अप्रैल और मई में आती है तो इस वर्ष की अतिरिक्त राशि आगामी वर्ष के अप्रैल और मई में आएगी। इससे समस्या पैदा न करें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सच नहीं है। उत्तर यह होना चाहिए कि अतिरिक्त राशि को आगामी वर्ष की राशि में जोड़ा जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं दूसरे प्रश्न पर हूं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जब भी मैं खड़ा होता हूं आप कहते हैं कि मैं अलाऊ करूंगा। इसलिए मैं सदन का बहिष्कार करके जा रहा हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगले प्रश्न की अनुमति दी जानी चाहिए अथवा नहीं ?

पूर्वा 11.59 बजे

तत्पश्चात, श्री दत्ता मेघे सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

निर्यातकों को कम ब्याज पर ऋण

+

***285 कुमारी उमा भारती :**

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बाजार में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए निर्यातकों को कम ब्याज पर अधिकतम ऋण प्रदान करने का है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध भी प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथा ऋण सीमा में वृद्धि करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (घ) बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर यह सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि निर्यातकों की ऋण-आवश्यकताएं पूर्णरूप से और शीघ्रता से पूरी की जाएं। निर्यातक 180 दिन के लिए 13 प्रतिशत और 180 दिनों से अधिक और 270 दिनों तक के लिए 15 प्रतिशत की दर पर रुपया पैकिंग ऋण प्राप्त कर सकते हैं। वर्ष 1996-97 के दूसरे चरण की मुद्रा नीति में, लादानोत्तर रुपया ऋण पर लगने वाली ब्याज दरों को और अधिक युक्तियुक्त बनाया गया है। रुपया लदानोत्तर ऋण लदान की तारीख से 90 दिनों तक 13% और 90 दिन से छह माह तक 15% पर उपलब्ध है। निर्यात क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बराबर बनाए रखने के लिए आरबीआई ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दिए हैं कि :

(i) किसी भी लाभप्रद निर्यात आदेश को वित्त की कमी के कारण क्षति न हो;

(ii) ऋण सीमाएं समय रहते और पर्याप्त रूप से स्वीकृत करने के बारे में निर्यातक-कर्जदारों की शिकायतों पर अविलम्ब सुनवाई हो;

(iii) जहां आवेदन पूर्णरूप से भरे हुए प्राप्त हों, वहां नई स्वीकृति/बढ़ी हुई सीमाओं/सीमाओं का नवीकरण करने की स्वीकृति निर्धारित अवधि के भीतर दे दी जाए और निर्यात ऋण प्रस्तावों को रद्द करने के मामले, रद्द करने के कारणों का उल्लेख करते हुए मुख्य कार्यपालक के ध्यान में लाए जाएं;

(iv) शुद्ध बैंक ऋण में से 12.0% (1996-97 के दूसरे चरण की मुद्रा-नीति के अंतर्गत 10.0% से बढ़ाए गए) निर्यात ऋण लक्ष्य को 31 मार्च, 1997 तक प्राप्त किया जाए।

(ख) और (ग) जी, हां। वाणिज्य मंत्रालय को अक्टूबर 1996 में भेजी गई टिप्पणी में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैंबर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने अन्य बातों के साथ-साथ, निर्यातकों को ऋण सुविधाएं देने के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : शुद्ध बैंक ऋण के प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण के लक्ष्य को संशोधित करना, निर्यात ऋण की ब्याज दरों में कटौती, 90 दिन से अधिक और 180 दिनों तक की ब्याज-दरों की पुनरीक्षा, अतिदेय बिलों पर लगने वाली ब्याज-दरों की पुनरीक्षा, निर्यात-क्षेत्र को ऋण मुहैया कराने के तरीकों और निर्यात-ऋणों से संबंधित कुछ प्रक्रियात्मक पहलुओं की पुनरीक्षा। इसके साथ ही अखिल भारतीय उद्योग संघ ने वित्त मंत्रालय को लिखे दिनांक 24 फरवरी, 1997 के एक पत्र में यह सुझाव दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह निर्यात ऋणों पर लगने वाली ब्याज दर में और कटौती करे।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिज़र्व बैंक के ऋण देने की व्यवस्था की गई है, इसके बाद भी, जो इस समय का इकनॉमिक सर्वे है, वह बता रहा है कि भारत का एक्सपोर्ट गिरा है। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट गिरने का कारण यह रहा होगा कि विश्व बाजार का एक हिस्सा भारत का बाजार भी है और भारत के बाजार में व्यापार करने वाले जो लोग हैं, वे मौरली डाउन हुए होंगे जब वित्त मंत्री जी ने लंदन में जाकर, 200 साल तक हम पर राज्य करने वाले, हम पर जुल्म ढाने वालों को भारत में दुबारा आकर के हम पर राज्य करने का निमंत्रण दिया होगा। उसके बाद शायद हमारे भारत के बाजार में ऋण लेने वालों का भी मनोबल गिरा होगा। इसलिए मुझे माननीय मंत्री जी से पूछना है कि क्या कारण है कि इस ऋण की व्यवस्था के बाद भी एक्सपोर्ट में गिरावट आई है, इसका उत्तर मंत्री जी दें ?

[अनुवाद]

मुझे विश्वास है कि जो मैं बोल रही हूं उसे मंत्री महोदय समझ रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम : यह प्रश्न निर्यातकों को ऋण देने से संबंधित हैं। पहले यह उपबंध किया गया था कि कुल बकाया ऋण का दस प्रतिशत निर्यातकों को दिया जाएगा। जब से यह सरकार सत्ता में आई है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 अक्टूबर, 1996 से ऋण नीति की घोषणा की गई है, तब से रिजर्व बैंक द्वारा इस ऋण को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। मुझे सभा को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 14 फरवरी, 1997 तक सभी बैंकों द्वारा निर्यातकों को दिया जाने वाला ऋण कुल बकाया ऋण का 11.34 प्रतिशत है। मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च, 1997 की समाप्ति तक हम 12 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अतः निर्यातकों के लिए ऋण की कोई समस्या नहीं है। यदि निर्यातकों की कोई अन्य समस्या है तो मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री वाणिज्य मंत्री से प्रश्न पूछेंगे और वह अन्य समस्याओं का निपटान कर सकेंगे। ऋण की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

कोयला डिपो

***286. प्रो. रीता वर्मा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि. के केन्द्रीयकृत कोयला डिपो कितने और कहां-कहां हैं तथा उन्हें स्थापित करने में कितनी लागत आई है;

(ख) इन डिपुओं में से प्रत्येक डिपो की वार्षिक ढुलाई क्षमता कितनी है;

(ग) क्या ये अपनी क्षमतानुसार कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन डिपुओं से बेचे गए कोयले पर कितना प्रति टन उतराई प्रभार लिया जाता है; और

(च) इन डिपुओं को स्थापित करने का क्या उद्देश्य है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) की केन्द्रीय कोयला डीपो के नाम अवस्थिति, उनकी परिवहन क्षमता और इन स्टाकयार्डों को स्थापित किए जाने में हुए व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया है :—

डीपो का नाम	अवस्थिति	प्रतिवर्ष क्षमता (टन में)	उपगत लागत (लाख रु. में)
1. कटरास डीपो	कटरास क्षेत्र	384000	122.88
2. रामकृष्ण डिपो	चंच-विक्टोरिया क्षेत्र	138500	46.42
3. वेस्ट मूडीडीह डीपो	कटरास क्षेत्र	186500	8.80
4. ईस्ट बेसेरिया डीपो	कुसुंदा क्षेत्र	720000	197.64
5. अलकडीहा डीपो	बस्ताकोला क्षेत्र	912000	159.55

(ग) और (घ) दो कोयला डीपो, नामतः ईस्ट बसेरिया तथा अलकडीहा 1994 से कार्यरत नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बकाया तीन कोयला डीपो से किए गए प्रेषण को नीचे दर्शाया गया है :—

(प्रेषण टन में)

डीपो का नाम	वर्ष		
	1993-94	1994-95	1995-96
कटरास डीपो	226477	255972	170407
रामकृष्ण डीपो	172735	179210	127934
वेस्ट मूडीडीह डीपो	311571	168906	270105

(ङ) वर्तमान में, कोयला डीपो प्रेषित किए गए प्रति टन कोयले/कोक पर 80/- रु. की दर से डंप प्रभार लेती है।

(च) भा.को.को.लि. में केन्द्रीयकृत की गई कोयला डीपो को स्थापित किए जाने का उद्देश्य है कि सभी सड़क प्रेषण, जो कि सड़क बिक्री उपभोक्ताओं को किए जाते हैं, डीपो से प्रभावी होंगे, जो कि कोलियरियों को सामरिक रूप से बहुत समीप स्थित हैं, अतः कोलियरी परिसरों में सड़क बिक्री उपभोक्ताओं को प्रतिबंधित करता है।

[अनुवाद]

नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाएं

*287. **श्री संदीपान थोरात** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कुल कितनी परियोजनाएं नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित की गईं, और उनके लिए कितने धन की मांग की गई, कितना धन जारी किया गया तथा कितने धन का वास्तव में उपयोग किया गया;

(ख) इन परियोजनाओं की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नाबार्ड द्वारा हाल ही में मंजूर किए गए नए प्रस्तावों/नाबार्ड के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सहकारी औद्योगिक उद्यमों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा धन जारी न करने/विलंब से धन जारी करने के मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) बड़ी, मध्यम एवं लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, जल विभाजक प्रबंध तथा अन्य ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं से संबंधित चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) के तहत राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण मंजूर करता है। आरआईडीएफ-1 और आरआईडीएफ-2 के तहत, नाबार्ड द्वारा दी गई ऋण सहायता सहित, मंजूर की गई परियोजनाओं के संघ राज्य क्षेत्रवार/राज्यवार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में दर्शाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड अपने निवेश ऋण कार्यों (योजनाबद्ध तरीके से ऋण देने) के भाग के रूप में अलग-अलग ऋणोन्मुख परियोजनाओं को भी, पुनर्वित्त प्रदान करके, वित्त-पोषित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, ऋण संघटक एवं संवितरित पुनर्वित्त सहित मंजूर की गई परियोजनाओं के संघ राज्य क्षेत्रवार/राज्यवार ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

वर्ष 1996-97 के दौरान मंजूर की गई योजनाओं के ब्यौरे विवरण-IV में दिए गए हैं। नाबार्ड के विचाराधीन योजनाओं की संक्षिप्त स्थिति विवरण-V में दी गई है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य में, नाबार्ड ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभग्राहियों के सहकारी औद्योगिक उद्यमों के लिए सात योजनाएं संस्वीकृत की हैं। यहां इन योजनाओं पर कुल निवेश 248.746 लाख रुपए हैं, वहीं इन योजनाओं पर नाबार्ड की पुनर्वित्त वचनबद्धता 165.8 लाख रुपए बैठती है।

विवरण-I

दिनांक 11.3.1997 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) I के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं की संघ राज्य क्षेत्र/राज्य वार स्थिति

(लाख रु.)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मंजूर की गई परियोजनाओं की कुल संख्या	कुल वित्तीय परिव्यय (रु.)	नाबार्ड ऋण (रु.)	संवितरण रुपए
1.	आंध्र प्रदेश	73	45109.67	20693.51	7996.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	34	921.38	335.83	—
3.	असम	5	8102.27	1145.50	—
4.	बिहार	967	49302.01	18097.51	—
5.	गोवा	1	18374.00	3684.00	537.47
6.	गुजरात	35	33432.00	14148.00	8684.00
7.	हरियाणा	3	3674.48	1827.71	485.70
8.	हिमाचल प्रदेश	77	3143.56	1422.71	691.81
9.	जम्मू व कश्मीर	12	2018.16	621.79	62.20
10.	कर्नाटक	94	35843.73	14392.82	6841.10
11.	केरल	136	28578.83	9971.92	5087.00
12.	मध्य प्रदेश	163	71074.35	19963.28	10532.79
13.	महाराष्ट्र	115	82840.00	20722.00	9543.42
14.	मणिपुर	63	372.07	174.86	—
15.	मेघालय	19	783.91	339.42	—
16.	मिजोरम	21	488.11	238.19	39.70
17.	नागालैंड	18	278.29	137.98	108.00
18.	उड़ीसा	2557	41206.19	15268.82	9811.00
19.	पंजाब	5	12100.00	6050.00	5700.00
20.	राजस्थान	39	41781.31	11015.53	6936.83
21.	त्रिपुरा	36	437.70	182.37	—
22.	उत्तर प्रदेश	34	105085.50	29234.93	12971.32
23.	पश्चिम बंगाल	23	39991.00	11336.93	4738.00
	योग	4530	624938.52	201005.61	90766.37

विवरण-II

दिनांक 11.3.1997 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण आधारमूत निकास निधि (आरआईडीएफ-ए) के तहत मंजूर परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

(लाख रु. में)

क्रमांक	राज्य	मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	वित्तीय परिव्यय	नाबार्ड ऋण (रु.)	संवितरण (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	415	46317.26	33418.35	—
2.	असम	81	9652.80	8687.50	—
3.	गुजरात	144	14423.50	12962.60	—
4.	हरियाणा	5	7099.87	6106.07	600.00
5.	हिमाचल प्रदेश	66	6731.95	4950.09	—
6.	जम्मू व कश्मीर	1	895.19	805.67	—
7.	कर्नाटक	249	29132.07	17299.72	311.92
8.	केरल	184	28897.67	8943.39	—
9.	मध्य प्रदेश	70	33537.17	20759.79	—
10.	महाराष्ट्र	108	61512.94	23165.75	—
11.	उड़ीसा	46	20346.06	12514.47	626.07
12.	पंजाब	5	6950.00	6250.00	—
13.	राजस्थान	254	26066.59	17928.71	2256.67
14.	तमिलनाडु	1589	31288.86	27137.60	—
15.	उत्तरप्रदेश	1611	65183.05	49165.14	—
16.	प. बंगाल	3559	20933.64	16451.08	—
	कुल	8387	408968.62	266545.93	3794.66

विवरण-III

वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए संवितरित बैंक ऋण एवं नाबार्ड पुनर्वित्त के ब्यौरों सहित, नियेश ऋण कार्यों (योजनाबद्ध तरीके से ऋण देना) के तहत नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की संघ राज्यक्षेत्रवार/राज्यवार संख्या

(लाख रु. में)

क्रम स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993-94			1994-95			1995-96		
		योजनाओं की संख्या	बैंक ऋण	संवितरित पुनर्वित्त	योजनाओं की संख्या	बैंक ऋण	संवितरित पुनर्वित्त	योजनाओं की संख्या	बैंक ऋण	संवितरित पुनर्वित्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1165	56645	33545	1263	60816	36139	120	20466	33772
2.	असम	63	4740	2685	75	2381	3162	11	6466	4446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	4	359	166	1	371	384	2	530	301
4.	अंडमान एवं निकोबार	2	108	71	1	58	31	—	125	85
5.	बिहार	73	12660	8115	128	15255	8225	—	12641	8281
6.	चण्डीगढ़	—	—	3	—	13	6	—	20	12
7.	गोवा	73	644	369	60	1324	518	—	211	403
8.	गुजरात	398	25874	16878	268	26629	18525	89	20442	18601
9.	हरियाणा	176	21816	14166	149	21703	14862	33	16627	17114
10.	हिमाचल प्रदेश	23	1824	1576	104	3184	2108	1	3227	2477
11.	जम्मू एवं कश्मीर	34	1072	602	10	849	848	2,	1413	1000
12.	कर्नाटक	1086	43085	23568	1191	33348	23676	223	21154	24289
13.	केरल	365	24217	12525	189	13023	12610	23	8390	12694
14.	महाराष्ट्र	1293	60621	32654	831	66205	36368	155	42554	34501
15.	मध्य प्रदेश	347	24397	13801	303	24268	15720	209	18491	15724
16.	मणिपुर	14	406	209	2	258	232	—	807	428
17.	मेघालय	6	619	215	7	196	215	2	513	304
18.	मिजोरम	4	162	154	—	146	135	—	112	124
19.	नागालैंड	9	154	101	6	168	116	—	210	152
20.	उड़ीसा	118	10558	7258	132	10429	8036	31	22118	8510
21.	पांडिचेरी	11	615	182	5	191	181	1	143	320
22.	पंजाब	38	19821	14666	123	19515	17726	13	14491	18898
23.	राजस्थान	250	23396	14192	182	22196	15716	32	16359	16783
24.	सिक्किम	7	119	86	5	97	103	—	150	95
25.	तमिलनाडु	932	32949	21407	997	36001	25819	155	25434	26607
26.	त्रिपुरा	3	743	469	8	1700	818	1	1596	999
27.	उत्तर प्रदेश	222	51514	44670	1184	106605	47077	16	36905	47499
28.	पश्चिम बंगाल	91	12946	10018	121	13724	10967	27	13842	11601
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	7	392	105	9	2159	725	3	286	339
30.	दादरा नागर हवेली	—	35	27	—	34	24	—	108	56
31.	लक्षदीप	—	10	7	—	7	5	—	4	8
	कुल	6814	432501	274490	7354	482853	301076	1149	295835	306422

टिप्पणी : संवितरण के आंकड़ों में पिछले वर्षों में मंजूर योजनाओं के लिए किए गए संवितरण भी शामिल हैं।

विवरण-IV

निवेश ऋण (योजनाबद्ध तरीके से ऋण देना) के तहत वर्ष 1996-97 (अब तक) के दौरान नाबार्ड द्वारा मंजूर की गई राज्यवार योजनाएं।

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य	योजनाओं की संख्या	बैंक ऋण (रु.)	नाबार्ड पुनर्वित्त की मंजूरी (रु.)
1.	आंध्र प्रदेश	10	2537.043	1066.669
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	48.355	43.519
3.	असम	8	683.229	614.906
4.	बिहार	6	176.200	128.880
5.	गुजरात	3	140.830	86.730
6.	हरियाणा	3	1040.570	478.372
7.	हिमाचल प्रदेश	2	128.000	110.000
8.	कर्नाटक	7	1950.746	989.683
9.	केरल	1	147.177	103.020
10.	मध्य प्रदेश	69	1890.791	1368.989
11.	महाराष्ट्र	79	10728.000	8162.000
12.	मेघालय	1	38.188	34.386
13.	उड़ीसा	13	1849.764	966.978
14.	पंजाब	1	155.000	62.000
15.	राजस्थान	27	865.185	602.595
16.	तमिलनाडु	61	4486.409	1796.466
17.	उत्तर प्रदेश	8	718.971	363.692
18.	पश्चिम बंगाल	21	1346.000	552.800
	कुल	321	28930.458	17531.685

विवरण-V

योजनाबद्ध तरीके से ऋण देने के तहत नाबार्ड के विचाराधीन संघ राज्यक्षेत्रवार/राज्यवार योजनाएं

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	बैंक ऋण (रुपए)
1	2	3	4
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	224.00
2.	आंध्र प्रदेश	8	5732.00
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	100.00
4.	असम	1	350.00
5.	गुजरात	12	877.66
6.	हरियाणा	2	916.00
7.	कर्नाटक	6	940.32
8.	केरल	2	845.00
9.	मध्य प्रदेश	10	814.02
10.	महाराष्ट्र	96	9077.00
11.	मेघालय	1	1.55
12.	नागालैण्ड	1	69.72
13.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2	950.00
14.	उड़ीसा	14	1599.14
15.	राजस्थान	5	1384.00
16.	तमिलनाडु	37	8420.69
17.	उत्तर प्रदेश	18	2316.33
18.	पश्चिम बंगाल	34	3603.17

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता

***288. श्री टी. गोपाल कृष्ण :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय नवीकरण कोष के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) क्या उपर्युक्त कोष के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की उचित रूप से निगरानी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से कोई नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के लिए उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन तथा युक्तियुक्त कामगारों को परामर्श, उनके पुनःप्रशिक्षण तथा पुनःनियुक्ति संबंधी सहायता के लिए, जो राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत मात्र दो अनुमोदित योजनाएं हैं, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत क्रमशः 251.90 करोड़ रु. तथा 217 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। ये आवंटन राज्यवार नहीं किए जाते हैं बल्कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, कर्मचारी सहायता केन्द्रों आदि को दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) निधियों के उपयोग तथा वास्तविक उपलब्धता की दृष्टि से इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की आवधिक रूप से विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जाती है जिनमें प्रशासनिक मंत्रालय, कार्यान्वयन अभिकरण तथा राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उच्चाधिकार प्राप्त प्राधिकरण शामिल है जो यह कार्य उसके सचिवालय के माध्यम से करता है।

(घ) और (ङ) अतिरिक्त स्थलों पर कर्मचारी सहायता केंद्र स्थापित करने के लिए चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनुपयोज्य आस्तियां

***289. श्री सुरेन्द्र यादव :**

प्रो. प्रेम सिंह चन्दू माजरा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुपयोज्य आस्तियां क्रमशः 41,041 करोड़ रुपए, 38,419 करोड़ रुपए तथा 39,584 करोड़ रुपए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राशियों में से कुछ राशि बट्टे खाते डाल दी गई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी धनराशि को बट्टे खाते डालने के लिए क्या मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए गए हैं;

(ङ) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण की प्रतिशतता क्या है;

(च) क्या अनुपयोज्य आस्तियों में फंसी धनराशि उचित है; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में जारी किए गए मार्ग निर्देश क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनुपयोज्य आस्तियों की प्रमात्रा निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
1993-94	41041.83
1994-95	38385.18
1995-96	39583.94

पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षों के लिए अनुपयोज्य आस्तियों के बैंक-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों को बट्टे खाते डालने के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किए हैं। इन मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बैंक को अपने निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् जांच की गई ऋण वसूली नीति अपनानी है, जिसमें देय राशि की वसूली का तरीका, अनुमत घाटा/अधित्याग, निर्णय स्तर, उच्च प्राधिकारियों को सूचित करना, कर्मचारियों की जिम्मेदारी और बट्टे खाते डालने/अधित्याग के मामलों की निगरानी शामिल होनी चाहिए। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे निम्नलिखित पहलुओं का अत्यन्त सावधानी से अनुसरण करें :

(i) बट्टे खाते के प्रस्ताव को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी ने विचाराधीन अग्रिम राशि को अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर मंजूर नहीं किया।

(ii) यह कि अग्रिम राशि के मामले में मंजूर करने वाले प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का विवेकपूर्वक प्रयोग किया और अग्रिम राशि देने के मामले में बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों का अनुपालन किया और यह कि सामान्य शर्तें निर्धारित की गई थीं।

(iii) यह कि अग्रिम राशियों के संचालन एवं संवितरण पश्चात् पर्यवेक्षण में कोई लापरवाही नहीं की गई थी।

(iv) यह कि कर्मचारियों की ओर से कार्य या लोप का ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जिसके कारण ऋण वसूली योग्य नहीं रह गया।

(v) यह कि देय राशियों की वसूली के लिए सभी संभव उपाय कर लिए गए हैं तथा ऋण वसूली की और कोई संभावना नहीं है तथा यह कि बट्टे खाते डालना या समझौता करने में ही बैंक का अधिक हित है।

(ङ) वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के अंत की स्थिति के अनुसार, कुल अग्रिम राशि के प्रतिशत के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाली गई कुल राशि क्रमशः 1.29%, 1.15% तथा 0.76% है।

(च) भारतीय सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुपयोज्य आस्तियों के मौजूदा ऊंचे स्तर का कारण यह तथ्य है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1992-93 से वस्तुनिष्ठ मानदंड अर्थात् वसूली रिकार्ड के आधार पर अग्रिम राशि के वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मानदंड शुरू किए थे। इससे पहले अग्रिम राशि का वर्गीकरण ऋण निगरानी पद्धति की प्रणाली के तहत किया जाता था, जिसमें कार्यान्वयन में काफी व्यक्तिनिष्ठता रहती थी। हालांकि प्रारंभिक वर्षों में नए विवेकपूर्ण मानदंड शुरू करने के कारण अनुपयोज्य आस्तियों का स्तर ऊंचा था, तथापि बैंकों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से एक समूह के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल अग्रिम राशियों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों के प्रतिशत में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। और ये संलग्न विवरण में दर्शाए गए ब्यौरे के अनुसार वर्ष 1993-94 में 24.78% से गिरकर वर्ष 1995-96 में 17.12% हो गए हैं।

(छ) सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को अपनी अनुपयोज्य आस्तियों को कम करने के लिए प्रेरित करता रहा है। विवेकपूर्ण मानदंड शुरू करने से बैंकों द्वारा अपनी अनुपयोज्य आस्तियों को न्यूनतम रखने के लिए सजग प्रयास किए गए हैं। बैंकों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) ऋण वसूली नीति विकसित की गई है;

(2) मुख्यालयों में वसूली प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(3) शाखाओं के लिए वसूली लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(4) बैंक कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर निर्धारित अन्तरालों में वसूलियों की निगरानी की जाती है।

(5) अपने ऋण मूल्यांकन एवं ऋण पर्यवेक्षण तंत्रों में सुधार करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

आशा है कि ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना से बैंकों को विवादग्रस्त या चूक वाली देय राशियों की तेजी से वसूली में सहायता मिलेगी।

विवरण

अनुपयोज्य आस्तियों की स्थिति

बैंक का नाम	1993-94		994-95		1995-96	
	राशि	कुल अग्रिम का प्रतिशत	राशि	कुल अग्रिम का प्रतिशत	राशि	कुल अग्रिम का प्रतिशत (राशि करोड़ में)
भारतीय स्टेट बैंक	11604.80	24.36	10926.15	19.98	10553.53	15.96
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	365.92	18.19	400.25	17.21	337.95	12.45
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	565.00	21.90	554.23	15.75	644.23	15.59
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	232.65	21.41	199.01	15.28	218.84	14.20
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	332.47	21.46	284.48	14.44	328.93	14.45
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	305.38	13.09	330.98	11.42	399.71	11.49
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	231.44	18.92	197.70	12.22	206.49	10.64
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	339.29	13.57	377.88	11.10	430.22	11.74
इलाहाबाद बैंक	1025.03	24.74	1235.11	26.88	1255.00	23.98
आंध्रा बैंक	520.78	23.35	377.65	14.30	332.20	11.61
बैंक ऑफ बड़ौदा	2630.16	18.77	2689.68	16.58	2840.08	16.16
बैंक ऑफ इंडिया	3772.00	29.96	2961.00	20.66	2434.00	14.49
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	847.67	36.23	734.59	25.71	694.28	21.87
केनरा बैंक	1653.00	18.22	1523.00	12.93	1633.47	11.11
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2443.00	35.29	2154.78	24.98	2036.00	20.91
कारपोरेशन बैंक	259.01	16.41	260.01	11.69	251.83	9.67
देना बैंक	564.00	22.51	557.00	17.34	508.00	13.43
इंडियन बैंक	2040.51	26.79	2102.41	24.09	3140.90	34.15
इंडियन ओवरसीज बैंक	2175.18	37.75	2001.41	26.85	1829.00	20.38
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	210.95	8.00	221.94	6.14	271.25	5.68
पंजाब एंड सिंध बैंक	637.28	31.63	619.32	22.53	725.29	22.56
पंजाब नेशनल बैंक	2179.06	21.41	2033.00	17.01	2518.00	18.74
सिंडिकेट बैंक	1409.60	29.40	1452.97	27.48	1311.75	20.97
यूको बैंक	1961.81	34.61	1745.60	29.40	1840.00	24.54
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	693.49	12.87	695.95	9.41	900.63	9.83
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	1509.00	45.95	1309.68	36.90	1503.00	36.04
विजया बैंक	532.88	26.96	439.40	17.47	545.38	20.36

स्थानीय क्षेत्र के बैंक

***290. श्री संतोष कुमार गंगवार :**

श्री अय्यन्ना पटरुधु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिकतम 5 करोड़ रुपए की पूंजी वाले निजी क्षेत्र के छोटे बैंकों को स्थानीय क्षेत्र बैंकों के रूप में लाइसेंस देने का है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रकार के बैंकों को खोलने के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) लाइसेंस कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) ग्रामीण बचतों को बढ़ावा देने और स्थानीय क्षेत्रों में अर्थक्षम आर्थिक क्रियाकलापों के लिए ऋण का प्रावधान करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करने के उद्देश्य से, यह निर्णय लिया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में नए स्थानीय क्षेत्र बैंकों की स्थापना की जाए। ऐसे किसी बैंक की न्यूनतम चुकतापूंजी 5 करोड़ रु. होगी और प्रवर्तकों का अंशदान कम से कम 2 करोड़ रु. होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अगस्त 1996 में मार्गनिर्देश जारी किए थे जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत ऐसे बैंकों की स्थापना के लिए परियोजना रिपोर्ट के साथ निर्धारित फार्म में आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाने चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 3.3.1997 की स्थिति के अनुसार, उन्हें 120 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनके राज्यवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

	राज्य का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	24
2.	उत्तर प्रदेश	20
3.	गुजरात	16
4.	केरल	10
5.	महाराष्ट्र	9
6.	राजस्थान	4
7.	कर्नाटक	8
8.	मध्य प्रदेश	3
9.	तमिलनाडु	3
10.	गोवा	2
11.	हरियाणा	6
12.	पंजाब	5
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	बहु राज्यीय (एक राज्य से अधिक में फैला परिचालन क्षेत्र)	9
		120

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आगे यह भी सूचित किया है कि ऐसे बैंकों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त आवेदन अलग-अलग चरणों में संवीक्षाधीन हैं और ऐसे तीन बैंकों "सिद्धान्तरूप में" अनुमोदन प्राप्त कर दिया गया है। "सिद्धान्तरूप में" अनुमोदन में निर्धारित शर्तों का प्रवर्तकों द्वारा अनुपालन किए जाने के पश्चात् इन बैंकों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

हथकरघा उद्योगों का विकास

***291. श्री जगतवीर सिंह द्रोण :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम का कुल कारोबार घटकर 35 प्रतिशत रह गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जनता कपड़ा योजना को बंद करने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राज्य में हथकरघा उद्योग को अर्थक्षम बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) गत चार वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम की कुल बिक्री इस प्रकार थीं :—

वर्ष	कुल बिक्री (लाख रुपयों में)
1992-93	126.97
1993-94	61.83
1994-95	45.96
1995-96	45.18

कारोबार में आई इस कमी के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम में हुई कुल बिक्री का 75% जनता कपड़े से है। जनता कपड़ा योजना को समाप्त किया जा रहा है। यह निगम उपभोक्ताओं की पसंद और बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पाया इससे इस निगम के कुल कारोबार में कमी आई है।

(2) यद्यपि उत्पादन में कमी आई है लेकिन व्यापक ऊपरी खर्चों जैसे स्टाफ, उनके वेतन आदि में कमी नहीं की गई। इससे इस संगठन को गंभीर वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि वेतन और भत्ते ही लगभग कुल व्यय का 30% है।

(3) जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत गैर जनता कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इक्विटी दी जाती है। इस निगम ने गैर जनता कपड़े के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनी

उत्पादन प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन नहीं किया इसलिए इस निगम को सब्सिडी का लाभ नहीं मिल पाया।

(ग) जी, हां।

(घ) बुनकरों को अधिक मूल्यवान कपड़े के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जनता कपड़ा योजना को समाप्त किया जा रहा है।

(ङ) केन्द्र सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए कई विकासात्मक योजनाएं कार्यान्वित की हैं और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी निम्नलिखित वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है :—

1. हथकरघा विकास केन्द्र/उत्कर्ष रंगाई इकाई योजना।
2. प्रोजैक्ट पैकेज योजना।
3. एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना।
4. विपणन विकास सहायता/प्रदर्शनियों के माध्यम से विशेष छूट।
5. कार्यशाला-सह-आवास योजना।
6. थ्रिफ्ट फंड योजना।
7. समूह बीमा योजना।
8. स्वास्थ्य पैकेज योजना।
9. निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी योजना।
10. जनता कपड़ा योजना।
11. मिल गेट मूल्य योजना।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का कार्य निष्पादन

***292. श्री हाराधन राय :**

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन-वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड का वार्षिक इकाई-वार वित्तीय निष्पादन कितना है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड के पुनरूद्धार/पुनर्गठन संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड का इकाईवार कार्यनिष्पादन नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97 (जनवरी 1997 तक अनंतिम)
रूपनारायणपुर इकाई				
बिक्री	197.50	244.72	96.36	52.27
लाभ/(हानि)	(2.63)	1.54	(49.33)	(66.89)
हैदराबाद इकाई				
बिक्री	203.37	245.14	138.61	194.04
लाभ/(हानि)	(2.98)	7.94	(18.72)	(17.58)
नैनी इकाई				
बिक्री	82.56	56.03	40.88	10.98
लाभ/(हानि)	8.39	1.45	(19.42)	(23.45)

(ख) और (ग) कम्पनी ने वित्तीय पुनर्सरचना हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें बकाया सरकारी ऋण का इक्विटी में परिवर्तन करना, बकाया ब्याज की माफी तथा भविष्य में सरकारी ऋण तथा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान पर अधिस्थगन शामिल है। इस प्रस्ताव पर सरकार को अभी अंतिम निर्णय लेना है।

चमड़े के सामान का निर्यात

***293. श्री अमर पाल सिंह :**

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़े की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 और 1996-97 के दौरान निर्यात किए गए कच्चे माल, अर्ध निर्मित तथा निर्मित चमड़ा उत्पादों की कीमत क्या थी;

(घ) क्या 1997-98 के दौरान कच्चे तथा अर्ध निर्मित चमड़ा वस्तुओं की तुलना में निर्मित चमड़ा उत्पादों के निर्यात संवर्धन के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) चर्म सामान के निर्यात समेत निर्यात का संवर्धन करने के लिए एग्ज़िम नीति के तहत अनेक योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में शामिल हैं—निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान

योजना (ईपीसीजी), शुल्क छूट योजना, निर्यातोन्मुख इकाइयां/निर्यात संसाधन क्षेत्र योजना, माने गए निर्यात संबंधी योजना इत्यादि। इन योजनाओं के अलावा, निर्यात को बढ़ाने के लिए चर्म क्षेत्र में कुछेक प्रमुख निविष्टियों का निर्यात शुष्क रियायत के साथ किया जाता है।

(ग) आयात-निर्यात नीति 1992-97 के अंतर्गत कच्चे एवं अर्ध-परिष्कृत चर्म के निर्यात पर प्रतिबंध है और इसके निर्यात की अनुमति केवल लाइसेंस पर ही दी जाती है। चूंकि इन सामानों की घरेलू तौर पर कमी है, इसलिए अप्रैल 92 से आगे इन सामानों को निर्यात करने की अनुमति नहीं है। पिछले दो वर्षों एवं चालू वित्त वर्ष के दौरान परिष्कृत चर्म एवं निर्यातित चर्म उत्पादों की कीमत नीचे दी गई है :—

(मिलियन अमरीकी डालर में)

मद	1994-95	1995-96	1996-97 (अप्रैल-दिसम्बर)
परिष्कृत चर्म	382.96	370.36	226.71
चर्म फुटवियर	302.49	329.68	249.95
फुटवियर संघटक	247.49	253.72	170.50
चर्म परिधान	387.12	415.24	320.26
चर्म सामान	292.04	353.72	229.60
योग	1612.10	1722.72	1197.02

(स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस)

(घ) से (च) इस तथ्य को देखते हुए कि कच्चे और अर्ध-परिष्कृत चर्म के निर्यात की अनुमति नहीं है, कच्चे और अर्ध परिष्कृत चर्म सामान के निर्यात की तुलना में परिष्कृत चर्म उत्पादों को बढ़ाने के लिए और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में फर्जी अधिवक्ता

***294. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर दिल्ली में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने 'फर्जी विश्वविद्यालयों' से डिग्री प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली बार एसोसिएशन तथा बार कौंसिल ऑफ इंडिया का विचार ऐसे फर्जी अधिवक्ताओं की सदस्यता को समाप्त करने की कार्यवाही शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के सभी फर्जी अधिवक्ताओं की सदस्यता की समाप्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने आंध्र प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद् के 21 अधिवक्ताओं (जो विवरण I में दिए हैं) और दिल्ली राज्य विधिज्ञ परिषद् के 54 अधिवक्ताओं (जो विवरण-II में दिए हैं), के नामों को उनकी नामावलियों से हटाए जाने के लिए निर्देश दे दिया है।

(घ) और (ङ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पहले ही कार्रवाई कर दी है।

विवरण-I

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की अधिकथित विधि उपाधि के आधार पर आंध्र प्रदेश विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामांकित तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामावली से हटाए जाने के लिए निदेशित व्यक्तियों की सूची।

1. श्री सय्यद आशय
2. श्री मोहम्मद मुजतबा हुसैन
3. श्री मोहम्मद युसुफद्दीन मंसूर
4. श्री मोहम्मद जहीतुल्ला
5. श्री बासिथ अहमद खान
6. श्री चौधरी वी. वाराप्रसाद राव
7. श्री गुलाम यजदानी
8. श्री अली मोहम्मद याहिया
9. श्री एम. लयीक अकबर खान
10. श्री एम. इशाक अकबर खान
11. श्री कमरुद्दीन खान
12. श्री बाबा मोहिउद्दीन
13. श्री शहजादा मीर महबूब अली खान
14. श्री मीर जफर अली खान
15. श्री पी. मधुसूदन
16. श्री हबीब हुसैन
17. श्री मोहम्मद मुशताव अहमद
18. श्री एम. अखलाक अकबर खान
19. श्री पी. जोसेफ
20. श्री मोहम्मद मंजूर अली
21. श्री अहमद अकरमुल्लाह शरूफ

विवरण-II

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की अधिकथित विधि उपाधि के आधार पर आंध्र प्रदेश विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामांकित तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा नामावली से हटाए जाने के लिए निदेशित व्यक्तियों की सूची।

1. श्री वजीर चन्द
2. श्री देवी प्रसाद
3. श्री धर्मपाल सिंह
4. श्री रविभूषण कौशिक
5. श्री नरेन्द्र कुमार त्यागी
6. श्री नारायण सिंह
7. श्री जगबीर सिंह मलिक
8. श्री राजपाल चावला
9. श्री रघुबीर सिंह कद्यान
10. श्री हंसमुख उपाध्याय
11. श्री टी महाविष्णु
12. श्री आई. देवेन्द्र कुमार
13. श्री कमलजीत
14. श्री राजेन्द्र सिंह मलिक
15. श्री कवल सिंह
16. श्री सर्वदमन संगवान
17. श्री आजाद सिंह नेहरा
18. श्री श्याम बिहारी
19. श्री प्रशान्त पाल सिंह
20. श्री शशिप्रभा शर्मा
21. श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी
22. श्री राधेश्याम
23. श्री श्याम सुन्दर जैतली
24. श्री सूरत सिंह मलिक
25. श्री चेतराम
26. श्री मनजीत सिंह सचदेवा
27. श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित
28. श्री जीत उब्बी
29. श्री शिव लाल वर्मा
30. श्रीमती पूनम रानी
31. श्री जगबीर सिंह
32. श्री महाबीर सिंह
33. श्री अलाल वैफाई
34. श्री चन्द्र प्रकाश बंसी
35. श्री नीरज कुमार त्रिपाठी
36. श्री प्रेम लाल सन्धू
37. श्री पुशप कान्त
38. श्री सुरिन्दर पाल सिंह
39. श्री अशोक कुमार
40. श्री गोपाल शरण गोयल
41. श्री सतीश कुमार यादव
42. श्री नरिन्दर जीत सिंह
43. श्री मनमोहन बहादुर
44. श्री रनदीप सिंह धनकर
45. श्री पी. एस. राजचन्दर
46. श्रीमती सुमन चौधरी
47. श्रीमती अनिता सिरोही
48. श्री यदविन्दर पुरी
49. श्री के. आर. कृष्णन
50. श्री रमेश चन्द्र यादव
51. श्री रविप्रकाश शर्मा
52. श्री पवन कुमार सैनी
53. श्री ऊधौ राम आर्य
54. श्री श्याम कुमार शर्मा

आयकर विभाग द्वारा अर्जित सम्पत्ति

***295. श्री एम. एस. वी. चित्तृयन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में बाजार मूल्य से कम कीमत लगाए जाने के कारण अर्जित की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य क्या है;

(ख) विभिन्न न्यायालयों में लम्बित पड़े ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महानगरों में अभी भी आयकर विभाग के पास ऐसी सम्पत्तियां पड़ी हुई हैं जिनका निपटान नीलामी के द्वारा किया जाना है; और

(घ) महानगरों में इन उत्तम (प्राइम) सम्पत्तियों की बिक्री के द्वारा पैसा वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1996 के लिए आयकर विभाग द्वारा विभिन्न राज्यों में कम कीमत लगाए जाने के कारण अर्जित की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य 24.25 करोड़ रु. है।

(ख) विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हुए ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-ग के अंतर्गत खरीदी गई ऐसी सम्पत्तियों, जो मुकदमेबाजी से मुक्त होती हैं, को क्रय आदेश की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर आम सार्वजनिक नीलामी के लिए पेश किया जाता है। यदि सम्पत्तियां 3 सार्वजनिक नीलामियों के पश्चात् भी नहीं बिकती हैं तो मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यदि इन प्रयासों से कोई परिणाम नहीं निकलता है तो उनके निपटान हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार के विभागों के साथ सीधे ही बातचीत की जाती है। नीलामी द्वारा बिक्री के बारे में मीडिया द्वारा व्यापक प्रचार भी किया जाता है।

विवरण

क्रमांक	सम्पत्ति का विवरण	प्रत्यक्ष प्रतिफल	क्रय-आदेश की तारीख
1.	प्लॉट नं. 3, एस. नं. 79/2/1, औंध, पुणे	26,56,575/- रु.	29.2.96
2.	सी.टी.सी.नं. 0573, टी.पी.एस.-1 का एफ.पी.नं. 662, भामबुर्दा, शिवाजी नगर, पुणे	2,40,00,000/- रु.	13.9.96
3.	8/2-293, रोड नं. 53, जुबली हिल्स, हैदराबाद	35,42,800/- रु.	31.12.96
4.	सर्वे नं. 3069, 3073, 3073-1, से 3073-5 कौडैर विलेज त्रिवेन्द्रम	45,19,318/- रु.	27.9.96
5.	नं. 483, 5वां ब्लॉक, जय नगर, बंगलौर	62,21,248/- रु.	28.2.96
6.	नं. 775, से 809, ओ.टी.सी. रोड, चिकपेट, बंगलौर	1,50,17,084/- रु.	28.11.96
7.	नं. 10, मागरथ रोड, बंगलौर	1,66,90,150/- रु.	31.12.96
8.	एस.-380, पंचशील पार्क, नई दिल्ली	2,79,00,000/- रु.	29.2.96
9.	फ्लैट नं. 4, ब्लॉक-सी, दीवान श्री एपार्टमेंट्स, 30, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली	1,05,00,000/- रु.	27.3.96
10.	22/78, पजांबी बाग, नई दिल्ली	2,76,00,000/- रु.	30.11.96
11.	प्लॉट नं. 13, रोड नं. 6, ब्लॉक-एफ, डी.एल.एफ. कुतुब इन्क्लेव, गुड़गांव	50,20,000/- रु.	30.8.96
12.	11, महात्मा मार्ग, लखनऊ	59,01,700/- रु.	11.7.96
13.	8, मादा सेन्ट., श्रीनगर कॉलोनी, सैदापेट, चिन्नैई	35,19,931/- रु.	26.9.96

आई.डी.बी.आई. का पुनर्गठन

***296. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री अनंत गुढे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की मूल भूमिका उद्योगों को मध्यम और दीर्घावधि ऋण प्रदान करके देश में औद्योगिक विकास की सहायता देना है। बदलते हुए आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी ढंग से निभाने हेतु आईडीबीआई को सक्षम बनाने के उद्देश्य से, इसे अपेक्षाकृत अधिक कार्यात्मक, स्वायत्तता और प्रचालनात्मक लचीलापन प्रदान किया गया है। आईडीबीआई को इक्विटी शेयर पूंजी जारी करके पूंजी बाजार में प्रवेश करने और अपने शेयर धारक आधार का विस्तार करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है। इन उद्देश्यों के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 में वर्ष 1995 में संशोधन किया गया था।

[हिन्दी]

बैंक ऋण

***297. प्रो. ओमपाल सिंह "निडर" :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान बैंक जमा में वृद्धि होने के बावजूद बैंकों द्वारा अपेक्षाकृत कम ऋण वितरित किए गए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बैंकों को ऋण वितरण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मार्ग-निर्देश जारी करने का है अथवा सरकार ने ऐसे मार्ग-निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 14 फरवरी, 1997 तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियों में 48,829 करोड़ रुपए (11.3%) की वृद्धि दिखाई दी है, जबकि इसकी तुलना में 1995-96 की तदनुरूप अवधि में 26,003 करोड़ रुपए (6.7%) की वृद्धि हुई थी। लेकिन, खाद्येत्तर ऋणों में पिछले वर्ष की 34,198 करोड़ रुपए (17.2%) की वृद्धि की तुलना में 14,602 करोड़ रुपए (6.0%) की वृद्धि हुई। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्येत्तर बैंक ऋणों में होने वाली वृद्धि को दो पूर्ववर्ती वर्षों में निवल बैंक ऋणों में बड़े पैमाने पर हुई वृद्धि के संदर्भ में देखना होता है। 18 मार्च, 1994 और 29 मार्च, 1996 के बीच सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया खाद्येत्तर ऋणों में 59.1 प्रतिशत (90.713 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई और यह 244,224 करोड़ रुपए हो गया।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वे बैंकों को समय-समय पर यह परामर्श देते रहे हैं कि वे ऋण प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए विभिन्न अधिकारियों को ऋण मंजूर करने की पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों को यह परामर्श दिया है कि विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग विवेकसम्मत तरीके से किया जाना चाहिए ताकि उधारकर्ताओं की ऋण संबंधी वास्तविक आवश्यकताओं को, अनावश्यक विलम्ब किए बिना पूरा किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बोर्डों को भी यह परामर्श दिया है कि वे उधारकर्ताओं की विशिष्ट और आपातिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक अधिकारियों को प्रत्यायोजित अपने प्राधिकार में लचीलापन लाने पर विचार करें और यदि वे यह समझते हैं कि विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को मंजूर की गई विद्यमान शक्तियां कारोबार की अधिक मात्रा और उधारकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो वे विभिन्न स्तरों पर विवेकाधीन शक्तियों में यथोचित वृद्धि कर सकते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योग

***298. श्री नवल किशोर राय :**

जस्टिस गुमानमल लोढा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे भारी उद्योगों की कुल संख्या का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने उद्योग घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) मार्च 1996 तक इन उद्योगों को उद्योग-वार कुल कितना घाटा हुआ ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत वर्ष 1995-96 में प्रचालनरत सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इंजीनियरी उद्योग, उपभोक्ता उद्योग तथा परामर्शी और निर्माणकारी कम्पनियां शामिल थीं जिनकी संचित हानियां तथा 31.3.96 को क्रमशः 3304.05 करोड़ रुपए, 3121.09 करोड़ रुपए और 1034.36 करोड़ रुपए थीं। सरकारी क्षेत्र के 49 उद्यमों में से 1995-96 में 34 को घाटा हुआ।

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

***299. श्री मुरलीधर जेना** : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला खानों से उत्पादित कोयले का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से कितना कोयला निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई; और

(ग) यह कोयला किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि. (को. इं. लि.), सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. (सिं.को.कं.लि.) की खानों से तथा ग्रहीत कोलियरियों से प्राप्त हुए कोयले का उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(मिलियन टन में)

	1993-94	1994-95	1995-96
को.इं.लि.	216.10	223.07	237.28
सिं.को.कं.लि.	25.21	25.65	26.77
ग्रहीत कोलियरियां (टिस्को, इस्को तथा डी.वी.सी.)	4.73	5.01	6.08
जोड़	246.04	253.73	270.13

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. द्वारा बंगलादेश, नेपाल तथा भूटान को निर्यात किए गए कोयले की मात्रा और इस संबंध में अर्जित की गई विदेशी मुद्रा को नीचे दर्शाया गया है :—

(आंकड़े 000 टन में)

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा	अर्जित की गई विदेशी मुद्रा
1993-94	98.7	1.25 मिलियन अमरीकी डालर
1994-95	111.9	2.14 मिलियन अमरीकी डालर
1995-96	92.0	1.44 मिलियन अमरीकी डालर

नेपाल तथा भूटान को निर्यात भारतीय रुपए में किया जाता है।

न्यायिक वेतन आयोग

***300. श्री के. सी. कोंडय्या :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायिक वेतन आयोग के चेयरमैन तथा सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या न्यायिक वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसके द्वारा कब तक रिपोर्ट सौंप दिए जाने की संभावना है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) :

(क) अध्यक्ष— न्यायमूर्ति के. जे. शेट्टी,
उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

सदस्य— न्यायमूर्ति पी. के. बाहरी,
दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश;

सदस्य- न्यायमूर्ति ए.बी. मूरगाड,

सचिव— कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।

(ख) जी नहीं।

(ग) आयोग ने दिसंबर, 1996 के प्रथम सप्ताह से कार्य करना आरंभ कर दिया है क्योंकि इसे कार्यालय स्थान-सुविधा, वित्त, कर्मचारीवृंद, आदि जैसी मूल अपेक्षाओं की व्यवस्था किए जाने में कुछ समय लगा।

(घ) लगभग दो वर्षों में।

बिना चैम्बर के वकील

3105. श्री के. पी. नायडू : क्या विधि और न्याय मंत्री 6 दिसंबर, 1996 के अतारांकित प्रश्न सं. 2262 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान दास रोड पर स्थित नए भवन में भारत के उच्चतम न्यायालय से पंजीकृत सभी वकीलों को उनके निर्विघ्न तथा प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु चैम्बर उपलब्ध नहीं हो सकेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) नए भवन की प्रत्येक मंजिल पर 20 कक्षों वाले बड़े कमरों का उपबंध किया गया है, जहां 20 अधिवक्ताओं को कार्य करने के लिए मेजें और कुर्सियां उपलब्ध कराई जा सकेंगी। नए भवन में सभी एडवोकेट ऑन रिकार्ड्स को चैम्बर उपलब्ध कराना साध्य नहीं हो सकेगा।

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश

3106. श्री मुख़तार अनीस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष वास्तविक प्रवाह कितना रहा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ.आई.आई.) के अभिरक्षकों द्वारा सेबी के पास दर्ज की गई रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवल निवेश निम्नानुसार रहे हैं :

	(करोड़ रुपए)
1994	6,791.2
1995	3,853.7
1996	10,803.6

ए.पी.ई.डी.ए. के साथ किसानों/निर्यातकों का पंजीकरण

3107. श्रीमती मीरा कुमार : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) के साथ निर्यातकों के रूप में छोटे किसानों को पंजीकृत करने के मानदंड क्या हैं; और

(ख) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के साथ अब तक पंजीकृत किसानों की उत्पाद-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) में छोटे कृषकों को निर्यातकों के रूप में पंजीकृत करने का कोई पृथक मानदण्ड नहीं है। एपीडा नियमावली 1986 के नियम 9 के साथ पठित एपीडा अधिनियम, 1985, (1986 का 2) की धारा 12 (1) के अनुसार, एपीडा अधिनियम, 1985 की सूची में शामिल मदों में से किसी एक अथवा एक से अधिक मदों का निर्यात करने वाले प्रत्येक निर्यातक को, ऐसा निर्यात करने की तारीख से एक महीने की समाप्ति से पहले अथवा इस धारा के प्रभावी होने की तारीख से तीन महीने की समाप्ति से पहले, जो भी बाद में हो, निर्दिष्ट उत्पाद अथवा उत्पादों के निर्यातक के रूप में पंजीकृत होने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करना होगा। निर्दिष्ट उत्पाद (उत्पादों) के निर्यात के रूप में पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र को निर्धारित प्रपत्र में, सचिव अथवा एपीडा द्वारा इस बारे में प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास भेजना होगा, जिसके साथ आवेदक की हैसियत संबंधी प्रमाण-पत्र और मनीआर्डर द्वारा अथवा नई दिल्ली के किसी डाकघर में प्राधिकारी को देय 25/- रु. का भारतीय पोस्टल आर्डर शुल्क के रूप में संलग्न करना होगा।

(ख) एपीडा में निर्यातक के रूप में पंजीकृत कृषकों के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। उत्पादवार एवं राज्यवार आंकड़े भी नहीं रखे जाते हैं। आंकड़े मर्चेंट अथवा विनिर्माता निर्यातक के आधार पर रखे जाते हैं। 31.12.96 की स्थिति के अनुसार, एपीडा में 10333 मर्चेंट निर्यातक और 1292 विनिर्माता निर्यातक पंजीकृत थे।

ग्रामीण बैंक, काशी

3108. श्री एस. पी. जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय बैंक के पुनर्गठन के दूसरे चरण में काशी ग्रामीण बैंक को 21.10 करोड़ रुपए प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में अंतिम सूची से काशी ग्रामीण बैंक का नाम काटा गया तथा कब तक आवश्यक पूंजी इस बैंक को प्रदान की जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) काशी ग्रामीण बैंक उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से एक था, जिन्हें वर्ष 1995-96 के दौरान इक्विटी सहायता के प्रावधान हेतु चुना गया था। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए बजटीय आबंटन 300 करोड़ रुपए से 223.57 करोड़ रुपए कर दिए जाने के कारण काशी ग्रामीण बैंक सहित कुछ चुनींदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पूंजी नहीं दी जा सकी। अब भारत सरकार के अंश के रूप में 10.05 करोड़ रुपए की राशि (21.10 करोड़ रुपए की कुल आवश्यकता का 50%) काशी ग्रामीण बैंक को दी गई है।

सकल घरेलू उत्पाद

3109. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1995-96 के दौरान वृहत् सकल घरेलू उत्पाद कितना रहा;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमानित वृद्धि दर क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने कृषि में 4 प्रतिशत और उद्योग के क्षेत्र में 8 से 9 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है;

(घ) यदि हां, तो मौजूदा मंदी के कारण क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का ऐसे सांख्यिकीय सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 की कीमतों पर वर्ष 1995-96 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमान और 1996-97 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान, जिन्हें केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी किया गया

है, तदनुरूप वृद्धि के साथ संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ग) से (ङ) विवरण से यह देखा जाएगा कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने वर्ष 1996-97 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमानों के लिए कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन के लिए 3.7 प्रतिशत; खनन और उत्खनन के लिए 1.7 प्रतिशत विनिर्माण के लिए 10.6 प्रतिशत और निर्माण के लिए 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। ये वृद्धि दरें इन क्षेत्रों में उत्पादन की हाल ही प्रवृत्तियों के संगत हैं।

संसद में कुछ दिनों पूर्व प्रस्तुत वर्ष 1996-97 की आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति का विस्तृत और संतुलित ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96 और 1996-97 के लिए आर्थिक कार्यकलाप की किस्म द्वारा अनुपात लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान वर्ष 1980-81 कीमतों पर

	उद्योग	1995-96 (त्वरित अनुमान)	1996-97 (अग्रिम अनुमान) (करोड़ रुपए)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन 1995-96	1996-97
1.	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन	73628	76359	–0.1	3.7
2.	खनन और उत्खनन	5210	5298	7.0	1.7
3.	विनिर्माण	61119	67621	13.6	10.6
4.	विद्युत, गैस और जलापूर्ति	7225	7529	9.1	4.2
5.	निर्माण	11836	12377	5.3	4.6
6.	व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	54972	60158	13.3	9.4
7.	वित्तपोषण, बीमा, भूमि-संपदा और व्यापारिक सेवाएं	30866	32812	4.0	6.3
8.	सामुदायिक, सामाजिक और वैयक्तिक सेवाएं	29353	30779	6.2	4.9
	अनुपात लागत पर कुल सकल घरेलू उत्पाद	274209	292933	7.1	6.8

चीन को सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों का निर्यात

3110. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष चीन को कुल कितनी मात्रा में सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान चीन ने सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों का आयात करने से इंकार किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चीन द्वारा भारत से वर्ष 1996-97 के दौरान कुल कितने सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों की खरीद की गई; और

(घ) सोयाबीन से बने खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चीन को निर्यात की गई सोयाबीन खाद्य की कुल मात्रा और मूल्य निम्नांकित हैं :

वर्ष	मात्रा : (मी. टन में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1993-94	13852	743
1994-95	12230	848
1995-96	111990	8337
1996-97 (अप्रैल-जुलाई, 96)	93185	7652

(स्रोत : डीजीसीआईएण्डएस, कलकत्ता)

(ख) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1986 में सोयाबीन सहित तिलहन की उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए तिलहन संबंधी तकनालाजी मिशन शुरू किया गया था। निर्यात को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं :—

(i) अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में भाग लेना।

(ii) विदेशों में प्रतिनिधिमण्डल भेजना; और

(iii) क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना।

[हिन्दी]

नेपाल से तस्करी

3111. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से भारत में तस्करी की घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) क्या नेपाल सरकार ने इस बात को माना है कि नेपाल से भारत में तस्करी होती है; और

(ग) यदि हां, तो नेपाल से भारत में तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) तस्करी-रोधी एजेंसियों ने भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के मामलों का पता लगाया है। अभिग्रहण के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

वर्ष	अभिग्रहण की राशि (करोड़ रुपयों में)
1995-96	32.55
1996-97	40.98 (अनन्तिम)

(ख) नेपाल से भारत में निषिद्ध माल की तस्करी का मामला नेपाली प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय नेपाल से भारत में तस्करी सहित किसी भी प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए सतर्क हैं।

[अनुवाद]

सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, गुवाहाटी

3112. **डा. अरूण कुमार शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुवाहाटी में सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक खोले जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, नहीं। फिलहाल गुवाहाटी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को मद्दे-नजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश आयोग

3113. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिवेश आयोग ने मंत्रालय को यह लिखा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार के शेयरों का विनिवेश तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेश किए गए प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम, दोनों के बारे में साथ-साथ लिए गए निर्णय में तालमेल होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विनिवेश नीति पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार की नीति सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को निर्णय लेने में अधिकाधिक स्वायत्तता मुहैया कराने की है। इसी संदर्भ में नया पूंजी निर्गम जारी करने का निर्णय पूरी तरह सरकारी क्षेत्र के उद्यम पर छोड़ दिया जाना चाहिए जो कि इसकी अपनी कार्पोरेट योजनाओं के अनुसार लिया जाएगा। यह सरकार की अपनी इक्विटी के एक हिस्से का विनिवेश करने की इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तथापि, विनिवेश की योजना बनाते समय सरकार नई इक्विटी जारी करने के सरकारी क्षेत्र के उद्यम के निर्णय को ध्यान में रखेगी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि नया पूंजी निर्गम जारी करने के इच्छुक सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को विनिवेश आयोग के पास अनिवार्यतया जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि वे चाहें तो आयोग से परामर्श करने के लिए स्वतंत्र

हैं। सरकार का निर्णय विनिवेश आयोग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया गया है।

रूस को कम्प्यूटर का निर्यात

3114. श्री शांतिलाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रूस को निर्यात किए गए कम्प्यूटरों और इससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है तथा मुख्य निर्यातक कौन-कौन हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसी भारतीय कंपनी को रूस से अपने कार्य संचालन की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हां, तो उनके कार्य संचालन का स्वरूप क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रूस को किए गए कम्प्यूटरों के निर्यात और उनसे अर्जित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा आगे दिया गया है :—

(करोड़ रु. में)

वर्ष	निर्यात
1993-94	23
1994-95	55
1995-96	35

रूस को कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात करने वाले प्रमुख निर्यातकों में शामिल हैं—अल्टोस इंडिया लि., दुमीम एक्सपोर्ट्स, गणेश इन्टरनेशनल, एच सी एल ह्यूलेट पैका लि. मेलस्टार एक्सपोर्ट्स एण्ड टेक्नॉलाजीज प्रा. लि., मोदी आलिवेत्ती लि., रतन एक्सपोर्ट्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., तंगेराइन इन्फोर्मेटिक लि., विप्रो लि. इत्यादि।

(स्रोत : इलैक्ट्रॉनिक एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर ई पी सी)

(ख) और (ग) अनेक भारतीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को सरकार ने रूस में कार्य करने की अपनी मंजूरी दे दी है। उनके कार्य स्वरूप में शामिल हैं—विनिर्माण, होटल एवं रेस्टोरेंट, व्यापार आदि।

रेशम की तस्करी

3115. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीन में बने रेशमी धागों की तस्करी में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बैंकिंग प्रणाली

3116. श्री एन. जे. राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने युक्तिसंगत बैंकिंग प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से एक निरीक्षण प्रणाली गठित करने के लिए आज तक कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले तीन वर्ष में बैंकों की निगरानी को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड की स्थापना।

(ii) बैंकों के लिए स्थलेतर निगरानी प्रणाली।

(iii) स्थल पर निरीक्षण की प्रणाली को दृढ़ करना।

(iv) बैंकों में आंतरिक लेखा-परीक्षा और निरीक्षण को मजबूत बनाना।

(v) सरकारी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और गैर-सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों के लिए अब वार्षिक निरीक्षण किए जा रहे हैं।

(vi) चूककर्ताओं और मुकदमा दायर खातों से संबंधित जानकारी के संग्रहण और प्रसार की योजना।

(ग) अधिकांश बैंकों ने अनुपयोज्य आस्तियों में गिरावट का रुख दर्ज करते हुए लाभदायक स्थिति प्राप्त कर ली है और उनके समग्र कार्य-निष्पादन में भी सुधार हुआ है।

[अनुवाद]

चीनी निर्यातकों से बैंक गारंटी

3117. श्री राम नाईक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सभी चीनी निर्यातकों से 10 प्रतिशत की अनिवार्य बैंक गारंटी लेने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा अन्य कृषि उत्पादों के निर्यातकों से भी आवश्यक बैंक गारंटी लेने का निर्यात लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चीनी निर्यातकों से ऐसी मांग करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), जो चीनी के निर्यात के लिए पंजीकरण-सह-आबंटन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए एक निर्दिष्ट अभिकरण है, ने निष्पादन गारंटी के रूप में एफ ओ बी मूल्य 5% निर्धारित किया है।

(ख) बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त इसलिए लगाई गई है ताकि कुछ निर्यातकों द्वारा कोटे को कार्नर करने तथा सट्टा व्यापार को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक निर्यात आबंटित कोटे पर ही किया जाता है।

(ग) और (घ) अन्य कृषिजन्य उत्पादों के निर्यातकों को निम्नलिखित दर पर निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी अपेक्षित है :—

(1) दूध पाउडर, मक्खन, और घी एफ ओ बी मूल्य के 5% की दर पर।

(2) मोटे अनाज और गेहूं उत्पाद एफ ओ बी मूल्य के 10% की दर पर।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में सीमेंट संयंत्र

3118. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु दक्षिण कोरिया में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र की कुल लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य सरकारों को धनराशि जारी करना

3119. श्री आर. साम्बासिवा राव :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए उन्हें धन जारी किए जाने के संबंध में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष के दौरान कुल कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) अनुरोध स्वीकार न किए जाने के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी हां, कुछ राज्यों से प्राप्त हुए हैं।

(ख) विवरण-पत्र I संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरण-पत्र II संलग्न है।

विवरण-I

राज्य सरकारों द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों को पूरा करने के लिए उन्हें निधियां दिए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय को निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान (28.2.97 तक) उन्हें जारी की गई राशि का ब्यौरा विवरण पत्र के कालम 4 में दिया जा रहा है।

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	प्रयोजन	जारी की गई राशि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1996-97				
1.	आंध्र प्रदेश			
		(i) वार्षिक योजना 1995-96 के लिए अतिरिक्त योजना सहायता के रूप में 636 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	नहीं माना गया	केन्द्र के संसाधन संबंधी नियंत्रण की वजह से राज्य योजनाओं को समर्थन नहीं मिला।

1	2	3	4	5
	(ii)	वार्षिक योजना 1996-97 में अतिरिक्त योजना सहायता के रूप में 390 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	नहीं माना गया	—वही—
	(iii)	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध।		
	(क)	लिक्विडिटी क्रन्च समाप्त करने के लिए।	200.00	
	(ख)	आंधी/भारी वर्षा के लिए राहत उपाय आरम्भ करने के लिए।	26.72	
	(ग)	चक्रवात के बाद राहत उपाय आरम्भ करने के लिए।	50.00	
2.	असम			
	(i)	राज्य के बजटीय संसाधनों के सुधार हेतु 57 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध।	नहीं माना गया	—वही—
	(ii)	मासिक वेतन आधार के लिए 190 करोड़ रुपए का अनुरोध	नहीं माना गया	—वही—
	(iii)	15.10.96 को देय 50 करोड़ रुपए की ब्याज अदायगी को रोकने के लिए अनुरोध।	49.47	
	(iv)	आंतरिक सुरक्षा उपायों पर 326 करोड़ रुपए के अधिक व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनुरोध।	गृह मंत्रालय में विचाराधीन है।	
	(v)	जातीय हिंसा के पीड़ितों को विशेष अनुकम्पा के आधार पर राहत के रूप में 25 करोड़ रुपए	मान लिया गया	
	(vi)	जनवरी और फरवरी 97 में देय ऋण और ब्याज की पुनर्अदायगी रोकने के लिए अनुरोध।	58.55	
	(vii)	केन्द्रीय सहायता अग्रिम रूप से देने के लिए अनुरोध।		
	(क)	सितम्बर, 1996 के लिए	20.82	
	(ख)	अक्टूबर, 1996 के लिए	30.64	
	(ग)	नवम्बर, 1996 के लिए	38.25	
	(घ)	दिसम्बर, 1996 के लिए	26.72	
	(viii)	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध	2.00	
	(ix)	केन्द्रीय करों में शेयर के अग्रिम के लिए अनुरोध।		
	(क)	मई, 1996 के लिए	66.60	
	(ख)	जून, 1996 के लिए	95.84	
	(ग)	जुलाई, 1996 के लिए	95.82	
	(घ)	अगस्त, 1996 के लिए	45.00	
	(ङ)	सितम्बर, 1996 के लिए	95.83	
	(च)	अक्टूबर, 1996 के लिए	95.83	
	(छ)	नवम्बर, 1996 के लिए	95.83	
	(ज)	दिसम्बर, 1996 के लिए	96.81	
	(झ)	जनवरी, 1997 के लिए	96.81	
	(ञ)	फरवरी, 1997 के लिए	96.81	
	(ट)	मार्च, 1997 के लिए	155.00	

1	2	3	4	5
3.	हरियाणा			
	(i)	1995-96 के दौरान जारी किए गए 300 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण को 50% ऋण और 50% अनुदान में बदलने के लिए।	माना नहीं गया	केन्द्र के संसाधन नियंत्रण के कारण राज्य योजनाओं को समर्थन नहीं मिला।
	(ii)	राज्यों में मद्य निषेध आरंभ करने से हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के लिए।	—वही—	—वही—
4.	हिमाचल प्रदेश			
	(i)	500 करोड़ रुपए के लम्बी अवधि के साफ्ट ऋण के लिए अनुरोध।	—वही—	—वही—
	(ii)	उच्चतम न्यायालय के निर्णय और पंजाब के वेतनमानों में संशोधन के कारण आवर्ती दायित्वों को पूरा करने के लिए आउट राइट अनुदान अथवा 800 करोड़ रुपए के लम्बी अवधि ऋण के लिए।	—वही—	—वही—
	(iii)	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध	53.10	
5.	जम्मू और कश्मीर			
	(i)	विशेष योजना सहायता और 1995-96 के स्तर पर विशेष योजना ऋण के कारण 378.50 करोड़ रुपए की निधि जारी करने हेतु।	मान लिया गया	
	(ii)	बजट अनुमान 1996-97 में पूरा न किए गए अंतर को पूरा करने के लिए 351.94 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय सहायता देना।	—वही—	
	(iii)	पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम राहत दिए जाने के लिए 56 करोड़ रुपए।	नहीं माना गया	
	(iv)	मार्च में 2511 करोड़ रुपए के कुल ऋण दायित्व में से 1275 करोड़ रुपए के बकाया ऋण को बट्टे खाते में डालना। 1995 (आरम्भ से 10% ऋण और 90% अनुदान प्रभावी होगा।)	विचाराधीन है।	
	(v)	केन्द्रीय सहायता के रूप में दिए जाने वाले अग्रिम के लिए अनुरोध		
	(क)	मई, 1996	58.24	
	(ख)	जून, 1996	116.87	
	(ग)	जुलाई, 1996	97.57	
	(घ)	अगस्त, 1996	116.87	
	(ङ)	सितम्बर, 1996	116.87	
	(च)	अक्टूबर, 1996	116.87	
	(छ)	नवम्बर, 1996	116.87	
	(ज)	दिसम्बर, 1996	116.87	
	(झ)	जनवरी, 1997	108.12	
	(ञ)	फरवरी, 1997	122.30	
			50.00	
	(ट)	मार्च, 1997		
	केन्द्रीय करों में शेयर के अग्रिम हेतु अनुरोध :		56.76	
	(क)	मई, 1996	68.67	
	(ख)	दिसम्बर, 1996	68.67	
	(ग)	फरवरी, 1997	126.00	
	(घ)	मार्च, 1997		

1	2	3	4	5
6.	मणिपुर			
	(i)	केन्द्रीय करों में शेयर के अग्रिम के लिए अनुरोध।		
	(क)	मई, 1996	16.08	
	(ख)	जनवरी, 1997	19.13	
	(ii)	अर्थोपाय के लिए अनुरोध।	22.80	
7.	मिजोरम			
	(i)	वर्ष 1996-97 की राज्य के प्रारंभिक घाटे को पूरा करने हेतु 45 करोड़ रुपए के दीर्घावधि ऋण की मंजूरी के लिए अनुरोध।	नहीं माना गया	केन्द्र के संसाधन संबंधी नियंत्रण की वजह से राज्य योजनाओं को समर्थन नहीं मिला।
	(ii)	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध।	26.25	
8.	मध्य प्रदेश			
		100 करोड़ रुपए के अर्थोपाय के लिए अनुरोध।	मई, 1996 में 25 करोड़ रुपए की अग्रिम सामान्य केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई।	
9.	नागालैंड			
	(i)	विलंबित बिलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध।	7.11	
	(ii)	राज्य को दिए गए 225.98 करोड़ रुपए के केन्द्रीय ऋण को बट्टे खाते में डालने के लिए अनुरोध।	नहीं माना गया	—वही—
10.	पंजाब	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध।	51.10	
11.	राजस्थान			
	(i)	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध।	330.70	
	(ii)	दिसम्बर, 1996 के केन्द्रीय करों में शेयर के अग्रिम।	143.64	
	(iii)	केन्द्रीय सहायता के अग्रिम के लिए अनुरोध।		
	(क)	मई, 1996	9.00	
	(ख)	जुलाई, 1996	37.30	
	(ग)	नवम्बर, 1996	37.30	
	(iv)	संसाधनों के अंतर को पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपए के मध्यावधि ऋण के लिए अनुरोध।	विचाराधीन है।	
12.	सिक्किम	अर्थोपाय के लिए अनुरोध।	15.00	

विवरण-II

राज्य सरकारों द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाईयों को पूरा करने के लिए उन्हें निधियां दिए जाने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय को निम्नलिखित अनुरोध प्राप्त हुए। वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई राशियां कालम 4 में दी गई हैं :

क्रम सं.	राज्य	उद्देश्य	जारी की गयी धन राशि (करोड़ रुपये में)	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5
1995-96				
1.	**आंध्र प्रदेश**			
	(i)	वार्षिक योजना 1995-96 के लिए अतिरिक्त योजना सहायता के रूप में 636 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	माना नहीं गया	दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्य को उच्च संसाधन अंतरण के कारण
	(ii)	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध।	150.00	
	(iii)	150 करोड़ रुपए के अर्थोपाय अग्रिम को आवधिक ऋण में बदलना।	माना नहीं गया।	केन्द्र की संसाधन सम्बन्धी नियंत्रण की वजह से राज्य योजनाओं को समर्थन नहीं मिला।
	(iv)	मद्यनिषेध नीति के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानियों तथा 2 रुपए प्रति किलो ग्राम चावल आर्थिक सहायता स्कीम को कार्यान्वयन करने के लिए राज्य को प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता।	—वही—	राज्य की चावल में आर्थिक सहायता तथा मद्यनिषेध स्कीम के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए किसी राज्य को कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।
2.	**असम**			
	(i)	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध।		
	(ii)	अप्रैल 1995 में दिए गए 136 करोड़ रुपए के अर्थोपाय अग्रिम को आवधिक ऋण में बदलना।	224.00 माना नहीं गया।	केन्द्र की संसाधन संबंधी नियंत्रण की वजह से राज्य योजनाओं का समर्थन नहीं मिला।
	(iii)	केन्द्रीय करों में शेयरों को अग्रिम जारी करने के लिए अनुरोध।		
	(क)	मई 1995 के लिए	57.99	
	(ख)	दिसम्बर 1995 के लिए	80.57	
	(ग)	जनवरी 1996 के लिए	80.59	
	(घ)	फरवरी 1996 के लिए	80.59	
	(ङ)	मार्च 1996 के लिए	157.00	
	(iv)	सामान्य केन्द्रीय सहायता अग्रिम जारी करने के लिए अनुरोध।		
	(क)	मई 1995 के लिए	78.15	
	(ख)	दिसम्बर 1995 के लिए	78.15	
	(ग)	जनवरी 1996 के लिए	78.49	
	(घ)	फरवरी 1996 के लिए	79.12	
	(ङ)	मार्च 1996 के लिए	3.65	
3.	**हिमाचल प्रदेश**			
		वर्ष 1994-95 के लिए 416.00 करोड़ रुपए के शेष घाटे को पूरा	माना नहीं	केन्द्र की संसाधन संबंधी

1	2	3	4	5
		करने तथा राज्य में सरकारी क्षेत्र के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण हुई 100 करोड़ रुपए की देयताओं की वजह से राज्य की वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए।	गया	नियंत्रण की वजह से राज्य योजनाओं को समर्थन नहीं मिला।
4.	जम्मू और कश्मीर			
	(i)	केन्द्रीय ढांचे पर अपने कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 71 करोड़ रुपए का राज्य सरकार का अनुरोध।	42.34	
	(ii)	विद्युत आयात करने के लिए राज्य सरकार को 67 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराना।	माना नहीं गया	विद्युत आयात करने के लिए भी राज्यों को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है।
	(iii)	केन्द्रीय करों में शेयरों के अग्रिम जारी करने का अनुरोध।		
	(क)	दिसम्बर 1995 के लिए	53.57	
	(ख)	जनवरी 1996 के लिए	53.57	
	(ग)	फरवरी 1996 के लिए	53.57	
	(घ)	मार्च 1996 के लिए	55.32	
	(i)	सामान्य केन्द्रीय सहायता अग्रिम जारी करने का अनुरोध।		
	(क)	मई 1995 के लिए	56.80	
	(ख)	नवम्बर 1995 के लिए	114.00	
	(ग)	दिसम्बर 1995 के लिए	114.00	
	(घ)	जनवरी 1996 के लिए	114.00	
	(ङ)	फरवरी 1996 के लिए	115.13	
5.	मिजोरम			
		11.44 करोड़ रुपए तक का विशेष सहायता अनुदान, जो केन्द्रीय करों में शेयर के लिए दसवें वित्त आयोग के बजट अनुमानों में आई कमी के बराबर है।	माना नहीं गया	राज्यों को केन्द्रीय करों में शेयर का अंतरण करों के वास्तविक संग्रह पर आधारित है तथा यह वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुमानों से भिन्न हो सकता है।
6.	उड़ीसा			
		वित्त मंत्रालय के ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए।	माना नहीं गया	केन्द्र की संसाधन संबंधी नियंत्रण की वजह से राज्य योजनाओं का समर्थन नहीं किया गया।
7.	राजस्थान			
	(i)	अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध।	90.00	
	(ii)	मार्च 1996 के लिए केन्द्रीय करों में शेयर के अग्रिम के लिए अनुरोध।	118.98	
8.	सिक्किम			
		अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध।	13.00	

1	2	3	4	5
9.	त्रिपुरा	वर्ष 1995-96 के लिए भारत सरकार से दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों और अनुमानित अंतरण के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए 18.95 करोड़ रुपए।	माना नहीं गया	राज्यों को केन्द्रीय करों में शेयर का अंतरण करों के वास्तविक संग्रह पर आधारित है तथा यह वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित अनुमानों से भिन्न हो सकता है।

मोटोरोला समूह का विस्तार

3120. श्री छीतूभाई गामीत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार के क्षेत्र में एक विशाल कम्पनी मोटोरोला इन्कारपोरेटिड की कम्प्यूटर कम्पनी मोटोरोला कम्प्यूटर ग्रुप ने भारत में भी अपने कार्य विस्तार की किसी योजना की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय मैसर्स मोटारोला सिंगापुर प्रा. लि. के पास मौजूदा भारतीय अनुषंगी कंपनी मैसर्स मोटारोला इंफारमेशन सिस्टम इंडिया लि. बंगलौर में पेजर की विनिर्माणकारी क्षमता स्थापित करने की स्वीकृति है।

कंपनी सैल्यूलर, पेजिंग, मूल्यवर्धित नेटवर्क और अन्य दूरसंचार नेटवर्क को उपकरणों की आपूर्ति करने, भारत में अनुसंधान और विकास संबंधी सक्षमता और संसाधन जुटाने के लिए उनकी क्षमताओं का उन्नयन करने और इसके लिए एक और अत्याधुनिक साफ्टवेयर अभिकल्प और विकास केन्द्र स्थापित करने और भारत में दूरसंचार संबंधी प्रशिक्षित इंजीनियर तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माणकारी प्रौद्योगिकी संबंधी अपने कार्यकलापों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।

लघु उद्योगों को ऋण

3121. श्री केशव महन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लघु उद्योगों से ऋण प्राप्त करने संबंधी कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और इस संबंध में गत तीन वर्षों से आज तक प्रतिवर्ष स्वीकृत की गई धनराशि क्या है;

(ख) क्या बैंक द्वारा आवेदनकर्ताओं को समय पर ऋण नहीं दिए जाने के कारण उद्योग रूग्ण हो गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आंकड़ा सूचना प्रणाली से मांगी गई सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आर बी आई को प्रस्तुत की गई विवरणियों के आधार पर मार्च 1993, मार्च 1994 और मार्च 1995 के अन्त की स्थिति के अनुसार असम में रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की संख्या और इन एककों का बकाया ऋण इस प्रकार था :

(करोड़ रुपए)

	रुग्ण एसएसआई एककों की संख्या	बकाया राशि
31 मार्च, 1993 की स्थिति	5640	36.43
31 मार्च, 1994 की स्थिति	14210	40.52
31 मार्च, 1995 की स्थिति	17984	44.60

(ख) और (ग) आर बी आई ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश दिए हैं कि 25,000/- रु. तक की ऋण सीमा के आवेदनों को आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख के 15 दिन के अन्दर-अन्दर और 25,000 रु. से अधिक के आवेदनों को 8-9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दिया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि ऋण-सीमा बढ़ाने के अनुरोधों पर शीघ्रता से विचार किया जाना चाहिए और निर्णय तत्काल या हर हालत में 6 सप्ताह के अंदर लिए जाने चाहिए।

औद्योगिक रूग्णता

3122. श्री सौम्य रंजन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रूग्णता अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तनों का परिणाम है तथा यह मुख्य रूप से मानवनिर्मित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) भारतीर

सांख्यिकी संस्थान के अध्ययन के अनुसार औद्योगिक रूग्णता खराब वित्तीय संरचना और/अथवा उत्पादन को घटकों का चिरकाल से निरर्थक उपयोग और/अथवा खराब बाजार व्यवस्था के कारण होती है। उनके अनुसार बी आई एफ आर में पंजीकृत रूग्ण फर्मों और स्वस्थ कंपनियों में मुख्य अंतर ब्याज लागत और श्रम लागत का है। बी आई एफ आर कंपनियों की शीघ्र इक्विटी और कुल दायित्व इक्विटी का अनुपात गैर बी आई एफ आर फर्मों के तुलना में हमेशा अधिक रहा है। अध्ययन में सूचना आधार स्थापित किए जाने की आवश्यकता का सुझाव है जो बड़े ऋणियों की निगमित और व्यक्तिगत क्षमताओं दोनों में साख उपयुक्तता सुरक्षित ऋणदाताओं से चूककार ऋणी फर्मों में बदलती औद्योगिक और निगमित संगठन की जिम्मेदारियों को देखता है और बी आई एफ आर अपने को भेजे गए मामलों के निपटान के लिए अत्यंत सुविधाकारक और सामयिक निर्णायक भी हो रहा है। अध्ययन में ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना और भूमि बिक्री से निगमित पुनर्गठन के माध्यम से कंपनियों की वित्तीय पुनःसंरचना का भी सुझाव दिया है।

विद्युतकरघों का पंजीकरण

3123. श्री चिन्तामन वानगा : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युतकरघों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने विद्युतकरघों का पंजीकरण किया गया;

(ग) क्या विद्युतकरघों की संख्या प्रत्येक वर्ष तेजी से बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनमें प्रति वर्ष कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी नहीं। तथापि, वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 1993 के अनुच्छेद 6 (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्र अथवा राज्य के किसी भी कानून के उपबंधों के अध्यधीन लघु उद्योग क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विद्युतकरघे की स्थापना करने पर उस राज्य सरकार द्वारा जिसके अधिकार क्षेत्र के भीतर विद्युत करघा स्थापित किया गया है, की ओर से अधिसूचित अधिकारी को फार्म-I में सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा। एक प्रतिलिपि वस्त्र आयुक्त, मुम्बई को भी प्रेषित करनी होगी तथा किसी भी व्यक्ति को गैर लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों (उपबंधों में उल्लिखित एककों के अतिरिक्त) में किसी भी प्रकार के विद्युत करघे की स्थापना करने पर वस्त्र आयुक्त मुम्बई को फार्म-I में सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना होगा बशर्ते कि इस अनुच्छेद में निहित कुछ भी शहर की परिधि से 25 कि. मी. के भीतर स्थित गैर-लघु औद्योगिक एककों के मामलों में लागू नहीं होगा, यदि ऐसे औद्योगिक एकक 24 जुलाई, 1991 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट "औद्योगिक क्षेत्र" के भीतर स्थित नहीं हैं तथा ऐसे औद्योगिक एकक में उपरोक्त विद्युत करघा की स्थापना औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित नहीं होती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित विद्युत करघों की संख्या को राज्यवार दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) जी हां। वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 (जून, 1996 तक) के दौरान स्थापित विद्युतकरघों की कुल संख्या से ऐसा देखा गया है कि विद्युत-करघों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(घ) दिसंबर, 1993 तक की स्थिति के अनुसार स्थापित विद्युतकरघों की संख्या की तुलना में विद्युतकरघों की प्रतिशत वृद्धि वर्ष 1994 में 2.42 प्रतिशत, दिसंबर, 1995 में 6.42 प्रतिशत तथा 1996 में (जून, 1996 तक) 7.76 प्रतिशत थी।

(ङ) 31 दिसंबर, 1994; 3 दिसंबर, 1995 तथा वर्ष 1996 (जून, 1996 तक) की स्थिति अनुसार देश में विद्युतकरघा क्षेत्र में लगे कामगारों की संख्या क्रमशः 65% लाख, 68.26 लाख तथा 69.15 लाख थी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित विद्युतकरघों की राज्यवार कुल संख्या निम्न अनुसार है।

क्रम सं.	राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र का नाम	विद्युत करघों की कुल संख्या 1994 (31.12.94) की स्थिति अनुसार	1995 (31.12.95) की स्थिति अनुसार	1996 (1996) की स्थिति अनुसार
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	41371	43440	43440
2.	असम	2726	2726	2726
3.	बिहार	2850	2870	2870
4.	गोवा	122	122	122

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	293491	302280	303670
6.	हरियाणा	9882	9882	9882
7.	हिमाचल प्रदेश	1302	1302	1302
8.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य
9.	कर्नाटक	54394	57112	58611
10.	केरल	2026	2304	3181
11.	मध्य प्रदेश	33807	34593	34811
12.	महाराष्ट्र	514302	546110	555712
13.	उड़ीसा	3205	3223	3223
14.	पंजाब	21862	21980	22090
15.	राजस्थान	30915	31471	32837
16.	तमिलनाडु	229732	233842	236038
17.	उत्तर प्रदेश	65366	65366	65366
18.	प. बंगाल	4212	4223	4237
19.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य
20.	दिल्ली	1102	1102	1102
21.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य
22.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
23.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
24.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य
25.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
26.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य
	केन्द्रशासित क्षेत्र			
27.	चंडीगढ़	42	42	42
28.	दादर और नगर हवेली	464	464	464
29.	पांडीचेरी	830	830	830
30.	दमन और दिव	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	1314003	1365284	1382556

रबड़ की खेती

3124. **श्री उधव बर्मन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में रबड़ की खेती की जाती है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध रबड़ की खेती और प्रक्रिया को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) दिनांक 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार, उत्तर पूर्व के अलग-अलग राज्यों में रबड़ के अंतर्गत कुल क्षेत्र नीचे दिया गया है :–

(हैक्टेयर में)

(i)	त्रिपुरा	20,761
(ii)	असम	10,179
(iii)	मेघालय	4,105
(iv)	मणिपुर	1,400
(v)	मिजोरम	913
(vi)	नागालैंड	1,523
(vii)	अरुणाचल प्रदेश	49
	कुल	38,930

(ख) और (ग) जी, हां। रबड़ बोर्ड 1970 से उत्तर पूर्व क्षेत्र में खोज संबंधी सर्वेक्षण करता आ रहा है। उस क्षेत्र में रबड़ की खेती के लिए उपयुक्त अनुमानित क्षेत्र निम्नानुसार हैं :–

(हैक्टेयर में)

(i)	असम	2,00,000
(ii)	त्रिपुरा	1,00,000
(iii)	मेघालय	50,000
(iv)	नागालैंड	50,000
(v)	उत्तर-पूर्व के अन्य राज्य	50,000
	कुल	4,50,000

(घ) रबड़ बोर्ड रिआयती दरों पर रॉलरों और अन्य एस्टेट उपकरणों की आपूर्ति करके, सामूहिक प्रसंस्करण के लिए जनजातीय/अ. जा. के लोगों को दी जा रही विशेष सहायता के साथ-साथ तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके श्रम-गृहों के निर्माण में सहायता देकर प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए छोटे किसानों को सहायता प्रदान कर रहा है।

बोर्ड, सामूहिक प्रसंस्करण और विपणन का काम शुरू करने में रबड़ उत्पादकों के स्वैच्छिक संगठनों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त, इस क्षेत्र में रबड़ बागान में विकास में लगे राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

मलबरी यार्न की आपूर्ति

3125. डा. प्रबीन चन्द्र शर्मा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम में सौलकुचि को प्रतिमाह पांच हजार किलोग्राम मलबरी यार्न की आपूर्ति करने का है जैसा कि दिनांक 21 फरवरी, 1997 के 'असम ट्रिब्यून' में "मलबरी यार्न फॉर सौलकुचि" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सौलकुचि को रेशम उद्योग के विकास के लिए कोई अन्य सहायता दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) जी हां। एक उच्चाधिकार दल ने 17 फरवरी, 97 को गुवाहाटी (असम) के अपने दौरे और 18 फरवरी, 97 को इन क्षेत्रों में किए गए दौरे के दौरान सौलकुचि क्षेत्र के हथकरघा बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा मैसर्स असम बुनकर और शिल्पकार सहकारी संघ लि. (आर्ट फैक्ट) को उनकी मांग करने पर 5000 किलोग्राम प्रतिमाह मलबरी सिल्क यार्न की आपूर्ति की व्यवस्था करने पर सहमति दी है।

(ग) रेशम उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में और वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से चरखी पर कार्य करने वालों को ककून (कोया) के प्रोसेसिंग और रेशम के धागे को चरखी पर लपेटने की सुधरी हुई तकनीक का प्रदर्शन करने हेतु एक प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त रेशम प्रौद्योगिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान बंगलौर द्वारा मुगा ककून की रीलींग के लिए विकसित मशीन और नई प्रौद्योगिकी का विशेष प्रदर्शन कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ ककून के उपरांत की प्रक्रिया के लिए एक सिल्क रीलींग, कताई और बुनाई इकाइयों जिनमें सौलकुची में रेशमी कपड़े की रंगाई, छपाई और गीली प्रोसेसिंग भी शामिल है, को तकनीकी सलाह देने हेतु एक तकनीकी सेवा केन्द्र भी स्थापित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक सहायता

3126. श्री जयन्त भट्टाचार्य : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक द्वारा 1991 के बाद भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य-वार कितनी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया; और

(ग) इन परियोजनाओं में राज्य-वार और वर्षवार कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण संरचनात्मक समायोजन ऋण हैं और ये विकासात्मक परियोजनाओं के लिए नहीं दिए जाते, जबकि विश्व बैंक के ऋण विकासात्मक परियोजनाओं के लिए दिए जाते हैं। राज्य-क्षेत्र परियोजनाओं की वर्ष-वार हस्ताक्षरित करारों की राशि और संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष-वार विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राज्य/बहुराज्य क्षेत्र की परियोजनाएं

(मिलियन अमरीकी डालर में)

राज्य	निधिकरण का वर्ष											
	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
असम									1	126.00		
आन्ध्र प्रदेश					1	77.40	1	133.00				
बिहार			1	126.15								
हरियाणा							1	294.29				
कर्नाटक					1	103.79						
महाराष्ट्र	2	241.27	1	350.00			1	246.82	1	192.00		
मध्य प्रदेश									1	58.00		
उड़ीसा									1	290.90	1	350.0
राजस्थान			1	113.41								
तमिलनाडु									2	558.70		
उत्तर प्रदेश					2	227.85					1	59.60
पश्चिम बंगाल	1	34.00										
बहु-राज्य	3	503.05							2	201.50	1	350.00
	6	778.32	3	589.56	4	409.04	3	674.11	8	1427.1	3	759.60

"टेक्सटाइल सिटी"

3127. श्री विजय संकेश्वर : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से धारवाड़ जिले के बेलूर में टैक्सटाइल सिटी परियोजना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले के बेलूर इंडस्ट्रियल इस्टेट में टेक्सटाइल सिटी स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी। परियोजना की लागत लगभग 874 लाख रु. आने का अनुमान था जिसकी अवधि 3 वर्ष होनी थी। तथापि, कर्नाटक सरकार ने इस प्रस्ताव को वापिस ले लिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला परियोजनाएं

3128. श्री दिनशा पटेल : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 13 कोयला परियोजनाओं का कार्य निर्धारित समय से पीछे चल रहा है और उनकी लागत में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन्हें शीघ्र पूरा करने तथा अधिक लागत से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) 31.12.96 की स्थिति के अनुसार, 68 कोयला परियोजनाओं में से, जिनमें से प्रत्येक की लागत 20 करोड़ रु. तथा इससे अधिक है, ये को. इं. लि. तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (सिं. को. कं. लि.) के क्रियान्वयनाधीन हैं, 13 परियोजनाएं समयावधि तथा लागत आधिक्य से ग्रस्त थी। विलम्ब के कारणों में, अन्य बातों के अलावा, निम्न शामिल हैं;—भूमि अधिग्रहण में

अवरोध तथा संबद्ध पुनर्वास समस्याएं, उपकरण की आपूर्ति में तथा "टर्न-की" निष्पादन में विलम्ब, प्रतिकूल भू-खनन परिस्थितियां तथा निधि संबंधी अवरोध।

(ग) कोयला मंत्रालय इन विलंबित परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रख रहा है। मंत्रालय तथा कोयला कंपनियां लंबित भूमि मामलों में तीव्रता लाए जाने के मामले में संबद्ध राज्य सरकारों से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हैं और ये उपकरण निर्माताओं के साथ भी अनुवर्ती कार्रवाई कर रही हैं ताकि उपकरणों की शीघ्र आपूर्ति तथा चालू किए जाने का सुनिश्चय किया जा सके। चालू परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराए जाने हेतु कोयला कंपनियों द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं—आंशिक रूप में संसाधनों को जुटाया जाना, संभरकों को ऋण तथा बाह्य रूप में उधार लिया जाना। ऐसी परियोजनाएं, जहां आधिक्य लागत होती है, ऐसे मामलों में उनके कारणों सहित मदवार लागत में वृद्धि होती है, जिनकी संशोधित लागत अनुमानों का निष्पादन करते समय गहराई से जांच की जाती है, जिनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन दिया जाता है।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा विद्युत रेलवे इंजिनों का निर्माण किया जाना

3129. डा. राम विलास वेदान्ती :

श्री सोहन वीर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा आज की तारीख तक निर्मित किए गए विद्युत रेलवे इंजिनों की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने विद्युत रेलवे इंजिन निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा दिनांक 07.03.97 तक निर्मित विद्युत रेलवे इंजिनों की संख्या 102 है।

(ख) से (घ) भेल की वर्तमान उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष 30 विद्युत रेलवे इंजिन हैं। उनकी क्षमता में वृद्धि उपभोक्ता अर्थात् भारतीय रेल की आवश्यकता पर निर्भर करती है। वर्तमान क्षमता के अनुसार, भेल नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 150 विद्युत इंजिनों का निर्माण कर सकता है।

[अनुवाद]

सोने की तस्करी

3130. श्री एस. अजय कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विमान पत्तन के माध्यम से हाल के वर्षों में सोने की तस्करी में तेजी आई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केरल में भिन्न-भिन्न विमान पत्तनों से जब्त किए गए सोने का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) अभिग्रहण संबंधी आकड़ों और आसूचना रिपोर्टों से यह पता चलता है कि विदेश से लौटने वाले यात्रियों द्वारा केरल के विमानपत्तनों पर सोने की छोटी-मोटी मात्रा में तस्करी करने के प्रयास में वृद्धि हुई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में विमानपत्तनों पर पकड़े गए सोने के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	मामलों की संख्या	अभिग्रहण की राशि (लाख रुपयों में)
1994-95	323	384.72
1995-96	989	956.00
1996-97	1254	1210.05

[हिन्दी]

न्यायालय के निर्णय

3131. श्री विजय गोयल : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न न्यायालयों में अनेक मामले लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो न्यायालय से बाहर ऐसे मामलों के निपटान के लिए सरकार की क्या नीति है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने बकाया मामलों के निपटारे के लिए 2 अक्टूबर, 1996 से एक बकाया मामला निपटान तिमाही आरंभ की थी। देश के प्रत्येक जिला न्यायाधीश से अनुरोध किया गया था कि वे 2 अक्टूबर, 1996 को कम से कम एक लोक अदालत आयोजित करें और तत्पश्चात् उक्त तिमाही के दौरान, कम से कम प्रत्येक शनिवार/रविवार को एक लोक अदालत आयोजित करके, यथासंभव अधिक से अधिक लोक अदालतें आयोजित की जाएं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक तालुक स्तर पर लोक अदालत की सिफारिश की गई थी। इसके अतिरिक्त, न्याय पंचायत और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों का भी उपयोग किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पीने योग्य अल्कोहल

3132. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मेसर्स बाकार्डी इंटरनेशनल तथा मेसर्स पेनार्ड रिकार्ड को शीरा से पेय अल्कोहल बनाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी निर्णय लेने से पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की राय को ध्यान में रखा गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी हां। मैसर्स विकारडी इंटरनेशनल तथा मैसर्स परनोड रिकार्ड को इस शर्त पर पेय अल्कोहल बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया कि कच्ची सामग्री के रूप में शीरा से केवल रम बनाई जाएगी। अन्य उत्पाद गैर शीरा कच्ची सामग्री से निर्मित किए जाएं। अनुमोदनों में यह शर्त भी थी कि मादक पेय तैयार करने के लिए कोई नई क्षमता अनुदेय नहीं होगी तथा संयुक्त उद्यम कम्पनी की विद्यमान लाइसेंस क्षमता भारतीय साझेदार की लाइसेंस क्षमता तक सीमित होगी अर्थात् प्रस्तावित संयुक्त उद्यम प्रस्तावित उत्पादों के विनिर्माण के लिए भारतीय साझेदार के विद्यमान वैद्य लाइसेंस का उपयोग करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सोने का आयात

3133. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान देश में सोने का कितनी मात्रा में आयात हुआ;

(ख) सरकारी स्टाक में सोना कितनी मात्रा में विद्यमान है;

(ग) क्या सरकार ने किसी फर्म को आभूषण बनाने के लिए सोना उधार पर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सीमा पर तस्करी की गतिविधियां

3134. श्री पी. एस. गढ़वी :

श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात और राजस्थान के कुछ सीमावर्ती जिलों में बड़े पैमाने पर की जा रही तस्करी की गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां विशेषकर भुज क्षेत्र में कुछ विदेशी मछुआरे तस्करी के लिए अपनी नावों में आते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य में तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा कितनी राशि की वस्तुएं जब्त की गईं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हेरोइन की तस्करी

3135. श्री राम सागर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पश्चिमी देशों के लिए हेरोइन, हशीश तथा अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी का प्रवेश द्वार बन गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के अंदर/बाहर हेरोइन की तस्करी के कितने मामले प्रकाश में आए हैं तथा इस कार्य में कौन-कौन से व्यक्ति शामिल हैं; और

(घ) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) भारत को स्वापक औषधों, विशेष रूप से हेरोइन तथा हशीश के अवैध व्यापार का पश्चिमी मार्गों पर सीमा से पार पारगमन का सामना करना पड़ता है।

(ख) स्वापक औषध के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपायों के साथ सरकार ने आवश्यक वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय किए हैं :—

(i) सभी प्रवर्तन एजेंसियों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम में निहित कड़े प्रावधानों के अंतर्गत प्रवर्तन प्रयास बढ़ाएं और अत्यधिक सतर्कता बरतें।

(ii) सीमावर्ती राज्यों में पुलिस तथा सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में गठन के साथ समर्पण स्वापक कक्ष प्रचलन में है।

(iii) भारत-पाक सीमा के दो तिहाई भाग घेरा-बंदी परिप्रदीप्त के साथ कर दी गई है।

(iv) एन. डी. पी. एस. एक्ट के अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी प्रवर्तन एजेंसियों के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल तथा तटरक्षक जो भूमि और समुद्र तट पर लगाए गए हैं को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं ताकि स्वापक औषधों का प्रत्याख्यान हो सके।

(v) अधिकारियों को उनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वाहन तथा उपस्कर प्रदान करा दिए गए हैं।

(vi) मुखबिरों तथा प्रवर्तन अधिकारियों के लिए पुरस्कार योजना का कार्यान्वयन उत्साहपूर्वक किया जा रहा है।

(vii) नई दिल्ली में महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की अध्यक्षता में तिमाही समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसमें उच्च स्तर पर स्वापक औषधों के विरुद्ध लड़ रही सभी प्रवर्तन एजेंसियां भाग लेती हैं।

(viii) पाकिस्तान में प्राधिकरण के साथ एक द्विपक्षीय समझौता शुरू हुआ है जिसमें समय-समय पर सचिव स्तर व महानिदेशक स्तर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं। सीमा सुरक्षा बल तथा पाकिस्तानी रेजरों की सीमावर्ती बैठकों में भारतीय तथा पाकिस्तान के प्रति स्वापक एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। सीधे प्रचालन संचार के लिए दोनों देशों द्वारा संपर्क सूत्र स्थापित किए जाते हैं।

(ix) भारत सरकार तथा म्यांमार संघ सरकार ने बीच स्वापक औषधों की मांग में कमी तथा अवैध व्यापार के निवारण के लिए एक व्यापक द्विपक्षीय समझौता हुआ है।

(x) भारत सरकार ने म्यांमार को स्वापक औषधों की पहचान के लिए दो स्वापक औषध सूंघने वाले कुत्ते तथा प्रशिक्षित कुत्तों के संचालक प्रदान किए हैं।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान हेरोइन की तस्करी के मामलों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	मामलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या
1994	51	49
1995	69	58
1996	53	56

अभियुक्तों के विरुद्ध एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की गई।

यूरिया का आयात

3136. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2.5 मिलियन डालर जो लीबिया से खरीदे गए यूरिया के भुगतान के लिए था, उस राशि की अदायगी पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रोकी गई राशि को जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ग) जी, हां। एम एम टी सी ने 13,817 मे. टन यूरिया खरीदने के लिए भारतीय ओवरसीज बैंक के जरिए 2.5 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण-पत्र (एस/सी) नेशनल ऑयल कम्पनी लीबिया के पक्ष में खोले थे। यूनियन बैंक ऑफ स्विटजरलैण्ड द्वारा इन ऋणपत्रों की पुष्टि की गई थी। इंडियन ओवरसीज बैंक ने यूनियन बैंक आफ स्विटजरलैंड के निर्देशानुसार उक्त धनराशि चेस मनहाटन बैंक, न्यूयार्क को भेज दी थी जिसने यह राशि रोक दी है। एम एम टी सी को सम्पूर्ण यूरिया की मात्रा अप्रैल, 96 में प्राप्त हुई। नेशनल ऑयल कम्पनी लीबिया को उक्त धनराशि रिलीज किए जाने का मामला इंडियन ओवरसीज बैंक ने विदेश मंत्रालय के जरिए उठाया है। इस सौदे में एम एम टी सी की आगे कोई भूमिका नहीं है।

रोजगार के अवसरों का सृजन

3137. श्री के. परसुरामन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने भारतीय रिजर्व बैंक को रोजगार के अवसरों का सृजन करने और ग्रामीण तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को पर्याप्त ऋण देने सहित गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए विभिन्न उपाय सुझाने के लिए कहा है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बारे में ठोस सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा बनाई गई गरीबी उन्मूलन और रोजगार का सृजन करने वाली विभिन्न योजनाओं को बैंक कार्यान्वित कर रहे हैं। इन योजनाओं में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), शहरी व्यष्टि उद्यम योजना (सुमे) और प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पीएमआरवाई) सम्मिलित हैं।

1993-94, 1994-95 और 1995-96 के वर्षों के लिए इन योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कार्यनिष्पादन निम्न प्रकार है :–

(संख्या लाख में)

योजना का नाम	वर्ष	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
समन्वित ग्रामीण विकास	1993-94	25.69	25.38
कार्यक्रम	1994-95	21.15	21.12
(आई आर डी पी)	1995-96	उ.न.	15.82

योजना का नाम	वर्ष	लक्ष्य	मंजूर किया गया	संवितरण
शहरी व्यष्टि उद्यम योजना	1993-94	1.23	1.83	1.49
(सुमे)	1994-95	1.20	1.44	1.18
	1995-96	1.17	1.18	0.93
प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई)	1993-94 (अक्टू. 1993 से मार्च 1994)	0.42	0.32	0.21
	1994-95	2.20	1.94	1.11
	1995-96	3.21	2.94	1.63

टिप्पणी :–आई आर डी पी के अंतर्गत, वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों के अंतर्गत उल्लिखित संख्या, परिवारों की संख्या का द्योतक है।

भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन और रोजगार का सृजन करने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देश/अनुदेश जारी करता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की अखिल भारतीय स्तर पर भारत सरकार द्वारा निगरानी की जाती है। इन योजनाओं की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डी एल सी सी) और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस एल बी सी) पर निगरानी की जाती है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने संबंधित डिप्टी गवर्नर के समग्र प्रभार में पी एम आर वाई और आई आर डी पी के कार्यान्वयन के लिए एक अलग निगरानी कक्ष की स्थापना की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3138. **श्री बादल चौधरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अनेक विभाग पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों में अपने परीक्षा केन्द्र अथवा साक्षात्कार के केन्द्र नहीं रखते;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में निर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) संस्था के अंतर्नियम/अधिनियम के अंतर्गत, जहां तक निदेशक मंडल स्तर के नीचे के पदों पर भर्ती का संबंध है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन को स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसलिए, सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती।

[हिन्दी]

लंबित निर्वाचन याचिकाएं

3139. **श्री आर. एल. पी. वर्मा** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991 से आज तक विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित निर्वाचन याचिकाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इनके निपटान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इन निर्वाचन याचिकाओं के त्वरित निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) निर्वाचन आयोग द्वारा यथा उपलब्ध कराई गई अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) निर्वाचन विधि के अधीन, किसी निर्वाचन अर्जी का विचारण, यथासाध्य विचारण से संबंधित न्याय के हितों से संगत रूप से इसकी समाप्ति तक दिन-प्रति-दिन जारी रखा जाना चाहिए और विचारण के लिए उच्च न्यायालय में निर्वाचन अर्जी के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर विचारण को समाप्त

किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तथापि, अधिक संख्या में साक्षियों की परीक्षा, विभिन्न आधारों पर स्थगन की मांग करना और प्रक्रिया संबंधी विवाद, आदि निर्वाचन अर्जियों के निपटारे के विलंब के विभिन्न कारणों में से हैं।

(ग) सरकार ने निर्वाचन अर्जियों के लंबित रहने के विवायक को व्यापक अध्ययन के लिए विधि आयोग को निर्दिष्ट किया है।

विवरण

उच्च न्यायालयों में लम्बित निर्वाचन अर्जियों और उच्चतम न्यायालय में लंबित अपीलों की संख्या

(7.3.1997 तक की स्थिति)

क्र. सं.	निर्वाचन का नाम	उच्च न्यायालयों में लंबित अर्जियों की संख्या	उच्चतम न्यायालय में लंबित अपीलों की सख्या
1	2	3	4
1.	मई-जून 1991 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन	11	1
2.	1991-1992 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	15	3
3.	फरवरी और नवंबर, 1993 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	96	10
4.	नवम्बर-दिसम्बर, 1994 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	15	3
5.	1995 में हुए विधान-सभाओं के साधारण निर्वाचन	94	2
6	अप्रैल-मई 1996 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन	43	—
7.	अप्रैल-मई 1996 में हुए विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन	90	3
8.	राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन-1992	2	—
9.	विधान-परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन-1992	2	—
10.	विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन-1993	3	—
11.	राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचन-1994	2	—
12.	विधान सभाओं के उप-निर्वाचन-1991	1	1
13.	विधान सभाओं के उप-निर्वाचन-1992	—	—
14.	विधान सभाओं के उप-निवार्चन-1993	2	—
15.	लोक सभा के उप-निर्वाचन-1993	1	—
16.	बिहार विधान सभा के उप-निर्वाचन-1996	1	—
17.	विधान परिषद् के उप-निर्वाचन-1991	—	—
18.	विधान परिषद् के द्विवार्षिक निर्वाचन-1996	4	—

बिहार के ललमटिया खान द्वारा प्रदूषण

3140. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि खनन कार्य के कारण बिहार के ललमटिया खान में वायु और ध्वनि का प्रदूषण स्तर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र के पेय जल का प्रदूषण स्तर भी बढ़ रहा है और पेय जल के प्रदूषण स्तर की मासिक जांच अनेक वर्षों से नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस खनन कार्य के कारण हुए प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) बिहार में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई.को.लि.) की राजमहल परियोजना के अंतर्गत लालमटिया खान में वायु तथा ध्वनि प्रदूषण का स्तर सांविधिक द्वारा निर्धारित की गई स्वीकार्य सीमा के अंदर है।

(ख) प्रश्न के उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) राजमहल क्षेत्र के पेयजल के प्रदूषण स्तर में वृद्धि नहीं हो रही है। जल संबंधी नमूने नियमित रूप से एकत्रित किए जाते हैं और तिमाही में एक बार विश्लेषण किया जाता है, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा की गई पर्यावरणीय प्रबंधन योजना की शर्तों के अधीन अनुमोदित की गई थी। सभी पैरामीटर सांविधिक द्वारा निर्धारित स्वीकार्य सीमा के अधीन हैं। जल गुणवत्ता संबंधी रिपोर्टों को सरकार के अनुमोदित अभिकरणों द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है, अर्थात् आसनसोल स्वास्थ्य खान बोर्ड और आर. 1-1, सी.एम.पी.डी.आई.।

वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण को स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :–

(i) धूल को दबाए जाने हेतु जल के छिड़काव की व्यवस्था के साथ कोयला रख-रखाव संयंत्र तथा हॉल सड़कों की व्यवस्था की गई है।

(ii) वायु में प्रलंबित विविक्त पदार्थ के स्तर का पता लगाए जाने हेतु वायु का विश्लेषण किया जा रहा है।

(iii) खानों में तथा इनके आस-पास बड़े स्तर पर वन-रोपण किया गया है और औद्योगिक काम्प्लैक्स तथा आवासीय कालोनियों के बीच ग्रीन बैल्ट भी बनाई गई है।

(iv) आवासीय काम्प्लैक्स से अवशिष्ट सामग्री की निकासी सोक पिट में किए जाने की अनुमति है। प्रत्येक तिमाही में 3 चुनिंदा स्थलों से जल संबंधी नमूने नियमित रूप से दिए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है।

(v) नियमित रूप से ध्वनि सर्वेक्षण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

गैर-जमानती वारन्ट

3141. श्री आई. डी. स्वामी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की अदालतों ने वर्ष 1996 के दौरान कुल कितने गैर-जमानती वारन्ट जारी किए हैं;

(ख) गैर-जमानती वारन्ट जारी किए जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) कितने मामलों में बड़ी अदालतों ने स्थगन आदेश दिए?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) दिल्ली के न्यायालयों द्वारा वर्ष 1996 के दौरान (15-11-96 तक) जारी किए गए अजमानतीय वारंटों की संख्या-34477 है।

(ख) अजमानतीय वारंटों के जारी किए जाने के परिणामस्वरूप (15-11-96 तक) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या-8299 है।

(ग) उन मामलों की संख्या, जिनमें उच्चतर न्यायालयों द्वारा रोक आदेश दिए गए-324 हैं।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा व्यापार

3142. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्षों से आज तक महाराष्ट्र में किए जा रहे अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा जब्त की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) वर्ष 1995 से 1997 (फरवरी तक) के दौरान महाराष्ट्र में पता लगाए गए विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार के मामलों के ब्यौरे और उनमें जब्त की गई विदेशी मुद्रा इस प्रकार है :–

वर्ष	पता लगाए गए मामलों की संख्या	जब्त की गई विदेशी मुद्रा का मूल्य
1995	79	2.17 करोड़ रुपए
1996	52	5.46 करोड़ रुपए
1997 (फरवरी 1997 तक)	6	0.23 करोड़ रुपए

(घ) प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी करने वालों की गतिविधियों पर नियमित रूप से निगरानी रखता है, जब कभी कोई ऐसा मामला निदेशालय के ध्यान में आता है तो संविधि में परिकल्पित कार्रवाई की जाती है।

अखबारी कागज का आयात

3143. डा. महादीपक सिंह शाक्य :

श्री सुरेन्द्र यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में विदेशी अखबारी कागज का भण्डार आवश्यकता से अधिक हो गया है और इसे घरेलू अखबारी कागज उत्पादन भी प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे आयात के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने घरेलू उद्योग को बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोल्ला बुल्ली रमैया) : (क) से (छ) अखबारी कागज के मुक्त रूप से बिना किसी प्रतिबंध के आयात की अनुमति 1.5.1995 से दी गई थी। अखबारी कागज का आयात मुक्त होने की वजह से इस बात की पुष्टि करना कठिन होगा कि क्या आयातों के कारण देश में विदेशी अखबारी कागज का बेशी स्टाक हो गया है जो कि घरेलू अखबारी कागज के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है।

किन्तु, घरेलू अखबारी कागज उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए, अखबारी कागज का आयात अब 29.1.1997 से प्रतिबंधित करके केवल वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए ही सीमित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

जम्मू "बी-२ सिटी"

3144. श्री गुलाम मोहम्मद मीर मगामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जम्मू शहर को "बी-2 सिटी" घोषित करने के संबंध में जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) आवास किराए भत्ते के प्रयोजन से जम्मू सिटी (शहर) का दर्जा सी श्रेणी से "बी-2" श्रेणी में बढ़ाए जाने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मौजूदा नीति के अनुसार, आवास किराया भत्ता प्रदान करने के लिए शहरों/नगरों को दशक की जनगणना में दर्शाई गई जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। अपनी नगरपालिका सीमाओं के भीतर 4 लाख से अधिक किन्तु 8 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर को आवास किराए भत्ते के प्रयोजन से "बी-2" श्रेणी शहर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मौजूदा वर्गीकरण 1991 की जनगणना पर आधारित है। यद्यपि, अपरिहार्य कारणों से जम्मू में जनगणना का काम नहीं किया जा सका है। महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त (आर.जी.आई.) ने सन् 1991 में जम्मू शहर की अनुमानित जनसंख्या को 2.76 लाख दिखाया है। चूंकि "बी-2" श्रेणी के रूप में वर्गीकरण करने के लिए यह निर्धारित (बेंच) स्तर से कम है इसलिए आवास किराए भत्ते के लिए जम्मू को "सी" श्रेणी शहर के रूप में वर्गीकरण किया गया है। दर्जा बढ़ाकर जम्मू को "बी-2" शहर के रूप में वर्गीकृत करने के विचाराधीन प्रस्ताव पर प्रवासी जनसंख्या को भी हिसाब में लिया जाएगा।

[हिन्दी]

अफीम का उत्पादन

3145. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उत्पादित अफीम में मार्फीन की प्रतिशतता कम होती है;

(ख) क्या इसी वजह से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह सस्ते मूल्य पर बिकती है जिससे भारतीय किसानों को हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके नए बीज के विकास के लिए तथा इसकी फसल को बीमारी से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) :

(क) जैसा कि रासायनिक विश्लेषण रिपोर्टों के आधार पर प्रमाणित हुआ है, भारतीय अफीम में मार्फीन का प्रतिशत 9.5 से 11.5 तक है। ऐसी अफीम के मार्फीम अंश की अन्य देशों के उत्पाद से तुलना करना संभव नहीं है क्योंकि विश्व में भारत की एकमात्र ऐसा देश है जो वैध अफीम गोंद का उत्पादक है।

(ख) भारतीय अफीम में मार्फीन और अन्य महत्त्वपूर्ण क्षारोदीय अंश होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी अच्छी कीमत है। अफीम के मार्फीन के अंश के कारण भारतीय किसानों को कोई हानि नहीं होती है क्योंकि किसानों को अफीम की संसक्ति अर्थात जल और अन्य मिलावटों, यदि उसमें कोई हो, कि प्रतिशतता के आधार पर अदायगी की जाती है न कि अफीम के मार्फीन अंश के आधार पर।

(ग) तीन पोस्त उगाने वाले राज्यों, अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान अफीम पोस्त बीज की उच्च मार्फीन अंश वाली और रोग प्रतिरोधक प्रजातियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। के.एन.के. कृषि महाविद्यालय, मंदसौर, सेन्ट्रल इंस्टिट्यूट आफ मेडीसिनल एवं एरोमैटिक प्लांटस और नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टिट्यूट, लखनऊ ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय उपर्युक्त क्षेत्रों में अफीम उगाने वाले किसानों के लाभार्थ ऐसे अध्ययनों के परिणामों का प्रचार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करता रहा है।

गन्दे नोट

3146. श्री भगवान शंकर रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक फटे और गंदे नोटों को नष्ट करने हेतु जर्मनी से किसी मशीन का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स गिसेक्स एण्ड डेवरिएंट जी एम बी एच, जर्मनी से दो मुद्रा विघटक और ब्रिकेटिंग प्रणालियों का आयात किया गया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के नई दिल्ली कार्यालय में दिसम्बर, 1996 से प्रचालन में हैं। यह प्रणाली प्रति घंटे 300 कि. ग्रा. करेंसी नोट की क्षमता वाली एक एकीकृत यूनिट है और इसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं :–

(i) वैद्युत यांत्रिकी वाहक पट्टा : यह नोटों का कणित्र (ग्रेनुलेटर) तक वहन करता है।

(ii) पूर्वदलित्र/कणित्रः पूर्वदलित नोटों के बण्डलों को छोटे टुकड़ों में संदलन करता है। उन्हें तब नियत/चल चाकुओं के माध्यम से छोटे कणों (3 मि मी × 3 मि मी.) में बदला जाता है।

(iii) ब्रिकेटिंग यूनिट : कणों को तब एक धौंकनी के माध्यम से कणित्र से खींचा जाता है और संपीडक पम्प द्वारा 2" व्यास के ब्रिकेट में संपीडित किया जाता है।

नोटों को नष्ट करने की यह विधि पर्यावरण की दृष्टि के अनुकूल है क्योंकि प्रक्रिया धूम्र उत्सर्जन से मुक्त होती है।

नमक उद्योग

3147. श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र में कितनी नमक उद्योग इकाइयां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या नमक का उत्पादन बढ़ाकर इसके निर्यात हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) सरकारी क्षेत्र में 6 नमक उद्योग इकाइयां कार्यरत हैं।

(ख) से (घ) जी, हां।

नमक उत्पादन बढ़ाकर निर्यात संवर्धन हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) नमक निर्यात को उपकर लगाने से छूट दे दी गई है।

(2) रेलवे द्वारा नमक के निर्यात को "ख" प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

(3) 100% निर्यातोन्मुख एककों (ई ओ यू) की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(4) कांडला पत्तन पर नमक उतारने चढ़ाने की दर में सुधार लाने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपाय किए जाते हैं।

(5) उच्च श्रेणी के नमक की मांगपूर्ति के लिए नमक परिष्करण-शालाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक के कार्मिकों का प्रदर्शन

3148. श्री मोहन रावले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने 28 जनवरी, 1997 को अपनी मांगों के प्रति सरकार के नकारात्मक दृष्टिकोण का विरोध करने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कुछ परिसंघों, जिनमें अन्यों के साथ-साथ, अखिल भारत ग्रामीण बैंक कर्मकार, संगठन और अखिल भारत ग्रामीण बैंक अधिकारी परिसंघ भी सम्मिलित हैं, ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के पक्ष में छठे द्विपक्षीय समझौते को कार्यान्वित न करने के विरोध में अभ्यावेदन दिया है।

जहां तक वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय बैंक संघ के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू करने का संबंध है मामले को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कुछ कर्मचारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने उन्हें कोई राहत प्रदान नहीं की है तथापि, उसके बदले में कहा है कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध राहत की मांग कर सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की जांच करने और उनमें वांछित और व्यावहारिक परिवर्तन सुझाने हेतु एक तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की है। यह आशा की जाती है कि कर्मचारी अपना दृष्टिकोण समिति के समक्ष रखेंगे जिससे कि वह उनकी मांगों पर ध्यान रखते हुए सिफारिशें कर सके।

राज्य व्यापार निगम का कारोबार

3149. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम के कारोबार तथा कुल व्यापार में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले तीन वर्षों के वार्षिक आंकड़े क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्य व्यापार निगम ने किन-किन मदों का व्यापार किया और इसकी मात्रा एवं राशि कितनी रही तथा उक्त अवधि के दौरान उसे कितना लाभ/हानि हुई; और

(घ) राज्य व्यापार निगम ने अपनी व्यापार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एस.टी.सी. का कुल कारोबार निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रु.)
1993-94	1117
1994-95	1861
1995-96	1685

वर्ष 1995-96 के दौरान कुल कारोबार 1994-95 की तुलना में कम हुआ क्योंकि प्रति व्यापार (377 करोड़ रु. से 201 करोड़ रु.) पहले से कम हुआ और चीनी की पहले से कम आयात बिक्री (574 करोड़ रु. से 66 करोड़ रु.) हुई।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कारोबार के मदवार विस्तृत विवरण और निगम की लाभप्रदता को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अनेक मदें जो कि पहले एस.टी.सी. के जरिए सरणीकृत थी, उनके निर्यात और आयात का सरणीकृत किए जाने के उपरान्त निगम ने अपनी व्यापार रणनीति को उदारीकृत अर्थव्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण के अनुसार पुनः अभिमुख किया है। बदले हुए व्यापार परिदृश्य में अपने व्यापार कार्यकलापों के विविधिकरण के एक भाग के रूप में एस.टी.सी. गैर-सरणीकृत व्यापार को विकसित करने पर निम्न प्रकार से ज्यादा जोर दे रहा है :—

- सीधी खरीद और बिक्री;
- संयुक्त उद्यमों और वित्तीय सहायता के जरिए वशवर्ती आपूर्ति स्रोतों का विकास;
- निजी व्यापार के लिए खाद्य तेलों का आयात;
- सोने का आयात तथा स्वर्ण आभूषणों का निर्यात;
- घरेलू बाजार में एस.टी.सी. के अपने ब्राण्ड नाम में खाद्य तेलों की बिक्री;
- विदेशी विपणन नेटवर्क को सुदृढ़ करना; तथा
- देश में पत्तन अवस्थापना का विकास।

विवरण

एस.टी.सी. : वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान कारोबार और व्यापार लाभ

मूल्य : करोड़ रु. में
मात्रा : 000 एम. टी. कोष्ठकों में

निर्यात	1993-94		1994-95		1995-96	
मद	बिक्री	व्यापार लाभ	बिक्री	व्यापार लाभ	बिक्री	व्यापार लाभ
1	2	3	4	5	6	7
गैर-सरणीकृत						
कास्टर आयल/बीज	–	–	9.79	0.32	29.62	0.22
जूट की वस्तुएं	2.37	1.14	9.80	0.09	16.17	0.29
चावल	2.60	0.03	18.72	0.67	129.12	1.58
			(22)		(148)	
तम्बाकू	9.14	0.01	1.94	0.01	3.04	Neg.
			(0.5)			
काफी	14.01	0.22	23.80	0.24	29.53	0.22
			(3)			
मसाले	2.23	0.01	1.75	0.04	1.02	0.01
चाय	17.23	0.64	5.58	0.18	5.24	0.20
			(0.7)			
निस्सारण	63.25	(–) 3.62	10.40	(–) 2.11	82.10	(–) 0.52
आनाज (गेहूं)	0.15	0.08	16.07	1.13	19.35	0.16
			(34)			
अन्य (सिर्फ विविध कृषिजन्य मदें)	9.32	0.16	3.41	0.03	4.40	0.01
प्राकृतिक रबर	10.35	0.15	–	–	–	–
काजू	33.36	0.18	46.97	0.22	35.13	0.10
चीनी	43.91	0.44	30.46	0.18	17.34	0.09
			(35)			
अल्कोहल	4.94	–	–	–	–	–
खेल-कूद के सामान	4.80	–	6.05	0.01	5.42	–
वस्त्र/आरएमजी/केयर	9.86	0.17	14.63	0.33	21.71	0.33
उपभोक्ता वस्तुएं	8.52	0.12	12.32	0.10	6.59	0.10
इंजी./निर्माण सामग्री	23.79	0.15	32.51	0.40	54.80	0.62
रसायन और दवाएं	40.37	0.66	39.70	0.71	33.44	0.73

1	2	3	4	5	6	7
मांस और समुद्री उत्पाद	2.49	0.01	1.05	0.02	1.56	–
ताजे और संसाधित खाद्य	11.44	0.13	6.82	0.12	6.49	0.07
चमड़े की सामग्री	44.08	0.48	39.83	0.32	40.72	0.34
पीतल की वस्तुएं	–	–	2.19	0.01	0.52	0.02
लघु-योग (गैर-सरणीकृत)	363.21	1.19	363.79	2.72	543.31	4.57
अपतटीय	–	–	65.30	2.91	5.09	0.07
प्रति व्यापार	434.67	1.71	376.53	1.58	201.00	0.92
कुल निर्यात	797.88	2.90	805.62	7.21	749.40	5.56

एस.टी.सी.: वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान कारोबार और व्यापार लाभ

मूल्य : करोड़ रु. में
मात्रा : 000 एम.टी. कोष्ठकों में

आयात मदें	1993-94		1994-95		1995-96	
	बिक्री मूल्य	व्यापार लाभ	बिक्री मूल्य	व्यापार लाभ	बिक्री मूल्य	व्यापार लाभ
1	2	3	4	5	6	7
खाद्य तेल (सरकारी खाता)	60.00	24.41	308.41	19.87	414.33	14.63
खाद्य तेल (एसटीसी खाता)	–	–	–	–	68.51	2.91
खाद्य तेल (केयर/एआईडी)	108.71	5.90	19.88	0.71	20.21 (7)	0.35
अखबारी कागज	36.48	1.55	6.59	0.77	–	(–) 0.01
फैटी एसिड	0.69	0.03	0.01	–	0.35	(–) 0.01
चीनी (सरकारी खाता)	–	(–) 0.02	594.34 (471)	7.28	66.42 (42)	1.88
उर्वरक (सरकारी-खाता)	–	–	–	–	233.10 (309)	1.77
रसायन एवं दवाएं	9.66	(–) 0.10	0.41	(–) 0.02	0.55	Neg.
सामान्य आयात	13.34	0.29	3.25	0.10	40.89	0.83
कृषिजन्य मदें	9.94	0.80	11.25 (12)	0.04	5.08	(–) 0.25
भाखरा के लिए आयात	–	–	20.81	0.05	6.33	0.02
अन्य	0.23	0.05	0.39	0.07	1.42	0.03
कुल आयात	239.05	32.91	965.34	28.87	857.19	22.15

एस.टी.सी. : वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान कारोबार और व्यापार लाभ

मूल्य : करोड़ रु.

घरेलू मदें	1993-94		1994-95		1995-96	
	बिक्री	व्यापार लाभ	बिक्री	व्यापार लाभ	बिक्री	व्यापार लाभ
खाद्य तेल	51.20	2.65	46.29	0.32	22.80	1.24
आयातित कारें	22.91	9.74	28.31	12.87	12.79	6.29
प्राकृतिक रबड़	0.97	(-) 1.51	–	(-) 2.32	–	(-) 0.03
थर्मोप्लास्टिक	–	–	–	–	0.19	(-) 0.21
एच.पी.एस. मूंगफली	2.91	0.05	–	–	–	–
चाय	–	–	8.02	0.30	8.53	0.25
दालें	–	–	4.30	0.30	28.21	0.22
उपहार की खेप	0.98	0.02	2.77	0.04	1.05	0.02
अन्य	0.80	–	0.31	0.03	4.63	0.10
कुल घरेलू	79.77	10.95	90.00	11.54	78.20	7.88
कुल कारोबार	1116.70	46.76	1860.96	47.62	1684.79	35.59

टी.पी. : व्यापार लाभ

टिप्पणी : १. निगम के लेखों को मानक लेखा नीति के अनुसार तैयार किया जाता है। इस प्रकार ऊपर दिए गए लाभप्रदता के आंकड़े, विभिन्न मदों के संबंध में निगम द्वारा अर्जित सकल व्यापार लाभ को दर्शाते हैं। ब्याज, विविध आय और ऊपरी खर्च को लाभ और हानि के लेखों में सम्पूर्ण निगम के लिए जमा किया जाता है। खर्चे में लिखा जाता है।

२. ये आंकड़े, नैगम कार्यालय में शाखाओं के विधिवत लेखा-परीक्षित व्यापार-लेखाओं तथा विभिन्न लेखा-अनुभागों पर आधारित हैं।

३. एस.टी.सी. के पूर्ववर्ती व्यापार विकास सेल द्वारा किए गए व्यापार के संबंध में कारोबार एवं व्यापार लाभ को संबंधित मदों के साथ जोड़ दिया गया है।

आम जनता के लिए कपड़ा

3150. श्री नीतीश भारद्वाज : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन. टी. सी. अथवा देश की किसी अन्य वस्त्र मिल द्वारा ऐसे कपड़े का उत्पादन किया जाता है जिसे आम जनता खरीदने में सक्षम हो;

(ख) ऐसे कपड़े की कितनी किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है तथा यह किस कीमत पर देश की आम जनता को उपलब्ध है;

(ग) क्या देश में गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सस्ते तथा टिकाऊ कपड़े का उत्पादन करने हेतु कपड़ा मिलों को कोई प्रोत्साहन अथवा राजसहायता प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) मिल क्षेत्र में केवल एनटीसी मिलें ही इमदादी दरों पर कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन कर रहीं हैं। एनटीसी द्वारा उत्पादित वस्त्रों की श्रेणी तथा चालू कीमतें निम्न प्रकार हैं :-

धोतियां-16.03 से 21.98 रु. प्रति अदद

साड़ियां-20.10 से 28.51 रु. प्रति अदद

लठ्ठा-15.50 से 31.79 रु. प्रति मीटर

एनटीसी द्वारा उपर्युक्त मदों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई इमदाद निम्न प्रकार हैं :-

धोतियां तथा साडियां	-	1.50 रु. प्रति वर्ग मीटर
लठ्ठा	-	2.00 रु. प्रति वर्ग मीटर

(छ) उपर्युक्त वस्त्र मदों के अतिरिक्त एनटीसी सहित संगठित मिल क्षेत्र वस्त्र मदों का उत्पादन करता है जो कि उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए उपलब्ध हैं। इन मदों के ब्यौरे तथा उनकी खुदरा कीमतें निम्न प्रकार हैं :-

	कपड़ा	किस्में	रु./मी.
(1)	सूती कपड़ा	लठ्ठा	रु. 20.85
		पोपलीन/शर्टिंग	रु. 29.50
		कोटिंग/ड्रिल	रु. 39.55
		साड़ियां	रु. 40.00
		धोती	रु. 29.00
(2)	मिश्रित कपड़ा	पोपलीन/शर्टिंग	रु. 31.60
		ड्रैस मैटीरियल	रु. 37.00
		साड़ी	रु. 41.00
(3)	सिंथेटिक कपड़ा	शर्टिंग पोपलीन	रु. 50.15
		ड्रैस मैटीरियल	
		साड़ी	रु. 44.00

संगठित मिल क्षेत्र द्वारा उपर्युक्त वस्त्रों के उत्पादन के लिए सरकार कोई इमदाद नहीं देती है।

इमारती लकड़ी और प्लाइवुड उद्योग पर प्रतिबन्ध

3151. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इमारती लकड़ी और प्लाईवुड उद्योग पर सामान्यतः देश भर में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रतिबन्ध लगाने के परिणामस्वरूप लकड़ी तथा लकड़ी से बनी वस्तुओं की घरेलू कीमत में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने लकड़ी से बने विभिन्न उत्पादों के देशी और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य-स्वरूप के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 202 (1995) एवं 171 (1996) में दिए गए दिनांक 12.12.1996 के अपने आदेश में यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य के अंतर्गत चल रही आरा मिलों, बिनिअॅर मिलों और प्लाईवुड मिलों की संख्या, उनकी क्षमता तथा टिम्बर के स्रोत का मूल्यांकन करने के लिए दो माह के अन्दर विशेषज्ञ समिति गठित करनी चाहिए तथा एक रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। न्यायालय ने राज्य सरकारों को आरा मिलों और टिम्बर आधारित उद्योग के रूप में राज्य के वनों की सम्पोषणीय क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए, एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है।

विदेशी सहायता

3152. श्री हरिन पाठक : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 में कुल कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई तथा इस संबंध में चालू वर्ष के क्या अनुमान हैं;

(ख) उक्त अवधि में सकल राजस्व प्राप्ति क्या रही;

(ग) उक्त अवधि के प्रमुख कर्ज भुगतान संबंधी आंकड़े क्या हैं तथा यह राजस्व प्राप्तियों के कितने प्रतिशत हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ऋण तथा ऋण संबंधी दायित्व की क्या स्थिति रही तथा पुनर्भुगतान की स्थिति सहित 1997-98 के लिए क्या अनुमान है; और

(ङ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 में घरेलू तथा विदेशी ऋणों के पुनर्भुगतान संबंधी राशि कितनी-कितनी थी तथा यह राजस्व प्राप्तियों का कितने-कितने प्रतिशत थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ङ) सूचना निम्नलिखित सारणी में दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

		1994-95	1995-96	1996-97 (सं. अ.)
1	2	3	4	5
(क)	सरकारी लेखा पर सकल विदेशी सहायता	9530	8710	10645
	नकद और वस्तु अनुदान	916	1064	1087
	ऋण	8614	7646	9558
(ख)	सकल राजस्व प्राप्तियां	155226	179858	211883
(ग) और (घ)	मूलधन की वापसी			
	अदायगी (I + II)	63029	72329	66544

1	2	3	4	5
(i)	आंतरिक ऋण और अन्य दायित्व (इनमें 91 दिनों के राजकोषीय बिलों की चुकौती, प्रारक्षित निधियों और ऐसी जमा राशियां जिन पर ब्याज और उचन्त लेन-देन शामिल नहीं है, को छोड़कर)	57560	65888	59575
(ii)	विदेशी ऋण की वापसी अदायगी	5469	6441	6969
(iii)	(ग) और (ङ) और (ख)* का प्रतिशत	40.6	40.2	31.4

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए सरकारी लेखा पर विदेशी ऋण के मुकाबले बकाया ऋण और वर्ष 1997-98 के लिए अनुमानित ऋण निम्नलिखित है :

	(करोड़ रुपए)
31.3.95 की स्थिति के अनुसार	142525
31.3.96 की स्थिति के अनुसार	148595
31.3.97 की स्थिति के अनुसार (अनु.)	151184
31.3.98 की स्थिति के अनुसार (अनु.)	153619

वर्ष १९९७–९८ के दौरान अनुमानित (ब. अ.) वापसी अदायगी ७४६४ करोड़ रु. है।

* आंतरिक और विदेशी ऋण के मूलधन की वापसी अदायगी नवीन उधारों से होगी, इसलिए यह ऋणों से अधिक है। यह वर्तमान राजस्व प्राप्तियों से पूरा नहीं किया जाएगा।

भारतीय रिजर्व बैंक की ब्याज दरें

3153. **श्री विजय पटेल :**

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक आवास एवं शहरी विकास बैंक निगम इत्यादि जैसे संस्थानों के लिए समय-समय पर ब्याज दरों की घोषणा करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित ब्याज दरों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि 12 सितम्बर, 1995 से आवास वित्त एजेंसियों को मध्यवर्ती एजेंसियों की श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया गया था और बैंकों से अंतिम हिताधिकारियों को उधार देने के लिए मध्यवर्ती एजेंसियों को दिए गए आवास वित्त संबंधी 2 लाख रुपए से अधिक के अग्रिमों की श्रेणी में ऋण की सीमाओं के लिए अपनी संबंधित प्राथमिक उधार दरों से 1.5 प्रतिशत बिन्दु कम पर नियत ब्याज दर प्रभारित करने के लिए कहा गया था। जहां तक हुडको (एचयूडीसीओ) का संबंध है, इसके ब्याज दर का निर्णय इसके निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तथापि, इडब्ल्यूएस/एलआईजी हाउसिंग स्कीम और कार्ययोजना स्कीम की उधार की दर के बारे में शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत शक्ति प्राप्त समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

अप्रवासी भारतीयों के को-आपरेटिव बैंकों में खाते

3154. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रवासी भारतीयों द्वारा विदेशी मुद्रा में भेजी गई रकम का लेन-देन करने के लिए को-आपरेटिव बैंक को अनुमति देने संबंधी केरल का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3155. **श्री परस राम मेघवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष के आरम्भ में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम के रूप में 25 प्रकाशित धनराशि के बजटीय संसाधनों का प्रावधान किया है जिसे विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निर्धारित से अधिक समय और लागत न आने पर उनके कार्यान्वयन-व्यय में समायोजित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी परियोजनाओं के लिए राजस्थान राज्य सरकार को अग्रिम धनराशि जारी कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) वर्ष 1994-95 के पश्चात् राजस्थान सरकार को जारी की गई अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपए)

1994-95	32.77
1995-96	46.60

वर्ष 1996-97 के दौरान बजटीय व्यवधानों के कारण राज्य को कोई अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी नहीं की गई।

राष्ट्रीयकृत बैंकों को स्थानान्तरण संबंधी दिशा-निर्देश

3156. श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् किसी एक शाखा/कार्यालय/क्षेत्र से किसी अन्य शाखा/कार्यालयों/क्षेत्रीय जोन आदि में स्थानान्तरण करने संबंधी निदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या इस प्रकार का स्थानान्तरण करते समय प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकारी एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों/नेताओं को किसी प्रकार की छूट दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो दिए गए निर्देशों का इस प्रकार किए जाने वाले उल्लंघनों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) बैंक कर्मचारियों का स्थानान्तरण बैंक का प्रबन्धकीय कार्य है। अतः स्थानान्तरण/स्थानान्तरण से छूट, प्रत्येक बैंक की प्रशासनिक तत्कालिक आवश्यकता के आधार पर बैंक द्वारा प्रदान की जाती है।

तथापि, सरकार ने बैंकों को सलाह दी है कि वे अपने स्टाफ के आवधिक चक्रानुक्रम (रोटेशन) की समीक्षा करें तथा उन्हें एक ही शाखा/कार्यालय में अत्यधिक लम्बे समय तक न रहने दें। यह भी कहा गया कि अधिकारियों व एवार्ड स्टाफ को एक ही स्थान पर सामान्य रूप से क्रमशः तीन व पांच वर्षों से अधिक नहीं रहने देना चाहिए तथा किसी भी मान्यता प्राप्त अधिकारी संघ के पदाधिकारियों को स्थानान्तरण से छूट नहीं प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

3157. श्री मुनव्वर हसन : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1997 के "दैनिक जागरण" में "विदेशी पूंजी निवेश के दुष्परिणाम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक उदारीकरण नीति संबंधी घोषणा के बाद देश में लक्ष्य के अनुसार विदेशी पूंजी निवेश हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में एशियाई विकास बैंक द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और विदेशी पूंजी निवेश का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कपड़ा मिलों का बंद होना

3158. श्री मोहन रावले : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम की कुछ कपड़ा मिलों को बंद करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुंबई की कुछ कपड़ा मिलों का अन्य कपड़ा मिलों में विलय का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) मुम्बई स्थित एन टी सी अधीन किसी भी मिल को सीधे बंद करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जहां तक मुम्बई में एन टी सी मिलों का संबंध है वस्त्र अनुसंधान द्वारा तैयार की गई आधुनिकीकरण योजना में 8 गैर-अर्थक्षम मिलों को 9 अर्थक्षम मिलों में मिलाने की व्यवस्था है। मिलाई जाने वाली मिलों तथा परिणामी एककों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :--

मिलाई जाने वाली मिलें	परिणामी अर्थक्षम एकक
1. इंदु मिल्स नं.-3	1. इंदु मिल्स नं.-3
2. इंदु मिल्स नं. 4	2. इंदु मिल्स नं. 4
3. इंदु मिल्स नं. 2	
4. इंदु मिल्स	3. मुंबई मिल्स
5. न्यू हिंदू मिल्स	
6. भारत मिल्स	4. भारत मिल्स
7. जुपीटर मिल्स	
8. गोल्ड मोहर मिल्स	5. गोल्ड मोहर मिल्स
9. एलीफिशटन मिल्स	
10. कोहिनूर मिल्स नं. 1	6. कोहिनूर मिल्स नं. 1
11. कोहिनूर मिल्स नं. 2	
12. कोहिनूर मिल्स नं. 3	
13. टाटा मिल्स	7. टाटा मिल्स
14. जाम मिल्स	
15. न्यू सिटी मिल्स	8. न्यू सिटी मिल्स
16. मधूसूदन मिल्स	
17. पोद्दार मिल्स	9. पोद्दार मिल्स
18. सीताराम मिल्स	

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना

3159. श्री सुखलाल कुशवाहा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को ऋण देने संबंधी सीमा निर्धारित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को ऋण देने संबंधी सीमा निर्धारण करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के पास नहीं है।

[अनुवाद]

कपास निर्यात कोटा

3160. श्री मधुकर सरपोतदार : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ के लिए कपास की और दो लाख गांठ का निर्यात कोटे के अंतर्गत जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के मौसम के दौरान 26.12.1996 तक महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उपजकर्ता विपणन परिसंघ लि. को 1 लाख गांठ का निर्यात कोटा आबंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्पादन के प्राक्कलन, उपलब्धता खपत, संभावित बेशी, कीमत की प्रवृतियों आदि सहित सभी संबद्ध कारकों पर ध्यान देने के बाद ही और आबंटन करने पर विचार किया जाएगा।

राज्यों को केंद्र से प्राप्त ऋण

3161. श्री बाजूबन रियान :

श्री बादल चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्तीय रूप से कमजोर पूर्वोत्तर राज्यों को ऋण की अदायगी में छूट देने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) दिनांक 31.12.1996 की स्थिति के अनुसार वित्त मंत्रालय को राज्यों की ओर से बकाया ऋणों को दर्शाने वाले राज्य-वार ब्यौरे विवरण पत्र में संलग्न हैं।

(ख) और (ग) दसवें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी विशेष श्रेणी के राज्यों तथा अन्य तीन राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार तथा उत्तर प्रदेश, जो बहुत अधिक वित्तीय दबावों के अधीन हैं, को विशेष सहायता दिए जाने की सिफारिश की है।

दसवें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई विशेष राहत, वर्ष 1989-95 के दौरान दिए गए ऋणों से संबंधित पुनर्अदायगी बकाया के 5 प्रतिशत और 31.3.1995 को बकाया देयों को बट्टे खाते में डालना है।

विवरण

दिनांक 31.12.96 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के बकाया ऋण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य	31.12.96 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि
1.	आंध्र प्रदेश	10501.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	185.94
3.	असम	3649.91
4.	बिहार	9385.04
5.	गोवा	800.54
6.	गुजरात	9433.40
7.	हरियाणा	3489.34
8.	हिमाचल प्रदेश	1635.14
9.	जम्मू और कश्मीर	2788.51
10.	कर्नाटक	6568.22
11.	केरल	4498.51
12.	मध्य प्रदेश	6232.44
13.	महाराष्ट्र	15565.23
14.	मणिपुर	195.47
15.	मेघालय	228.97
16.	मिजोरम	142.05
17.	नागालैण्ड	241.29
18.	उड़ीसा	4560.64
19.	पंजाब	10460.42
20.	राजस्थान	6765.46
21.	सिक्किम	131.03
22.	तमिलनाडु	8283.94
23.	त्रिपुरा	339.97
24.	उत्तर प्रदेश	20781.56
25.	पश्चिम बंगाल	12708.29
	कुल	139573.01

राज्य बिजली बोर्डों को कोयले की आपूर्ति

3162. **श्री सी. नरसिम्हन :**

श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल :

श्री उत्तम सिंह पवार :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की कोयले से संबंधित उत्पादन और इसका ताप संयंत्रों को वितरण करने के संबंध में कोयला संबंधी नीति क्या है;

(ख) वर्तमान कोयला भंडार की स्थिति क्या है और इसका चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ग) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की वार्षिक कोयला आवश्यकता क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, प्रति राज्य बिजली बोर्ड को कितने कोयले की आपूर्ति की गई है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड के लिए कितने-कितने कोयले का आयात किया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा राज्य बिजली बोर्डों की बढ़ती मांग को पूरा करने और कोयले के आयात को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) वर्तमान में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी द्वारा तथा विद्युत, इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों के यूनिटों द्वारा उपभोग किए जाने हेतु कोयले का उत्पादन किए जाने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे यूनिट, जो खान से धुले हुए कोयले प्राप्त करते हैं, वे भी इसके पात्र हैं। तापीय विद्युत संयंत्रों को कोयले का आवंटन, कोयला मंत्रालय के स्थाई संयोजन समिति (दीर्घावधि) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी.ई.ए.) द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किया जाता है जो कि कोयले की उपलब्धता तथा बहु-मॉडल परिवहन नेटवर्क द्वारा किए जाने वाले कोयले की ढुलाई (हॉलेज) को दृष्टिगत करते हुए किया जाता है। इस समिति में सदस्य के रूप में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय तथा रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। तापीय संयंत्र द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने के बाद, कोयले का तिमाही रूप में आवंटन अपर सचिव, कोयला मंत्रालय की अध्यक्षता में स्थाई संयोजन समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में निम्न के प्रतिनिधि शामिल हैं :—विद्युत मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, औद्योगिक नीति तथा संवर्द्धन मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा कोयला कंपनी। तापीय विद्युत गृहों को कोयले के आवंटन तथा उसके संचलन को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है, इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय स्तर पर 15 दिन में एक बार और रेलवे तथा कोयला कंपनियों द्वारा प्रतिदिन के आधार पर नियमित रूप में प्रबोधन किया जाता है।

31.1.1997 की स्थिति के अनुसार को.इं.लि. तथा सिं.को.कं.लि. के पास अद्यतन विक्रय कोयले का स्टाक 22.794 मि. टन (अनंतिम) है। देश में 1996-97 के दौरान कोयले का अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

(मि. टन में)

को. इं. लि.	252.00
सिं. को. कं. लि.	30.20
टिस्को/इस्को/डी. वी. सी.	6.45
जोड़	288.65

(ग) वर्ष 1993-94, 1994-1995 तथा 1995-96 के दौरान कोयले की राज्य विद्युत बोर्ड-वार मांग तथा आपूर्ति संबंधी ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पास उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (त. वि. बोर्ड) द्वारा कोयले का आयात किया गया है। 1993-94 से 1995-1996 की अवधि में तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा किए गए आयातों का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

('000 टन में)

वर्ष	त. वि. बोर्ड द्वारा आयातित कोयला
1993-94	168
1994-95	—
1995-96	1826

(ङ) राज्य विद्युत बोर्डों की कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:—

(i) कोल इंडिया लि. का पुनर्गठन किया जाना।

(ii) "ए", "बी", "सी" तथा "डी" ग्रेड के कोयले की कीमतों को विनियंत्रित किया जाना ताकि कोयला कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाया जा सके तथा परिणामतः उत्क्रमित संसाधनों को जुटाया जा सके।

(iii) ग्रहीत उपभोग हेतु कोयला खनन में निजी क्षेत्र द्वारा किए जा रहे निवेशों को अनुमति प्रदान करना।

(iv) सरकार द्वारा हाल ही में, ग्रहीत उपभोग के प्रतिबंध के बिना कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में विचारार्थ एक विधेयक को शीर्घ ही प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 हेतु राज्य विद्युत बोर्ड-वार मांग तथा आपूर्ति

('000 टन में) (डाटा अनंतिम)

विद्युत गृह का नाम	1993-94		1994-95		1995-96	
	मांग	आपूर्ति	मांग	आपूर्ति	मांग*	आपूर्ति
आंध्र प्रदेश राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	8150	8217	9990	9295	11476	12996
असम राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	605	238	370	318	369	402
बिहार राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	3200	3064	3740	2477	3590	2298
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	1770	1465	1840	1668	1666	1769
गुजरात राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	11780	11121	11850	11216	12190	12141
हरियाणा राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	3130	2212	3250	2818	2825	2585
महाराष्ट्र राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	23120	24208	25220	24976	26135	26521
मध्य प्रदेश राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	10822	10582	12430	12541	12625	12915
पंजाब राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	6040	6828	7500	5980	6691	6334
राजस्थान राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	3200	3306	3570	3355	4422	3894
तमिलनाडु राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	9890	9784	9930	10083	11018	10124
उत्तर प्रदेश राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड	12674	12080	13780	12363	15716	14666
वेस्ट बंगाल राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड और डब्लू.बी.पी.डी.सी.	6625	5758	6480	6293	6700	6708
उड़ीसा राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (तलचर)	1320	1403	1580	1207	(अब एन.टी.पी.सी. द्वारा अपने अधीन ले लिया गया है)	
रायचुर टी.पी.एस.	3010	2741	2870	3095	3748	3638

टिप्पणी : उपर्युक्त सूची में एन.टी.पी.सी., डी.वी.सी., डी.पी.एल. के विद्युत गृह तथा सी.ई.एस.सी., आदि जैसे निजी विद्युत गृह शामिल नहीं हैं।

*सहमति हुई मांग

सरकारी कर्मचारियों का अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण

3163. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बार काउंसिल आफ इंडिया ने सभी राज्य बार काउंसिलों को सरकारी कर्मचारियों, जो विधि अधिकारी नहीं हैं, को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निदेशों को जारी किए जाने से पूर्व दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य के रूप में पंजीकृत सरकारी कर्मचारियों की सदस्यता को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने ऐसे पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जो विधि अधिकारी नहीं हैं, के नामांकन किए जाने के विरुद्ध सभी राज्य विधिज्ञ परिषदों को अपने नियम 49 को कड़ाई से लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का जो नियोजन में हैं, और विधि अधिकारी नहीं है, नामांकन किया गया हो।

[हिन्दी]

कोयले की कीमत

3164. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने से पहले इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत थे;

(ख) राष्ट्रीयकरण किए जाने के एक दशक बाद इसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी थी तथा इस समय इनकी कुल संख्या कितनी है;

(ग) कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से पहले विभिन्न श्रेणी के कोयले के प्रति मीट्रिक टन कीमत क्या थी और आज क्या है; और

(घ) इसका राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद कितनी बार कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) अकोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय (अर्थात् 1.5.1973 की स्थिति के अनुसार) श्रमशक्ति 5,21,167 थी तथा कोल इंडिया लि. के गठन की तारीख अर्थात् 1.11.75 की स्थिति के अनुसार यह संख्या 6,05,979 थी।

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किए जाने के एक दशक बाद तथा वर्तमान में कामगारों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :—

पहले दशक अर्थात् 1983	6,46,318
वर्तमान में, अर्थात् 1.2.1997 की स्थिति के अनुसार	6,29,564

(ग) विभिन्न ग्रेडों के कोयले, जिसमें कोककर तथा अकोककर दोनों ही शामिल हैं, की कीमतें नीचे दी गई हैं :—

30.1.1973 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीयकरण से पूर्व अकोककर कोयले की प्रति टन दर

ग्रेड	स्टीम	स्लैक
I	34.26	33.23
II	31.59	30.54
III ए	30.04	29.06
III बी	28.89	27.89

राष्ट्रीयकरण से पूर्व दर (रुपए प्रति टन में) जो कि कोककर कोयले के संबंध में 19.10.1971 को चल रही थी

विशेष-एस.जी.	45.00
एस.जी. I	42.09
एस.जी. II	39.87
डब्ल्यु.जी. I	38.48
डब्ल्यु.जी. II ए	37.35
डब्ल्यु.जी. II बी	36.23
डब्ल्यु.जी. III ए	35.73
डब्ल्यु.जी. III बी	35.23
डब्ल्यु.जी. IV ए	34.23
डब्ल्यु.जी. IV बी	33.23
डब्ल्यु.जी. V ए	31.73
डब्ल्यु.जी. V बी	30.23

विभिन्न ग्रेड के कोयले की प्रति मीट्रिक टन की अद्यतन कीमत संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) अकोककर कोयले के संबंध में दिनांक 30.1.73 के बाद से मूल कीमत में 14 बार संशोधन किया गया जबकि कोककर कोयले के मामले में 19.10.71 के बाद से इसकी कीमत में 15 बार संशोधन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विनियंत्रित ग्रेडों के अकोककर कोयले, अर्थात् "ए", "बी", "सी" ग्रेड तथा कोककर

कोयले की कीमतों में 1996 के दौरान 2 बार संशोधन किया गया है।

उपर्युक्त कीमत में की गई वृद्धि के अतिरिक्त, कोककर तथा अकोककर दोनों ही प्रकार के कोयले की कीमतों में निम्नलिखित तारीखों को 5 बार वृद्धि की अनुमति प्रदान की गई :—

18.7.1979

8.2.1983

4.7.1986

1.8.1991

29.12.95

विवरण

20.10.96 से प्रभावी कोयले का मूल कीमत/मि. टन.

श्रेणी	ग्रेड	आकार	ई को लि मुग्मा	ई को लि रानीगंज	ई को लि एसपी खान	ई को लि सालनपुर	ई को लि राजमहल	भा को लि	से को लि	म को लि	ना को लि	साई को लि	वे को लि	ना ई को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
लम्बी लौह		स्टीम	—	1088	1068	—	—	—	1068	—	—	1068	—	—
		स्लैक	—	1028	1028	—	—	—	1028	—	—	1028	—	—
ईकोलि के "ए"		आरओएम	—	1017	1017	—	—	—	1017	—	—	1017	—	—
108 खानों														
में उत्पादित		स्टीम	—	986	986	—	—	—	986	—	—	986	—	—
अकोककर		स्लैक	—	931	931	—	—	—	931	—	—	931	—	—
कोयला		आरओएम	—	920	920	—	—	—	920	—	—	920	—	—
और "बी"														
साईकौलि के			स्टीम	—	834	834	—	—	—	834	—	—	834	—
—														
76 खान		स्लैक	—	779	779	—	—	—	779	—	—	779	—	—
(19.10.96)														
के परिपत्र "की"		आरओएम	—	768	768	—	—	—	768	—	—	768	—	—
सं. कोई लि./		स्टीम	944	984	984	944	—	944	984	908	944	984	1011	—
सीएमओ/		स्लैक	984	934	984	984	—	934	934	896	934	934	1001	—
सी एंड सी "ए"														
कीमत/572		आरओएम	924	924	924	924	—	924	924	888	924	924	996	—
लम्बी लौह														
(अकोककर)		स्टीम	856	896	896	856	—	856	896	828	856	896	960	—
जो कि "बी"		स्लैक	846	846	846	846	—	846	846	818	846	846	950	—
उपर्युक्त		आरओएम	836	836	836	896	—	836	836	808	836	836	940	—
विनिर्दिष्ट														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
खानों से		स्टीम	718	758	758	718	–	718	758	691	718	758	675	–
अतिरिक्त है	"सी"	स्लैक	708	708	708	708	–	708	708	681	708	708	665	–
		आरओएम	698	698	698	698	–	698	698	671	698	698	655	–
		स्टीम	486	486	486	486	–	486	486	486	486	486	665	–
	"डी"	स्लैक	472	472	472	472	–	472	472	472	472	472	655	
		आरओएम	466	466	466	466	–	466	466	466	456	466	645	–
गैर		स्टीम	884	924	924	884	–	884	924	848	884	924	956	–
लम्बी	"ए"	स्लैक	874	874	874	874	–	874	874	838	874	874	946	–
फ्लैम		आरओएम	864	864	864	864	–	864	864	828	864	864	936	–
		स्टीम	796	836	836	796	–	796	836	768	796	836	900	–
	"बी"	स्लैक	786	786	786	786	–	786	786	758	786	786	890	–
		आरओएम	776	776	776	776	–	776	776	748	776	776	880	–
		स्टीम	658	698	698	658	–	658	658	631	658	658	815	–
	"सी"	स्लैक	648	648	648	648	–	648	648	621	648	648	805	–
		आरओएम	638	638	638	638	–	638	638	611	638	638	795	–
		स्टीम	426	426	426	426	568	426	426	426	426	426	604	–
	"डी"	स्लैक	412	412	412	412	555	412	412	412	412	412	500	–
		आरओएम	406	406	406	406	549	406	406	406	406	406	584	–
		स्टीम	342	342	342	342	485	342	342	342	342	342	506	–
	"ई"	स्लैक	328	328	328	328	471	328	328	328	328	328	492	–
		आरओएम	322	322	322	322	465	322	322	322	322	322	486	–
		स्टीम	277	277	277	277	420	277	277	277	277	277	425	–
	"एफ"	स्लैक	263	263	263	263	406	263	263	263	263	263	411	–
		आरओएम	257	257	257	257	400	257	257	257	257	405	257	–
		स्टीम	203	203	203	203	346	203	203	203	203	203	325	–
	"जी"	स्लैक	189	189	189	189	332	189	189	189	189	189	311	–
		आरओएम	183	183	183	183	326	183	183	183	183	183	305	–
अर्द्ध-		स्टीम	1044	1044	1044	1044	–	1044	1044	1044	1044	1044	1044	–
कोककर	ग्रेड-I	स्लैक	1034	1034	1034	1034	–	1034	1034	1034	1034	1034	1034	–
		आरओएम	1024	1024	1024	1024	–	1024	1024	1024	1024	1024	1024	–
		स्टीम	868	868	868	868	–	868	868	868	868	868	868	–
	ग्रेड-II	स्लैक	858	858	858	858	–	858	858	858	858	858	858	–
		आरओएम	848	848	848	848	–	848	848	848	848	848	848	–
भाकोकोलि		स्टीम	–	–	–	–	–	1476	–	–	–	–	–	–
के 9 विशिष्ट को लि. में		स्लैक	–	–	–	–	–	1466	–	–	–	–	–	–
उत्पादित प्रत्यक्ष फीडकोयला		आरओएम	–	–	–	–	–	1456	–	–	–	–	–	–
अवगीकृत कोयला (राख 25% से अधिक नहीं)			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	741

तालिका-II (कोककर कोयला)

बिक्री की कीमत प्रति मी.ट. (रु.)

सहायक कंपनियां	कोयले का ग्रेड	स्टीम कोयला तथा रबल	स्लैक कोयला तथा वाशरी मिडलिंग्स	रन-आफ-माइन कोयला
भा.को.	कोंककर कोयला :			
को. लि.	इस्पात ग्रैड-I	1488	1478	1468
	इस्पात ग्रैड-II	1246	1236	1226
	वाशरी ग्रैड-I	1082	1072	1062
	वाशरी ग्रैड-II	900	890	880
	वाशरी ग्रैड-III	670	660	650
	वाशरी ग्रैड-IV	625	615	605
से.को.लि.	—कोककर कोयला :			
सा.ई.				
को.लि.—	वाशरी ग्रैड-I	1044	1034	1024
ई.को.	वाशरी ग्रैड-II	868	858	848
लि.	वाशरी ग्रैड-III	647	637	627
	वाशरी ग्रैड-IV	604	594	584
वे.को.	कोककर कोयला :			
लि.	वाशरी ग्रैड-I	1044	1034	1024
	वाशरी ग्रैड-II	868	858	848
	वाशरी ग्रैड-III	785	775	765
	वाशरी ग्रैड-IV	648	638	628

[अनुवाद]

भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार संबंध

3165. डा. कृपा सिंधु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-दक्षिण कोरिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार संबंध बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में भारत-दक्षिण कोरिया के मध्य व्यापार संबंध स्थापित हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है तथा आगामी वर्षों में दोनों देशों के मध्य कितना द्विपक्षीय व्यापार बढ़ने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार तीव्र गति से बढ़ रहा है जैसा कि नीचे दिए गए द्विपक्षीय व्यापार आंकड़ों से स्पष्ट है :—

(लाख रु. में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1994-95	99547.48	192435.41
1995-96	147485.87	266006.13

दक्षिण कोरिया को भारत से निर्यातित प्रमुख मदों में शामिल हैं—सूती यार्न, लौह अयस्क, खली, छिलका उतरा हुआ चावल, रसायन एवं भोज सामग्री, इलैक्ट्रीकल मशीनरी और उपकरण, मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण। दक्षिण कोरिया से भारत द्वारा आयातित प्रमुख मदें हैं—मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण, इलैक्ट्रानिक मदें, जहाज एवं नावों समेत इंजीनियरिंग उत्पाद, स्वचालित संघटक, प्लास्टिक और

इससे बनी वस्तुएं, वस्त्र तथा लौह एवं इस्पात की वस्तुएं, मौजूदा द्विपक्षीय व्यापार के स्तर को और अधिक विस्तृत करने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था के जरिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं—संयुक्त आयोग आर्थिक सहयोग समिति, संयुक्त व्यापार समिति की बैठकें आयोजित करना और साथ ही शिष्टमण्डलों के आदान-प्रदान, प्रदर्शनियों एवं व्यापार मेलों में भागीदारी आदि।

वर्ष 2000 तक दोनों देशों के बीच दो तरफा व्यापार के लिए 5 बिलियन अमरीकी डालर का एक लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में पारस्परिक सहमति हुई है।

कपास का निर्यात

3166. श्री सनत मेहता :

श्री शान्तिलाल पुरषोत्तम दास पटेल :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के बारे में मूल्य संबंधी तंत्र क्या है;

(ख) क्या देश में कपास का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम है; और

(ग) यदि हां तो कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) भारत में रुई का विपणन अधिकांशतः कपास (बिनौलों) के रूप में होता है। उपजकर्ता कपास को बेचने के लिए कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) के परिसरों में लाते हैं। एपीएमसी के बाजार में एपीएमसी द्वारा कपास की नीलामी का आयोजन किया जाता है तथा नीलामी में विभिन्न क्रेता भाग लेते हैं। रुई की क्रय कीमतें बोलियों द्वारा तय की जाती हैं। कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार सभी संबद्ध कारकों पर विचार करने के बाद न्यूनतम समर्थन कीमत निर्धारित करती है।

(ख) जब कि घरेलू बाजार कीमतें, न्यूनतम समर्थन कीमतों से काफी ऊपर चल रही हैं, फिर भी ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों से कम हैं।

(ग) सरकार द्वारा कपास उपजकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए उठाए जा रहे कदम निम्न अनुसार हैं :—

(1) सरकार ने वर्ष 1996-97 के रुई मौसम के दौरान कपास की 12.20 लाख गांठों का कोटा पहले से ही रिलीज कर दिया है।

(2) भारतीय कपास निगम कपास उपजकर्ताओं को सहायता देने के लिए तेजी से खरीदारियां कर रहा है।

(3) वर्ष 1996 में 40 तथा उससे कम काउंटों के सूती यार्न के निर्यात की उच्चतम सीमा 80 मि.कि.ग्रा. से बढ़ाकर 120 मि.कि.ग्रा. की गई थी।

(4) कपास को चुनिन्दा ऋण नियंत्रण से हटा दिया गया है।

(5) कपास उपजाने वाले राज्यों में कृषि मंत्रालय द्वारा गहन कपास विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) क्रियान्वित किया जा रहा है।

(6) भारतीय कपास निगम कपास उपजकर्ताओं की सहायता के लिए विस्तार तथा विकास संबंधी कार्यकलाप भी करता है।

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

3167. श्री महेंद्र सिंह भाटी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल कितनी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण किया गया है;

(ख) 1997-98 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितनी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कम्प्यूटरीकरण पर कितना खर्च होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

स्वरोजगार योजना के लिए ऋण

3168. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री शिवराज सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वरोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को दिए गए ऋण का भलीभांति उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ख) इन ऋणों की समय पर वसूली को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय करने का विचार किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत दिए गए ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अग्रिम राशि के रूप में माने जाते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र के लिए मौजूदा मार्गनिर्देशों के तहत मंजूर की गई ऋण-राशि का संवितरण यथासंभव माल/निविष्टियों आदि के आपूर्तिकर्ताओं को सीधे किया जाना है। कार्यशील पूंजी का अंश वास्तविक आवश्यकता के आधार पर जारी किया जाना है और ऋण-खाते की आवधिक रूप से पुनरीक्षा की जानी है। बैंकों द्वारा संवितरण के पश्चात् आवधिक रूप से उसकी निगरानी की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋणकर्ता ने आस्तियों का सृजन किया है/अपेक्षित क्रिया-कलाप जारी रखा है। प्रधान मंत्री रोजगार योजना के मार्गनिदेशों में यह व्यवस्था है कि ऋणों की वापसी अदायगी उद्यम की प्रकृति एवं लाभप्रदता पर निर्भर करते हुए उसे 7 वर्षों में 6-18 महीनों के प्रारंभिक ऋण स्थगन के बाद से प्रारंभ करके किस्तों में की जाएगी। वापसी अदायगी कार्यक्रम केवल मीयादी ऋण के लिए

ही बनाया जाना है। ऋणों की वसूली संबंधित बैंकों का उत्तरदायित्व है और वे सामान्य वसूली उपाय करते हैं। तथापि, राज्य सरकार/जिला समितियां भी ऋण वसूली की निगरानी करती हैं और उसमें सहायता करती हैं।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियां

3169. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक कम्पनियां भारतीय जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना के अंतर्गत अपने कर्मचारियों से वसूल की गई प्रीमियम राशि के भुगतान में गलतियां करती हैं;

(ख) क्या इन गलतियों के रहते हुए उन कर्मचारियों जिनका बीमा किया गया है को बीमा पालिसी के लाभ और प्रीमियम राशि से भी वंचित रहना पड़ता है;

(ग) क्या बीमित कर्मचारियों को होने वाले इस प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि ऐसे मामले सामने आए हैं जहां वेतन बचत योजना के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारियों के वेतन में से प्रीमियम की रकम लेने के पश्चात् नियोजक ने संबंधित शाखा कार्यालयों को जो इन पालिसियों को चलाते हैं, इसमें प्रीमियम की रकम प्रेषित नहीं की है। प्रीमियम की रकम प्रेषित करने में हुई चूक के परिणामस्वरूप यदि मृत्यु के समय पालिसी व्यपगतता की स्थिति में पाई जाती है, तो बीमित कर्मचारी को बीमा कवच का लाभ प्राप्त नहीं होता। फिर भी, ऐसे मामलों में, बीमित कर्मचारी को इस प्रकार की व्यपगतता तक अदा की गई प्रीमियम की राशि का नुकसान केवल तभी होता है तब *बीमा अधिनियम की धारा 113 की शर्तों तथा बीमा नीति के अनुसार पालिसी शर्तों पर चुकता मूल्य प्राप्त न किया हो।*

(ग) और (घ) कर्मचारियों के वेतनों में से एकत्रित किए गए प्रीमियम को जमा करने में नियोजक की ओर से हुई चूक के मामले में, जीवन बीमा निगम की प्रक्रिया में यह निर्धारित है कि मामले को संबंधित शाखा कार्यालय द्वारा आगे चलाया जाएगा ताकि बिना देरी किए नियोजक से राशि प्राप्त की जा सके। इस प्रक्रिया में उन मामलों से सम्बन्धित कर्मचारियों को सूचित करते हुए वेतन बचत योजना को बन्द करने की भी व्यवस्था है जहां नियोक्ता अपने कर्मचारियों के वेतन से प्रीमियम की वसूली करने के बाद उस राशि को जीवन बीमा निगम को प्रेषित करने में बराबर चूक करता है।

[हिन्दी]

वस्त्र मिलें

3170. डा. सत्यनारायण जटिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 तथा 1996-97 के दौरान देश में निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत वस्त्र मिलों की संख्या कितनी थी तथा उनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन वस्त्र मिलों द्वारा कितने कपड़े का उत्पादन किया गया; और

(ग) वस्त्र मिलों को फिर से चलाने हेतु वर्तमान नीति क्या है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1990-91 तथा 1996-97 (31.12.96 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन देश में चल रही सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलों (कताई तथा मिश्रित) की संख्या तथा उनमें कार्यरत कामगारों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		निजी क्षेत्र	
	मिलों की संख्या	नामावली पर कामगारों की संख्या	मिलों की संख्या	नामावली पर कामगारों संख्या	मिलों की संख्या	नामावली पर कामगारों की संख्या
1990-91	123	183236	65	112868	764	709090
1996-97 (31.12.96 तक की स्थिति के अनुसार)	122	125202	66	92599	1259	701802

(ख) वर्ष 1990-91 तथा 1995-96 के दौरान उपर्युक्त मिलों द्वारा उत्पादित कपड़े की मात्रा (नवीनतम उपलब्ध स्थिति) निम्न प्रकार थी :—

	1990-91	1995-96
		(मि. वर्ग. मी.)
केन्द्रीय सरकार की मिलें	668	259
राज्य सरकार की मिलें	335	118
निजी क्षेत्र की मिलें	1586	1351

(वर्ष 1996-97 के लिए आकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

(ग) भारत सरकार ने रूग्ण तथा संभावित रूग्ण कम्पनियों की समय पर पहचान करने तथा विशेषज्ञों के बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा प्रतिरोधी, सुधारक, उपचारी तथा अन्य उपाय जो कि ऐसी कम्पनियों के संबंध में किए जाने आवश्यक हैं का शीघ्र निर्धारण करने की व्यवस्था करने के लिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम (एस आई सी ए) 1995 बनाया था तथा औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) की स्थापना की थी।

उड़ीसा में कपड़ा मिलें

3171. श्री शिवराज सिंह

श्री विजय कुमार खण्डेलवाल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कुल कितनी कपड़ा मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें घाटे में चल रही हैं और बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी कपड़ा मिलें बंद हुई हैं;

(घ) क्या घाटे में चल रही मिलों को निजी क्षेत्र को बेचने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन मिलों के पुनरूद्धार और आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) 31.12.1996 तक की स्थिति अनुसार उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य में क्रमशः 15 तथा 52 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलें थीं।

(ख) मंत्रालय में घाटे पर चल रही मिलों तथा बंद होने की कगार पर खड़ी मिलों की जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, उड़ीसा में 3 सूती/मानव निर्मित फाइबर मिलों तथा मध्य प्रदेश में ऐसी 4 मिलों को 31.1.1997 तक की स्थिति अनुसार औद्योगिक तथा पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत किया गया था।

(ग) (1) पिछले तीन वर्षों (जनवरी-1994 से दिसंबर, 1996 तक) के दौरान उड़ीसा राज्य में कोई भी मिल बंद नहीं थी।

(2) पिछले तीन वर्षों (अर्थात् जनवरी, 1994 से दिसंबर, 1996 तक) के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में दो मिलें बंद पड़ी थीं।

(घ) और (ङ) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(च) केन्द्रीय सरकार ने देश में बंद पड़ी रूग्ण वस्त्र मिलों को पुनरुद्धार करने के लिए विगत में कुछ कदम उठाए थे। ये कदम निम्नानुसार हैं :—

(1) कमजोर लेकिन अर्थक्षम एककों के लिए पुनर्वास पैकेज बनाने के लिए जून, 1985 की वस्त्र नीति के अनुसरण में एक नोडिए अभिकरण की स्थापना की गई थी।

(2) वस्त्र उद्योग की आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जून, 1985 की वस्त्र नीति के अनुसार 750 करोड़ रु. की धनराशि से वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना का सृजन किया गया था ताकि उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।

(3) सरकार ने रुग्ण तथा संभाव्य रूप से रूग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने तथा ऐसी कंपनियों के लिए किए जाने वाले निषेधात्मक, सुधारात्मक, उपचारी तथा अन्य उपायों का विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा तेजी से निर्धारण करने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की थी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं

3172. श्री अनंत कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की स्थानवार कितनी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रहा और बैंकवार एवं स्थानवार कितनी शाखाएं वास्तव में खोली गईं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1990-95 के शाखा विस्तार कार्यक्रम के तहत, यह निर्णय लिया गया था कि बैंक कार्यालयों में भावी वृद्धि, कार्यालयों के लिए सुप्रमाणित आवश्यकता और प्रस्तावित शाखाओं की अर्थ क्षमता के आधार पर होनी चाहिए। अतः किसी केन्द्र विशेष में शाखा खोलने का निर्णय स्वयं बैंकों के निर्णय पर छोड़ दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1.4.94 से 28.2.97 तक) के दौरान कर्नाटक में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों को शाखाएं खोलने के प्राधिकार जारी किए गए थे उनकी बैंक-वार और स्थिति-वार संख्या संलग्न-विवरण में दी गई है। उपर्युक्त अवधि के दौरान कर्नाटक में खोली गई शाखाओं की बैंक-वार एवं स्थिति-वार संख्या एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1.4.94 से 28.2.97 के लिए कर्नाटक में शाखाएं खोलने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी प्राधिकार पत्र

	बैंक	केन्द्र	जिला
1	2	3	4
1.	केनरा बैंक	सोमसंदरा	बंगलौर
2.	विजया बैंक	बिदार	बिदार
3.	केनरा बैंक	शिवाली उदीपी	दक्षिण कन्नड
4.	केनरा बैंक	मुदुपादु प्रोजेक्ट एरिया, एमआरपीएल	दक्षिण कन्नड
5.	केनरा बैंक	हासन	हासन
6.	पंजाब नेशनल बैंक	कंवर टाऊन	उत्तर कन्नड
7.	बैंक आफ महाराष्ट्र	बंगलौर	बंगलौर
8.	सिंडीकेट बैंक	जायनगर मार्केट काम्प.	बंगलौर
9.	बैंक आफ महाराष्ट्र	बंगलौर	बंगलौर
10.	सिंडीकेट बैंक	बंगलौर	बंगलौर
11.	विजया बैंक	बंगलौर	बंगलौर
12.	केनरा बैंक	मालदेवपुर	बंगलौर
13.	विजया बैंक	कोरमंगल	बंगलौर
14.	विजया बैंक	विजयनगर स्टील प्लांट प्रोजेक्ट	बेल्लेरी
15.	केनरा बैंक	बिजापुर	बिजापुर
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	बंगलौर	बंगलौर
17.	सिंडिकेट बैंक	भुटारामनपट्टी	बेलगांव
18.	पंजाब नेशनल बैंक	एस.जे. कालेज आफ इंजी.	मैसूर
19.	इंडियन बैंक	उडुपी	बंगलौर
20.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	रामनगरम	बंगलौर
21.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	कनकापुरा	बंगलौर
22.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	चामन्ना	बंगलौर
23.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	मागडी	बंगलौर
24.	केनरा बैंक	अहमदाबाद	अहमदाबाद
25.	सिंडीकेट बैंक	बेंगारी के.जी. संघ	हुबली
26.	केनरा बैंक	बंगलौर	बंगलौर
27.	केनरा बैंक	बंगलौर	बंगलौर
28.	विजया बैंक	चिकपेट	बंगलौर
29.	विजया बैंक	पुरी एम.के. चौक	बैकमपाडी
30.	केनरा बैंक	निमनांस	बंगलौर

1	2	3	4
31.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	टुमकुर	टुमकुर
32.	केनरा बैंक	सुलिया	द. कन्नड
33.	केनरा बैंक	मुडापाडु	द. कन्नड
34.	केनरा बैंक	कन्नाकुंते	बंगलौर
35.	केनरा बैंक	हुबरी	द. कन्नड
36.	केनरा बैंक	बंगलौर एसटी एक्स.	बंगलौर
37.	केनरा बैंक	एचडीएमसी हुबली	हुबली
38.	केनरा बैंक	एपीएमसी हसन	हसन
39.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	विजयपुरा-बंगलौर	बंगलौर
40.	केनरा बैंक	बेलगांव	बेलगांव
41.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	हुबली	धारवाड़
42.	केनरा बैंक	बंगलौर	बंगलौर
43.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	तिलकवाड़ी-बेलगांव	बेलगांव
44.	केनरा बैंक	बंगलौर	बंगलौर
45.	केनरा बैंक	बंगलौर	बंगलौर
46.	सिंडिकेट बैंक	हुबली-पी.सी.जे.एस. सेल	हुबली
47.	केनरा बैंक	मंगलौर	द. कन्नड
48.	केनरा बैंक	बंगारपेट	कोलार
49.	केनरा बैंक	हसन	हसन
50.	केनरा बैंक	मैसूर	मैसूर
51.	केनरा बैंक	पीन्या आई टी स्टेज	बंगलौर
52.	पंजाब नेशनल बैंक	राजाजी नगर बंगलौर	बंगलौर
53.	केनरा बैंक	बंगलौर	बंगलौर
54.	पंजाब नेशनल बैंक	के.आर. मार्केट देवनगिरि	चित्रदुर्ग
55.	केनरा बैंक	मंगलौर	द. कन्नड
56.	केनरा बैंक	स्टाक एक्स. बंगलौर	बंगलौर
57.	पंजाब नेशनल बैंक	एस लक्ष्मीलेआउट बी लोर	बंगलौर
58.	इंडियन बैंक	बंगलौर	बंगलौर
59.	सिंडिकेट बैंक	धारवाड़ विजयगिरी	धारवाड़
60.	इंडियन बैंक	बंगलौर	बंगलौर
61.	सिंडिकेट बैंक	बंगलौर	बंगलौर
62.	पंजाब नेशनल बैंक	करवाड़ टाउन	टुमकुर
63.	सिंडिकेट बैंक	मंगलौर	द. कनारा
64.	पंजाब नेशनल बैंक	सुभाष रोड धारवाड़	धारवाड़

1	2	3	4
65.	केनरा बैंक	हरिहर	चित्रदुर्ग
66.	केनरा बैंक	शिमोगा	शिमोगा
67.	विजया बैंक	बंगलौर	बंगलौर
68.	केनरा बैंक	हसन	हसन
69.	सिंडिकेट बैंक	हासपेट	बेलारी
70.	बैंक आफ बड़ौदा	बंगलौर	बंगलौर
71.	कार्पोरेशन बैंक	आरपीसी लेआउट	बंगलौर
72.	बैंक आफ महाराष्ट्र	बंगलौर	बंगलौर
73.	कार्पोरेशन बैंक	बासावेश्वर नगर	बंगलौर
74.	केनरा बैंक	बासावेश्वर नगर	बंगलौर
75.	कार्पोरेशन बैंक	आरकेर गेट	बंगलौर
76.	कार्पोरेशन बैंक	बंगलौर	बंगलौर
77.	कार्पोरेशन बैंक	सहकार नगर	बंगलौर
78.	सिंडिकेट बैंक	होली सैनी स्कूल	बंगलौर
79.	विजया बैंक	बिलेकालहाली	बंगलौर
80.	देना बैंक	बंगलौर	बंगलौर
81.	कार्पोरेशन बैंक	बंगलौर	बंगलौर
82.	कार्पोरेशन बैंक	हेन्नूर बंसवाडी	बंगलौर
83.	केनरा बैंक	बीआईटीपी व्हाइटफील्ड	बंगलौर
84.	केनरा बैंक	बंशानकर	बंगलौर
85.	केनरा बैंक	पदमानाभा मार्ग	बंगलौर
86.	कार्पोरेशन बैंक	कारामंगल	बंगलौर
87.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	बंगलौर	बंगलौर
88.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	आरपीसी बंगलौर	बंगलौर
89.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	हुबली धारवाड़	धारवाड़
90.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	मैसूर	मैसूर
91.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	विजय नगर	बंगलौर
92.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	बेलगांव	बेलगांव
93.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	रामनगरम	बंगलौर
94.	बैंक आफ इंडिया	जय प्रकाश नगर	बंगलौर
95.	बैंक आफ इंडिया	कोल्लेगल	मैसूर
96.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	बंगलौर यहलंका	बंगलौर
97.	बैंक आफ इंडिया	चिकमंगलौर	चिकमंगलौर

हवाला के जरिए टूटे-फूटे सामानों का यूरोपीय देशों को निर्यात

3173. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसंबर, 1996 के "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" में "जंक एक्सपोर्ट इन ए हवाला रूट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या लोहा, बाल्टी, प्लास्टिक के ब्रश और औजार जैसे टूटे-फूटे सामानों का भारी मात्रा में स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल के सदस्य देशों जहां इन्हें हवाला के माध्यम से भुगतान किए जाने हेतु "डम्प" किया जाता है, के माध्यम से पूर्वी यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : *(क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।*

नई कपड़ा मिलें स्थापित करना

3174. श्री राजकेशर सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को नई सहकारी कताई मिलें लगाने और मौजूदा मिलों के विस्तार के लिए वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितनी ऋण/सहायता राशि दी गई है;

(ख) इस ऋण/सहायता से राज्यवार कितनी कताई मिलें लगाई गई हैं और कितनी मिलों का विस्तार किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान नई कताई मिलें कहां-कहां लगाई गई हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को ऋण/सहायता के रूप में 2.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई जिसका विवरण इस प्रकार है :–

वर्ष	नाम/स्थान	कार्यक्रम	दी गई सहायता (लाख रुपयों में)
1994-95	1. तामरालीपाटा सी.एस.एम. लि. पश्चिम बंगाल।	अतिरिक्त अंश पूंजी सहयोग	रुपए 129.00
	2. दक्षिण भारत सी.एस.एम. लि. तमिलनाडु।	मार्जिन मनी सहायता	रुपए 46.00
	3. पश्चिम बंगाल सी.एस.एम.लि., पश्चिम बंगाल।	मार्जिन मनी सहायता	रुपए 25.00
		कुल :	रुपए 200.00
	1995-96-कोई सहायता नहीं दी गई।		

(ग) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को नई कताई मिलों की स्थापना के लिए कोई सहायता नहीं दी गई।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ऋण वसूली संबंधी दायर मामले

3175. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक तथा कारपोरेशन बैंक द्वारा 31 दिसंबर, 1996 तक ऋण वसूली के कितने मामले दायर किए गए;

(ख) इन बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा 1995-96 के दौरान कितने मामलों में ब्याज में छूट दी गई; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन बैंकों में से प्रत्येक द्वारा कुल कितनी राशि की छूट दी गई और वास्तव में कितनी राशि की वसूली की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) की आंकड़ा निगरानी प्रणाली से इस प्रकार की सूचना नहीं मिलती जैसीकि प्रश्न में मांगी गई है। तथापि, बैंकों से एकत्र की गई सूचना निम्नानुसार है :—

बैंक का नाम	31.12.96 तक दायर किए गए मुकदमे	1995-96 के दौरान सुलझाए गए मामले	1995-96 के दौरान दी गई छूट की राशि	1995-96 के दौरान की गई वास्तविक वसूली (रुपए करोड़ में)
सिंडिकेट बैंक	96,357	477	70.23	36.49
केनरा बैंक	1,46,329	163*	59.55*	46.03*
कार्पोरेशन बैंक	14,261	990	1.53	10.05
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	26,69,000	5159	131.00	193.00

*सूचना कैलेण्डर वर्ष 1996 से सम्बन्धित है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

3176. लेफ्टीनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वर्ष 1990 में लगभग 20 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक पहले से इस्तेमाल की गई 'फॉर्ज प्रैस' आयात करने के लिए एक जर्मन फर्म के साथ करार किया था और जर्मन फर्म को 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि के भुगतान के पश्चात् ही उक्त फॉर्ज प्रैस को वर्ष 1995 में आरम्भ किया गया था और इस तरह एक पहले से इस्तेमाल की गई फार्ज प्रैस के लिए कुल 40 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया;

(ख) यदि हां, तो 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने वर्ष 1990 में ही उक्त जर्मन फर्म को 20 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया था और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आपूर्तिकर्ता को पहले ही एक अपरिवर्तनीय साख पत्र प्रदान कर दिया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के किसी अधिकारी द्वारा इस सौदे में रिश्वत के बारे में कोई शिकायत की गई थी; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 'भेल' ने जनवरी, 1990 में सभी अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद 8.05 मिलियन डी.एम. (उस समय 8.06 करोड़ रुपए के समतुल्य) के मूल्य से पुरानी एक फोर्ज प्रैस तथा उसके सम्बद्ध उपस्कर के आयात के लिए एक जर्मन फर्म को क्रयादेश दिया था।

प्रैस मार्च, 1994 में चालू की गई थी। मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1991 के बीच उपस्कर की आपूर्ति के लिए उक्त जर्मन फर्म को 7.51 मिलियन डी.एम. (8.08 करोड़ रुपए) का वास्तविक भुगतान किया गया था जो आपूर्ति के क्षेत्र में परिवर्तन तथा विनिमय दर में परिवर्तन से हुए प्रभाव सहित क्रयादेश-मूल्य के अंदर ही था। उक्त जर्मन फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया गया है।

अतः उक्त जर्मन फर्म को विनिमय दर में परिवर्तन सहित केवल 8.08 करोड़ रु. का भुगतान किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। भेल ने उक्त जर्मन फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया था। प्रेषण के प्रति भुगतान करने हेतु 6.78 मिलियन डी.एम. का साख-पत्र खोला गया था। तथापि, उक्त जर्मन फर्म ने 6.44 मिलियन डी.एम. की साख-पत्र राशि को भुनाया था जो प्रेषित आंशिक परेषण के मूल्य के अनुरूप नहीं थी। देय राशि तथा निकाली गई राशि में अंतर को बाद में उक्त जर्मन फर्म से ब्याज सहित वसूल कर लिया गया था।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) और (च) भेल के एक अधिकारी ने पूर्वोक्त मामले के संबंध में कुछ शिकायतें की हैं और उक्त अधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मध्यक्षेप संबंधी एक आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया है तथा यह मामला न्यायाधीन है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी उक्त मामले में वर्ष 1995 में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। जिसकी जांच की जा रही है। इस संबंध में कंपनी द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सभी आवश्यक सूचना/सहायता दी जा रही है।

असम में टोकलाई चाय प्रयोगात्मक स्टेशन में हड़ताल

3177. श्री विजय हाण्डिक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को असम में जोरहट में टोकलाई चाय प्रयोगात्मक स्टेशन में लगातार दो माह से चल रही हड़ताल की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों का समाधान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) यह सूचना मिली है कि चाय अनुसंधान संघ के अंतर्गत टोकलाई चाय प्रयोगशाला केंद्र, जोरहाट, जो एक निजी निकाय है, के कर्मचारी अन्य मांगों के साथ-साथ चाय अनुसंधान संघ के राष्ट्रीकरण और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमावली को लागू करने की मांग करते हुए विरोध प्रकट कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) चाय अनुसंधान संघ एक निजी निकाय होने की वजह से संघ की प्रबंध परिषद कर्मचारी संघ के साथ वार्ता कर रही है।

[हिन्दी]

गोबर का आयात

3178. श्री एस. पी. जायसवाल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गोबर आयात में वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 और 1995-96 के दौरान कुल कितना गोबर आयात किया गया और इसका मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) और (ख) डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता द्वारा अपनाई जा रही व्यापार वर्गीकरण प्रणाली में गोबर को पृथक रूप से विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि यह मद "अन्य प्राकृतिक पशु एवं सब्जी उर्वरक" नामक जेनेरिक विवरण में कवर होगी। वर्ष 1960-61 तथा 1995-96 के दौरान" अन्य प्राकृतिक पशु एवं सब्जी उर्वरक" के लिए आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं—

मात्रा : टन

कीमत : रुपए

वर्ष	मात्रा	कीमत
1961-61	1037	6,66,864
1995-96	9	10,89,489

(स्रोत : डीजीसीआई एंड एस, कलकत्ता)

[अनुवाद]

कलकत्ता बैंक धोखाधड़ी

3179. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवर्तन निदेशालय को करोड़ों रुपए की कलकत्ता बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के मामलों में तथाकथित शामिल कलकत्ता के कुछ बैंकों के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से जांच की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का उल्लंघन करके विदेशी मुद्रा गैर-आवासीय (एफ.सी.एन.आर.) खातों के प्रति ऋण प्रदान करने/प्राप्त करने के लिए इसमें से दो बैंकों और अन्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

राशिद जिलानी समिति

3180. श्री देवीबक्स सिंह :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में घोटाले रोकने संबंधी कुछ सुझाव राशिद जिलानी समिति द्वारा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में बैंकों को सरकार द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) बैंक घोटालों में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों में आन्तरिक नियंत्रण एवं निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा प्रणाली की पुनरीक्षा करने तथा आवश्यक सुधारों को सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 1995 में पंजाब नैशनल बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री राशिद जिलानी की अध्यक्षता में कार्यदल का गठन किया था। इस कार्य-दल ने सितम्बर 1995 में अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवम्बर 1996 में बैंकों से 25 प्रमुख सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कहा है, जिनके सम्बन्ध में बैंकों को स्वयं निर्णय का अधिकार नहीं दिया गया है। 50 सिफारिशों के सम्बन्ध में मौजूदा नीतियों एवं प्रक्रियाओं को ध्यान में रखने के बाद उनका कार्यान्वयन बैंकों पर छोड़ दिया गया है। शेष चार में से तीन सिफारिशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग से निर्देश जारी किए हैं।

(ग) वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 (जून तक) के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी के लिए दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में तत्काल उपलब्ध सूचना निम्नलिखित है :–

		1994	1995	1996 (जून तक)
1.	दोषी सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	50	33	08
2.	उन कर्मचारियों की संख्या जिन पर बड़ा/छोटा दण्ड लगाया गया	1248	1160	585
3.	पदच्युत/सेवा मुक्त/हटाए गए कर्मचारियों की संख्या	360	301	146

[अनुवाद]

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

3181. श्री मंगत राम शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा सरकार को यह सूचित किया गया है कि नए ऋण तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक कि पहले ही से ऋण-प्राप्त परियोजनाएं पूरी नहीं हो जातीं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से पूरी होने वाली परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेंद्र कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। बैंकों का निधिकरण, क्रियाकलापों का एक दीर्घकालीन कार्यक्रम हैं जिसमें उसी क्षेत्र में निवेशों के आनुक्रमिक सेट शामिल होते हैं। नए ऋणों पर कार्यवाही, जो पहले से चले आ रहे ऋण की अवधि में वृद्धि भी हो सकती है तभी की जाती है जब पूर्ववर्त्ती ऋण सही प्रकार से कार्यान्वित हो रहा हो। नए ऋण का लाभ चल रहे कार्य प्रचालन में प्राप्त किए गए अनुभव से उठाया जा सकता है लेकिन उसे पूर्ववर्त्ती परियोजना के समाप्त होने तक रोका नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त, नई परियोजनाओं में निवेश अनुपूरक होंगे और जरूरी नहीं है कि ये चल रही परियोजनाओं, के आनुक्रमिक हों।

(ग) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के अंतर्गत पूरी की जाने वाली राज्यक्षेत्र की परियोजनाओं की राज्य-वार और ब्यौरे वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त राज्य क्षेत्र की चालू परियोजनाएं

	परियोजना का नाम	समापन का वर्ष	ऋण की राशि (मि. अमरीकी डालर)
1	2	3	4
	असम		
1.	असम ग्रामीण आधारभूत संरचना	31.12.03	126.00
	आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र प्रदेश वानिकी	30.09.09	87.28
2.	हैदराबाद जलापूर्ति और सफाई	31.03.98	95.29
3.	आंध्र प्रदेश प्रथम परामर्शी स्वास्थ्य परि.	31.03.02	142.94

1	2	3	4
	बिहार		
1.	बिहार पठार विकास	30.06.98	126.15
	गुजरात		
1.	गुजरात ग्रामीण सड़कें	31.12.96	99.42
	हरियाणा		
1.	हरियाणा जल संसाधन समेकन	31.12.00	267.20
		31.12.00	27.08
	कर्नाटक		
1.	कर्नाटक ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	31.12.99	103.79
2.	ऊपरी कृष्णा परियोजना-II	31.12.96	169.08
		31.12.96	45.00
	महाराष्ट्र		
1.	महाराष्ट्र सिंचाई-III	31.12.96	187.65
2.	महाराष्ट्र विद्युत	31.12.96	337.33
3.	महाराष्ट्र विद्युत-II	30.6.98	350.00
4.	महाराष्ट्र वानिकी	30.9.98	138.31
5.	महाराष्ट्र ग्रामीण जलापूर्ति	31.12.97	117.27
6.	महाराष्ट्र भूकंप	30.6.97	276.82
7.	तृतीय मुम्बई जलापूर्ति	30.6.96	145.00
8.	मुम्बई मलव्ययन	31.12.02	167.00
9.	मुम्बई मलव्ययन	31.12.02	25.00
	मध्य प्रदेश		
1.	मध्य प्रदेश वानिकी	31.12.99	58.00
	पंजाब		
1.	पंजाब सिंचाई-II	31.3.98	77.56
		31.3.98	93.86
	उड़ीसा		
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	30.0.02	290.90
2.	उड़ीसा विद्युत पुनर्संरचना	31.12.02	350.00
	राजस्थान		
1.	राजस्थान एडीपी	30.9.99	113.41
	तमिलनाडु		
1.	तमिलनाडु कृषि विकास	30.9.98	96.91
2.	तमिलनाडु कृषि विकास	30.9.98	20.00

1	2	3	4
3.	तमिलनाडु पोषाहार-II	31.12.97	77.66
4.	मद्रास जलापूर्ति और मलव्ययन-II	30.6.02	80.50
5.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन	31.3.02	282.90
6.	तमिलनाडु शहरी विकास	30.9.96	264.89
	उत्तर प्रदेश		
1.	उत्तर प्रदेश लवणीय भूमि पुनर्सुधार	31.3.01	61.85
2.	उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा	30.9.00	181.94
3.	उत्तर प्रदेश शहरी विकास	31.3.96	120.90
4.	उत्तर प्रदेश ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई	31.5.02	59.60
	पश्चिम बंगाल		
1.	पश्चिम बंगाल वानिकी	30.9.97	37.08
	बहुराज्यीय		
1.	झींगा और मछली पालन (आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उ. प्र. और प. बं.)	30.6.99	62.58
2.	समेकित जलसंभर विकास (मैदान) (गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान)	31.3.98	65.18
3.	समेकित जलसंभर विकास (पर्वतीय) (हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा)	30.6.97	86.23
4.	द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग (हरियाणा, उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु)	30.6.96	181.64
5.	राज्य सड़क परियोजना (बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान)	30.6.95	108.59
6.	बांध सुरक्षा परियोजना (मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान)	30.9.97	148.88
7.	तकनीकी शिक्षा-II (आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, प. बंगाल, तमिलनाडु, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब)	30.6.99	274.33
8.	तकनीकी शिक्षा-I (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और राजस्थान)	30.6.98	239.49
9.	राष्ट्रीय रेशम पालन (आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, पं. बंगाल)	31.12.96	147.88
10.	कृषि मानव संसाधन विकास (आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और आईसीएआर)	31.12.00	59.50
11.	राष्ट्रीय जल विज्ञान	31.3.02	142.02
12.	राज्य स्वास्थ्य प्रणालियां-II (पंजाब, पं. बंगाल, कर्नाटक)	31.3.02	350.00

आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में तम्बाकू उत्पादकों की समस्या

3182. श्री अजय चक्रवर्ती :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो बड़ी मात्रा में अतिरिक्त उत्पादन के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तम्बाकू कृषक परिसंघ ने अपने अभ्यावेदन में जो कुछ मुद्दे उठाए हैं उनमें शामिल है—ऋण पुनर्भुगतान के तहत रूस को होने वाले निर्यात के कोटे को बढ़ाना, मूल्य सहायता प्रचालन के लिए "मूल्य स्थिरता निधि" का गठन करना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बड़ी मात्रा में तम्बाकू उत्पाद की खरीद करने के लिए कृषकों को सक्षम बनाने के लिए ऋण की राशि बढ़ाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अतिरिक्त प्लेटफार्म खोलना और खलिहानों के रख-रखाव के तरीकों को आधुनिक बनाने के लिए सहायता देना।

(ग) तम्बाकू बोर्ड ने सूचना दी है कि आंध्र प्रदेश में तम्बाकू का उत्पादन प्राधिकृत 83.08 मिलियन कि.ग्रा. फसल की तुलना में 132.50 मि. कि.ग्रा. होने का अनुमान है और कर्नाटक में अनुमानित उत्पादन 36.00 मि.कि.ग्रा. रहा है तथा प्राधिकृत फसल 29.50 मिलि.कि.ग्रा. है। 4 मार्च 1997 की स्थिति के अनुसार वर्ष 1996-97 में तम्बाकू के कृषकों द्वारा प्राप्त औसत मूल्य कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में क्रमशः 53.71 रु. प्रति कि.ग्रा. तथा 38.43 रु. प्रति कि.ग्रा. रहा है और ये मूल्य संबंधित राज्यों के व्यापारियों तथा भुगतान करने के लिए सहमत न्यूनतम गारंटी मूल्य (एमजीपी) से बहुत अधिक है। तम्बाकू कृषकों की मदद करने के लिए कुछेक कदम उठाए गए हैं, उनमें हैं :—

(1) अपना उत्पाद शीघ्र बेचने के लिए आंध्र प्रदेश में 3 अतिरिक्त नीलामी प्लेटफार्म खोलकर कृषकों को सुविधा पहुंचाना।

(2) भारतीय तम्बाकू संघ, निर्यातकों, विनिर्माताओं और अन्य व्यापारियों को उत्पादित तम्बाकू की फसल की खपत करने के लिए नीलामियों में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु आग्रह करना।

(3) तम्बाकू की खरीद करने के लिए न्यूनतम गारंटी मूल्य (एमजीपी) की घोषणा करने के लिए तम्बाकू व्यापारियों के साथ वार्ता करना जो सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से अधिक है।

(4) तम्बाकू की खरीद करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से अधिक ऋण की राशि प्राप्त करने में तम्बाकू व्यापारियों की सहायता करना।

(5) विदेशों में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना और तम्बाकू के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्रेता-विक्रेताओं की बैठकें आयोजित करना।

(6) खलिहानों के ऊर्जा बचत हेतु छत इन्सूलेशन के लिए वित्तीय सहायता देना।

(7) क्योर्ड तम्बाकू की रक्षा के लिए तिरपालों की आपूर्ति।

पश्चिम बंगाल के अप्राधिकृत चाय बागानों में चाय का उत्पादन

3183. श्री अमर राय प्रधान : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के कई अप्राधिकृत चाय बागानों में घटिया किस्म की चाय का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अप्राधिकृत चाय बागानों में उत्पादित की जा रही चाय की गुणवत्ता पर निगरानी रखने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है ताकि हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदनाम न हो ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया) : (क) पश्चिम बंगाल में अप्राधिकृत चाय-बागानों में घटिया किस्म के चाय के उत्पादन के संबंध में चाय बोर्ड को कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जिला स्तरीय गरीबी उन्मूलन परियोजना

3184. श्री के. पी. सिंह देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुनिंदा राज्यों के कुछ जिलों में जिला स्तरीय गरीबी उन्मूलन परियोजना की शुरुआत की जा रही है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ऋण देने के लिए ऐसे जिलों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार या विश्व बैंक द्वारा उन जिलों का राज्य-वार चयन किस आधार पर किया गया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ उड़ीसा के एक भी जिले का चयन न किए जाने के कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) से (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में विश्व बैंक की संभव सहायता से जिला स्तरीय गरीबी उन्मूलन परियोजना अपनी तैयारी की प्रारंभिक अवस्था में है। परियोजना का उद्देश्य गरीबी हटाना और चिरस्थायी विकास के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना और चुनिंदा जिलों की

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा जनजातीय जनसंख्या के लाभ के लिए स्थानीय संस्थागत क्षमता का निर्माण करना है। राज्य सरकारों द्वारा जिलों के चयन का आधार जिलों में गरीबी तथा सामाजिक विकास मानदंड और परियोजना के कार्यान्वयन को सरल तथा सुसाध्य बनाने के लिए कार्य करने वाले वर्गों की उपस्थित रहा था।

(घ) उड़ीसा सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था।

[हिन्दी]

कालीनों का निर्यात

3185. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान निर्यात किए गए सूती तथा ऊनी कालीनों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा इन कालीनों का निर्यात किन-किन देशों को किया गया।

(ख) क्या 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कालीन बुनाई के लिए कच्चे माल का आयात किया गया था।

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) कालीन बुनकरों के कल्याण के लिए कालीन निर्यात को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान, सूती एवं ऊनी कालीनों के निर्यात से अर्जित की गई विदेशी मुद्रा निम्नवत् है :

अर्जित विदेशी मुद्रा (अमरीकी मिलियन डालर में)

मद	1994-95	1995
सूती कालीन	25.92	31.25
ऊनी कालीन	507.36	515.00

इन कालीनों का निर्यात, मुख्य रूप से जर्मनी, आस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, सऊदी अरब, स्विट्जरलैण्ड, नीदरलैण्ड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, जापान आदि देशों को किया जाता है।

(ख) और (ग) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान कालीन बुनाई हेतु आयात की गई कच्ची ऊन ऊमशः 20 व 7 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है तथा सूती कालीनों की बुनाई हेतु कच्चे माल का आयात नहीं किया गया।

(घ) सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित कदमों में शामिल हैं :—

1. रियायती शुल्क दर पर कच्ची ऊन का आयात,
2. कालीन बुनकरों के कौशल को उन्नत करने हेतु बृहत, प्रशिक्षण,
3. बुनकर परिवारों के बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा हेतु स्कूल खोलना,
4. कालीन बुनकरों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने हेतु चिकित्सा सुविधाएं,
5. निर्यात हेतु लदान पूर्व एवं लदान पश्चात् ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना,
6. जहाज-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 8.5 प्रतिशत की दर से शुल्क वापिसी,
7. विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी,
8. छोटे निर्यातकों के लाभार्थ भारत में कालीन एक्सपो का आयोजन,
9. भारतीय कालीनों के प्रदर्शन हेतु गैर परम्परागत देशों में क्रेता-विक्रेता बैठकें।

मालेगाम समिति

3186. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने मालेगाम समिति का गठन किस तारीख को किया था और सरकार द्वारा पाप्त समिति के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है;

(ख) मालेगाम समिति द्वारा की गई सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक समिति की कितनी सिफारिशों को लागू किया गया है अथवा लागू किए जाने का विचार है; और

(घ) शेष सिफारिशों को लागू करने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार) : (क) कंपनियों द्वारा प्रस्ताव दस्तावेजों में प्रकटीकरण मानकों के सुधार के लिए अनुशंसाएं करने हेतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मार्च, 1995 में श्री वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने 29 जून, 1995 को सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) मालेगाम समिति की प्रमुख अनुशंसाएं हैं :—

(i) निर्गमकर्ताओं को अपने प्रस्ताव दस्तावेजों में पुनर्मूल्यांकन वाली प्रारक्षित निधियों, सभी समायोजनों, परिशोधनों आदि को घटाने के पश्चात् परिसंपत्तियों एवं देयताओं का विवरण देना चाहिए;

(ii) वर्ष के दौरान मुख्य कार्य एवं कंपनी द्वारा किए गए अन्य कार्यों से प्राप्त आय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए;

(iii) एक ही प्रवर्तक द्वारा प्रवर्तित पांच सूचीबद्ध कंपनियों की वित्तीय स्थितियों के साथ निर्गमकर्ता कंपनी की वित्तीय स्थितियों को उद्घाटित किया जाना चाहिए।

(iv) वित्तीय अनुपातों के रूप में निर्गम मूल्य का औचित्य सुस्पष्ट किया जाना चाहिए;

(v) वित्तीय लक्ष्य सिर्फ विनिर्दिष्ट कंपनियों द्वारा विशिष्ट दशाओं के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है; और

(vi) प्रस्ताव दस्तावेज में कंपनी के शीर्षस्थ दस शेयरधारकों का उल्लेख होना चाहिए तथा प्रस्ताव दस्तावेज दर्ज करने के पूर्ववर्ती 6 महीनों के दौरान कंपनी के शेयरों में प्रवर्तकों तथा प्रवर्तक दल के लेन-देन का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) प्रमुख अनुशंसाएं सेबी द्वारा पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं तथा आवश्यक परिपत्र सितम्बर, 1995 से मार्च, 1996 के मध्य जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

बड़ी और मध्यम दर्जे की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां

3187. **श्री चमन लाल गुप्त :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में कार्यरत बड़ी और मध्यम दर्जे की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या क्या है तथा उनमें कितनी पूंजी निवेश किया गया है और उनकी रोजगार क्षमता क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : दिनांक 31-3-1995 की स्थिति के अनुसार देश में निर्माणाधीन उद्यमों सहित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 245 उपक्रम थे। सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम मुख्य तथा मध्य स्तरीय उद्योगों के अन्तर्गत आते हैं। सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार सूची तथा शेयर और ऋण के रूप में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार निवेश तथा रोजगार से सम्बन्धित विवरण, 19-7-1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I के परिशिष्टि-III के क्रमशः विवरण संख्या 16 तथा विवरण संख्या 28 में दिया गया है।

ऋण संबंधी मानदंड

3188. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों को दिया गया ऋण विवेकपूर्ण निर्धारित मानदंड से अधिक था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को यथोचित सीमा से अधिक ऋण दिया गया है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दी जाने वाली ऋण सीमा को तात्कालिक प्रभाव से कम करने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों के संबंध में उनका एक्सपोजर विवेकपूर्ण मानदंडों से अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार, एक्सपोजर मानदंडों का अतिक्रमण किए जाने का मूलभूत कारण इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का बैंक के साथ ऐतिहासिक एकल बैंकिंग संबंध है। अन्य महत्त्वपूर्ण घटक भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी शाखाओं का एक व्यापक नेटवर्क है, की अद्वितीय स्थिति है, जो सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को वसूली/प्रेषण की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इन पार्टियों (सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों) के नाम बैंकिंग में गोपनीयता संबंधी कानूनों के कारण प्रकट नहीं किए जा सकते।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय स्टैट बैंक को यह परामर्श दिया है कि वे कंसार्शियम उधार और अन्य उपायों की उचित व्यवस्थाओं के जरिए सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों को दिए जाने वाले वित्त (एक्सपोजर) को अनुमत्य स्तरों तक कम करें।

व्यापारिक शिष्टमंडल

3189. **श्री नामदेव दिवाथे :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान अनेक व्यापारिक शिष्टमंडलों ने भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो चर्चा किए गए मुद्दों का ब्यौरा क्या है और देश-वार आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) वर्षवार समझौतों/हस्ताक्षर किए गए प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है और इन समझौतों का देश-वार प्रभाव क्या है; और

(घ) इसी तरह के उच्च स्तरीय भारतीय व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों द्वारा किए गए विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश का नाम	देशवार ब्यौरे और करार (देश में)
1	2
1. कनाडा	कनाडा के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी, 1996 में भारत का दौरा किया।
2. ब्राजील	जनवरी, 1996 में ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आए और भारत-ब्राजील वाणिज्यिक परिषद् की स्थापना संबंधी संयुक्त घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए।

1	2
3. क्यूबा	विदेशी निवेश एवं आर्थिक सहयोग के उपमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल नवम्बर, 1996 में भारत आया और इस दौरे के दौरान भारत-क्यूबा ट्रेड रिवावल कमेटी की बैठक हुई।
4. त्रिनिडाड एवं टोबेगो	त्रिनिडाड एवं टोबेगो के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल जनवरी, 1997 के दौरान भारत आया। त्रिनिडाड एवं टोबेगो के साथ एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए।
5. यू एस ए	ओहियो एवं आयोवा राज्य, यू एस ए के गवर्नर के नेतृत्व में एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल नवम्बर, 1996 में भारत आया। यूनाइटेड स्टेट्स के उप व्यापार प्रतिनिधि अक्तूबर, 96 के दौराम भारत आए और व्यापार से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकारों संबंधी करार के तहत भारत के दायित्वों और पेटैन्ट रिजीम पर विचार विमर्श किया। यूनाइटेड स्टेट के, एशिया पैसेफिक और ऐपैक के सहायक व्यापार प्रतिनिधि मार्च, 97 के दौरान भारत आए।
6. रूस	रूस के रक्षा उपमंत्री के नंतृत्व में रूस के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेषज संबंधी कार्य समूह के संबंध में अप्रैल, 96 में भारत का दौरा किया।
7. स्लोवॉक गणराज्य	विदेश मंत्रालय के राज्य सचिव 8.3.96 को वाणिज्य मंत्री जी से मिले और दोनों देशों के बीच व्यापार पर विचार विमर्श किया। भारत स्लोवॉक संयुक्त आयोग का दूसरा सत्र दिसंबर, 96 के दौरान आयोजित हुआ। व्यापार और आर्थिक सहयोग पर एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए।
8. चैक गणराज्य	उद्योग एवं व्यापार उपमंत्री भारत-चैक संयुक्त समिति के दूसरे सत्र में भाग लेने के लिए फरवरी, 97 में भारत आए। एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए।
9. क्रोएशिया	द्विपक्षीय व्यापार संबंधी भारत-क्रोएशिया संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अक्तूबर, 1996 में एक व्यापार शिष्टमंडल आया और एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर हुए।
10. पोलैण्ड	विदेश संबंध उपमंत्री व्यापार बढ़ाने के लिए भावी योजनाओं पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए नवम्बर, 96 में भारत के दौरे पर आए।
11. बुल्गारिया	व्यापार संबंधी कार्य समूह की बैठक में भाग लेने के लिए एक शिष्टमंडल दिसंबर, 96 में भारत आया। 4 दिसंबर, 1996 को व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर हुए।
12. युगोस्लाविया संघीय गंणराज्य	संघीय व्यापार मंत्री ने दिसंबर, 96 में भारत का दौरा किया और व्यापार बढ़ाने के लिए भावी योजनाओं पर विचार-विमर्श किया।
13. स्लोवेनिया	विदेशी आर्थिक संबंध में राज्य सचिव ने व्यापार एवं आर्थिक सहयोग संबंधी भारत स्लोवेनिया संयुक्त समिति के दूसरे सत्र में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया। एक प्रोटोकोल हस्ताक्षरित हुआ।
14. रोमानिया	उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय में राज्य सचिव ने फरवरी, 97 में भारत का दौरा किया। एक प्रोटोकोल हस्ताक्षरित हुआ।
15. ग्रीस	भारत-ग्रीस संयुक्त आर्थिक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए एक शिष्टमंडल अक्टूबर, 96 में भारत आया।
16. साइप्रस	भारत-साइप्रस संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए नवम्बर, 96 में एक शिष्टमंडल भारत आया।
17. स्विटजरलैंड	भारत-स्विस संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए दिसंबर, 96 के दौरान स्विटजरलैंड का एक शिष्टमंडल भारत आया।
18. इटली	भारत-इटली संयुक्त आयोग में भाग लेने के लिए दिसंबर, 96 के दौरान इटली का एक शिष्टमंडल भारत आया।
19. जोर्डन	द्विपक्षीय व्यापार का संवर्धन करने के लिए नवंबर, 1996 के दौरान जोर्डन के आपूर्ति मंत्री ने भारत का दौरा किया।
20. वियतनाम	वियतनाम के प्रधानमंत्री एवं व्यापार मंत्री ने मार्च, 97 के दौरान भारत का दौरा किया। आर्थिक सहयोग संबंधी एक करार पर हस्ताक्षर हुए।
21. साउथ अफ्रीका	साउथ अफ्रीका के उपराष्ट्रपति व्यापार एवं

1	2
	उद्योगमंत्री तथा व्यापार समुदाय के सदस्यों के साथ दिसंबर, 1996 में भारत के दौरे पर आए।
22. इथोपिया	इथोपिया के प्रधानमंत्री ने मार्च, 1997 के दौरान भारत का दौरा किया। एक व्यापार करार हस्ताक्षरित हुआ।

देश का नाम	देशवार विवरण और हस्ताक्षरित करार (विदेश में)
1	2
1. बहरीन	वाणिज्य मंत्री 1 और 2 नवम्बर, 96 को अनिवासी भारतीयों के सम्मेलन में अभिभाषण के लिए गए। (वाणिज्य मंत्री)
2. दुबई	वाणिज्य मंत्री "एक्सपो इंडिया-1996" का उद्‌घाटन करने के लिए 6 से 7 दिसम्बर तक गए। (वाणिज्य मंत्री)
3. चीन	भारत उद्योग परिसंघ द्वारा प्रायोजित उच्च अधिकार प्राप्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिशन का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री ने किया। (15 सितम्बर से 19 सितम्बर तक) (वाणिज्य मंत्री)
4. हांगकांग	भारतीय वाणिज्य मंडल की बैठक को वाणिज्य मंत्री ने सम्बोधित किया (20 नवम्बर 96) (वाणिज्य मंत्री)
5. ब्रुसेल्ज	वाणिज्य मंत्री भारत-यूरोप संघ निवेश और व्यापार सहयोग मंच में भाग लेने के लिए 25-26 नवम्बर 1996 को, गए। भारत और यूरोपीय आयोग के बीच आर्थिक प्रति सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए गए। (वाणिज्य मंत्री) डब्ल्यू टी ओ मामलों जी एस पी आदि समेत भारत-यूरोपीय आयोग उप-आयोग बैठक दिसंबर, 96 में आयोजित की गई। (वाणिज्य मंत्री)
6. फिनलैंड	वाणिज्य मंत्री अक्टूबर, 96 के दौरान भारत-फिनिश संयुक्त आयोग की बैठक में भाग ले चुके हैं। द्विपक्षीय आर्थिक मामले पर विचार-विमर्श किया गया।
7. जिनेवा	वाणिज्य मंत्री 10 अक्टूबर 96 को विदेशी प्रत्यक निवेश पर अंकटाड व्यापार और विकास बोर्ड के 43वें सत्र के उच्च स्तरीय भाग में भाग लेने के लिए गए। (वाणिज्य मंत्री)
8. ब्राजील	वाणिज्य मंत्री साओ पावलों में अनन्यतः भारतीय प्रदर्शनी का उद्‌घाटन करने के लिए गए। (3-7 नवम्बर 96) (वाणिज्य मंत्री)
9. यू.एस.ए.	वाणिज्य मंत्री/8 नवम्बर, 1996 को वाणिज्य मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों के प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत-अमरीका वाणिज्यिक संधि (15-18 अक्टूबर, 1996) की बैठक में उपस्थित होने के लिए गए। (वाणिज्य मंत्री)
10. सिंगापुर	विश्व व्यापार संगठन के प्रथम मंत्री स्तर का सम्मेलन (9-13 दिसम्बर 96) वाणिज्य मंत्री ने भाग लिया। (वाणिज्य मंत्री)
11. कजाखस्तान	इटपो द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का उद्‌घाटन करने के लिए वाणिज्य मंत्री 8 से 13 अक्टूबर 1996 के लिए गए। (वाणिज्य मंत्री)
12. बुल्गारिया	नई दिल्ली में 4.12.96 को बुल्गारिया के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए।
13. केन्या	भारतीय उद्योग परिसंघ, द्वारा नैरोबी में आयोजित मेड इन इंडिया, प्रदर्शन में भाग लेने के लिए वाणिज्य मंत्री 14 से 15 अगस्त, 1996 के दौरान गए। (वाणिज्य मंत्री)
14. आइवरी कोस्ट	भारत-आइवोराई संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक में फरवरी 97 के दौरान भाग लेने के लिए वाणिज्य मंत्री आबिदजान गए।
15. रूस	व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत रूस कार्यदल का तीसरा सत्र जनवरी 1997 के दौरान द्विपक्षीय सम्बन्धों पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया।
16. अजरबेजान	फिक्की और भारत-सी आई एस वाणिज्य और उद्योग मंडल एक-एक संयुक्त व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल दिसम्बर 96 के दौरान अजरबेजान गया। संयुक्त व्यापार परिषद् स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
17. रोमानिया	वाणिज्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव के नेतृत्व में सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों का एक प्रतिनिधिमंडल अगस्त 96 के दौरान अन्तर सत्र परामर्श बैठक में भाग लेने के लिए रोमानिया गया।

1	2
18. पोलैंड	भारतीय व्यापारियों के हित में आवश्यक आस्थापन का पता लगाने और निर्धारित करने के लिए सितम्बर 96 के दौरान वाणिज्य मंत्री गए।
19. जोर्डन	संयुक्त समिति के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों पर विचार-विमर्श करने के लिए मार्च 96 के दौरान संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय अम्मान गए।
20. ईराक	अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय यू. एन. "तेल के लिए खाद्य" कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय चाय और अन्य उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए ईराक गए।
21. जापान	वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में नवम्बर 96 में भारत-जापान व्यापार वार्ता के लिए।
22. मंगोलिया	उप राष्ट्रपति भारत सरकार के नेतृत्व में आर्थिक सहयोग करार पर हस्ताक्षर करने के लिए सितम्बर 96 में गए।

भारत का सतत प्रयास यही रहा है कि अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग किया जाए। त्वरित गति से एकीकृत होने वाले विश्व में यह महत्त्वपूर्ण है कि अन्य देशों के साथ भागीदारी स्थापित की जाए जिससे भारत निर्यात अधिकतम करने और अर्थव्यवस्था विकसित करने के अपने प्रयासों में आर्थिक लाभ प्राप्त कर सके। द्विपक्षीय स्तर और विभिन्न देशों तथा बहुपक्षीय स्तर और यूरोपीय संघ, आसियान आदि जैसे महत्त्वपूर्ण समूहों के साथ सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित किए गए हैं। साप्टा सार्क क्षेत्र में व्यापार का उदारीकरण करने के लिए तेजी के साथ महत्त्वपूर्ण साधन बन रहा है।

वस्त्र कामगारों को पुनर्वास

3190. डा. बल्लभ भाई कठीरिया :

श्री गोरधन भाई जावीया :

श्री विजय पटेल :

श्री एन. जे. राठवा :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र इकाइयों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों के पुनर्वास हेतु सरकार ने क्या नीति तैयार की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से बेरोजगार वस्त्र कामगारों को प्रशिक्षण दिलाने हेतु उचित व्यवस्था करने के लिए एन. आई. एफ. टी. से सहायता लेने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) वर्ष 1985 की वस्त्र नीति में अन्य बातों के साथ-साथ यह मानते हुए कि जिन वस्त्र एककों की उचित समय अवधि के भीतर अर्थक्षम बनने की संभावना नहीं है उन्हें बन्द करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं हो सकता, इस बात पर भी बल दिया है कि ऐसे एककों के स्थाई रूप से बंद होने की स्थिति में श्रमिक बल के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। तद्नुसार वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना (टी डब्ल्यू आर एफ एस) बनाई गई थी जो कि 15 सितंबर, 1986 से प्रभावी हुई है। वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना का उद्देश्य मिलों के स्थाई रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हो गए मिल के कामगारों को अन्तरिम राहत देना है। योजना के अंतर्गत केवल 3 वर्ष के लिए टेपरिंग आधार पर प्रथम वर्ष में वेतन के 75% दूसरे वर्ष में 50% तथा तीसरे वर्ष में 25% के बराबर राहत दी जाती है।

(ख) और (घ) गांधी श्रमिक संस्थान, अहमदाबाद ने गांधी नगर स्थित निफ्ट के साथ परिधान विनिर्माण पाठ्यक्रम में कामगारों के एक बैच को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया था। यह सुझाव दिया गया था कि इसके लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि से निधि जुटाई जाए। इस योजना में एक पाठ्यक्रम की परिकल्पना की गई थी जिसके द्वारा लघु क्षेत्र में सिले सिलाए परिधान एकक में चलाने के लिए योग्यता तथा क्षमताओं का विकास किया जा सकता था। निधि उपलब्ध न होने के कारण इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि ऐसा प्रशिक्षण महंगा सिद्ध होगा तथा इसमें प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर 20,000 रु. से अधिक खर्च होगा।

[हिन्दी]

कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण

3191. श्री डी. पी. यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों में और कहां-कहां पर यह व्यवस्था की गई है; और

(घ) राज्य सरकार की किन-किन प्रमुख एजेंसियों को इस योजना में शामिल किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना फरवरी, 1992 में की थी ताकि भारतीय उद्योग की औद्योगिक पुनःसंरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण से प्रभावित मिलों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ युक्तियुक्त श्रमिकों

को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनःनियुक्ति संबंधी सहायता प्रदान करने की परिकल्पना है। इस योजना को 16 राज्यों के 49 स्थापना स्थलों में क्रियान्वित करने के लिए 13 केंद्रीय अभिकरणों को स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय अभिकरणों और स्थापना स्थलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्य सरकार के अभिकरण, गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद को इस योजना में शामिल किया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत स्थापित कर्मचारी सहायता केन्द्र (ई. ए. सी.)

क्र. सं.	केन्द्रीय अभिकरण का नाम	स्थापना स्थल
1	2	3
1.	एम.पी. कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि. टी.टी. नगर, भोपाल	1. नेपानगर (मध्य प्रदेश)
		2. भोपाल (मध्य प्रदेश)
		3. कोरबा (मध्य प्रदेश)
2.	श्रम विकास संस्थान, स्टेशन रोड, जयपुर	4. ब्यावर (राजस्थान)
		5. कोटा (राजस्थान)
3.	यू.पी. इंडस्ट्रियल कंसलटेंट लि. जी.टी. रोड, कानपुर	6. सहारनपुर (उ.प्र.)
		7. गोरखपुर (उ.प्र.)
4.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि., नई दिल्ली	8. दिल्ली
5.	लघु उद्योग विकास संगठन, उद्योग मंत्रालय, विकास आयुक्त लघु उद्योग (एस.एस.आई.) का कार्यालय, नई दिल्ली	9. इंदौर (मध्य प्रदेश)
		10. कोयम्बटूर (त.ना.)
		11. इन्दुनगर (त.ना.)
		12. रामगुंडम (आं. प्र.)
6.	भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य मंडल परिसंघ, नई दिल्ली	13. कानपुर (उ.प्र.)
7.	भारतीय उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली	14. मुम्बई (महाराष्ट्र)
8.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि., नई दिल्ली	15. कलकत्ता (प.बं.)
		16. रांची (बिहार)
		17. हावड़ा (प.बं.)
		18. हुगली (प. बं.)
9.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	19. बंगलौर (कर्नाटक)
		20. मैसूर (कर्नाटक)
		21. ऊरगाम (कर्नाटक)
10.	गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद	22. पेटलाद
		23. भावनगर
		24. वीरमगामा
		25. बड़ौदा
		26. सुरेन्द्रनगर
		27. पोरबन्दर
		28. कलोल
		29. नवसारी
		30. अहमदाबाद
		31. केम्बे
11.	भारतीय लघु उद्योग परिषद्, कलकत्ता	32. दुर्गापुर (प.बं.)
		33. बोकारो (बिहसा)
		34. सिन्दरी (बिहार)
		35. विशाखापट्टनम (आं.प्र.)

1	2	3
12.	रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली	36. वारंगल (आं.प्र.) 37. कामरूप (असम) 38. मद्रास** 39. हैदराबाद** 40. लुधियाना** 41. पुणे 42. लखनऊ 43. कोचीन 44. पटना 45. कटक 46. जोधपुर 47. अंबाला कैन्ट 48. जबलपुर
13.	कामगार शिक्षा के लिए केन्द्रीय बोर्ड, नागपुर	49. बैरकपुर

**रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय आई.टी.आई. और ए.टी.आई. के माध्यम से कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

आदिवासी जनसंख्या को आयकर में छूट

3192. श्री पी. नामग्याल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की, विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा कुछ अन्य क्षेत्रों की आदिवासी जनसंख्या को उसकी कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए आयकर के भुगतान से छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 1989 में लद्दाख क्षेत्र की 75 प्रतिशत जनसंख्या को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है तथा 1989 से पहले लद्दाख क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या को आयकर से छूट मिली हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो लद्दाख क्षेत्र की जनजातियों को आयकर से छूट न प्रदान करने के क्या कारण हैं तथा उस क्षेत्र की 95 प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या के साथ हो रहे पक्षपात और भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) महोदय, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खण्ड (26) के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में यथा-परिभाषित किसी अनुसूचित जनजाति का किसी व्यक्ति को जो किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में निवास करता है, उसे प्राप्त होने वाली अथवा उद्भूत होने वाली किसी विनिर्दिष्ट आय पर आयकर की अदायगी करने से छूट प्रदान की गई है।

(ख) वर्ष 1989 से पूर्व लद्दाख क्षेत्र सहित जम्मू और कश्मीर में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं थी। जम्मू और कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजातियों की घोषणा संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 द्वारा की गई थी। चूंकि जम्मू और कश्मीर में वर्ष 1991 की जनगणना नहीं की गई थी, इसलिए लद्दाख क्षेत्र सहित जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े इस जनगणना के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप लद्दाख के निवासियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा था और इससे उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, लद्दाख के निवासियों को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1965 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 1962 से भूतलक्षी प्रभाव के साथ आयकर से छूट दी गई थी। यह छूट कर निर्धारण वर्ष 1988-89 तक जारी रही।

(ग) कर निर्धारण वर्ष 1988-89 के बाद लद्दाख क्षेत्र के निवासियों को आयकर-छूट की मंजूरी न दिए जाने के कारण निम्नलिखित हैं :–

(i) मानक कटौती, धारा 80-ठ के अंतर्गत कटौती, धारा 88 के अंतर्गत कर-रिबेट आदि जैसे अन्य कर-लाभों सहित छूट-सीमा में समय-समय पर वृद्धि करके उसे 40,000/- रु. की मौजूदा सीमा पर लाए जाने में खराब आर्थिक स्थिति वाले निवासियों का भी ध्यान रखा गया है।

(ii) जिस आयकर छूट का उद्देश्य लद्दाख के गरीब तबकों के लोगों को लाभ पहुंचाना था, उसे धनाढ्य लोगों को लाभ पहुंच रहा था और लद्दाख के निवासियों के माध्यम से अपने काले धन को वैध धन में परिवर्तित करने के लिए बेईमान व्यापारियों द्वारा उसका दुरुपयोग किया जा रहा था।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग

3193. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत दो वर्षों के दौरान राज्यवार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) कृषि आधारित उद्योगों को के.वी.आई.सी. द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जिसने उन्हें विकसित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। के.वी.आई.सी. अपने पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों, राज्य के.वी.आई.बी. तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को उनके द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवहार्य परियोजनाओं के आधार पर अनुदान तथा ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। के.वी.आई.सी. तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है, सुधरे हुए औजारों तथा साधनों की आपूर्ति की व्यवस्था करता है तथा ग्रामीण कास्तकारों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद की मार्केटिंग तथा प्रशिक्षण में सहायता देता है। के.वी.आई.सी. तथा संवर्धित प्रमुख कृषि आधारित गतिविधियां मधुमक्खी पालन, घानी तेल, शहद, गन्ने का गुड़ और खाण्डसारी, खजूर का गुड़, अनाज तथा दालों का प्रसंस्करण, फल तथा सब्जी, रेशे, औषधीय प्रयोजनार्थ जंगली पौधे तथा फल इत्यादि हैं। के.वी.आई.सी. ने शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण कास्तकारों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए मधुमक्खी पालन पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आरम्भ किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान, कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उत्पादन तथा रोजगार दोनों से संबंधित नीचे दर्शाई गई स्थिति के अनुसार पिछली दो वर्षों के दौरान के.वी.आई.सी. ने कृषि आधारित उद्योगों के लिए अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है :—

	उत्पादन (करोड़ रुपए) आठवीं योजना		रोजगार (संख्या लाख में) आठवीं योजना	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1994-95	1064.88	1221.59	17.97	18.95
1995-96	1460-91	1320.09	18.87	20.08

विवरण

के वी आई सी द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए राज्यवार निधियों का वितरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994-95		1995-96	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	—	94.83	6.16	140.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.23	—	—
3.	असम	1.52	9.53	8.32	10.7
4.	बिहार	2.14	25.07	17.44	87.06
5.	दिल्ली	—	12.85	—	3.55
6.	गोआ	—	5.23	0.23	10.72
7.	गुजरात	4.57	3.28	—	—
8.	हरियाणा	0.08	32.73	—	18.4
9.	हिमाचल प्रदेश	0.75	25.18	—	11.01
10.	जम्मू और कश्मीर	—	1.56	6.64	65.36
11.	कर्नाटक	1.20	185.01	0.34	186.78

1	2	3	4	5	6
12.	केरल	4.55	58.02	1.26	59.18
13.	मध्य प्रदेश	0.46	37.85	1.11	12.63
14.	महाराष्ट्र	–	131.73	5.96	206.06
15.	मणिपुर	–	–	9.23	38.6
16.	मेघालय	1.71	5.91	0.84	2.97
17.	मिजोरम	8.24	27.55	9.52	18.19
18.	नागालैण्ड	11.39	55.39	0.43	5.82
19.	उड़ीसा	46.76	116.71	2.02	102.02
20.	पंजाब	3.14	29.45	3.28	38.29
21.	राजस्थान	0.08	59.94	2.92	23.08
22.	सिक्किम	–	–	0.06	0.16
23.	तमिलनाडु	19.05	133.19	5.02	7.58
24.	त्रिपुरा	1.50	16.98	2.31	10.12
25.	उत्तर प्रदेश	5.35	30.59	1.95	299.93
26.	वेस्ट बंगाल	5.04	95.12	1.10	63.17

के.वी.आई.सी. द्वारा कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए राज्य वार निधियों का वितरण

(रुपए लाखों में)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1994-95		1995-96	
		अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–
2.	चण्डीगढ़	–	–	–	0.40
3.	दादर व नगर हवेली	–	–	–	–
4.	दमन व दीव	–	–	–	–
5.	लक्षद्वीप	–	–	10.97	43.73
6.	पांडिचेरी	–	0.87	–	0.55

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में निर्यात संवर्द्धन परिषद् के शाखा कार्यालय खोलना

3194. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने निर्यात में वृद्धि को देखते हुए हैदराबाद में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषद् के शाखा कार्यालय खोलने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस मुद्दे पर चर्चा करने हेतु केन्द्र सरकार के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो मुद्दे पर हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन कार्यालयों की स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) जी, हां। हैदराबाद में 4.1.97 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसमें विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के शाखा कार्यालय खोलने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए। मूल रसायन, भेषज और सौंदर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद् (कैमेक्सिल) हैदराबाद में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की संभावना का पता लगा रही है।

विश्व बैंक से ऋण

3195. डा. जी. आर. सरोदे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से, पहले से लिए गए/लिए जाने वाले ऋण का उपयोग करने सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इससे सृजित बुनियादी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान के लिए पर्याप्त निधि जुटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) विश्व बैंक की सहायता से मुख्यतः आधारभूत क्षेत्र के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास, कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों, वित्तीय क्षेत्र के विकास आदि के क्षेत्रों में उपयोग में लाया गया है। जहां तक आधारभूत क्षेत्र के निर्माण का संबंध है, विश्व बैंक की सहायता को सड़कों, पत्तनों आदि के निर्माण, सिंचाई और पेयजल की सुविधाओं की व्यवस्था और विद्युत तथा बिजली आदि के निर्माण तथा संवितरण में उपयोग में लाया गया है।

(ख) प्रत्येक वर्ष मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज के भुगतान के लिए वार्षिक बजट में पर्याप्त निधियां मुहैया कराई गई हैं।

[हिन्दी]

चारी समिति की रिपोर्ट

3196. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चारी समिति ने कोयला क्षेत्र की धारक ((होल्डिंग) कंपनियों को समाप्त करने की सिफारिश की है;

(ख) क्या उक्त समिति ने कोयला सहायक इकाइयों द्वारा स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भी सिफारिश की है जिसका मंत्रिमंडल ने भी समर्थन किया था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) एकीकृत कोयला नीति पर समिति ने कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) के संगठनात्मक ढांचे की जांच किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है और इस समिति ने यह सुझाव दिया है कि को.इं.लि. की प्रत्येक सहायक कंपनी के लिए एक अलग से कंपनी स्थापित किए जाने हेतु विचार किया जाना आवश्यक हो सकता है और कीमतों को विनियंत्रित किए जाने के बाद तथा अन्य सुधार शुरू किए जाने के बाद उन्हें स्वतंत्र रूप में कार्य किए जाने की स्थिति में लाया जाए। अतः इस विषय को बाद में मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

उदारीकरण की नीति

3197. श्री भक्त चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकरण की नीति को और बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उदारीकरण की नीति के संबंध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) एक जून, 1996 से विदेशी निवेश और आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्रों में सरकार द्वारा बहुत से उपाय किए गए हैं। विदेशी निवेश संवर्द्धन परिषद् (एफ.आई.पी.सी.) का गठन किया गया है, विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) को सुप्रवाही तथा अधिक पारदर्शी बनाया गया है और उन क्षेत्रों में जो स्वतः अनुमोदन पद्धति के अंतर्गत शामिल नहीं होते, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रथमवार मार्गदर्शिकाओं की घोषणा की गई है। 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी की स्वतः अनुमोदन के लिए पात्र उद्योगों की सूची का विस्तार किया गया है तथा 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन के लिए एक नई सूची की घोषणा की गई है। विदेशी संस्थागत निवेशकों को असूचीबद्ध कंपनियों तथा नियमित और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी गई है तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए मार्गदर्शिकाओं को उदार बनाया गया है।

अन्य सुधारों में, विनिवेश आयोग का गठन, स्वतंत्र टैरिफ आयोग, लघु उद्योगों के लिए निवेश सीमा को बढ़ाना, चीनी नीति में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर से लाइसेंस हटाना, चीनी नीति में परिवर्तन, कोयले की कुछ श्रेणियों के मूल्य और वितरण का विनियंत्रण तथा कोयला खान अधिनियम में संशोधन शामिल हैं।

दिसम्बर, 1996 से सरकार ने, बिजली उत्पादन और पारेषण, गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन और वितरण तथा सड़कों, पुलों, रेल की पटरियों, पत्तनों और पोताश्रयों के क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियों

जैसे प्रमुख आधारभूत उद्योगों में 74 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी सहभागिता के लिए स्वतः अनुमोदन की अनुमति दी है। दूर-संचार और विद्युत क्षेत्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट सुधार जिनमें करावकाश और रियायती आयात शुल्क समाविष्ट हैं, आरंभ किए गए हैं। हाल ही में सरकार ने "बिल्ड आपरेट-ट्रांसफर" (बी.ओ.टी.) माध्यम के जरिए राजमार्ग विकास में निजी निवेश के लिए मार्गदर्शिकाओं की घोषणा की है।

1997-98 के लिए केन्द्रीय बजट में विभिन्न उपायों की भी घोषणा की गई है। इनमें से ये शामिल हैं :–

* एकमात्र रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के निर्माण के लिए आरक्षित 836 मदों की वर्तमान सूची से 14 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं। इन अनारक्षित मदों में चावल कुटाई, दालों का दलना, मुर्गीपालन हेतु चारा, सिरका, सिंथेटिक सिरप, बिस्कुट, आईसक्रीम आदि शामिल हैं।
* लाभ कमाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्यम सरकार की पूर्व अनुमति के बिना पूंजी व्यय की वर्तमान-सीमा को दुगुना कर सकते हैं।
* विनिवेश आयोग की प्रथम रिपोर्ट के बाद सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का दूसरा बैच इसे भेजा गया है।
* तेल तथा गैस क्षेत्र के लिए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) की घोषणा।
* तेल अन्वेषण तथा औद्योगिक पार्कों को आधारभूत ढांचे के रूप में परिकल्पित किया गया है।
* तेल शोधनशालाओं को उर्वरक क्षेत्र के समान ही नौवीं योजना के दौरान रियायती शुल्क पर पूंजीगत वस्तुएं आयात करने की अनुमति दी गई है।
* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.एस.आई.) के लिए बजटीय सहायता को 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करना।
* एफ.आई.आई./एन.आर.आई./एन.आर.आई.-ओ.सी.बी. द्वारा किसी कंपनी में कुल निवेश की सीमा को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना।
* किसी एक कंपनी में उद्यम पूंजी निधियों के लिए इक्विटी निवेश सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करना।
* सरकार ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा प्रवर्तित समितियों को निजी क्षेत्र कंपनियों की इक्विटी में निवेश की अनुमति दी गई है।
* जीवन बीमा निगम ने पेंशन कार्य में संयुक्त उद्यमों का संवर्द्धन किया है।
* साधारण बीमा निगम द्वारा संयुक्त उद्यमों की अनुमति सहित चुनिन्दा भारतीय प्रतिभागियों को (भारतीय स्वामित्व की बहुलता *युक्त) स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।*
* बजटीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए तदर्थ राजकोषीय हुंडियों की व्यवस्था को समाप्त किया गया है तथा अर्थोपाय ऋण (डब्ल्यू.एम.ए.) की योजना आरंभ की गई है।
* "बजटीय घाटे" की अवधारणा को समाप्त किया जा रहा है।
* मूल धनराशि की वापसी-अदायगी को मुद्रास्फीति के साथ सूचीबद्ध करने सहित पूंजी अभिसूचक बांड शुरू करना।
* 29 प्रतिशत के समानुपात पर केन्द्र और राज्यों के बीच कर के एकल विभाज्य पूल की दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों की स्वीकृति।
* बड़े महानगरों के निवासी जिनके पास 4 पहियों वाला वाहन, अचल सम्पत्ति, टेलीफोन है या जिन्होंने पिछले वर्ष में कोई विदेश यात्रा की है (कोई दो) को स्वैच्छिक रूप से आयकर विवरण दर्ज करने चाहिए।
* व्यक्तिगत आयकर दरों में कमी और मानक कटौती की सीमा में वृद्धि करना।
* मैट का निर्यात लाभों में छूट देकर और कर ऋण शुरू करके संशोधन करना।
* निगमित आयकर पर अधिभार की समाप्ति, निगमित कर दरों में कमी और लाभांशों पर कर की समाप्ति।
* दूर-संचार क्षेत्र के लिए करावकाश, लाइसेंस शुल्कों का परिशोधन और अन्य राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान करना।
* कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर पर सीमा शुल्क की दर में कमी तथा सीमा शुल्क में छूट और कम्प्यूटर पुर्जों आदि पर शुल्क में कमी करना।
* सड़क द्वारा सामान के यातायात, परामर्शी अभियंताओं, कस्टम हाउस, हवाई यात्रा एजेंटों, वाह्य खान-पान व्यवस्था आदि पर सेवा कर लगाना।

[हिन्दी]

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बकाया रिक्त पद

3198. डॉ. बलिराम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बकाया रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पदों को भरने हेतु कोई तिथि निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी अनुमानित तिथि क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1995 में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से 1-4-1995 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों का निर्धारण करने तथा इन रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया था। तद्नुसार, सरकारी क्षेत्र के 79 उद्यमों में 6669 रिक्तियों का निर्धारण किया गया था, जिसमें से जून, 1996 तक 3072 रिक्तियां भर दी गई थीं।

वर्ष 1996 में दूसरा विशेष भर्ती अभियान प्रारम्भ किया गया था। सरकारी उद्यमों को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु निर्धारित रिक्तियों का मूल्यांकन करने तथा मार्च, 1997 के अंत तक भर्ती संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की सलाह दी गई थी। सरकारी क्षेत्र के 92 उद्यमों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 5704 रिक्तियां निर्धारित की गई थीं, जिनमें से जनवरी, 1997 तक 556 रिक्तियां भर दी गई थीं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात एकक

3199. श्री के. कंडासामी : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में निर्यातोन्मुख सिले-सिलाए वस्त्र की कोई एकक खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक यह एकक कार्य करना शुरू कर देगा ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) जी नहीं। सरकार का किसी भी निर्यातोन्मुख परिधान एकक को शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, उद्यमी तमिलनाडु सहित देश के सभी मांगों में शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की स्थान संबंधी नीति के अध्यधीन कर सकते हैं।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का पुनर्गठन

3200. श्री अन्नासाहिब एम. के. पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट का पुनर्गठन किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में भारतीय यूनिट ट्रस्ट का प्रचालन पूर्ण रूप से व्यावसायिक करने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु तथा उन्हें बेहतर लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 1997-98 के दौरान आरम्भ किए जाने के लिए अन्तिम रूप से तैयार की गई महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आरम्भ की गई योजनाओं के कार्य निष्पादन की हाल ही में समीक्षा की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) जुलाई, 1994 से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को सेवी के विनियामक ढांचे के अंतर्गत लाया जा चुका है। पहली जुलाई, 1994 के पश्चात् शुरू की गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट की सभी योजनाओं के लिए सेवी का अनुमोदन अपेक्षित है। न्यास से परिसंपत्ति प्रबंध कार्यों को और अलग करने के लिए सेवी ने संवृद्धि योजनाओं, नियत आय योजनाओं और यू. एस.-64 में से प्रत्येक के लिए एक-एक यानि तीन परिसंपत्ति प्रबंध समितियों के गठन की अनुशंसा की है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने इस अनुशंसा पर सहमति व्यक्त की है और कार्यान्वयन के तरीकों पर विचार कर रही है।

(ङ) यू.टी.आई. सहित म्यूचुअल फंडों में निवेशकों के हित की सुरक्षा के लिए सेवी ने कई उपाय किए हैं। सेवी ने संशोधित सेवी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 अधिसूचित किए हैं जिनका उद्देश्य निवेशकों के सेवा मानकों के सुधार करना, म्यूचुअल फण्डों के कार्य-निष्पादन में अधिक पारदर्शिता एवं एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायक होना एवं निवेशकों को बेहतर श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, सेवी ने वर्ष 1997-98 में यू.टी.आई. सहित 28 म्यूचुअल फण्डों का निरीक्षण भी शुरू किया है।

(च) और (छ) विशिष्ट म्यूचुअल फण्ड योजनाओं के कार्य निष्पादन का विश्लेषण सेवी के विनियामक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। वैचारिक विनियामक निकाय के रूप में सेवी निवेशकों को समुचित जानकारी उपलब्ध कराना, परोक्ष अनुवीक्षण तथा प्रत्यक्ष निरीक्षण के माध्यम से विभिन्न विनियामक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और यदि आवश्यक हो तो विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उचित कार्रवाई करता है। सेवी यह सुनिश्चित करता है कि विद्यमान योजनाओं के कार्य निष्पादन से संबंधित तथ्यों को प्रस्ताव दस्तावेज में उद्घाटित किया जाए ताकि निवेशक सुविज्ञ निवेश निर्णय ले सकें।

[हिन्दी]

एस.टी.सी. द्वारा सोयाबीन के कच्चे तेल की बिक्री

3201. श्री रामसजीवन :

प्रो. अजित कुमार मेहता :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस.टी.सी. ने कुछ फर्मों को सोयाबीन का कच्चा तेल बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेचा है जिससे एस.टी.सी. को भारी हानि हुई है;

(ख) क्या सोयाबीन का कच्चा तेल शोधित करने के पश्चात् बेचा जाता है जो अधिक लाभप्रद है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप एस.टी.सी. को अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(घ) क्या सरकार ने सोयाबीन के कच्चे तेल को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर बेचने की और इस मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए कोई जांच कराई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं।

(ख) एस.टी.सी. ने बताया है कि रिफाइंड सोयाबीन तेल की बिक्री कीमत कच्चे सोयाबीन तेल के मूल्य से थोड़ी ज्यादा है। किन्तु, रिफाइनिंग में हुए खर्चों, रिफाइनिंग के दौरान नष्ट हुई मात्रा, फंसी हुई धनराशि पर ब्याज को ध्यान में रखकर रिफाइनिंग के बाद कच्चे सोयाबीन तेल की बिक्री से जो निवल वसूली होगी वह कच्चे सोयाबीन तेल की कीमत से ज्यादा नहीं होगी।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रूसी वाणिज्यिक बैंक

3202. श्री तारीक अनवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी वाणिज्यिक बैंकों ने भारत में अपनी शाखाएं खोलने में दिलचस्पी दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) किसी भी रूसी वाणिज्यिक बैंक ने भारत में शाखा खोलने में रुचि नहीं दिखाई है। अलबत्ता, एक रूसी वाणिज्यिक बैंक ने नई दिल्ली में प्रतिनिधि कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है।

किशोर के उकसाने पर कम्पनी ला बोर्ड में दर्ज शिकायत

3203. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6.12.96 के "द इकानामिक टाइम्स" (मुम्बई) में "किशोर इन्स्टीगेटेड सीएलबी कम्पलेंट्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि शावेलेस कर्मचारी संघ ने श्री किशोर छाबड़िया के इशारे पर कम्पनी ला बोर्ड के समक्ष एक याचिका दायर की थी और उसने इस संघ को 10.96 लाख रुपए का दान दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संघ को उक्त दान की गई धनराशि के स्रोत का और उपरोक्त समाचार में प्रकाशित अन्य पहलुओं का पता लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय शॉ वैलेश कर्मचारी संघ और अन्यों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235, 237, 397, 398, 399, 402, 403, 406 तथा 408 के अंतर्गत 16.7.1996 को एक याचिका कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष दायर की गई है तथा उक्त याचिका को और 2 मई, 1997 को कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अतः मामला न्यायाधीन है।

यह आरोप कि यह याचिका के.आर. छाबड़िया ग्रुप के अनुदान तथा सहायता से दायर की गई है, भी कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष न्यायाधीन है।

कर न्याय-निर्णय मंच

3204. श्री वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कर अधिवक्ताओं ने सरकार से कर न्याय-निर्णयन मंच को सुव्यवस्थित करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) 1 जनवरी, 1997 तक लंबित अपीलों की राज्यवार संख्या क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जनता कपड़े का उत्पादन तथा इसकी आपूर्ति

3205. श्री महेन्द्र कर्मा :

श्री तिलक राज सिंह :

श्री विश्वेश्वर भगत :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में जनता कपड़े का उत्पादन तथा इसकी आपूर्ति के लक्ष्य में 50 प्रतिशत से भी अधिक की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो कारण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पिछले लक्ष्यों को बनाए रखने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) भारत सरकार के निर्णय के आधार पर जनता कपड़ा योजना को समाप्त किया जा रहा है। अतः प्रत्येक वर्ष लक्ष्य को धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। गत वर्ष के दौरान हुए वास्तविक उत्पादन के आधार पर वर्ष 1996-97 के लिए लक्ष्य को कम किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) गत वर्ष के उत्पादन के आधार पर सभी राज्यों के लिए लक्ष्य में कमी की गई है।

[अनुवाद]

बैंकों की नई शाखाएं खोलना

3206. श्री सुरेश कलमाडी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने शाखा लाइसेंसिंग नीति को उदारीकृत कर दिया है तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को नई शाखाएं खोलने के लिए पूर्ण स्वायत्तता दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्वायत्तता के लिए कोई शर्तें लगाई गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, भारतीय वाणिज्यिक बैंक, जो निम्नलिखित मानदण्ड पूरा करते हैं, को प्रत्येक मामले के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक की बिना पूर्व अनुमति के शाखाएं खोलने की स्वतंत्रता दी गई है :–

(i) 8% या अधिक जोखिम परिसम्पत्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी हो।

(ii) 100 करोड़ रुपए की न्यूनतम स्व-धारित निधियां हों।

(iii) लगातार तीन वर्षों से निवल लाभ हुआ हो।

(iv) कुल बकाया ऋणों और अग्रिमों के 15% से कम अनिष्पादित परिसम्पत्तियां हों।

ऐसे मामलों में बैंकों से कहा गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक को एक कार्य योजना भेजें जिसमें विस्तृत राष्ट्रीय नीति लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार (सामान्य के साथ-साथ विशेषज्ञ) की शाखाएं खोलने के लिए एक वर्ष की कार्य योजनाएं दी गई हों। एक बार योजना अनुमोदित हो जाने पर बैंक शाखाएं खोल सकते हैं। तथापि, बैंकों की शाखाएं खोलने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

3207. डा. नामदेव दिवाथे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सभी दावों को समाप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लागू किए जाने के निर्धारित कार्यक्रम में प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुदृढ़ बनाने हेतु किए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) विद्यमान व्यवस्था के अंतर्गत, प्रायोजक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के अध्यक्ष को नामित करते हैं और उन्हें आवश्यक परिचालनात्मक मार्गनिर्देश और अन्य सहायता प्रदान करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रबंधन और वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाने के उद्देश्य से, सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजीकरण सहायता सहित कई उपाय कर रही है जिससे निर्धारित कार्यनिष्पादन आधार प्राप्त किए जा सकें और साथ ही प्रायोजक बैंकों को अपेक्षाकृत बड़ी भूमिका प्रदान की जा सके।

(घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :–

1. व्यापक पुनर्गठन के लिए 119 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारत सरकार द्वारा 499 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवाओं का क्षेत्र एवं पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, दिनांक 1.1.1994 से उन्हें अपने नए ऋणों का 60% तक गैर-लक्ष्य समूहों को वित्त पोषित करने की अनुमति दी गई है। उन्हें चेकों/मांग ड्राफ्टों की खरीद/भुगतान के लिए और अधिक विवेकाधिकार दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सेवाओं का क्षेत्र बढ़ाने के लिए उन्हें, अन्य बातों के साथ-साथ अपने ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने, लाकर लगाने, ड्राफ्ट जारी करने तथा डाक द्वारा अंतरण करने की अनुमति भी दी गई है।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, कुछ शर्तों के अध्यधीन, अपनी घाटा उठाने वाली शाखाओं को अपेक्षाकृत बेहतर क्षेत्रों अर्थात्

वाणिज्यिक केन्द्रों जैसे बाजार क्षेत्रों, ग्रामीण मंडियों, खंड एवं जिला मुख्यालयों आदि में स्थापित करने तथा संबंधित कर्मचारियों को उपयुक्त रूप से पुनः नियोजित करने की अनुमति दी गई है।

4. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को बैंक विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है ताकि वे लाभदायक स्थिति में आने के लिए एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपना सकें।

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया (यूटीआई) की सूचीबद्ध तथा अन्य योजनाओं, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई तथा सिडबी जैसी लाभ प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को सावधि जमाओं राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के बाण्ड और प्रतिष्ठित विश्वसनीय कंपनियों के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों जैसे लाभदायक क्षेत्रों में अपने गैर-एसएलआर बेशी निधियों का निवेश करने हेतु पहुंच उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले जोखिम के सहित भागीदारी प्रमाणपत्र के जरिए अपने प्रायोजक बैंक के ऋण पोर्टफोलियो में अपने बेशी गैर-एसएलआर निधियों का एक अंश लगा सकते हैं।

6. वर्ष 1995-96 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए आय का पता लगाने में आस्ति वर्गीकरण हेतु विवेकपूर्ण लेखा मानदंड लागू किए गए हैं। प्रावधान संबंधी मानदंड वर्ष 1996-97 और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे।

7. दिनांक 26.8.96 से भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अंतिम उधारकर्ताओं से प्रभारित की जा सकने वाली ब्याज की दरों को पूरी तरह से अविनियमित कर दिया है।

अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो/एअर कार्गो

3208. श्री नारायण अठावले : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत ढांचा नेटवर्क स्थापित करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में अंतर्देशीय कन्टेनर डिपो/एअर कार्गो की एक शृंखला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है तथा कौन-कौन सी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं, प्रगति में हैं तथा स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं; और

(ग) लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी शीघ्र मंजूरी के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) घर पर ही सुविधाएं प्रदान करने के लिए इनलैंड कन्टेनर डिपो कन्टेनर फ्रेट स्टेशनों (आई.सी.डी./सी.एफ.एस.) और एयर कार्गो कपलेक्सो (ए.सी.सी.) की स्थापना देश में अनुकूल स्थिति *वाले स्थान पर की जा रही है। देश में आई.सी.डी./सी.एफ.एस. की स्थापना के लिए प्रस्तावों को एकल खिड़की से स्वीकृति प्रदान* करने के लिए 1952 से वाणिज्य मंत्रालय में एक अंतःसरकारी समिति (आई.एम.सी.) कार्य कर रही है। आई.एम.सी. के गठन से पहले ऐसी करीब 31 सुविधाएं कार्यारत थीं। आई.सी.डी./सी.एफ.सी. की स्थापना के प्रस्तावों पर सरकार उनके प्राप्त होने पर विचार करती है और यह एक सतत प्रक्रिया है एवं इसके लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का उन्नयन करना है। आई.एम.सी. ने देश में आई.सी.डी./सी.एम.सी. की स्थापना के लिए अभी तक 69 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। स्वीकृत परियोजनाओं और उनकी वर्तमान स्थिति की सूची संलग्न विवरण में है।

ए.सी.सी. की स्थापना दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता और तिरुअनंतपुरम के गेट-वे-वायुपत्तनों और बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर, अमृतसर, श्रीनगर, कोचिन विशाखापत्तनम, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर तथा हाबोलीन के इनलैंड वायुपत्तनों पर की गई। इसके अतिरिक्त इंदौर में ए.सी.सी. स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है और लागू करने की योजना तैयार करने के लिए राज्य सरकार से निवेदन किया गया है।

पटना में ए.सी.सी. की स्थापना करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है आई.सी.डी./सी.एफ.एस. की स्थापना के लिए जो प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, वे भी अनुबंध में दिए गए हैं।

विवरण

अन्तः मंत्रालयी समिति द्वारा अनुमोदित
आई सी डी/सीएफएस की स्थिति

कार्यरत (26)

अमृतसर (पंजाब)

कलकत्ता (पश्चिम बंगाल). . . 2 एफ सी एस

नव सेवा (महाराष्ट्र)

तूतीकोरिन (तमिलनाडु) . . . 3 सी एफ एस

द्रोणगिरी नोड (महाराष्ट्र)

मद्रास (तमिलनाडु) . . . 4 सीएफएस

कोचिन (केरल) . . . 2 एफ सी एस

इन्दौर (मध्य प्रदेश)

कांडला (गुजरात)

सूरत (गुजरात)

जोधपुर (राजस्थान)

त्रिपुर (तमिलनाडु)

कानपुर (उत्तर प्रदेश)

वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

आगरा (उत्तर प्रदेश)

सालेम (तमिलनाडु)

कोयम्बटूर (तमिलनाडु)

रैक्सोल (बिहार)

नागपुर (महाराष्ट्र)

जिन्हें लागू किया जा रहा है (40)

फरीदाबाद (हरियाणा)

रिवाड़ी (हरियाणा)

दशरथ (बड़ौदा), गुजरात

नासिक (गुजरात)

पोरबन्दर (गुजरात)

राजकोट (गुजरात)

उदयपुर (राजस्थान)

कोटा (राजस्थान)

भिलवाड़ा (राजस्थान)

भिवाड़ी (राजस्थान)

भटिंडा (पंजाब)

बालासोर (उड़ीसा)

प्रदीप पोर्ट (उड़ीसा)

मलानपुर (ग्वालियर), मध्य प्रदेश

रायपुर (मध्य प्रदेश)

औरंगाबाद (महाराष्ट्र)

नागपुर (महाराष्ट्र)

जलगांव (महाराष्ट्र)

द्रोणगिरि (नव सेवा). . . 3 सी एफ सी

वालुज (महाराष्ट्र)

जशकर (महाराष्ट्र)

न्यू मंगलौर (कर्नाटक)

पानम्बूर (कर्नाटक)

कोचिन (केरल) . . . 3 सीएफएस

मद्रास (तमिलनाडु) . . . 3 सीएफएस

सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)

हल्दिया (पश्चिम बंगाल)

मेरठ (उत्तर प्रदेश)

उन्नाव (उत्तर प्रदेश)

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)

वर्ना (गोआ)

बरवाला (नजदीक चण्डीगढ़)

जिन पर विचार चल रहा है (7)

अरूर (केरल), तूतीकोरिन (तमिलनाडु) . . . 2 सीएफएस

चांजे (महाराष्ट्र)

दादरी (उत्तर प्रदेश)

ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)

लुधियाना (पंजाब)

टिप्पणी : स्वीकृत 69 प्रस्तावों में से, एक सी.एफ.एस., (कलम्बोली में) को बंद कर दिया गया था जबकि अन्य दो सी.एफ.एस. (कानपुर और फरीदाबाद) को पार्टी के अनुरोध के अनुसार निरस्त कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल में टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया में श्रमिकों की स्थिति

3209. श्री आर. बी. राई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया के स्वामित्व वाले प्रत्येक चाय बागानों का ब्यौरा क्या है और इसका क्षेत्रफल कितना है तथा इन बागानों में कितने श्रमिक एवं कर्मचारी कार्यरत हैं;

(ख) क्या वर्तमान में चाय बागान मुनाफे में चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अब तक प्रत्येक चाय बागान में श्रमिकों और कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली राशि में कोई अंतर है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या टी.टी.सी.आई. द्वारा श्रमिकों के आवास, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के मामले में किए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन/कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में है।

(ख) और (ग) यद्यपि लुकसान और पोतोंग चाय बागान तैयार चाय का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन अभी पाशोक तथा वाह तुकवर

चाय बागान श्रम समस्याओं के कारण जोकि टी.टी.सी.आई. की कठिन वित्तीय समस्याओं के कारण वेतन/मजदूरी इत्यादि के भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई है, काली चाय का उत्पादन नहीं कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) बागान में कर्मचारियों की मजदूरी का निर्धारण राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के सामने बागान-मालिकों के संघों तथा ट्रेड यूनियन के नेताओं के बीच त्रिपक्षीय समझौते द्वारा होता है। इनमें से प्रत्येक बागानों में प्रति महीने मजदूरी/वेतन की अनुमानित राशि नीचे दी गई है :–

लुकसान चाय बागान	—	5.41 लाख रु.
पाशोक चाय बागान	—	5.00 लाख रु.
वाह-तुकवार चाय बागान	—	4.50 लाख रु.
पोतोंग चाय बागान	—	2.31 लाख रु.

(च) और (छ) सभी चार बागानों के कार्मिकों की भविष्य निधि-बकाया का निपटारा टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मार्च, 1996 तक कर दिया गया है। लुकसान चाय बागान में निवास, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का भुगतान अद्यतन रूप से किया गया है। किन्तु, अन्य तीन चाय बागानों में इस लेखा में बकाया रहता आ रहा है।

(ज) अपने बागान के प्रचालनों से टी.टी.सी.आई. को हो रही लगातार हानि को देखते हुए, तुरन्त बिक्री के द्वारा निगम के स्वामित्व वाले सभी बागानों को बेचने का निर्णय लिया गया है। बिक्री की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने का प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच, चालू बकायों के भुगतान को संभव हद तक पूरा करने के लिए टी.टी.सी.आई. के प्रबंधन से उत्पादन और विनिर्माण कार्यकलाप जारी रखने को कहा गया है। सांविधिक देयताओं को पूरा करने के लिए एस.टी.सी./भारत सरकार द्वारा भी टी.टी.सी.आई. को समय-समय पर धनराशि प्रदान की गई है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में टी.टी.सी.आई. के स्वामित्व वाले चाय बागानों का विस्तृत विवरण

क्र. सं.	चाय बागान का नाम	रोपण किया गया क्षेत्र (हैक्टे.)	कार्मिकों एवं कर्मचारियों की की संख्या
1.	लुकसान चाय बागान जिला-जलपाईगुड़ी	417.70	893
2.	पाशोक चाय बागान दार्जीलिंग	305.70	959
3.	वाह तुकवार चाय बागान दार्जीलिंग	197.08	747
4.	पोतोंग चाय बागान दार्जीलिंग	138.44	345

कृषि कार्यों हेतु भूमि

3210. श्रीमती मीरा कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारीकरण नीति के अंतर्गत विदेशी कम्पनियों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में कृषि भूमि की खरीद करने तथा इस पर आंशिक/पूर्ण रूप से कृषि कार्य करने की अनुमति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं। भारत में खरीद के माध्यम से कृषीय भूमि का अधिग्रहण तथा विदेशी कंपनियों और अनिवासी भारतीयों द्वारा कृषि संबंधी कार्य करना विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अंतर्गत अनुमेय नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वस्त्र डिजाइनिंग प्रदर्शनियां

3211. श्री एन. जे. राठवा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर गुजरात में आयोजित की गई वस्त्र डिजाइन प्रदर्शनियों की संख्या क्या है;

(ख) अब तक इन प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राप्त किए गए निर्यात आदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी और प्रदर्शनियां आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) राष्ट्रीय डिजाइन संग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत तथा बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरा 212 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया जिनमें गुजरात, में 6 प्रदर्शनियां भी शामिल हैं। इन प्रदर्शनियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इन प्रदर्शनियों के आयोजन का उद्देश्य मुख्यतः तकनीकी जानकारी का प्रसार करना, तथा जागरूकता बढ़ाना है।

(ग) और (घ) जी, हां। निकट भविष्य में देश में और प्रदर्शनियां आयोजित किए जाने की संभावना है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बुनकर सेवा केन्द्रों द्वारा तथा राष्ट्रीय डिजायन संग्रहण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनियां।

राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4
1. आं. प्र.	—	—	3
2. असम	2	2	4

1	2	3	4
3. बिहार	1	—	—
4. चंडीगढ़	4	4	4
5. दिल्ली	4	5	14
6. गुजरात	2	—	4
7. हरियाणा	—	—	3
8. हि. प्र.	—	2	2
9. जे एंड के.	—	2	1
10. कर्नाटक	—	—	4
11. केरल	1	—	2
12. म. प्र.	—	1	15
13. महाराष्ट्र	2	17	35
14. मणिपुर	—	—	1
15. उड़ीसा	1	—	7
16. पंजाब	1	—	—
17. राजस्थान	—	1	10
18. तमिलनाडु	—	1	6
19. त्रिपुरा	—	—	2
20. उ. प्र.	3	1	13
21. पं. बंगाल	9	6	10
कुल	30	42	140

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया मुआवजा

3212. श्री प्रदीप भट्टाचार्य :

श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इंडिया के कलकत्ता स्थित पूर्वी जोन कार्यालय ने अपने लिंडसे स्ट्रीट शाखा, कलकत्ता द्वारा कुछ ग्राहकों के चालू जमा खातों को रोके रखने हेतु कुछ मुआवजे के भुगतान के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया है;

(ख) क्या इन ग्राहकों ने 1993 से खाते संबंधी विवाद को निपटाने हेतु काफी समय से सरकार और बैंक दोनों को इस मामले के संबंध में अभ्यावेदन दिया है;

(ग) क्या बैंक ने बचत खाता धारकों के समक्ष ब्याज देने की पेशकश की है जिसे इन ग्राहकों ने अस्वीकार कर दिया है;

(घ) क्या इस संबंध में आगे कोई बातचीत की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) बैंक आफ इंडिया के कलकत्ता स्थित अंचल कार्यालय ने मैसर्स बिनयोग के खातों में पड़ी राशि पर खाता धारक की मृत्यु की तारीख से दावाकर्ता की शेष-राशि को जारी करने तक 5 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करने का अंतिम निर्णय ले लिया है। बैंक की राय में ग्राहकों का 1.25 लाख रु. की राशि का दावा स्वीकार्य नहीं है।

(ग) बैंक के अनुसार प्रस्तावित ब्याज ऐसे खातों को नियंत्रित करनेवाले प्रावधानों के अनुसार है।

(घ) बैंक ने सूचित किया है कि दावाकर्ता को समझाने के उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए थे।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूती धागे का निर्यात

3213. श्री मणिकराव होडल्या गावीत : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान सूती धागे के निर्यात कोटे की घोषणा कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने सूती धागे कि निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने कलैंडर वर्ष 1997 के दौरान 40 तथा उससे कम काउंटों के सूती यार्न के निर्यात के लिए 120 मिलियन कि.ग्रा. की मात्रा संबंधी उच्चतम सीमा की घोषणा की है।

(ग) सरकार सूती यार्न सहित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठा रही है जिनमें क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल के आयात का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

कोयला क्षेत्रों में भराई कार्य

3214. श्री हाराधन राय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बजट में कुल प्राप्त हुए उपकर से कोयला क्षेत्रों में भराई कार्य तथा सड़कों के विकास के कार्य सहित संरक्षण कार्य पर खर्च के लिए क्या प्रावधान किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बजट में व्यय की प्रत्येक मद के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और वास्तविक उपलब्धि क्या रही; और

(ग) वर्ष 1996-97 में बजट में किए गए उपर्युक्त प्रावधानों से खानों में संरक्षण और सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) संरक्षण संबंधी व्यय पूरा किए जाने हेतु बजट प्रावधान जिसमें कोयला क्षेत्रों में परिवहन ढांचे का विकास तथा भराई शामिल है, जो कि कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत संग्रहित की गई उत्पाद शुल्क (उपकर) की राशि में किया जाता है और पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए वास्तविक व्यय को नीचे दर्शाया गया है :—

(करोड़ रुपए में)

		1993-94		1994-95		1995-96	
		बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक
(क)	संरक्षण जिसमें भराई शामिल है	38.20	37.23	40.00	39.99	45.00	37.55
(ख)	कोयला क्षेत्रों में परिवहन ढांचे का विकास	27.00	27.00	40.59	40.59	55.00	55.00

कोयला कंपनियां रेत भराई सुरक्षात्मक कार्य तथा सड़कों का निर्माण करती हैं और इसके बाद कोयला संरक्षण तथा विकास परामर्शदात्री समिति (सी.सी.डी.ए.) से संपर्क करती हैं, जो कि कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत संग्रहित की गई उत्पाद शुल्क के माध्यम से निधियों के इन कार्यों हेतु संग्रहित की गई राशि के एवज में आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) नियम, 1975 के प्रावधानों की शर्तों के अंतर्गत गठित किया गया था। कोयला कंपनियों के प्रस्तावों पर बजट की सीमाओं के अधीन प्रत्येक मामले के आधार पर आर्थिक सहायता की पात्रता की दृष्टि से समीक्षा की जाती है।

विद्यमान मार्गनिर्देशों में निम्न व्यवस्था है—सुरक्षात्मक कार्यों की लागत की 75% तक, रेत भराई की 35% तक लागत तथा सड़कों के निर्माण की 50% लागत की प्रतिपूर्ति किया जाना, जबकि शेष लागत की प्रतिपूर्ति किया जाना, जबकि शेष लागत को संबद्ध कोयला कंपनी द्वारा और कुछ सड़क निर्माण के मामलों में संबद्ध राज्य-सरकार द्वारा वहन करना पड़ता है।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए प्रत्याशित व्यय सहित निम्न बजट प्रावधानों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपए में)

	बजट प्रावधान	प्रत्याशित व्यय
1. संरक्षण जिसमें भराई शामिल है	50.00	50.00
2. कोयला क्षेत्रों में परिवहन संबंधी ढांचों का विकास	50.00	50.00

रंगीन कपास

3215. श्री सुशील चन्द्र : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में रंगीन कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में रंगीन कपास का निर्यात किया गया तथा यह किन-किन देशों को किया गया;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि रंगीन कपास उत्पादकों को अपनी फसल का अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने रंगीन कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) लाल कोकानाडा के रूप में ज्ञात ब्राउन कपास आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पठार के छोटे क्षेत्रों में उपजाई जाती है। वर्ष 1995 से भारतीय कपास निगम की सहायता से विकसित की गई अमरीकी कपास से संबंधित प्राकृतिक रूप से रंगीन कपास मध्य प्रदेश के भागों में उपजाई जाती है। वर्ष 1995-96 के दौरान ब्राउन रंग की 14.50 क्विंटल कपास (बिनोलों) का उत्पादन किया गया।

(ख) देश से रंगीन कपास लिंट का निर्यात नहीं किया जाता।

(ग) किसानों को सफेद लिंटिड कपास की तुलना में रंगीन कपास के लिए लगभग 72 से 80 प्रतिशत तक अधिक कीमत प्राप्त हुई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम उत्पादन बढ़ाना

3216. **श्री केशव महन्त :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में रेशम उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य को सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी सहायता दिए जाने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) असम सरकार ने राज्य में रेशम उत्पादन का विकास करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में नवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए रेशम उत्पादन के एकीकृत तथा सतत विकास के लिए एक परियोजना तैयार कर रहा है। असम सरकार के उपर्युक्त प्रस्तावों पर भी बोर्ड द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय विचार किया जाएगा।

असम में चाय उत्पादन में कमी

3217. **श्री उधव बर्मन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के चाय बागानों ने बड़े पैमाने पर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरम्भ में गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर भूमि में चाय का उत्पादन घट रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) बागानों द्वारा केन्द्रीय सरकार की भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चाय बागान

3218. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के स्वामित्व में कितने चाय बागान हैं;

(ख) ये बागान कहां-कहां हैं और कितने बड़े हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक बागान में कुल कितनी मात्रा में चाय का उत्पादन किया गया है;

(ग) क्या उनमें से केवल कतिपय चाय बागान लाभ कमा रहे हैं जबकि उनमें से बड़ी संख्या में बागानों को घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी चाय बागान-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले चाय बागानों के संबंध में आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) जहां तक टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्वामित्व वाले बागानों का संबंध है, सभी पांच बागान प्रबंधन समस्याओं, बागानों में विकास संबंधी कार्यकलापों को करने के लिए निगम के पास निधि की कमी, इत्यादि के कारण हानि उठा रहे हैं। लगातार हानियों को देखते हुए टी.टी.सी.आई. के स्वामित्व वाले सभी पांच बागानों को सीधी बिक्री के द्वारा बेचने का निर्णय लिया गया है।

जहां तक मैसर्स एन्ड्रयू यूल एण्ड कं. लि. के स्वामित्व वाले बागानों का संबंध है केवल एक चाय बागान अर्थात् हूलंगूरी चाय एस्टेट पिछले लगातार तीन वर्षों से घाटे में चल रहा है। मैसर्स एण्ड्रयू यूल एण्ड कं. लि. द्वारा रोपण-विस्तार, पुनर्रोपण, नवीकरण आदि जैसे विकास-कार्यकलापों के जरिए इस बागान को व्यवहार्य बनाने के लिए उपाय किए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले चाय बागानों का ब्यौरा

क्रम सं.	स्थान सहित चाय बागानों का नाम	रोपित क्षेत्र (हेक्टेयर)	उत्पादन (मि. किग्रा.)		
			1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
(क)	**टी ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के स्वामित्व वाले चाय बागान**				
1.	पाथिनी टी एस्टेट करीमगंज जिला	810.83	0.46	0.33	0.200

1	2	3	4	5	6
2.	लुकसान टी एस्टेट जलपाई गुड़ी पश्चिम बंगाल	417.70	0.48	0.44	0.42
3.	पाश्येक टी एस्टेट दार्जीलिंग पश्चिम बंगाल	305.70	0.13	0.09	0.04
4.	वाह टुक्वर टी एस्टेट दार्जीलिंग पश्चिम बंगाल	197.08	0.06	0.05	0.01
5.	पोटोंग टी एस्टेट दार्जीलिंग पश्चिम बंगाल	138.44	0.06	0.05	0.08
(ख)	**एण्ड्रयू यूल एण्ड कं. लि. के अंतर्गत बागान**				
1.	बनारहट टी एस्टेट जलपाइ गुड़ी पश्चिम बंगाल	630.59	0.99	0.92	1.02
2.	चुनाभुटी जलपाई गुड़ी पश्चिम बंगाल	401.80	0.07	0.05	0.06
3.	करबला टी एस्टेट जलपाई गुड़ी पश्चिम बंगाल	753.67	1.38	1.26	1.32
4.	न्यू डुअर्स टी एस्टेट जलपाई गुड़ी पश्चिम बंगाल	784.01	1.26	1.12	1.11
5.	मीम टी एस्टेट दार्जीलिंग पश्चिम बंगाल	177.15	0.09	0.09	0.01
6.	डेसम टी एस्टेट, डिब्रुगढ़ असम	477.97	0.85	0.82	0.66
7.	खोआंग टी एस्टेट डिब्रुगढ़ असम	995.95	1.76	1.81	1.58
8.	बासमटिया टी एस्टेट डिब्रुगढ़, असम	270.26	0.64	0.62	0.60
9.	राजगढ़ टी एस्टेट डिब्रुगढ़, असम	282.99	0.47	0.47	0.42
10.	टीनकोंग टी एस्टेट डिब्रुगढ़, असम	501.16	0.91	0.94	0.84
11.	हुलुंगोरी टी एस्टेट, जोरहाट, असम	403.34	0.39	0.32	0.37
12.	मुरफुलानी टी एस्टेट जोरहाट, असम	330.52	0.36	0.32	0.41

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

3219. श्री राम नाईक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषरूप से मेरठ में बुनकर अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा परिस्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत, ऐसा कोई विशेष दृष्टांत खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ध्यान में नहीं आया है कि मेरठ अथवा देश के किसी अन्य भाग से खादी बुनकर जीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हों।

(ख) और (ग) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश संबंधी सोधानी समिति

3220. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों, विदेशी निगमित निकायों तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा निवेश संबंधी सोधानी समिति की कुछ सिफारिशों को मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किस हद तक यह भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) अनिवासी भारतीयों के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं और प्रोत्साहनों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित कार्यदल द्वारा की गई अनेक सिफारिशों को भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया है और 25.9.1996 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिए उन्हें अधिसूचित कर दिया गया है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण से स्पष्ट है। ये सिफारिशें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले से स्वीकृत/कार्यान्वित की गई सिफारिशों के अतिरिक्त हैं।

इन उपायों के साथ-साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण और अनुमोदन-तंत्रों में पारदर्शिता लाने के लिए किए जा रहे सरकार के अन्य प्रयास देश में अधिक विदेशी निवेशों को आकृष्ट करने के लिए सकारात्मक और निवेशक के अनुकूल माहौल बनाते हैं।

विवरण

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा रूग्ण यूनिटों में 100 प्रतिशत निवेश की योजना को और उदार बनाया जाएगा।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा अनिवासी भारतीय संबंधियों से व्यक्तिगत उद्देश्यों तथा व्यापारिक गतिविधियों हेतु ब्याज मुक्त अप्रत्यावर्तनीय ऋणों के लिए सामान्य अनुमति दी जाएगी। सात वर्षों की परिपक्वता के साथ 2.5 लाख अमरीकी डालर तक ब्याज मुक्त प्रत्यावर्तनीय ऋण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वतः ही स्वीकृत किए जाएंगे। अन्य मामले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मामला दर मामला के आधार पर निपटाए जाते रहेंगे।

(ग) रिजर्व बैंक एक अनिवासी (विदेशी) (एन.आर.ई.) खाते से दूसरे व्यक्ति के अनिवासी (विदेशी) खाते में किसी भी उद्देश्य के लिए निधियों के अंतरण की अनुमति देगा।

(घ) अनिवासी भारतीय/ओ.सी.वी. को उन्हीं शर्तों पर विद्यालय एवं महा-विद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी जैसे किसी निवासी व्यक्ति/निगमित निकाय को अनुमति दी जाती है।

(ङ) मौजूदा 40 प्रतिशत योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुबंध-III में शामिल उद्योगों से इतर उद्योगों में अनिवासी भारतीयों/ओ.सी.वी. द्वारा सूचीबद्ध कम्पनियों को छोड़कर अन्य कम्पनियों में प्रत्यावर्तन-आधार पर 51 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी जाएगी।

(च) पुरानी 40 प्रतिशत तथा प्रस्तावित 51 प्रतिशत योजना के अंतर्गत निवेश को पात्र होने के लिए पात्र गतिविधियों से 60 प्रतिशत की कुल बिक्री संबंधी शर्त समाप्त कर दी जाएगी।

(छ) उद्यम पूंजी गतिविधि में अनिवासी भारतीय की सहभागिता की अनुमति उन्हीं शर्तों पर दी जाएगी जिनपर इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है।

(ज) आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.) तथा अन्य आवास वित्त संस्थाओं को अनिवासी भारतीयों को मौजूदा आवासों का अधिग्रहण/सुधार करने के लिए उन्हीं शर्तों पर ऋण देने की अनुमति दी जाएगी जो निवासियों पर लागू होती हैं।

(झ) अनिवासी भारतीय विदेशी निवेश से संबंधित सभी जानकारी इंटरनेट पर रखी जाएगी।

म्यांमार के साथ व्यापार समझौता

3221. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा व्यापार को बढ़ाने हेतु केन्द्र सरकार तथा म्यांमार सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समझौते की शर्तों को कार्यान्वित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या समझौते के अनुसार भारत द्वारा म्यांमार भू-क्षेत्र में सड़कें बनाने का कोई प्रावधान था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच सीमा व्यापार समझौता नई दिल्ली में 21.1.94 को हस्ताक्षरित हुआ। समझौते के अनुसार, सीमा व्यापार क्रमशः भारत में मोरेह और चम्पई से और म्यांमार में तमु एवं रीट के जरिए किया जाएगा। और दोनों देशों के बीच आपसी समझौते से अधिसूचित किए जाने वाले किसी अन्य रास्ते के जरिए इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की सीमा के साथ रहने वाले निवासियों द्वारा आदान-प्रदान के लिए 22 वस्तुओं को अभिज्ञात किया गया है। व्यापार मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में या प्रति व्यापार व्यवस्थाओं सहित दोनों देशों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत मुद्राओं में किया जाएगा।

(ग) इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरान्त, इस समझौते को जल्दी लागू करने के लिए म्यांमार के साथ जून, 1994 में द्विपक्षीय वार्ताएं की गई। आवश्यक बैंकिंग आप्रवास, सीमा शुल्क और अन्य सम्बद्ध व्यापार व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए कदम उठाए गए। इस संबंध में प्रगति की समीक्षा दोनों पक्षों के बीच जनवरी, 1995 में हुई सरकारी स्तर की बैठक में की गई जिसमें मणिपुर में मोरेह और म्यांमार में तामू के द्वारा 12 अप्रैल, 1995 को सीमा व्यापार की, अपने अपनी वाणिज्य मंत्रियों द्वारा, उद्घाटन करने के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। इस मार्ग के प्रचालन में आने के बाद सीमा-व्यापार को और ज्यादा मुकर बनाने के लिए यागोन में जुलाई, 1995 में और भारत में नवंबर, 1996 में म्यांमार के अधिकारियों के साथ समीक्षाएं की गई।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विनिवेश आयोग

3222. श्री दिनशा पटेल :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित विनिवेश आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ और उपक्रमों के मामले इस आयोग को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) विनिवेश आयोग ने 20.2.1997 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। विनिवेश आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों अर्थात् भारतीय गैस प्राधिकरण, भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. तथा मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लि. में विनिवेश के स्तर, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए विनिवेश कोष की स्थापना, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पुनर्गठन से संबंधित क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए स्वायत्तता तथा निगम प्रशासन से संबंधित अनुशंसाएं की हैं। सरकार इन अनुशंसाओं की जांच कर रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार विनिवेश आयोग को इसकी जांच हेतु कुछ और सरकारी क्षेत्र उद्यम सौंपने पर विचार कर रही है।

बैंकिंग क्षेत्र में भारत और ईरान द्वारा संयुक्त उद्यम लगाना

3223. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-ईरान संयुक्त उद्यम बैंक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त संयुक्त उद्यम बैंक स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(ग) क्या संयुक्त उद्यम बैंक की शाखाएं ईरान और भारत दोनों देशों में स्थापित की जाएंगी; और

(घ) उपरोक्त संयुक्त उद्यम बैंक द्वारा कब तक कार्य आरंभ किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि किसी भारतीय बैंक ने ईरान में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए उससे सम्पर्क नहीं किया है। इसी प्रकार किसी ईरानी बैंक ने भी भारत में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए उससे सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय न्यायिक सेवा

3224. श्री मुख़तार अनीस : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के संबंध में सभी राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक 23 राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। 9 राज्य सरकारों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है और अन्य 7 राज्यों ने अपना सशर्त समर्थन दिया है। 7 राज्यों ने प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है ओर 2 राज्य सरकारों से अभी उत्तर प्राप्त होना है।

(ग) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन करने संबंधी विषय पर सरकार विचार कर रही है। इसका गठन किए जाने के लिए कोई निश्चित अवधि बता पाना साध्य नहीं है।

[हिन्दी]

जाली करेंसी नोट

3225. प्रो. ओमपाल सिंह ''निडर'' : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर भारत में भेजे जा रहे जाली करेंसी नोटों के प्रयोग के बारे में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सचेत किया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने सभी निर्गम कार्यालयों, जिनमें चेन्नई,

कलकत्ता, नई दिल्ली एवं मुम्बई के कार्यालय शामिल हैं, को 14 अगस्त, 1996 को यह कहते हुए अनुदेश जारी किए हैं कि वे उन्हें प्रदत्त करेंसी नोटों को स्वीकार करते/परीक्षण करते समय अधिकाधिक सावधानी बरतें, जिससे कि जालसाजी, यदि कोई हुई हो, का पता लगे बिना नहीं रहे। इसके अतिरिक्त उन्हें उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र के बैंकों को भी ऐसी ही सावधानी बरतने के लिए सचेत करने की सलाह दी गई है।

लेजर मशीन

3226. **श्री पंकज चौधरी :**

कुमारी उमा भारती :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शल्य क्रिया के क्षेत्र में क्रांतिकारी मानी जाने वाली लेज़र मशीनें अपने देश में बनाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बनने वाली लेज़र मशीन की कीमत आयात की गई लेज़र मशीन से कम होगी; और

(घ) यदि हां, तो देश में बनने वाली लेज़र मशीन की अनुमानित लागत क्या होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सिर्फ एक ही भारतीय विनिर्माता द्वारा लेज़र मशीनों का विनिर्माण किए जाने की सूचना है।

(ग) और (घ) देश में ही विनिर्मित मशीनों की कीमत आयातित मशीनों से कम होने की सूचना है। देश में ही विनिर्मित मशीनों की कीमत अलग-अलग मॉडलों के हिसाब से उपभोक्ता द्वारा मांगी गई अंतर्निर्मित सुविधाओं पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

फलों का निर्यात

3227. **श्री अय्यन्ना पटरुधु :**

श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :

श्री आर. सम्बासिवा राव :

श्री अनंत कुमार :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आम सहित अन्य फलों की प्रतिशतता सहित कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इसके माध्यम से यूरोप तथा मध्य पूर्वी देशों में देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा हाल ही में आम उत्पादक किसानों और आंध्र प्रदेश के निर्यातकों की समस्याओं का अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) फल उत्पादकों विशेषकर आम उत्पादकों तथा निर्यातकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित आम फलों की मात्रा एवं मूल्य नीचे दिया गया है—

मात्रा : मी. टन में
कीमत : करोड़ रु. में

		1993-94		1994-95		1995-96	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	**यूरोपीय क्षेत्र**						
(i)	आम समेत फल	7291	14.81	12379	30.76	14745	40.45
(ii)	आम	1526	4.03	1604	3.43	1685	4.22
(iii)	फलों के निर्यात में आम का प्रतिशत	20.9%	21.3%	12.9%	11.1%	11.4%	10.4%
2.	**मध्य पूर्वी देश**						
(i)	आम समेत फल	16863	74.82	38767	65.02	39787	61.73
(ii)	आम	8346	36.37	17685	35.16	18090	29.96
(iii)	फलों के निर्यात में आम का प्रतिशत	39.1%	48.69%	45.6%	54.1%	45.4%	48.5%

(स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता एंड एपीडा)

देशवार आंकड़े डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़ों के वार्षिक अंक में उपलब्ध हैं। जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) एपीडा ने अभी तक आंध्र प्रदेश के आम के कृषकों तथा निर्यातकों की समस्या का अध्ययन नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता; और

(घ) फलों (आम समेत) के निर्यातकों की समस्या को हल करने के लिए कुछेक उपाय किए गए हैं, वे हैं :—

(1) गुणवत्ता रोपण सामग्री की आपूर्ति और उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय एवं शुष्क फल के क्षेत्रों के एकीकृत विकास के बारे में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के तहत कृषकों को प्रशिक्षण देना;

(2) ग्रेडिंग/प्रसंस्करण केन्द्रों नीलामी प्लेटफार्मों, पकाने/देख-रेख कक्षा की स्थापना के लिए एवं गुणवत्ता जांच उपकरणों हेतु आसान शर्तों पर ऋण का प्रबंध करना;

(3) विशेषीकृत परिवहन इकाइयों की खरीद करने, पूर्व प्रशीतन/प्रशीतन भण्डार सुविधाओं की स्थापना जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए निर्यातकों/उपजकर्ताओं/सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना;

(4) उन्नत पैकेजिंग और गुणवत्ता नियंत्रण के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय सहायता अनुदान;

(5) विदेशी बाजारों में उत्पादन खासकर आम की स्वीकार्यता सुधारने के लिए वाष्प ऊर्जा उपचार की स्थापना करना;

(6) अल्फान्सों को छोड़कर सभी किस्म के ताजे आमों समेत चुनिंदा ताजे फलों के निर्यात के लिए एयर फ्रेट इमदाद देना।

(7) विदेशी संभाव्य बाजारों में संवर्धनात्मक अभियान चलाना और महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी।

कोयले की आपूर्ति

3228. **प्रो. रीता वर्मा** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) के उन अनुषंगी एककों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बोकारो इस्पात संयंत्र के कोयले की आवश्यकताएं पूरी की हैं और इस प्रत्येक अनुषंगी एकक से कितना कोयला प्राप्त हुआ;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान कोयले की गुणवत्ता के बारे में उक्त संयंत्र से कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार घटिया किस्म के कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए प्रत्येक कोयला कंपनी के बिल में की गई कटौती का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.) भारत के कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) तथा नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (ना.ई.को.) से कोयले की प्राप्ति की जाती है। पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र को किए गए कोयले के प्रेषण का कम्पनी-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(000 टन में)

	1993-94	1994-95	1995-96
से.को.लि.	990.70	751.10	870.70
भा.को.को.लि.	2240.00	2123.00	2278.00
ना.ई.को.	43.00	32.43	65.45

(ख) से (घ) बोकारो इस्पात संयंत्र सहित इस्पात संयंत्रों को कोयले के प्रेषण की गुणवत्ता, संयुक्त रूप से लदान स्थलों तथा इस्पात संयंत्रों, दोनों पर ही निर्धारित की जाती है। कोयला प्रेषण की गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को मासिक आवंटन बैठक में उठाया जाता है/विचार-विमर्श किया जाता है तथा कोयला प्रेषणों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

इस्पात संयंत्रों को आपूर्तित कोयले की कीमतें, राख की प्रतिशतता के आधार पर गुणवत्ता से संबंधित हैं तथा इसी के अनुसार कीमतों का समायोजन किया जाता है। बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा बिलों से की गई वर्ष-वार कटौती नीचे दी गई है :—

(लाख रुपए में)

	1993-94	1994-95	1995-96
से.को.लि.	726.01	299.98	1052.05
भा.को.को.लि.	869.92	532.66	355.64
ना.ई.को.	शून्य	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

लौह अयस्क का निर्यात

3229. **श्री नवल किशोर राय** :

श्री जस्टिस गुमान मल लोढा :

श्री अमर पाल सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश से लौह अयस्क का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान औसत कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया है;

(ग) देश में लौह अयस्क के भंडार की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(घ) देश में लौह अयस्क की औसत खपत कितनी है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए लौह अयस्क की मात्रा नीचे दी गई है—

वर्ष	मात्रा (लाख टन में)
1994-95	260.48
1995-96	304.00
1996-97	190.81

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

(ग) 1.4.1990 की स्थिति के अनुसार लौह अयस्क का प्राप्य भंडार (जिसमें संभावित भंडार भी शामिल हैं) 12744 मिलियन टन है।

(स्रोत : आई बी एम, नागपुर)

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क की घरेलू खपत नीचे दी गई है—

वर्ष मात्रा	(मिलियन टन में)
1994-95	33.4
1995-96	36.2
1996-97 (अप्रैल-नवंबर)	24.6

(स्रोत : आई बी एम, नागपुर)

[अनुवाद]

लघु कृषक विकास बैंक

3230. श्री शरत पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के लघु तथा सीमांत किसानों के कल्याण के लिए लघु कृषक विकास बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छोटे और सीमान्त किसानों की ऋण अपेक्षाओं को विद्यमान संस्थागत व्यवस्था के द्वारा पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा भण्डार

3231. श्री काशी राम राणा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशों की मुद्रा विदेशी मुद्रा भण्डार में उपलब्ध हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त भण्डार में से कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ग) उक्त मुद्रा भण्डार का उपयोग उत्पादक कार्यों पर न किए जाने के कारण मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में मोटे तौर पर प्रमुख देशों, जहां बाजार गहन और अस्थिर हैं, की परिवर्तनीय दुर्लभ मुद्राएं शामिल होती हैं।

(ख) समस्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों को विदेशों में निवेश किया गया है।

(ग) उत्पादनशील कार्य, विदेशी मुद्रा भंडारों के उपयोग और मुद्रास्फीति के बीच प्रत्यक्ष सह-संबंध स्थापित करना कठिन है।

रेशम का निर्यात

3232. कुमारी उमा भारती : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान रेशम उत्पादकों के निर्यात में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने केन्द्र सरकार से रेशम की विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए स्वदेशी कच्चे माल के भंडार को बनाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) रेशम उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के रेशम उत्पादों के निर्यात की कोई एकल प्रवृति नहीं रही है। जबकि वर्ष 1993-94 की तुलना में वर्ष 1994-95 के दौरान देशम उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई है फिर भी 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात में गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फैशन तथा उपभोक्ताओं की अभिरुचियों में परिवर्तन होना, अमरीकी डालरों में रेशम के सामान की इकाई निर्यात मूल्य में गिरावट आना/स्थिरता आना तथा संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप जैसे प्रमुख बाजारों में सामान में मंदी होना था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) रेशम उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद् को विभिन्न निर्यात संवर्द्धन क्रियाकलाप

जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मेलों में सह-भागिता करने, टेक्स स्टाइल्स इंडिया जैसे घरेलू मेलों में प्रजनन संवर्द्धन मंडप लगाने, विदेश व्यापार पत्रिकाओं में प्रचार करने, 'सिल्क इंडिया' नामक पत्रिका के प्रकाशन तथा घरेलू रेशम विनिर्माताओं के लिए रंग संबंधी पूर्वानुमान लगाने, निर्यातकों में विदेशी व्यापार सूचना प्रसारित करने आदि शुरू करने के लिए सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त सरकार ने रेशम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे कि—अग्रिम लाइसेंस योजना के अंतर्गत कच्चे माल का शुल्क मुक्त आयात करने की सुविधा, निर्यात उत्पाद के लिए रियायती शुल्क दर पर पूंजीगत माल का आयात करना आदि।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी निवेश

3233. श्री सुरेन्द्र यादव :

श्री नीतीश कुमार :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों के विकास और विस्तार हेतु सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में विदेशी निवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार तथा उद्योग-वार कितना निवेश किया गया है;

(ग) क्या उपरोक्त निवेश के परिणामस्वरूप इन उद्योगों में लाभ में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उद्योग-वार तथा वर्ष-वार अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ख) सरकारी उपक्रमों के लिए पंचवर्षीय योजना में आबंटित योजना परिव्यय में विदेशी निवेश शामिल नहीं है। तथापि, कुछ ऐसे सरकारी उपक्रम हैं, जिनमें शेयर व ऋण के माध्यम से विदेशी पार्टियों ने पूंजीनिवेश किया है। 31-3-1995 तक शेयर व ऋण के संदर्भ में विदेशी पूंजीनिवेश क्रमशः 112.21 करोड़ रुपए तथा 36173.79 करोड़ रुपए था। दिनांक 19-7-1996 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1994-95 के खण्ड-I के विवरण संख्या 17 तथा 18 में उपक्रम-वार ब्यौरा दिया गया है। वर्ष 1992-93 के दौरान, जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभिक वर्ष था, शेयर व ऋण के संदर्भ में विदेशी पार्टियों का पूंजीनिवेश क्रमशः 121.81 करोड़ रुपए तथा 30703.98 करोड़ रुपए था। वर्ष 1992-93 एवं वर्ष 1994-95 के, जब तक की जानकारी उपलब्ध है, वर्ष-वार संचयी आंकड़े सम्बन्धित वर्ष के लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-I में दिए गए हैं।

(ग) से (घ) सरकारी उपक्रमों की लाभकारिता को विदेशी पूंजीनिवेश के सम्बद्ध नहीं किया जा सकता।

[अनुवाद]

अवैध शराब की फैक्ट्री

3234. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में शास्त्रीनगर में अवैध शराब की फैक्ट्री का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शराब के अवैध व्यापार को रोकने तथा सरकार का राजस्व बचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) सीमा शुल्क विभाग ने उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में अवैध शराब की फैक्ट्री के किसी मामले का पता नहीं लगाया है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि शराब का उत्पादन, विनिर्माण, स्वामित्व, परिवहन, खरीद और बिक्री का मामला राज्य का विषय है।

अतः राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त कदम उठाए जाने हैं।

प्रत्यक्ष कर संग्रहण

3235. श्री एन. एस. वी. चित्थन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए पूरे देश में राज्यवार प्रत्यक्ष करों की कुल कितनी वसूली हुई;

(ख) देश में प्रथम सौ कर-दाताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्यक्ष करों से राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) समग्र देश में 28-2-1997 तक प्रत्यक्ष करों से हुई कुल वसूली 28204.02 करोड़ रु. है। वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं।

(ग) प्रत्यक्ष करों की राजस्व वसूलियों को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) बेहतर वसूलियों के लिए स्रोत पर कर कटौती सर्किलों को सुदृढ़ करना;

(ii) अग्रिम कर के द्वारा बेहतर वसूलियों के लिए सर्वेक्षण कार्यों को बढ़ाना;

(iii) स्वतः कर निर्धारण की देय अदायगी के पश्चात् विवरणियों को दायर करने को सुनिश्चित करना; और

(iv) नियमित कर-निर्धारण के द्वारा वसूलियों को बढ़ाने के लिए बड़े मामलों के कर-निर्धारण के कार्य को पूरा करना।

निजी क्षेत्र में निश्चित अवधि के लिए जमाबंदी में निवेशकों की रुचि

3236. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क), क्या सरकार को जानकारी है कि निवेशक निजी क्षेत्र यथा टाटा फाइनेंस, एल. एण्ड टी फाइनेंस, बिरला ग्लोबल फाइनेंस, महिन्द्रा फाइनेंस टेवेंटीयथ सेंच्यूरी फाइनेंस, मफत लाल फाइनेंस, अन्नाग्राम फाइनेंस तथा ऐपल फाइनेंस आदि में निश्चित अवधि के लिए धन जमा करने में रुचि लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सूचित किया है कि प्रश्न में दी गई वित्त कम्पनियां गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां हैं जो सावधि जमाराशियां स्वीकार करती हैं। सावधि जमा-राशियों में निवेशकों का अधिमान संबंधित संस्थाओं द्वारा उनके पास रखी गई सावधि जमा-राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज सहित अनेक कारणों से हो सकता है।

(ग) चूंकि गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां वित्तीय क्षेत्र का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए सरकार, गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियों की सावधि जमाराशियों में कमी लाने के लिए कदम उठाने का विचार नहीं रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया है कि गैर-बैंककारी वित्तीय कम्पनियां इस तरह से कार्य करें कि वे जमाकर्ताओं के हितों के अनुरूप हों।

उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

3237. श्री मुरलीधर जेना : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं को परियोजना-वार कितनी धनराशि आबंअित की गई है; और

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

(मिलियन अमरीकी डालर में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	उधार/ऋण की राशि	समापन की तारीख
1.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन	290.90	30.09.02
2.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचना	350.00	31.12.02

राज्य क्षेत्र की इन परियोजनाओं के अतिरिक्त ऐसी अनेक बहु-राज्यीय और केन्द्र क्षेत्र की परियोजनाएं हैं जिनमें उड़ीसा राज्य भी एक लाभभोगी है।

[हिन्दी]

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया

3238. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान बकाया राशि न चुकाए जाने के कारण सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया के नयागांव एकक को बिजली के बिलों इत्यादि का भुगतान न करने के कारण बंद कर देना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस एकक के बंद हो जाने के कारण कितनी राशि की हानि हुई; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (सी.सी.आई.) की नयागांव सीमेंट इकाई पिछले वर्ष बंद नहीं की गई थी। तथापि, बिजली के बिलों की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण, राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली काट देने से इस इकाई में उत्पादन कार्यकलाप वर्ष 1996 में करीब 34 दिन तक निलम्बित रहा। कंपनी नकदी की समस्याओं के कारण भुगतान नहीं कर सकी।

(ग) सी.सी.आई. ने बताया है कि इस इकाई में उत्पादन कार्यकलाप निलम्बित रहने के परिणामस्वरूप लगभग 34 हजार टन सीमेंट के उत्पादन की हानि हुई थी।

(घ) सी.सी.आई. रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित की गई है और कंपनी ने मसौदा पुनरुद्धार पैकेज विचारार्थ प्रचालन एजेंसी को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। इस पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ, नयागांव इकाई सहित कंपनी की विभिन्न इकाइयों में निजी डी.जी. सेटों की स्थापना की परिकल्पना की गई है ताकि अबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र का विकास

3239. श्री के. सी. कोंडय्या : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास हथकरघा वस्त्रों की किस्मों के विकास तथा कर्नाटक में इसके बाजार को सुदृढ़ बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो योजना के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आज तक विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर कुल 339.75 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है।

प्राथमिक पूंजी बाजार

3240. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्राथमिक पूंजी बाजार में कितनी कंपनियों की तथा कितनी धनराशि बढ़ाई गई;

(ख) 31 दिसम्बर, 1996 की तिथि के अनुसार बाजार आधारित पूंजीकरण के संबंध में कितनी कंपनियों को कितनी धनराशि का घाटा हुआ;

(ग) क्या वैकल्पिक तौर पर परिवर्तनीय डिबेंचरों द्वारा धनराशि जुटाई जाती तो निवेशकों को होने वाले ऐसे घाटों को टाला जा सकता था अथवा कम किया जा सकता था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निवेशक को सुरक्षित निर्गम मार्ग से निकालने के लिए भो.एस.डी. जारी करने हेतु धनराशि बढ़ाने को अनिवार्य करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कंपनियों की संख्या	प्राथमिक पूंजी बाजारों से जुटाई गई धनराशि
1994-95	1692	27632.1
1995-96	1725	20803.7
1996-97 (फरवरी, 97 तक)	864	13181.1

(ख) सेबी ने बताया है कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1996 और 31 जनवरी, 1997 की अवधि के बीच बंबई स्टाक एक्सचेंज के बाजार पूंजीकरण में 68,215 करोड़ रुपए की हानि हुई। तथापि इसे निधियों की हानि नहीं माना जा सकता।

(ग) से (ङ) जिस साधन के जरिए पूंजी जुटाई जानी चाहिए उसका निर्धारण निर्गमकर्ता कंपनियों और उनके प्रमुख व्यापारिक बैंकरों द्वारा किया जाता है। निर्गमकर्ता कंपनियां अपनी पूंजी संरचना की योजना अपनी जरूरतों के अनुसार बनाती हैं। तत्पश्चात् यह निवेशकों का विकल्प हो जाता है कि वे कंपनियों द्वारा जारी किए गए किन्हीं विशेष साधनों में अंशदान करें अथवा अंशदान न करें। बाजार साधनों के निर्गमकर्ताओं द्वारा भिन्न-भिन्न विकल्पों के पूंजीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव की सही स्थिति बताना संभव नहीं है।

निर्यात संसाधन क्षेत्र की स्थापना

3241. श्री हरिन पाठक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निर्यात संसाधन क्षेत्रों का स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात से निर्यात किए जा रहे उत्पादों का ब्यौरा क्या है और इनका कुल निर्यात में कितने प्रतिशत योगदान होता है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात संवर्धन क्षेत्रों की प्रचुर निर्यात क्षमता को देखते हुए देश में विशेषकर गुजरात में इनकी संख्या में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) देश में कार्यरत सात निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई पी जैड) बम्बई (महाराष्ट्र), कांडला (गुजरात), नोएडा (उत्तर प्रदेश), मद्रास (तमिलनाडु), कोचीन (केरल), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और विखाखापट्नम (आंध्र प्रदेश) में स्थित है।

(ख) निर्यात के बारे में राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) कांडला में एक निर्यात संसाधन क्षेत्र कार्य कर रहा है। निधि की उपलब्धता तथा मौजूदा निर्यात संसाधन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को ईष्टतम बनाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, केन्द्र सरकार का देश में नए क्षेत्र स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। तथापि, निर्यात संसाधन क्षेत्र अब राज्य सरकारों द्वारा अथवा संयुक्त/निजी क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं। सूरत में ऐसा ही एक निजी निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय स्टाक बाजार

3242. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु निवेशकों के भारतीय स्टाक बाजार में विश्वास समाप्त होने के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है, विशेषकर मर्चेंट बैंकरों के खिलाफ जिन्होंने कारोबार के पिछले रिकार्ड वाले अथवा बिना कारोबार के रिकार्ड वाले उद्यमियों को उच्च प्रीमियम पर बाजार में अपने शेयर बेचने को प्रेरित किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को अक्तूबर, 1996 में जे.एम. शेयर और स्टॉक ब्रोकर्स लि. से एक अनुसंधान रिपोर्ट प्राप्त हुई है। यह अध्ययन अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996 तक की अवधि के दौरान पब्लिक इश्यू जारी करने वाली 2012 कम्पनियों के संबंध में किया गया था। इस अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष था कि प्राथमिक बाजार के निवेशकों को निर्गम मूल्य और स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीकरण संबंधी मूल्य की तुलना में शेयरों के मूल्यों में गिरावट होने के कारण पर्याप्त हानि हुई है।

(ग) सेबी के प्रकटीकरण और निवेशक संरक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ प्राथमिक पूंजी बाजार में पहुंचने का विचार करने वाली कम्पनी के पास या तो लाभांश का भुगतान करने का तीन वर्ष का ट्रैक रिकार्ड हो अथवा उसकी परियोजना का मूल्यांकन कर लिया गया हो और वित्तीय संस्थानों/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा परियोजना लागत के 10 प्रतिशत भाग की वित्तीय व्यवस्था की गई हो। प्रीमियम निर्गमों के मामले में प्रवर्तकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्ताव संबंधी दस्तावेजों में प्रीमियम का औचित्य बताएं। सेवी प्रस्ताव संबंधी दस्तावेज में जोखिम घटकों सहित सम्बद्ध प्रकटीकरण सुनिश्चित करती है ताकि निवेशक निवेश संबंधी सुविज्ञ निर्णय कर सकें। इसके अलावा, सेवी, सार्वजनिक अथवा अधिकार निर्गमों की व्यवस्था करते समय उद्यम का प्रयोग न करने वाले व्यापारिक बैंकरों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। सेवी के विनियमों का उल्लंघन होने के मामले में सेवी ने निवेशकों को अपने आवेदन पत्र वापस लेने की अनुमति दी है, पावती कार्डों के वापस लेने का आदेश दिया है और इस तरह के निर्गमों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

3243. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्पाद कर में बार-बार छूट देने के परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो ये उपक्रम कितने प्रभावित हुए हैं तथा उन सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों का नाम क्या है जिन पर विगत तीन वर्षों में भारी प्रभाव पड़ा है; और

(ग) ऐसे अनिश्चितताओं से निपटने के लिए सरकार क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार रखती है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) उत्पाद-कर में किसी प्रकार का परिवर्तन सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्र, दोनों के उद्यमों को समान रूप से प्रभावित करेगा।

सार्वजनिक निर्गम द्वारा धनराशि एकत्रित करके गायब हुई कंपनियां

3244. श्री मोहन रावले :

श्री तारीक अनवर :

श्री आई. डी. स्वामी :

श्री जय प्रकाश (हरदोई) :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता से धनराशि एकत्रित करके गायब होने वाली कई कंपनियों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास सार्वजनिक निर्गम के द्वारा धन एकत्रित करने वाली कंपनियों के अस्तित्व का पता लगाने और ऐसी निर्गम धनराशि के उपयोग की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के लिए सेबी द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अधिकतर कंपनियां, जिन्होंने जनता से धनराशि उगाही थी, अस्तित्व में हैं। अध्ययन से यह पता चला कि 1994-95 में प्रीमियम निर्गम के साथ सामने आने वाली 382 कंपनियों में से 2 कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हुई हैं तथा धनराशि जनता को वापस कर दी गई है। शेष 380 में से 377 में व्यापार हो रहा है। सेवी ने और सत्यापन के लिए कंपनी कार्य विभाग (डी. सी. ए.) को लिखा है।

(ग) से (च) निर्गम प्राप्तियों के उपयोग का अनुवीक्षण करने तथा यह पता लगाने के लिए कि क्या कंपनियां सार्वजनिक निर्गम के पश्चात् अस्तित्व में रहती हैं, उपाय नीचे दिए गए हैं :

(i) सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्गम के 500 करोड़ रुपए से अधिक के निर्गमों के मामले में, निर्गमकर्ताओं के लिए स्वैच्छिक रूप से उन वित्तीय संस्थाओं का नाम उद्घाटित करना अपेक्षित होता है, जो प्राप्तियों के उपयोग का अनुवीक्षण करेंगी;

(ii) सेबी के परामर्श के आधार पर शेयर बाजारों ने अपने सूचीकरण समझौतों को संशोधित किया है, जिसमें कंपनियों के लिए इनकी वार्षिक रिपोर्टों में जनता से जुटाई गई निधियों के उपयोग का उल्लेख करते हुए नकद प्रवाह विवरण देना अपेक्षित होता है;

(iii) सेबी द्वारा प्रायोजित मालेगाम समिति की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी कार्य विभाग (डी. सी. ए.) ने कंपनी अधिनियम

की छठी अनुसूची को संशोधित किया है, जिसके अनुसार यह जरूरी है कि कंपनी के तुलन-पत्र में निर्गम की सभी अप्रयुक्त निधियों का, उस प्रारूप को दर्शाते हुए जिसमें ऐसी अप्रयुक्त निधियां निवेशित की गई हैं, पृथक-पृथक उद्घाटन किया जाना चाहिए।

प्लाइवुड और इमारती लकड़ी उद्योग

3245. श्री सी. नरसिम्हन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लाइवुड और इमारती लकड़ी उद्योग के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्लाइवुड और इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए;

(घ) क्या ऐसे उत्पादों का उत्पादन करने के लिए लघु उद्योगों को भी लाइसेंस जारी किए जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) प्लाईवुड, सभी प्रकार के पृष्ठावरण, तथा लकड़ी आधारित अन्य उत्पाद जैसे कि पार्टीकल बोर्ड, मध्यम सघनता के फाइबर बोर्ड/ब्लाक बोर्ड उन उद्योगों की सूची में आते हैं जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

(ग) इस समय संगठित क्षेत्र में लगभग 50 एकक प्लाईवुड के विनिर्माण में लगे हुए हैं।

(घ) और (ङ) नई औद्योगिक नीति 1991 की शर्तों के अनुसार, उन लघु उद्योग उपक्रमों को छोड़कर जिनमें बिजली की सहायता के साथ 50 से कम या बिजली की सहायता के बिना 100 से कम कामगार नियुक्त हैं सभी औद्योगिक उपक्रमों के लिए प्लाईवुड उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है।

जूट बैग्स

3246. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वस्त्र मंत्री **यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों की स्थाई सलाहकार समिति (एस.ए.सी.ई.) ने सीमेंट की पैकिंग के लिए पटसन की बोरियों के उपयोग करने के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) से (ग) स्थायी परामर्शदात्री समिति ने सीमेंट, खाद्यान्न, चीनी तथा उर्वरक (यूरिया) की पैकिंग के लिए पटसन बोरों के प्रयोग के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती हैं। ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

एमआईटीसीओ का एमएमटीसी में विलय

3247. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का 2 मई, 1996 से मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ विलय कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड को क्या नया नाम दिया गया है और पूववर्ती माइका ट्रेडिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को एम एम टी सी के कर्मचारियों के समान क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी हां। पुनरुद्धार-सह-समायोजन/विलयन योजना को मंजूरी मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार बायफर) बी आई एफ आर की दिनांक 8.4.96 को हुई बैठक में दी गई थी। एमएमटीसी ने 2.5.96 को हुई अपनी असाधारण बैठक में 1.4.95 से प्रभावी विलय संबंधी आदेश पास किया।

विलय के पश्चात्, यह एमएमटीसी के एक प्रभाग के रूप में कार्य कर रहा है। तत्कालीन मिटकों के कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाएं बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार-सह-समायोजन/विलयन योजना के अनुसार हैं, लेकिन एमएमटीसी के बराबर नहीं है।

कोल इंडिया लिमिटेड एककों की लाभ/हानि

3248. जस्टिस गुमान मल लोढा :

श्री नीतीश कुमार :

क्य **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की घाटे में चल रही सहायक कंपनियों के पुनरुद्धार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के लिए अपेक्षित अतिरिक्त संभावित राशि कितनी है और उक्त राशि किन स्रोतों से जुटाए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) से (ग) सरकार द्वारा फरवरी, 1996 में को.इं.लि. की पूंजीगत पुनर्गठन हेतु एक स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार 432.64 करोड़ रु. की राशि के ब्याज रहित आयोजनागत ऋण पर 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण स्थगन अर्थात् 1998-99 तक और इसके बाद सामान्य

ब्याज सहित तीन समान वार्षिक किश्तों में इस राशि का प्रतिसंदाय किया जाएगा।

(ii) 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार योजनागत ऋण की 904.18 करोड़ रु. की देय बकाया राशि को अनावर्ती 10% तरजीह शेयरों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, जो कि वर्ष 2003-04 में परिशोधन योग्य होगी।

(iii) 891.75 करोड़ रु. (आयोजनागत ऋणों) की अधिक अवधि की देय बकाया ब्याज की राशि 1.4.1995 से देय दंडनीय ब्याज की राशि में छूट दिया जाना।

(iv) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., जो कि को.इं.लि. की एक सहायक कंपनी है, उसे सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि. द्वारा अधिसूचित की गई कोयले की ग्रेड कीमतों को प्रभारित किए जाने की अनुमति दिया जाना।

(v) कोककर कोयले तथा "ए", "बी" तथा "सी" ग्रेड के अकोककर कोयले की कीमतों तथा वितरण को विनियमित किया जाना।

फरवरी, 1997 में सरकार द्वारा "डी" ग्रेड के अकोककर कोयले और हार्ड कोक तथा साफ्ट कोक की कीमतों तथा उनके वितरण को विनियंत्रित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त उपायों के आवर्ती प्रभाव के कारण को.इं.लि. का वित्तीय आधार सुदृढ़ीकृत होगा तथा इसके परिणामस्वरूप को.इं.लि. की घाटे उठाने वाली सहायक कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी। इसके अतिरिक्त, को.इं.लि. की अपनी कुछ वित्तीय रूप में स्वस्थ सहायक कंपनियों की इक्विटी में कमी किए जाने का प्रस्ताव है, जो कि ऐसी सहायक कंपनियों में इक्विटी को ऋण में परिवर्तन किए जाने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर सहायक कंपनियों के ऋण को इक्विटी में परिवर्तन की कार्रवाई द्वारा की जाएगी। को.इं.लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर सहायक कंपनियों में नए इक्विटी के रूप में उपयोग किए जाने हेतु निमित्त राशि का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :–

ई.को.लि. —923.60 करोड़ रु.

भा.को.को.लि. —979.50 करोड़ रु.

कोककर कोयले और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा भारत कोकिंग कोल लि. के ए, बी तथा सी ग्रेड के अकोककर कोयले को विनियंत्रित किए जाने के परिणामस्वरूप, उक्त के संबंध में क्रमशः 360 करोड़ रु. तथा 400 करोड़ रु. की अतिरिक्त आय अर्जित हुई है।

औद्योगिक विकास

3249. श्री सनत मेहता :

श्री पवन दीवान :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक देश में औद्योगिक विकास संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) औद्योगिक उत्पादन में भारतीय कम्पनियों तथा विदेशी सहयोग वाली कम्पनियों का योगदान कितना-कितना रहा है; और

(ग) भारतीय कम्पनियों ने उदारीकरण के पश्चात् किस क्षेत्र में अधिकतम विकास की दर दर्ज की है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार मोटे तौर पर क्षेत्रवार वृद्धि दर इस प्रकार रही है :

क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत में

	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97*
विनिर्माण	6.1	9.8	13.0	11.0
खनन	3.5	7.5	7.1	2.5
विद्युत	7.5	8.5	8.2	3.7
कुल	6.0	9.4	11.6	9.1

*अप्रैल-नवंबर

औद्योगिक उत्पादन में भारतीय और विदेशी कंपनियों के योगदान के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

विश्व बैंक से ऋण

3250. श्री दत्ता मेघे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई सहायता राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) भारत सरकार को महाराष्ट्र सरकार से राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इंडस बैंक और टाइम्स बैंक के प्रमोटरों के खिलाफ आरोप

3251. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इंडस बैंक और टाइम्स बैंक के प्रमोटरों के खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों के गंभीर आरोप हैं;

(ख) क्या इन दो बैंकों की स्थापना करते समय इन प्रमोटरों को अनुमति देते समय इन तथ्यों को नजर अंदाज कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अन्य गैर सरकारी पार्टियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों को उनके खिलाफ लगे ऐसे ही आरोपों के कारण अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा लम्बित रखा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), जो गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी है, ने सूचित किया है कि इन्डसइंड बैंक लि. और टाइम्स बैंक लि. के प्रवर्तकों द्वारा किए गए वित्तीय एवं आपराधिक अपकरण के आरोप उनके सामने नहीं आए हैं।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि कोई बैंक खोलने के लिए किसी प्रवर्तक समूह को लाइसेंस दिया जा सकता है या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए एक मानदंड यह है कि वे अपने विद्यमान दायित्वों के संबंध में किसी बैंक/वित्तीय संस्थान के प्रति चूककर्ता न हों। इस नीति के अनुसरण में, चूककर्ता प्रवर्तकों और आरबीआई के अन्य विभागों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूछताछ की जाती है और जब यह मान लिया जाता है कि उन्हें योग्य और उचित प्रबंधन समूह माना जा सकता है, तभी उनको लाइसेंस जारी किया जाता है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की 1 करोड़ रु. या अधिक की चूक वाले चूककर्ता उधारकर्ताओं की सूची में आने वाले चूककर्ताओं को गैर-सरकारी क्षेत्र में नए बैंक स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। इस योजना को शुरू किए जाने से पूर्व, नया बैंक स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने से पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नए बैंकों के प्रवर्तकों के पूर्ववर्त्ती और पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्डों का सत्यापन किया गया था।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत रूस संधि

3252. श्री शान्तिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल :

श्री भक्त चरण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1997 को 'इंडियन एक्सप्रैस' के दिल्ली संस्करण में 'इंडो-रशियन ट्रीटी सून टू चेक एक्सिन फ्राड्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच हुई संधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्यात योजना के दुरुपयोग को रोकने में यह समझौता कहां तक सहायक होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) सीमा शुल्क संबंधी मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता के बारे में भारत और रूस के बीच एक द्विपक्षीय करार पर बातचीत हुई है और इस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने का विचार किया जा रहा है। इस करार में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए व्यवस्था है;

(i) सीमा शुल्क संबंधी अपराधों की रोकथाम, जांच-पड़ताल और अभियोजन में सहायता देना;

(ii) सीमा शुल्क कानून लागू करने और उनके प्रवर्तन हेतु सूचना आदान-प्रदान करना;

(iii) माल और यात्रियों को लाने ले जाने में सुगमता और तेजी लाने के लिए उपाय करना;

(iv) कार्मिकों के प्रशिक्षण और आदान-प्रदान करने तथा उन अन्य मामलों में जिनमें संयुक्त प्रयास अपेक्षित हों, नई सीमा शुल्क प्रक्रियाओं के अनुसंधान, विकास और परीक्षण में सहयोग करना; और

(v) सीमा शुल्क प्रणालियों में समन्वय और एकरूपता लाने और सीमा शुल्क तकनीकों में सुधार के लिए प्रयास करना।

इस करार के अंतर्गत प्रदान की गई सभी सहायता संविदाकारी पक्षों के स्वदेशी कानूनों के समनुरूप होगी।

(ग) आशा की जाती है कि इस करार से निर्यात योजनाओं के दुरुपयोग वाले मामलों के बारे में जांच-पड़ताल करने और प्रमाण प्राप्त करने के मामले में लाभप्रद सूचना और अन्य सहायता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

प्राकृतिक रबड़ के भंडारण मानदंड

3253. श्री अनंत कुमार :

श्री ए. सी. जोस :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राकृतिक रबड़ के लिए सुरक्षित खपत भंडार की अवधि को घटाकर दो माह से छह सप्ताह करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ के निर्यातकों को क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्राकृतिक रबड़ के किसी भी ग्रेड का किसी भी रूप में निर्यात किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ङ) देश में प्राकृतिक रबड़ की कोई निर्यात योग्य बेशी मात्रा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, इसके निर्यात के लिए किसी विशेष प्रोत्साहन का प्रस्ताव नहीं है।

पड़ोसी देशों द्वारा भारत को परम मित्र राष्ट्र का दर्जा

3254. श्री सत्यजीतसिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को चीन अथवा किसी अन्य पड़ोसी देशों से परम मित्र राष्ट्र का दर्जा प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो देश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य देशों के मानक के साथ ऐसा दर्जा प्राप्त करने के लिए संधिवार्ता किस दौर में है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) भारत ने अपने सभी पड़ौसी-देशों यथा, अफगानिस्तान, बंगलादेश, भूटान, चीन, मालदीप, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्री लंका को परम मित्र राष्ट्र (एम.एफ.एन.) का दर्जा प्रदान किया है तथा पाकिस्तान को छोड़कर इनमें सभी देशों ने पारस्परिक आधार पर भारत को एम.एफ.एन. दर्जा प्रदान कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तान द्वारा भारत को एम.एफ.एन. दर्जा प्रदान करने का मुद्दा उनके साथ उठाया है।

सोना जब्त किया जाना

3255. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट विमान पत्तन पर यात्रियों/विमान चालक दल के सदस्यों से सोना, विदेशी मुद्रा तथा प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट विमानपत्तन पर यात्रियों से पकड़े गए निषिद्ध माल के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	पकड़े गए माल का मूल्य (लाखों रुपयों में)		
वर्ष	सोना	विदेशी करेंसियां	अन्य
1994-95	172.92	291.39	33.57
1995-96	339.76	130.51	22.85
1996-97 (28.2.97 तक)	256.42	152.79	2.49

गत तीन वर्षों के दौरान कालीकट में विमान चालक दल के किसी सदस्य के शामिल होने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

[हिन्दी]

आर्थिक विकास के लिए जापानी मदद

3256. श्री सत्य देव सिंह :

श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान द्वारा भारत के आर्थिक विकास में मदद देने की पेशकश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) जापान सरकार ने 1996-97 ओ.ई.सी.एफ. ऋण सहायता के लिए निम्नलिखित 11 परियोजनाओं के लिए 132,746 मिलियन येन की पेशकश की है :—

परियोजनाएं	(मिलियन येन में)
1. उत्तरी भारत पारेषण प्रणाली परियोजना	8,497
2. पश्चिम बंगाल पारेषण प्रणाली परियोजना	11,087
3. उमियाम हाइड्रो पावर केन्द्र सुधार परियोजना	1,700
4. दुईरियाल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक विद्युत केन्द्र परियोजना	11,695
5. सिंहाद्रि ताप विद्युत केन्द्र परियोजना	19,817
6. दिल्ली मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना	14,760
7. कलकत्ता परिवहन आधार ढांचा विकास परियोजना	10,679
8. पूर्वी कर्नाटक वनरोपण परियोजना	15,968
9. तमिलनाडु वनरोपण परियोजना	13,324
10. केरल जलापूर्ति परियोजना	11,997
11. राजघाट नहर सिंचाई परियोजना	13,222

क्रम सं. 1-7 और 11 पर दी गई परियोजनाओं के लिए ब्याज-दर 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष है जबकि क्रम सं. 8-10 पर दी गई परियोजनाओं के लिए 2.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। वापसी अदायगी की अवधि 30 वर्ष की है जिसके साथ 10 वर्ष की छूट अवधि भी है।

(ग) उपर्युक्त सभी परियोजनाओं के लिए भारत और जापान की सरकारों के बीच ऋण करारों पर 25.2.1997 को हस्ताक्षर किए गए।

[अनुवाद]

एशियाई और यूरोपीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम और निवेश समझौता

3257. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आयोग एशियाई और यूरोपीय कम्पनियों के बीच परस्पर लाभकारी व्यापार संबंध और निवेश के विकास को बढ़ावा देने के लिए अभिकल्पित "एशिया निवेश" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नई योजना से भारत-यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा देने और संयुक्त उद्यमों की स्थापना किए जाने की कहां तक संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) जी, हां। यूरोपीय आयोग "एशिया इन्वेस्ट" नामक एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है ताकि एशियाई और यूरोपीय लघु एवं मझौले उद्यमों (एस एम ई) के बीच पारस्परिक लाभ के व्यापारिक संबंधों का विकास किया जा सके।

(ख) यह आशा की जाती है कि "एशिया इन्वेस्ट" कार्यक्रम के तत्वावधान में चलाए जाने वाली सम्भावित कार्य योजनाओं से दोनों पक्षों के व्यापारियों और आर्थिक प्रचालकों के बीच व्यापक रूप से सम्पर्क स्थापित हो सकेंगे जिसके फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच निवेश और व्यापार सहयोग का विस्तार करने में महत्त्वपूर्ण सुधार हो सकता है।

निर्यात संवर्धन योजनाओं का सरलीकरण

3258. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में निर्यात संवर्धन योजना को सरलीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बारे में निर्यात घरानों से भी विचार-विमर्श किया गया था और वर्तमान निर्यात संवर्धन योजना के सरलीकरण के संबंध में निर्यात घरानों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इससे निर्यातकों को किस हद तक लाभ पहुंचा है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (घ) निर्यात नीति एवं क्रिया-विधियों का सरलीकरण एक सतत् प्रक्रिया है जो विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परमार्श से किया जाता है साथ ही ऐसा करते समय फियो, फिक्की, एसोचेम सी आई आई इत्यादि जैसे शीर्षस्थ निकायों के जरिए उद्योग और व्यापार के समय-समय पर प्राप्त सुझावों को भी ध्यान में रखा जाता है। इस बारे में उठाए गए कुछेक महत्त्वपूर्ण कदम शामिल हैं—विनिर्दिष्ट श्रेणी के निर्यातकों को निर्यात एवं आयात खेपों के ग्रीन चैनल क्लीमरेंस की व्यवस्था, आयात और निर्यात पर से धीरे-धीरे लाइसेंसिंग और अन्य विवेकाधीन नियंत्रणों को कम करना, विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं को लागू करने के लिए अधिक अधिकारों का प्रत्यायोजन, और विभिन्न निकासियों को शीघ्र निपटाने के लिए प्रचालन आधार पर कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करना।

इन प्रयासों का असर निर्यात वृद्धि में देखा जा सकता है जो निरपेक्ष रूप में वर्ष 1994-95 में 26.33 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष 1995-96 में 31.83 बिलियन अमरीकी डालर हो गए।

[हिन्दी]

सीमेंट कम्पनियों का पंजीकरण

3259. श्री कचरूभाउ राउत : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार और वर्षवार कितनी सीमेंट कंपनियों का पंजीकरण किया गया है; और

(ख) देश में राज्य वार कितनी सीमेंट कम्पनियां कार्यरत हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) 25 जुलाई, 1991 से सीमेंट उद्योग के लाइसेंस मुक्त हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा स्थापना संबंधी स्वीकृति के बाद भारत सरकार के पास उद्यमियों को केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) दायर करना होता है। वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की राज्यवार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ख) देश में कार्यरत बड़े सीमेंट संयंत्रों के राज्यवार वितरण को दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है। इनके अलावा, देश में लगभग 310 छोटे सीमेंट संयंत्र हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 9 मिलियन टन है। तथापि इन संयंत्रों के राज्यवार ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई ई एम) की राज्यवार संख्या

राज्य	1994	1995	1996
आंध्र प्रदेश	293	468	403
असम	9	14	6
बिहार	37	53	44
गुजरात	756	1113	694
हरियाणा	269	425	326
हिमाचल प्रदेश	56	83	42
जम्मू एवं कश्मीर	3	18	7
कर्नाटक	177	235	160
केरल	51	95	80
मध्य प्रदेश	251	368	261
महाराष्ट्र	769	967	736
मेघालय	1	1	6
नागालैंड	1	—	1
उड़ीसा	20	55	27
पंजाब	211	280	187
राजस्थान	241	301	233
सिक्किम	—	1	—
तमिलनाडु	498	731	530
त्रिपुरा	—	—	1
उत्तर प्रदेश	382	503	520
पश्चिम बंगाल	156	330	232
अरुणाचल प्रदेश	1	—	—
अंडमान एवं निकोबार	—	1	4
चंडीगढ़	1	1	9
दादरा एवं नगर हवेली	220	202	127
दिल्ली	90	62	3
गोवा	33	63	54
पांडिचेरी	61	66	55
दमन एवं दीव	77	66	77
योग	4664	6502	4825

विवरण-II

संचालन में बड़े सीमेंट संयंत्रों की राज्यवार संख्या

राज्य	सीमेंट संयंत्रों की संख्या
1	2
दिल्ली	1
हरियाणा	2
पंजाब	1
हिमाचल प्रदेश	4
जम्मू एवं कश्मीर	1
राजस्थान	14
उत्तर प्रदेश	5
बिहार	5
उड़ीसा	3
पश्चिम बंगाल	2
असम	1
मेघालय	1
तमिलनाडु	8
आंध्र प्रदेश	17
कर्नाटक	8
केरल	1
महाराष्ट्र	7
गुजरात	11
मध्य प्रदेश	23
योग	115

[अनुवाद]

निधि कंपनियां

3260. श्री के. परशुरामन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निधि कंपनियों को जमा पर ब्याज की सीमा से मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी छूट से अन्य वित्तीय कंपनियों, विशेषरूप से बैंकों के कारबार के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 24 अगस्त, 1996 को कुछ नीतिगत उपायों की घोषणा की है जिसमें निधि कंपनियों को जमाराशियों पर अलग-अलग मामलों के लिए चुनिंदा आधार पर, किन्हीं शर्तों की अनुपालना के अध्यधीन, ब्याज दर नियत करने के लिए मुक्त कर दिया है। आरबीआई ने 15.1.1997 को एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है जिसमें कुछ और छूट भी दी गई हैं। निधि कंपनियों की जमाराशियों पर अपनी ब्याज दर नियत

करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(i) निधि कंपनी, भारत सरकार, कंपनी कार्य विभाग की दिनांक 4 दिसम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 773 (ई) में निहित निर्देश पूरा करती हो।

(ii) निधि-कंपनी की निवल स्वाधिकृत निधि 31 मार्च, 1996 को सकारात्मक हो;

(iii) निधि-कंपनी, जमाकर्ताओं के दावों की राशियां जैसे-जैसे उनके दावे देय हों, ब्याज सहित उन्हें वापिस करने की स्थिति में हो और भविष्य में भी ऐसा करने की उसकी स्थिति होनी चाहिए।

(iv) 15 जनवरी, 1997 को निधि-कंपनी की जमादेयताओं में निवल स्वनिधि और वर्धमान जमाराशियों का अनुपात आवेदन करने की तारीख को 1:20 से अधिक न हो। तथापि, जिन निधि कंपनियों की निवल स्वाधिकृत निधि और जमाराशि का अनुपात 15 जनवरी, 1997 को 1:20 या उससे कम हो, उन्हें कुल जमादेयताओं का अनुपात 1:20 तक सीमित रखना चाहिए।

(v) उपरोक्त अपेक्षाएं पूरी करने का प्रमाणीकरण निधि कंपनी के कानूनी लेखा-परीक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए, जो कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया के सदस्य हों।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सोने तथा विदेशी मुद्रा का जब्त किया जाना

3261. श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा राज्य-वार कितने मूल्य की तस्करी का सोना पकड़ा गया;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्यवार तथा वर्षवार कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त की गई;

(ग) इस संबंध में राज्यवार तथा वर्षवार कितनी गिरफ्तारियां की गईं; और

(घ) सरकार द्वारा सोने तथा विदेशी मुद्रा की तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लघु क्षेत्र के उद्योगों संबंधी समिति

3262. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री टी.एस. विजय राघवन की अध्यक्षता में लघु क्षेत्र के विनिर्माताओं के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो, समिति के अन्य सदस्यों के क्या नाम हैं तथा समिति के सुझावार्थ कौन-कौन से विषय प्रस्तुत किए गए;

(ग) क्या समिति से नियत समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई थी ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। उद्योग (विकास और विनिमय), अधिनियम 1951 के अंतर्गत आरक्षण पर गठित सलाहकार समिति ने 28 अगस्त 1995 को आयोजित अपनी बैठक में आरक्षण सूची की समीक्षा करने और समय-समय पर आरक्षण पर सलाहकार समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति का गठन 17 अक्तूबर, 1995 को किया गया था। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं :—

श्री टी. एस. विजयराघवन, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।	अध्यक्ष
श्री बी.डी. जेथरा सलाहकार योजना आयोग।	सदस्य
श्री बी. भनोट उप-महानिदेशक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग।	सदस्य
डा. अहमद मसूद, सदस्य (तकनीकी), औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो।	सदस्य
डा. सी. एस. प्रसाद, आर्थिक सलाहकार, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय।	सदस्य
श्रीमती अदिति रे, उप आर्थिक सलाहकार औद्यागिक नीति और संवर्धन विभाग।	सदस्य
श्री एम. सी. सिंधी, उप-आर्थिक-सलाहकार, उद्योग मंत्रालय।	सदस्य
श्री ब्रह्म दत्त संयुक्त सचिव, लघु उद्योग और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग।	सदस्य-सचिव

(ग) और (घ) समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट तीन मास की अवधि में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट नवम्बर 1996 में प्रस्तुत की और उसे लघु उद्यमों की विशेषज्ञ समिति को भेज दिया गया था।

कपास का निर्यात

3263. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में कपास का निर्यात किया गया;

(ख) कपास के निर्यात से देश ने कितना राजस्व अर्जित किया;

(ग) कपास के निर्यात से कपास और सूती वस्त्रों की घरेलू कीमतें किस सीमा तक प्रभावित हुई हैं; और

(घ) इससे सूती वस्त्रों का निर्यात किस हद तक प्रभावित हुआ है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार कपास के लिए निर्यात कोटों की घोषणा कपास के उत्पादन के अनुमान, उपलब्धता, मिलों, छोटे कताई कर्ताओं तथा गैर-मिल क्षेत्र की खपत, संभावित बेशी, मूल्य की प्रवृतियां आदि सहित सभी संबद्ध कारकों पर विचार करने के बाद करती है। कपड़े की कीमतों में अंतर होने का कारण कपास का निर्यात नहीं माना जा सकता क्योंकि कपास के निर्यात के लिए कोटों की रिलीज घरेलू मांग तथा पूर्ति की स्थिति को ध्यान में रखने के लिए ही की जाती है।

विवरण

अपरिष्कृत कपास की देश-वार निर्यात

मात्रा गांठ में
मूल्य लाख रु. में

	1992-1993		1993-94		1994-95	
देश	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ताइवान	7181	410.27	17288	1217.02	—	—
जापान	203037	11076.72	65519	3348.86	48005	3610.25
मलेशिया	14839	848.09	2124	131.49	—	—
थाइलैंड	171402	8116.64	64961	4186.93	—	—
श्री लंका	24105	1362.94	5795	356.19	—	—
बंगलादेश	30692	1417.36	16402	990.00	1804	180.00
इंडोनेशिया	147191	8945.78	78968	5283.89	—	—
हांगकांग	387799	19248.01	75522	4766.15	—	—
फिलीपीन्स	82740	4315.28	8893	595.73	—	—
ब्रिटेन	42021	2276.40	1900	113.22	—	—
ब्राजील	128286	7455.06	11949	655.00	—	—
नेपाल	9597	554.69	1846	95.19	—	—
टर्की	6000	358.77				
रोमानिया	37457	2160.94	11432	592.17	6000	612.00
स्विटजरलैंड	11037	606.33	3750	223.47	—	—
बेल्जियम	38174	1720.96	—	—	3080	2349.24
सिंगापुर	21765	996.56	—	—	300	35.10
अन्य	13295	666.40	24095	1268.27	21726	1548.17
कुल	1376618	72537.20	390444	23823.58	108125	8338.70

न्यायालयों में लंबित मामले

3264. श्री के. डी. सुल्तानपुरी : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में भ्रष्टाचार तथा आपराधिक मामलों संबंधी कितने मामले न्यायालय-वार लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाए जाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

नए कोयला भण्डार

3265. श्री जय प्रकाश अग्रवाल :

श्री आर. एल. पी. वर्मा :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश की कोयला खानों में कोयले का राज्य-वार कितना भण्डार है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खोजे गए नए कोयला भण्डारों का ब्यौरा क्या है और तथा उन पर राज्यवार कितना व्यय किया गया है;

(ग) नए कोयला भण्डारों का पता लगाने के लिए किए जा रहे अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) दिनांक 1.1.1997 की स्थिति के अनुसार, (1200 मीटर की गहराई तक) भारतीय भू-सर्वेक्षण (जी.एस.आई.) द्वारा भारत के कोयला मंडारों को 204652.69 मि.ट. आंकलित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(मिलियन टन में)

राज्य	जोड़
1	2
आंध्र प्रदेश	13057.23
अरुणाचल प्रदेश	90.23
असम	320.21
बिहार	67819.36
मध्य प्रदेश	41451.21
महाराष्ट्र	6738.79
मेघालय	459.43
नागालैंड	19.94
उड़ीसा	47889.83
उत्तर प्रदेश	1061.80
पश्चिम बंगाल	25744.66
जोड़ :	204652.69

(स्रोत : जी.एस.आई.)

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषित कोयला भंडारों तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

राज्य	भंडार (मिलियन टन में)	किया गया व्यय (लगभग) (करोड़ रु. में)
पश्चिम बंगाल	1350.84	2.75
बिहार	413.62	2.06
मध्य प्रदेश	803.21	7.58
उड़ीसा	1363.16	4.14
आंध्र प्रदेश	36.73	2.69

(स्रोत : जी.एस.आई.)

(ग) वर्ष 1996-97 में खनन कार्य के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए जा रहे चालू अन्वेषण क्रियाकलापों तथा उनके संबंध में निधि आवंटनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

राज्य	कोयला क्षेत्र	क्रियाकलापों के क्षेत्र
1	2	3
पश्चिम बंगाल	रानीगंज	(क) बिस्तुपुर-पांडेश्वर
		(ख) ट्रांस-दामोदर
		(ग) बेरूई-बगदीहा
	राजमहल-मालदा मास्टर बसीन	(क) बालूरघट-हिल्ली
बिहार	ईस्ट बोकारो	(क) कोईतनर (ईस्ट)
	औरंगा	(क) लेटेहर
	राजमहल ग्रुप के कोयला क्षेत्र	(क) उरमा-पहाड़ीतोला
		(ख) छाउघर-गरईपानी
मध्य प्रदेश	हसदो-अरांड	(क) केन्टे
	मांद-रायगढ़	(क) नगडरना
		(ख) ओंगाना-पोटिया
	कोरबा	(क) करकोमा
	सोहागपुर	(क) बतूरा

1	2	3
		(ख) केलमीनई-मिथोरी
		(ग) शाडोल
	टाटापानी-	(क) मेघुली
	रामकोला	(ख) धमनी
		(ग) सुरसा
	सिंगरौली	(क) सिंगरौली मेन बसीन
उड़ीसा	तलचर	(क) नार्थ आफ अखरपल एंड श्रीरामपुर
		(ख) बघरिया-अनली
		(ग) कोसाला (ईस्ट)
	ईब-घाटी	(क) बुधझरिया
महाराष्ट्र	वर्धा वैली	(क) मसर-पिरली-पवना
		(ख) वेस्ट आफ सोनेर
आंध्र प्रदेश	गोदावरी वैली	(क) जगन्नाथपुरम-गुडीपडु
		(ख) वेंकटापुर (नार्थ)
		(ग) कोपरया-कचीनापल्ली
		(घ) रामपुरम
		(ङ) येलन्दू

उपर्युक्त क्रियाकलापों हेतु वर्ष 1996-97 (दिसम्बर, 1996 तक) की अवधि के दौरान कुल आवंटित निधि लगभग 11.90 करोड़ रु. की राशि की है।

(स्रोत : जी.एस.आई.)

[अनुवाद]

लाइसेंस प्रदान करने के मानदंडों में छूट

3266. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता मदों के क्षेत्र को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करने के उद्देश्य से 161 उपभोक्ता मदों के लिए लाइसेंस प्रदान करने के मानदंडों में छूट प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) सरकार के लिए आयात प्रतिबंधों में छूट किस सीमा तक सहायक है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) आयात-निर्यात नीति की समीक्षा की सतत् प्रक्रिया के भाग के रूप में कुछ मदों की आयात नीति में परिवर्तन, वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 10.02.1997 की अधिसूचना संख्या 23 (आर.ई.-96) में उल्लिखित विवरणों के अनुसार हाल ही में किए गए हैं जिनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। चूंकि अधिसूचना हाल ही में जारी की गई है, इसलिए इन मदों के आयात करने पर सरकार द्वारा संभावित वार्षिक शुल्क अर्जन संबंधी अथवा इनके घरेलू उद्योग पर होने वाले प्रभाव संबंधी मूल्यांकन करना मुश्किल होगा।

पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड

3267. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की शक्तियां छीन लेने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय तथा विभाग को उन परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार इसके तथा योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श करने के बाद दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि परियोजना को केवल इस आधार पर मंजूरी नहीं दी जाएगी कि परियोजना प्राधिकरण ने टोकन राशि प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ये प्रस्ताव पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की शक्तियां कम करने में सहायक हुए हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को मंजूर करने में होने वाली देरी को कम करने में किस हद तक इससे सहायता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों को सार्वजनिक निवेश बोर्ड की शक्तियां हस्तांतरित करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय द्वारा नहीं किया गया है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बोर्डों को निवेश निर्णयों पर अधिक शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक निर्णय की घोषणा की थी।

ऐसे अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं कि सभी निवेश प्रस्तावों को यथेष्ठ निधीयन प्रबंधों से सम्पन्न होना चाहिए।

सार्वजनिक निवेश बोर्ड के सामने किसी भी मामले को प्रस्तुत करने से पहले निवेश निर्णय के प्रत्येक चरण के बारे में समय अनुसूची प्रस्तुत करने के अनुदेश भी विद्यमान हैं। समय अनुसूची पर्याप्त है यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रत्येक अभिकरण का है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी एकक

3268. श्री डी. पी. यादव : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1996-97 के दौरान देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने निर्यातोन्मुख एककों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन एककों में कुल कितनी धनराशि का निवेश किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन एककों में रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान इन एककों में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया):

	सम्पूर्ण देश	उत्तर प्रदेश
(क) वर्ष 1996-97 के दौरान अनुमोदित निर्यातोन्मुख इकाइयों (ई ओ यू) की संख्या	455	29
(ख) इन ई ओ यू में किए जाने वाला प्रस्तावित निवेश (करोड़ रुपयों में)	9994.53	457.85
(ग) इन ई ओ यू में पर्यवेक्षी तथा गैर-पर्यवेक्षी स्टाफ का प्रस्तावित नियोजन (संख्या)	71.990	4373
(घ) इन ई ओ यू में लगाए जाने वाले प्रस्तावित कर्मचारियों का प्रतिशत	100%	6%

[अनुवाद]

लद्दाख में आयकर दाता

3269. श्री पी. नामग्याल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान लद्दाख के आयकर दाताओं से वर्ष-वार तथा जिलावार अलग-अलग कुल कितना धन वसूल किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): गत तीन कर निर्धारण वर्षों के दौरान लद्दाख क्षेत्र के आयकर-दाताओं से वसूल की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

1994-95	50,000/- रु.
1995-96	51,000/- रु.
1996-97	38,000/- रु.

लेह और कार्गिल जिलों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

स्टाम्प-पत्रों की कमी

3270. श्री दिनेश चन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के कुछ जिलों में 10 रुपए और 5 रुपए मूल्य के स्टाम्प-पत्रों की कमी से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्य को कम मूल्य वाले स्टाम्प-पत्रों की पर्याप्त संख्या में पूर्ति करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) आपूर्ति में कमी प्रतिभूति मुद्रणालयों में क्षमता संबंधी बाध्यताओं के कारण है।

(ग) मुद्रणालयों की क्षमता नई मशीनरी की स्थापना और प्रेसों की उत्पादन गतिविधियों के पुनर्गठन द्वारा बढाए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

वसूल न किया गया ऋण

3271. श्री बादल चौधरी :

श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों को दिए गए जिस ऋण की वसूली नहीं की गई, उसकी कुल धनराशि क्या है;

(ख) वसूल नहीं किए गए जिस ऋण की धनराशि पांच करोड़ से अधिक है उसका व्यापार घरानावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे ऋण की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग के अनुसार सूचना प्राप्त नहीं होती है। तथापि, सितम्बर, 1994 (भारतीय रिजर्व बैंक के पास अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को श्रेणीवार अतिदेय अग्रिमों का विवरण नीचे दिया गया है :—

श्रेणी	अतिदेय अग्रिम (रु. करोड़)
बड़े और मझौले उद्योग	8153.12
लघु उद्योग	5419.85
कृषि	5321.23
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	3977.66
सभी अन्य	5805.81
जोड़	28677.67

(ग) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देयराशियों की वसूली में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों पर जोर दिया है कि वे ऋण मूल्यांकन मशीनरी को सुदृढ़ करने और अग्रिमों

पर निकट से पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखें। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली/उनमें कमी के लक्ष्यों को निर्धारित किया है। महाप्रबंधक के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्यालयों में वसूली कक्ष स्थापित किए गए हैं। निदेशक मण्डलों से भी नियमित आधार पर वसूली की स्थिति की पुनरीक्षा करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के गोपनीय प्रयोग के लिए चूककर्ता उधारकर्ताओं की एक सूची छमाही आधार पर परिचालित करने की प्रणाली शुरू की है जिससे कि निर्णय लेते समय इस सूचना का उपयोग किया जा सके।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे उद्योग

3272. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में घाटे में चल रहे और मुनाफा कराने वाले उद्योगों का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन औद्योगिक एककों को हुए घाटे के कारणों की विस्तारपूर्वक जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इन एककों को होने वाले घाटे को रोकने हेतु क्या कदम उठाया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार सूची संसद के दोनों सदनों में 19.7.1996 को प्रस्तुत किए गए सरकारी उद्यम सर्वेक्षण 1994-95 के खण्ड I, परिशिष्ट III में दी गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निवल लाभ/हानि को दर्शाता हुआ सरकारी क्षेत्र का उद्यमवार ब्यौरा उक्त खंड के विवरण 7क और 7ख में दिया गया है।

(ख) और (ग) घाटा उठाने के कारण उद्यम सापेक्ष हैं। तथापि, कुछ सामान्य कारण हैं :—अप्रचलित एवं पुराने संयंत्र तथा मशीनरी, अधिशेष मानवशक्ति, अधिक ब्याज का बोझ, उपयुक्त बाजार की कमी आदि।

(घ) कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उठाए गए कदम उद्यम सापेक्ष हैं। तथापि, सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवधिक कार्य-निष्पादन समीक्षा बैठकें, निदेशक मंडलों को अधिक शक्तियां, बोर्ड प्रबंधन का व्यावसायीकरण, समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करना, स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति द्वारा अधिशेष श्रम-बल में कमी, प्रौद्योगिकी उन्नयन आदि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बैंक में धोखाधड़ी

3273. श्री आई. डी. स्वामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 06.11.1996 को हिन्दुस्तान टाइम्स में "बैंक इन टिजी एज स्टाफ स्विंडल 1.45 करोर" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दंडनीय, लापरवाही, जालसाजी के आपराधिक कार्य, धोखाधड़ी और दुराचरण के मामलों में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अनुशासन रखने और यह सुनिश्चित करने कि उन बैंकों के प्रशासन पर उचित नियंत्रण है, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खनिज और धातु व्यापार निगम के अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए मामले

3274. श्री अनन्त गुढे : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें जांच पूरी हो चुकी है तथा तत्संबंधी क्या परिणाम निकले और दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1995-96 के दौरान सी.बी.आई. द्वारा कुल 4 मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

	मामलों का विस्तृत विवरण	सी.बी.आई. द्वारा दर्ज की गई तारीख	एम.एम.टी.सी. के अधिकारियों के खिलाफ	टिप्पणियां
(1)	मैसर्स विजय सी फूड इन्टरनेशनल	29.2.1996	प्रबंधक 1	एम.एम.टी.सी. द्वारा सतर्कता जांच पूरी करने के बाद मामले दर्ज किए गए एवं भूतपूर्व सी.जी.एम. को जी.एम. के पद पर पदावन करने का बड़ा दंड लगाया गया। विजय सी फूड से संबंधित सी.बी.आई. रिपोर्ट 25.2.1997 को प्राप्त हुई।
(2)	विजयवाडा के 5 चुनिन्दा डीलरों को उर्वरकों की अनधिकृत ऋण बिक्री	29.2.1996	वरिष्ठ प्रबंधक 1	एम.एम.टी.सी. द्वारा यह मामला 29.1.96 को सी.बी.आई. के पास भेजा गया। सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट 15.1.97 को प्राप्त हुई जिसमें अधिकारी के खिलाफ "बडे" दंड की कार्रवाई शुरू करने की सलाह दी गई। चार्जशीट वरिष्ठ प्रबंधक को जारी की जा रही है।* *आगे की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए इन दोनों मामलों के मूल दस्तावेज सी.बी.आई. से प्राप्त किए जा रहे हैं।

ब्रेथवेट एण्ड कंपनी का पुनरुद्धार

3275. श्री बसुदेव आचार्य : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेथवेट एण्ड कंपनी का पुनरुद्धार कार्य "बी.आई.एफ.आर." की स्वीकृत योजना के अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसके पुनरुद्धार हेतु स्वीकृत धन जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी लाभप्रदता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत स्कीम में, 26.68 करोड़ रुपए की नवीन निधियों के निवेश की परिकल्पना की गई है जिसमें 8.38 करोड़ रुपए जनशक्ति के युक्तिकरण, सरकारी ऋण की इक्विटी में परिवर्तित करने तथा सरकारी ऋण पर बकाया ब्याज को बट्टे खाते डालने के लिए हैं। पुनरुद्धार स्कीम में, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 62.32 लाख रुपए के दण्ड-ब्याज को माफ करने, 1.38 करोड़ रुपए की राशि के बकाया ब्याज को ब्याज के भुगतान किए गए आवधिक ऋण में परिवर्तित करने तथा आवश्यकता–आधारित कार्यशील पूंजी दिए जाने की भी परिकल्पना की गई है। यह स्कीम कार्यान्वयनाधीन है।

(ग) से (ङ) सरकार ने अब तक 9.38 करोड़ रुपए दिए हैं और संशोधित प्राक्कलन 1996-97 में 8.19 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। युक्तिकरण हेतु निधियों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी पहले ही अपेक्षित जनशक्ति स्तर तक पहुंच चुकी है। यद्यपि, कंपनी का कार्यनिष्पादन 1995-96 में, मुख्यत: वैगन-आर्डर दिए जाने में हुई देरी से प्रभावित हुआ, तथापि, वर्ष 1996-97 में कंपनी के कार्यचालन परिणामों में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है जिससे टर्नअराउंड के संकेत मिलते हैं।

एक्सचेंज नियंत्रण विनियमन

3276. श्री भक्त चरण दास :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक में एक्सचेंज नियंत्रण विनियमन पर भारी छूट की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न प्रकार के व्यवहार्यता अध्ययन, कानूनी सेवाओं, डाक संबंधी आयात तथा डिजाइन एवं ड्राइंग की खरीद के संबंध में अदायगी के वर्तमान विनियमनों को भी उदार बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे किस हद तक बैंकों को लाभ होगा/देश से निर्यात में सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) इससे व्यापार संवर्धन की आशा है क्योंकि इससे निर्यातक/आयातक आदि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर प्राधिकृत डीलरों के माध्यम से अनुबंधों में निर्दिष्ट प्रयोजनार्थ प्रेषण करने में समर्थ होंगे, प्रक्रियागत विलम्बों से बचा जा सकेगा और लेनदेनों/भुगतानों के शीघ्रता से निपटान किए जा सकेंगे।

विवरण-I

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली जनवरी, 1997 से विनियम नियंत्रण विनियमों में निम्नलिखित प्रमुख रियायतों की घोषणा की है।

1. सालिसिटर की फीस/औसत समायोजक की फीस

भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा सालिसिटरों की फीस/औसत समायोजक फीस आदि के प्रति 10,000 अमरीकी डालर तक की रकम भेजने की विद्यमान सीमा को हटा दिया गया है। प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई है कि वे ऐसी प्रेषणाओं को वास्तविक आधार पर ही अर्थात् किसी मौद्रिक सीमा के बगैर ही अनुमति दें।

2. आयातित मशीनरी/साफ्टवेयर के लिए अनुरक्षण/वार्षिकसेवा प्रभार

प्राधिकृत डीलरों को भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों के साथ किए गए संविदाओं के आधार पर ऐसी प्रेषणाओं की अनुमति देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

3. निर्यातकों द्वारा विदेशों में कार्यालयों की स्थापना

भारतीय फर्मों/कम्पनियों द्वारा विदेशों में गैर-व्यापारिक कार्यालयों को खोलने के लिए आरम्भिक खर्चों के प्रति 25,000 अमरीकी डालर अथवा इसके बराबर राशि और विदेशों में अपने प्रतिनिधि तैनात करने के लिए 10,000 अमरीकी डालर अथवा इसके बराबर की राशि की विदेशी मुद्रा जारी किए जाने की विद्यमान सीमा को हटा दिया गया है। प्राधिकृत डीलरों को, आवेदक फर्म/कम्पनी द्वारा वहन किए जाने वाले वास्तविक व्ययों तक के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक व्ययों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति दी गई है।

4. भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों/फर्मों को देय प्रतिधारण शुल्क

प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई है कि वे भारतीय कम्पनियों/फर्मों को अपने उन विदेशी एजेंटों को देय प्रतिधारण शुल्क की वास्तविक राशि की प्रेषणा करने की अनुमति दें जो निर्यातों के संवर्धन के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे बशर्ते कि आवेदक फर्म/कम्पनी के पास उस केन्द्र में गैर-व्यापारिक/व्यापारिक कार्यालय न हो अथवा वहां प्रतिनिधि तैनात न किया हो।

विवरण-II

व्यवहार्यता अध्ययनों, कानूनी सेवाओं, डाक द्वारा आयातों और डिजाइनों तथा ड्राइंगों की खरीद के लिए भुगतानों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उदारीकृत विनियमों के ब्यौरे।

1. भारत में परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता/व्यवहार्यतापूर्व अध्ययन

प्राधिकृत डीलरों को भारतीय कम्पनियों द्वारा विदेशी कम्पनियों के साथ किए गए संविदाओं के आधार पर भारत में परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता/पूर्व व्यवहार्यता अध्ययनों के प्रति प्रेषणाओं की अनुमति देने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

2. कानूनी सेवाएं

आयात लेन-देनों से संबंधित कानूनी सेवाओं पर वहन किए गए खर्चों के प्रति 10,000 अमरीकी डालर या इसके बराबर राशि की मौद्रिक सीमा हटा दी गई है। प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई है कि वे आयात लेन-देनों से संबंधित कानूनी सेवाओं पर वहन किए गए/वहन किए जाने वाले वास्तविक व्ययों की प्रेषणाओं की ही स्वीकृति दें।

3. डाक द्वारा आयात

डाक द्वारा आयातों के लिए 5,000 अमरीकी डालर या इसके बराबर राशि की विद्यमान मौद्रिक सीमा को हटा दिया गया है। प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई है कि वे अंतर्ग्रस्त राशि का लिहाज किए बगैर डाक-पार्सल के माध्यम से आयातित माल की वास्तविक लागत की प्रेषणाओं की ही स्वीकृति दें।

4. डिजाइनों और ड्राइंगों का आयात

प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई है कि वे 25 लाख रुपए अथवा इसके बराबर की राशि तक के डिजाइनों और ड्राइंगों के आयात के प्रति प्रेषणाओं की स्वीकृति दें। उन्हें अब अनुमति दी गई है कि उनके आयातक ग्राहकों द्वारा आयातित डिजाइनों और ड्राइंगों की वास्तविक लागत के प्रति प्रेषणाओं की स्वीकृति दें।

5. समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं द्वारा संवाददाताओं/प्रतिनिधियों की नियुक्ति/तैनाती

प्राधिकृत डीलरों को अनुमति दी गई है कि वे भारतीय समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों/पत्रिकाओं द्वारा उनके विदेशों में तैनात संवाददाताओं/प्रतिनिधियों द्वारा उनकी नियुक्ति की प्रकृति और तैनाती के देश का लिहाज किए बगैर उनकी नियुक्ति की शर्तों और निबंधनों के अनुसार वहन किए गए/वहन किए जाने वाले वास्तविक मासिक अनुरक्षण व्ययों की प्रेषणाओं के लिए अनुमति दें।

6. इलैक्ट्रानिक डाटा बेस लागतें

ए.डी. द्वारा मुद्रा जारी करने के लिए विद्यमान 10,000 अमरीकी डालर की सीमा को हटा लिया गया है। एडी को अनुमति दी गई है कि वे डाटा बेस लागतों, कम्प्यूटर कनैक्ट/टाइम चार्जेज, सोफ्टवेयर चार्जेज, हिट चार्जेज आदि के प्रति भारतीय कम्पनियों द्वारा वास्तव में वहन किए गए प्रभारों की अनुमति दें।

7. विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन

प्राधिकृत डीलरों को भारत की फर्मों/कम्पनियों/संगठनों के साथ-साथ बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा विदेशी समाचार पत्रों/पत्रिकाओं जैसे विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों की वास्तविक लागत की प्रेषणाओं की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में लंबित मामले

3277. डा. बलिराम : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिला न्यायालयों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 15 फरवरी, 1997 तक विभिन्न तरह के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) क्या उक्त न्यायालयों में बहुत अधिक मामले लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का सिविल मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) और (ख) तारीख 30.4.1996 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में क्रमशः 8,41,085 और 31,12,460 मामले लंबित थे।

(ग) न्याय को त्वरित और कम खर्चीला बनाने के निरंतर प्रयास की दिशा में, सरकार, न्यायिक प्रक्रियाओं को और सरल बनाने, न्यायालयों और न्यायिक पदों की संख्या में वृद्धि करने, न्यायालय भवनों और निवास सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त निधि का उपबंध करके न्याय प्रदान करने संबंधी अवसंरचना को मजबूत बनाने, और लोक अदालतों, न्याय पंचायतों और अन्य विकल्प तथा विवाद समाधान की स्थानीय समुचित पद्धतियों को अंगीकृत करने का आशय रखती है।

[अनुवाद]

बकाया आयकर

3278. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय तीन वर्षों से अधिक तक वसूली हेतु बकाया आयकर की राशि क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि को बट्टे-खाते में डाला गया, और उसके क्या आधार थे; और

(ग) उन आयकर-दाताओं का ब्यौरा क्या है जिनकी एक लाख रुपए से अधिक की धनराशि के बकाया आयकर को बट्टे-खाते में डाला गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिन्दी का प्रयोग

3279. श्री जगदम्बी प्रसाद : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय द्वारा रोमन लिपि वाले कम्प्यूटर, टेलेक्स मशीन, टेलिप्रिंटर आदि जैसे आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं और इन्हें द्विभाषी बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन द्विभाषीय उपकरणों का मंत्रालय द्वारा किस प्रकार उपयोग किया जाएगा;

(ग) हिन्दी के प्रयोग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाएगा;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा क्षेत्र 'क' में स्थित कार्यालयों, जहां शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जाता है, को हिन्दी का प्रयोग किए जाने से छूट प्रदान की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार की छूट देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) मंत्रालय में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश उपकरण जैसे कि कम्प्यूटर, इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर आदि द्विभाषिक हैं। रोमन लिपि के कुछ पुराने उपकरणों को भी द्विभाषी उपकरणों में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ख) सम्बन्धित स्टाफ को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे मंत्रिमण्डल टिप्पणी, रिपोर्ट आदि जैसे दस्तावेजों को द्विभाषी रूप से प्रस्तुत करने में सफलता मिलेगी।

(ग) आधुनिक उपकरणों के उपयोग से द्विभाषी दस्तावेजों की गुणवत्ता तथा स्तर में सुधार होगा तथा मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयकर के लंबित मामले

3280. श्री अन्ना साहिब एम. के. पाटिल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में आयकर विभाग द्वारा उच्च न्यायालयों के पास सुनवाई के लिए प्रेषित मामलों की उच्च-न्यायालय-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन मामलों में अंतर्ग्रस्त अनुमानित राजस्व की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में इन लंबित मामलों के निपटान के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या लंबित मामलों की स्थिति पर हाल ही में पुनर्विचार किया गया है और उच्च न्यायालयों के पास लंबित मामलों की बढ़ती हुई समस्या से निपटने के लिए महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) आयकर विभाग द्वारा प्रेषित किए गए मामलों तथा उन मामलों, जो गत तीन वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं, के बारे में उच्च न्यायालय-वार सूचना नहीं रखी जाती है।

विभाग द्वारा उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर किए गए मामलों की संख्या और जो मामले गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लंबित पड़े हुए थे, उनके बारे में समेकित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	संख्या
31-3-94	42603
31-3-95	39666
31-3-96	41918

(ख) अनुमानित राजस्व के ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ग) विभाग द्वारा सभी अपीलों/संदर्भित मामलों में एक समान मुद्दों की एक साथ जोड़े जाने से संबंधित मामले को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ उठाया गया है, जिसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अलग से एक संयुक्त रजिस्ट्रार कार्य कर रहा है, जो न्यायिक प्रबंध और विधायी अनुसंधान प्रकोष्ठ का प्रमुख है। विभाग ने उक्त संयुक्त रजिस्ट्रार को मानव शक्ति के रूप में अपेक्षित सहायता भी मुहैया की है। परिणामतः आयकर संदर्भों से संबंधित 404 मामलों को एक साथ जोड़ा गया, सूचीबद्ध किया गया और निर्णीत किया गया है। धारा 256 (2) (आई टी सी) के अंतर्गत 11 याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया, सूचीबद्ध किया गया और निर्णीत किया गया है। इसी प्रकार धनकर अधिनियम की धारा 27 (3) के अंतर्गत 21 याचिकाओं को एक साथ जोड़ा गया, सूचीबद्ध किया गया और निर्णीत किया गया है। धनकर के 1105 मामलों को एक साथ जोड़ा गया, सूचीबद्ध किया गया और निर्णीत किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) कर निर्धारण और कर की वसूली में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभाग द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों का नीचे उल्लेख किया गया है :—

1. विभिन्न कानूनी मुद्दों को स्पष्ट करने और परिहार्य मुकदमेबाजी को कम करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विभिन्न उपबंधों को पुरः स्थापित करते समय और उसके बाद में भी परिपत्र जारी किए जाते हैं।

2. केवल उन मुद्दों पर, जिनके बारे में मतभेद न हो, धारा 143(1)(क) के अंतर्गत प्रथम दृष्ट्या समायोजन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

3. बहुत ही कम प्रतिशत में विवरणियों को संवीक्षा के लिए लिया जाता है।

4. कानून को सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मुकदमेबाजी की कम से कम गुंजाइश रह सके। परिणामतः आय का अनुमानित कराधान (धारा 44 कघ और 44 कङ के अंतर्गत) अधिनियमित किया गया है। आयकर अधिनियम को पूर्णरूपेण युक्ति संगत और सरल बनाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है। उक्त दल ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

5. उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित पड़े कानून के एक समान प्रश्नों पर बार-बार अपीलें दायर किए जाने से बचने के लिए दिनांक 1.4.84 से एक नया अध्याय XIV-क पुरःस्थापित किया गया है, जिसमें बार-बार अपीलों से बचने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

6. क्षेत्रीय कार्यालयों को इस आशय के अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे अनावश्यक मुकदमेबाजी में न उलझें और आयकर आयुक्तों (अपील) के अपीलीय निर्णयों को तब तक स्वीकार करें, जब तक कि निर्णय प्रतिकूल न हों। मुख्य आयकर आयुक्तों/आयकर महानिदेशकों द्वारा आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई अपीलों की एक प्रतिशतता की मासिक समीक्षा भी निर्धारित की गई है।

नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड

3281. श्री नामदेव दिवाथे : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन को ताप विद्युत स्टेशन-2 में ऊर्जा उत्पादन में वाटर वाल के पंक्चर हो जाने के कारण कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ख) ताप विद्युत स्टेशन-एक और दो में वर्ष 1996-97 के दौरान प्रति किलोवाट कितने तेल ईंधन की खपत हुई और इसकी तुलना साधारण खपत मानक से कैसे की जाती है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन को हुई उत्पादन संबंधी हानि का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन (ने.लि.का.) को वर्ष 1996-97 के दौरान तापीय गृह-II के ऊर्जा उत्पादन में वाटर-वाल में पंक्चर होने के कारण 243.369 मि. यूनिट की उत्पाद में हानि हुई।

(ख) सामान्य उपभोग स्तर (सी.ई.ए. मानदंड) के साथ एक तुलनात्मक विवरण तथा तापीय गृह-I के लिए वर्ष 1996-97 हेतु वास्तविक उपभोग तथा 28.2.1997 तक तापीय गृह के संबंध में ब्यौरा नीचे प्रस्तुत किया गया है :—

(एम.एल./कि.वा.प्रति घंटा में)

तापीय गृह-I		तापीय गृह-II	
मानक	वास्तविक	मानक	वास्तविक
3.00	3.189	5.00	2.91

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ के कारण ने.लि.का. को निम्नलिखित रूप में उत्पादन में हानि हुई, जो कि नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	टी.पी.एस.	खान
1994-95	शून्य	शून्य
1995-96	शून्य	शून्य
1996-97	177.764	3.75
	मि.यू.	लाख टन

(घ) लगातार तथा मूसलाधार वर्षा ही दोनों खानों के जलमग्न होने का कारण थी और न कि यह बाह्य क्षेत्र से जल घुसने के कारण हुआ था, विशेषज्ञ समिति ने बांध के स्तर को खान के भीतर ही उठाने तथा विस्तार किए जाने और भूमिगत जल-पम्पों तथा संबद्ध इलैक्ट्रीकल विस्थापनों की उच्च स्तर पर स्थापना किए जाने की सिफारिश की है।

(ङ) जहां कहीं भी संभव हो, पम्पिंग क्षमता में वृद्धि करके खान को पुनः सामान्य स्थिति में लाए जाने हेतु युद्ध स्तर पर कार्रवाई की गई।

अखबारी कागज संबंधी नीति में परिवर्तन

3282. श्री के. पी. सिंह देव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अखबारी कागज संबंधी नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परिवर्तन किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र आदि के प्रकाशन के लिए कागज की अच्छी किस्म को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) 29.10.1996 से अखबारी कागज के आयात पर 10% सीमा शुल्क लगा दिया गया है।

(2) 29.01.1997 से "वास्तविक उपयोगकर्ता" की शर्त लगा दी गई है।

(3) कागज और अखबारी कागज को "खुला सामान्य लाइसेंस" के तहत कर दिया गया है।

(4) नई औद्योगिक नीति के तहत स्थान संबंधी नीतियों की शर्त के तहत उन अखबारी कागज और लेखन व छपाई कागज एककों को अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसीकरण से मुक्त कर दिया गया है, जो अपनी लुग्दी का न्यूनतम 75% भाग खोई, कृषि अवशेषों और अन्य गैर-परंपरागत कच्चे माल से प्राप्त करते हों।

(5) अखबारी कागज के विनिर्माण हेतु लकड़ी की लुग्दी के आयात से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(6) अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है।

(7) अखबारी कागज को घरेलू उपलब्धता को प्रोत्साहित करने हेतु उन अखबारी कागज का विनिर्माण करने वाली मिलों को अखबारी कागज विनियंत्रण आदेश 1962 की अनुसूची-I में रखा जाता है जो बी.आई.एस. मानकों को पूरा करती हों।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की आर्थिक रूप से गैर-क्षम शाखाएं

3283. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आर्थिक रूप से गैर-क्षम ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी शाखाओं को बंद करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि बैंकों को इस बात की अनुमति नहीं दी जाती है कि वे ग्रामीण केन्द्रों में कार्यरत किसी भी शाखा को बंद कर दें। तथापि, उन केंद्रों पर जहां दो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) कार्यरत हैं, बैंक आपसी विचार-विमर्श से घाटे में चल रही शाखा को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। संबंधित जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा ऐसी शाखाओं को बंद करने के लिए विधिवत अनुमोदित प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को अग्रेषित किया जाना होता है। इस प्रक्रिया

के अंतर्गत ग्रामीण शाखाओं को बंद करने के लिए किसी भी बैंक ने अब तक भारतीय रिजर्व बैंक से संपर्क नहीं किया है।

वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अर्द्धशहरी केन्द्रों वाली अपनी शाखाओं को बंद कर सकते हैं।

मसालों का निर्यात

3284. श्री के. प्रधानी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत से मसालों का आयात कर रहे देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पश्चिम एशियाई देश भारतीय मसालों के मुख्य बाजार हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उन देशों को कुल कितनी मात्रा में मसालों का निर्यात किया गया;

(घ) क्या देश से मसाले निर्यात करने की काफी संभावनाएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मसालों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम एशियाई देशों को हुए मसालों के निर्यात और मसालों के कुल निर्यात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

मात्रा (मी. टन में)
मूल्य (लाख रु. में)

वर्ष	कुल निर्यात		पश्चिमी एशिया को हुआ निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1993-94	182361	56890.64	29264.77	7409.55
1994-95	157643	60648.33	27284.30	6464.38
1995-96 (अ)	211515	78589.33	40406.22	11889.67

(अ)—अनंतिम

(स्रोत : डी. जी. सी. आई. एंड, एस. कलकत्ता/मसाला बोर्ड)

देशवार निर्यात के आंकड़े डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता द्वारा प्रकाशित विदेश व्यापार के आंकड़े के मासिक बुलेटिन/वार्षिक अंकों में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें शामिल हैं—फसल प्रणाली दृष्टिकोण शुरू करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में परिवर्तन, अन्तर-क्षेत्रीय अनियमितताओं को कम करना, कम उत्पादकता स्तर वाले ब्लॉक/एरिया पर बल देना, अनुपयुक्त मृदाओं में कार्बनिक और मृदाउन्नाय का इस्तेमाल करना, एकीकृत कीट प्रबंध अपनाना, स्थान विशेष के अनुसार उच्च पैदावार की किस्म के बीजों और कृषि सामग्री का इस्तेमाल, के लिए कृषकों को प्रोत्साहन देना, क्षेत्रीय प्रदर्शन, कृषकों को प्रशिक्षण, काली मिर्च के बागानों के लिए विशेष कार्यक्रम लागू करना, अदरक, हल्दी एवं लाल मिर्च की अभित्याग किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन करना, गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रदर्शन-सह-उद्गम बागानों की स्थापना एवं उनका रख-रखाव, उच्च पैदावार किस्म वाले क्षेत्र का विस्तार तथा मृदा एवं जल संरक्षण उपायों को अपनाना।

सामान्य व्यापार नीति सुधारों के अलावा, मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें शामिल हैं—काली मिर्च के निर्यात (ब्राइन में काली मिर्च को छोड़कर) पर से उपकर समाप्त करना ताकि विदेशी बाजारों में इसकी मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी हो सके, ब्रांड संवर्धन योजनाओं को लागू करना जैसे--लोगो संवर्धन, गुणवत्ता उत्पादों के प्रोसेसर/निर्यातक की मान्यता के रूप में मसाला घराने का प्रमाण-पत्र देना; उत्पादों की जांच करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित करना; प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण; प्रोसेस उन्नयन एवं उत्पाद विकास।

टैनरी और फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया

3285. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टैनरी और फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के अलीमगंज पुनर्वास कालोनी में कामगारों के लिए कितने आवास उपलब्ध हैं और उनकी स्थिति क्या है;

(ख) क्या रख-रखाव के अभाव में कुछ मकान गिर गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने व्यक्ति घायल हो गए हैं;

(घ) क्या उन्हें आश्रय प्रदान करने हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार कामगारों जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, को बचाने हेतु पहल करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) टैनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. की एलनगंज आवासीय कालोनी में कामगारों के लिए 585 क्वार्टर हैं। ये 70 वर्ष से अधिक पुराने हैं और अच्छी हालत में नहीं हैं।

(ख) और (ग) दो मकानों की छत की भीतरी परतों का कुछ भाग पिछले मानसून में गिर गया और एक कर्मचारी के परिवार के एक सदस्य को मामूली चोटें आई थीं।

(घ) और (ङ) इन दो मकानों के अधिभोक्ताओं को कॉलोनी में वैकल्पिक आवास दिए गए थे।

(च) और (छ) कंपनी को उपचारी उपाय करने की सलाह दी गई है। टैफ्को ने सीमित आंतरिक संसाधनों की संभव सीमा के भीतर अनेक क्वार्टरों की छतों की मामूली मरम्मत करवाई है।

विदेशी निवेश प्रस्ताव

3286. **श्रीमती मीरा कुमार** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान देश में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के अनुबंध के साथ विदेशी निवेश के कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए है; और

(ख) ऐसे निवेशकों, निवेश का क्षेत्र और प्रस्तावित एककों के स्थान का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) वर्ष 1996 के दौरान देश में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना के लिए 162 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है जिनमें विदेशी/अनिवासी भारतीय निवेश अन्तर्निहित है।

(ख) हालेंड, यू.के., मॉरीशस, यू.एस.ए., इजराइल, इटली, सिंगापुर, जर्मनी इत्यादि सहित विभिन्न देशों से विदेशी निवेश आया है। निर्यातोन्मुख एककों को विभिन्न क्षेत्रों में नामतः फ्लोरीकल्चर वस्त्र, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, खाद्य प्रसंस्करण आदि में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिल

3287. **श्री सुशील चन्द्र** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कब और कितनी कपड़ा मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) इनके बंद होने से क्या कारण हैं और क्या भविष्य में इन्हें पुनः चालू किए जाने की कोई संभावना है;

(ग) कपड़ा मिल मालिकों द्वारा उनकी जमीन की बिक्री के संबंध में दिए गए सुझावों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मध्य प्रदेश में प्रत्येक बंद पड़ी मिलों के कामगारों के वेतन की कितनी राशि बकाया है ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) दिनांक 31.12.96 तक स्थिति अनुसार नौ सूती/मानव निर्मित फाईबर वस्त्र मिलें मध्य प्रदेश में बंद पड़ी हैं।

इन नौ मिलों में से 1986 से दो, 1991 से चार तथा 1992, 1994 तथा 1995 से प्रत्येक वर्ष से एक-एक मिल बन्द पड़ी है।

(ख) इन वस्त्र मिलों के बंद होने के प्रमुख कारण वित्तीय संकट/कठिनाइयां हैं। मध्य प्रदेश में बन्द पड़ी सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों में से दिनांक 31.1.1997 तक की स्थिति अनुसार 4 मिलें औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास पंजीकृत थीं। इन चार मिलों में से 3 मिलों के संबंध में बी आई एफ आर ने रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को अधिनियम, 1985 की धारा 20(1) के अंतर्गत बंद करने की सिफारिश की है। तथापि केवल एक मिल के संबंध में बी आई एफ आर द्वारा मसौदा पुनर्वासन पैकेज को स्वीकृति दी गई है। अन्य पांच मिलें बी आई एफ आर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार को वस्त्र मिल मालिकों द्वारा उनकी भूमि की बिक्री के संबंध में कोई सुझाव देने की जानकारी नहीं है।

(घ) बंद वस्त्र मिलों के कामगारों के बकायों (उनके कामगारों के बकाया वेतनों सहित) की सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

हथकरघा सहकारी समितियां

3288. **श्री केशव महन्त** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय असम में कितनी हथकरघा सहकारी समितियां कार्यरत हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान उनको केन्द्र सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ग) किस योजना के अंतर्गत उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है तथा इस संबंध में दिशा-निर्देश क्या हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) इस समय असम राज्य में 2539 हथकरघा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1995-96 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत 13.06 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई :–

प्रोजेक्ट पैकेज, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास, राष्ट्रीय रेशम सूत बैंक, हैंक यार्न मूल्य सब्सिडी, जनता कपड़ा, स्वास्थ्य पैकेज, हथकरघा विकास केंद्र, विपणन विकास सहायता, निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी, कार्यशाला-सह-आवास और जूट हथकरघा विकास केन्द्र योजना।

विभिन्न हथकरघा योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा सहकारी समितियों को निवेश की आपूर्ति, प्रशिक्षण, उत्पादों के विकास, विपणन, बुनकरों के कल्याण आदि के लिए सहायता दी जाती है। प्रत्येक योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने का ढांचा अलग-अलग है।

विदेशी संस्थागत निवेशक

3289. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफ. आई. आई.) को ढांचागत क्षेत्र में सूचीबद्ध किन्हीं कंपनियों में निवेश के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ऐसे परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है और इसे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को भेज दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) समय-समय पर संशोधित विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ.आई.आई.) विनियम, 1995 के साथ पठित सरकार द्वारा 14 सितम्बर, 1992 को घोषित दिशा-निर्देशों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों को आधारढांचा क्षेत्र की कंपनियों सहित सभी सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है।

गोवा में नशीले पदार्थों से पैदा हुई समस्या

3290. श्री अय्यन्ना पटरुघु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा में नशीले पदर्थों से पैदा हुई समस्या निर्बाध रूप से बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारत में नशे की बढ़ती हुई समस्या से निपटने हेतु मादक द्रव्य संबंधी कानून में कुछ परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) स्वापक औषध अवैध व्यापार एक गुप्त प्रक्रिया है। हालांकि वर्ष 1996 के दौरान गोवा राज्य में विभिन्न स्वापक औषधों की जब्ती में वर्ष 1995 के दौरान जब्त किए स्वापक औषधों के आंकड़ों की तुलना में गिरावट की प्रवृति आई है किन्तु ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि गोवा में स्वापक समस्या अक्षुण्ण रूप से जारी है।

(ख) और (ग) दंड संरचना के साथ-साथ एन. डी. पी. एस. अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि कैनाबिस (गांजा) से संबंधित अपराधों के लिए भी कठोर दंड देने के लिए अधिनियम को और अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सके। चुनिंदा अपराधों में पूर्व अपराधों के लिए बढ़ाए गए दंड को अधिनियम के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधों पर लागू करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

फाल-बैक वेजेज़

3291. प्रो. रीता वर्मा : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खान-वार तथा वर्ष-वार किन-किन कोयला खानों के मजदूरों को फॉल-बैक वेजेज़ दिए गए;

(ख) फाल-बैक-वेजेज़ देने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अधिकतम फाल-बैक वेजेज़ अदा करने के क्या कारण थे; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान "फाल-बैक वेजेज़" शीर्ष के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि अदा की गई ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) ऐसी कोलियरियों के नाम, जिनमें श्रमिकों को पिछले 3 वर्षों के दौरान फाल-बैक मजदूरी का भुगतान किया गया था, उनसे संबधित कोलियरी-वार तथा वर्ष-वार सूचना बहुत बड़े स्वरूप की है। इस सूचना के संग्रहण में नियोजित प्रयास तथा श्रम, इस सूचना से प्राप्त होने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। किंतु, पिछले 3 वर्षों के दौरान कोलियरियों में फाल-बैक मजदूरी का भुगतान किया गया था, उनकी कम्पनी-वार तथा वर्ष-वार संख्या नीचे दी गई है :—

कम्पनी	1993-94	1994-95	1995-96
ई.को.लि.	114	110	106
भा.को.को.लि.	78	78	76
से.को.लि.	34	34	37
ना.को.लि.	शून्य	शून्य	शून्य
वे.को.लि.	41	41	45
सा.ई.को.लि.	16	19	23
म.को.लि.	6	5	5
ना.ई.को./को.इं.लि.	शून्य	1	शून्य

(ख) फाल-बैक मजदूरी उन रोजनदारी श्रमिकों को दी जाती है, जो किसी विशिष्ट दिन को अपनी शिफ्ट में उनके लिए निर्धारित किए गए कार्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और जिसके लिए उनका कोई दोष नहीं होता है, "फाल बैक मजदूरी" की अदायगी किए जाने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) बिजली में खराबी होना;

(ii) कोयला उत्पादन, परिवहन, वायु-संचलन इत्यादि से संबंधित मशीनरी में खराबी आ जाना;

(iii) डिब्बों का पटरी से उतर जाना;

(iv) स्ट्राटा संचलन/भू-गर्भीय अस्त-व्यस्तता;

(v) निर्धारित समय-सीमा के भीतर साइडिंग्स पर वैगनों की आपूर्ति न होना;

(vi) सुरक्षा कारणों, के कारण कोयले फेजिज को अस्थाई तौर पर रोक लगाया जाना, आदि

(ग) ऐसे कारण जिनके लिए अधिकतम "फाल-बैक मजदूरी" की अदायगी की गई, वे निम्नलिखित हैं—

(i) बिजली में खराबी होना;

(ii) मशीनरी में खराबी होना;

(iii) भू-गर्भीय अस्त-व्यस्तता, जैसे प्रतिकूल रूफ समस्याएं, अस्त-व्यस्तता इत्यादि

(iv) निर्धारित समय सीमा के भीतर वैगनों की आपूर्ति न होना।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान "फाल-बैक मजदूरी" शीर्ष के अंतर्गत खर्च की गई राशि नीचे दी गई है :

वर्ष	राशि
1993-94	1380.42 रु.
1994-95	1193.10 रु.
1995-96	1516.23 रु.

[अनुवाद]

कृषि उत्पादों का निर्यात

3292. **श्री एन. एस. वी. चित्थन :**

श्री नीतीश भारद्वाज :

श्री के. पी. सिंह देव :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

डा. एम. जगन्नाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों के निर्यात के संबंध में देश के निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मसालों तथा इलायची सहित कुल कितनी मात्रा में कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया; इनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई तथा 8वीं योजना के दौरान मद-वार कुल कितनी उपलब्धि प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार ने कृषि उत्पादों विशेषकर मसालों तथा इलायची के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सन् 2005 तक के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सन् 2005 तक इससे कितने राजस्व की प्राप्ति होने की संभावना है;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य में कृषि प्रसंस्करण खाद्य निर्यात प्रसंस्करण का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) उक्त कार्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) निर्यात निष्पादन की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। आठवीं योजना के समाप्ति वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा कृषिजन्य एवं संबद्ध उत्पादों (काफी, चाय, अपरिष्कृत कॉटन तथा समुद्री उत्पाद सहित) के लिए किए गए निर्यात अनुमान एवं वास्तविक निर्यात नीचे दिए गए हैं :—

क्र. सं.	मद	वर्ष 1996-97 के लिए निर्यात अनुमान* (वर्ष 1991-92 के मूल्यों पर करोड़ रु. में)	वर्ष 1995-96 के दौरान निर्यात**		वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यात (अप्रैल-दिसम्बर, 96) (अनन्तिम)	
		(योजना आयोग)	मात्रा मी. टन में	मूल्य करोड़ रु. में	मात्रा मी. टन में	मूल्य करोड़ रु. में
1	2	3	4	5	6	7
1.	चाय	1324	157494	1171.66	104425	780.06
2.	कॉफी	342	157087	1509.17	125049	1063.66
3.	तम्बाकू (अविनिर्मित एवं विनिर्मित)	450	71430	365.81	80851	492.36
4.	ऑयल केक	1250	4327816	2350.55	3015617	2167.03
5.	इलायची सहित मसाले	447	211515	785.89	169562	816.26
6.	काजू गिरी	1047	97792	1231.07	55061	1036.36

1	2	3	4	5	6	7
7.	कपास	323	137018	206.10	183930	1109.95
8.	चावल	1127	5512601	4553.01	1959170	2357.84
9.	समुद्री उत्पाद	2077	311536	3384.25	290906	3078.19
10.	मांस एवं मांस से तैयार उत्पाद	354	–	62.70	–	532.66
11.	विविध प्रसंस्कृत खाद्य (प्रसंस्कृत फलों एवं जूस सहित)	700	–	757.15	–	1577.49
12.	फल एवं सब्जियां	573	–	542.51	–	415.71
13.	चीनी एवं शीरा	1100	731459	503.55	1298775	853.00
14.	अवर्गीकृत	950	–	1620.12	–	2265.35

*स्रोत : आठवीं पंचवर्षीय योजना खण्ड-I योजना आयोग

**स्रोत : डी.जी.सी.आई. एंड एस., कलकत्ता

(ग) जी, नहीं। सरकार ने सन् 2005 तक कृषि उत्पादों, खासकर मसाले और इलायची को बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) एपीडा का एक क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

3293. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निगमित बैंक विदेशी लघु उद्योग, उच्च प्रौद्योगिकी, कृषि, गृह, लीजिंग तथा कैपिटल मार्केट क्षेत्र में नई बैंक शाखाएं खोलने संबंधी संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो बैंक-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत, बैंक आरबीआई की पुर्वानुमति के बिना अपनी पसन्द के केन्द्रों में पांच प्रकार की विशेषज्ञ शाखाएं, जैसे औद्योगिक वित्त, विदेश-व्यापार, लघु उद्योग, अनिवासी भारतीय और राजकोषीय शाखाएं खोल सकते हैं। तथापि, बैंकों को ऐसी विशिष्ट शाखाएं खोलने से पहले आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अन्य प्रकार की विशेषज्ञ शाखाएं खोलने के बारे में पुर्वानुमोदन प्रस्ताव आरबीआई को भेजे जाते हैं। ऐसे प्रस्तावों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर आरबीआई द्वारा विचार किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध सूचना (31.12.96 की स्थिति के अनुसार) के अनुसार (i) निगमित बैंकिंग, (ii) विदेश-व्यापार बैंकिंग, (iii) लघु उद्योग, (iv) उच्च तकनीक अग्रिमों के लिए विशेषज्ञ कृषि-वित्त शाखाएं, (v) आवास वित्त, (vi) पट्टादायी (लीजिंग) वित्त और (vii) पूंजी बाजार सेवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में खोली गई विशेष शाखाओं की कुल संख्या के बारे में बैंक-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

31.12.1996 की स्थिति के अनुसार (i) कार्पोरेट बैंकिंग (ii) विदेशी बैंकिंग (iii) लघु उद्योगों (iv) उच्च-तकनीक अग्रिमों हेतु विशेषज्ञ कृषि वित्त शाखाएं (v) आवास वित्त (vi) पट्टा-वित्त और (vii) बैंकों की पूंजी बाजार सेवा शाखाओं से संबंधित विशेषज्ञ शाखाओं की बैंक-वार संख्या

बैंक का नाम	खोली गई विशिष्ट शाखाओं की कुल संख्या
1	2
भारतीय स्टेट बैंक	57
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	4
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	9
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	3
स्टेट बैंक आफ मैसूर	6
स्टेट बैंक आफ पटियाला	12
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	4
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	6
इलाहाबाद बैंक	10

1	2
आन्ध्रा बैंक	13
बैंक आफ बड़ौदा	38
बैंक आफ इंडिया	40
बैंक आफ महाराष्ट्र	11
केनरा बैंक	62
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	35
कार्पोरेशन बैंक	4
देना बैंक	24
इण्डियन बैंक	23
इंडियन ओवरसीज बैंक	5
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	20
पंजाब एंड सिंध बैंक	15
पंजाब नेशनल बैंक	25
सिंडिकेट बैंक	14
यूको बैंक	8
यूनियन बैंक आफ इंडिया	41
यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया	19
विजया बैंक	23
जोड़	531

अनिवासी भारतीयों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा किया गया धन

3294. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी विदेशी मुद्रा जमा कराई गई है;

(ख) क्या इन बैंकों में अनिवासी भारतीयों को खाता प्रबंधन, पूंजी निवेश, कर-निर्धारण के संबंध में परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सी.सी.आई. द्वारा कपास की खरीद

3295. श्री के. सी. कोंडय्या :

श्री आर. साम्बासिवा राव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान देश में राज्यवार विशेषकर कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कपास की कितनी मात्रा का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) द्वारा कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से कितने कपास की खरीद की गई;

(ग) क्या सी.सी.आई. का विचार इन राज्यों से और कपास खरीदने का है;

(घ) यदि हां, तो पहले की गई खरीद के अलावा और कुल कितनी गांठें खरीदने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन राज्यों से उक्त अवधि के दौरान कपास की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार वर्ष 1995-96 के कपास मौसम (सितम्बर 95 से अगस्त 96) के दौरान देश में कपास की 160 लाख गांठ का उत्पादन हुआ था। कपास का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1995-96 के कपास मौसम के दौरान, भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.) ने कर्नाटक के कपास की 24,159 गांठों की तथा आंध्र प्रदेश से 2,11,260 गांठों की खरीद की थी।

(ग) और (घ) चालू (1996-97) कपास मौसम में 11 मार्च, 1997 तक की स्थिति अनुसार, सी सी आई ने कर्नाटक से कपास की 36,774 गाठों तथा आंध्र प्रदेश से 1,22,187 गाठों की खरीद की है। यह कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्यों से वर्ष 1995-96 में उसी तारीख तक सी सी आई द्वारा खरीदी गई क्रमशः 18,052 गांठों तथा 90,279 गांठों की मात्रा की तुलना में है। वर्ष 1996-97 के कपास मौसम के दौरान खरीद के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ङ) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के कपास मौसम के दौरान सी सी आई द्वारा आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों से निर्यात की गई कपास की मात्रा के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(मात्रा लाख गांठ में-प्रत्येक गांठ 170 कि.ग्रा.)

	1995-96	1996-97*
आंध्र प्रदेश	20269	15090
कर्नाटक	15511	3950

*10 मार्च, 1997 तक की स्थिति के अनुसार

विवरण

पिछले वर्ष के दौरान उत्पादन का राज्यवार उत्पादन

(सितम्बर 95-अगस्त 96) अर्थात् 1995-96

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 कि. ग्रा.)
1.	पंजाब	14.75
2.	हरियाणा	11.50
3.	राजस्थान	13.75
4.	गुजरात	32.25
5.	महाराष्ट्र	28.25
6.	मध्य प्रदेश	14.50
7.	आंध्र प्रदेश	29.00
8.	केरल	10.25
9.	तमिलनाडु	4.75
10.	उड़ीसा	1.00
	कुल	160.00

कोयला धोवनशालाएं

3296. श्री हरिन पाठक : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान धोवनशाला-वार धुले हुए कोयले का उत्पादन कितना रहा और कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों की धोवनशालाओं का क्षमता उपयोग कितना रहा;

(ख) क्या कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों की धोवनशालाओं में धुले हुए कोयले का उत्पादन स्थिर रहा था पिछले कई वर्षों से उसमें कमी आ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विद्यमान धोवनशालाओं के निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है और उसके क्या परिणाम निकले ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों में हुए धुले कोयले का उत्पादन तथा कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों में वाशरियों की उपयोगिता क्षमता का वाशरी-वार ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

क्र. सं.	वाशरी का नाम	धुले कोयले का उत्पादन (मि. टन)			क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत में)		
		93-94	94-95	95-96	93-94	94-95	95-96
भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.)							
1.	दुग्दा-I और II	1.14	1.11	1.1	62.8	61.53	51.53
2.	भोजूडीह	0.98	1.01	0.98	88.4	92.66	87.47
3.	पाथरडीह	0.52	0.62	0.65	61.8	62.67	61.06
4.	लोडना	0.20	0.19	0.18	87.5	85.10	84.25
5.	सुदामडीह	0.34	0.46	0.42	40.5	50.90	58.56
6.	बरोरा	0.12	0.13	0.15	79.6	81.48	75.79
7.	मूनीडीह	0.51	0.54	0.50	52.3	53.93	62.00
8.	महुदा	0.26	0.24	0.24	57.1	52.92	53.40
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.)							
9.	कारगली	1.35	1.05	1.00	91.2	80.77	74.26
10.	कथारा	0.82	0.78	0.70	60.7	58.17	55.03
11.	सवांग	0.70	0.60	0.61	131.5	130.93	130.00
12.	गिड्डी	0.96	0.52	0.91	69.5	85.90	92.35
13.	राजरप्पा	0.97	0.90	1.24	56.8	56.63	70.43
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (वे.को.लि.)							
14.	नंदन	0.37	0.39	0.42	51.4	57.65	57.58

(ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान को.इं.लि. की वाशरियों से धुले हुए कोयले का उत्पादन लगभग स्थिर रहा है।

(ग) विद्यमान वाशरियों की क्षमता से कम उपयोगिता होने संबंधी मुख्य कारण नीचे दर्शाए गए हैं :—

(i) अधिकांश वाशरियां पुरानी हैं तथा उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले के परिष्करण हेतु अभिकल्पित किया जाता है। वर्षों से इन भंडारों की क्षीणता के कारण संभरक कच्चे कोयले में निहित राख की मात्रा में वृद्धि हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप वाशरियों का कार्य-निष्पादन प्रमुख रूप से प्रभावित हुआ है।

(ii) वाशरियों में कच्चे कोयले की अपर्याप्त मात्रा का संभरण।

(iii) निरंतर बिजली की कटौती।

(घ) कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं :—

(i) विद्यमान खानों के पुनर्गठन तथा नई खानों के विकास किए जाने के द्वारा कच्चे कोककर कोयले की उपलब्धता में वृद्धि किया जाना।

(ii) विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों की क्षमता उपयोगिता के साथ-साथ धुले कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार हेतु वाशरियों में रूपांतरण किया जाना।

(iii) उपयुक्त गुणवत्ता वाले निम्न वोलेटाइल मीडियम कोककर कोयले की आपूर्ति किए जाने के द्वारा वाशरियों में कच्चे कोयले के फीस्ड में वृद्धि किया जाना।

(iv) विद्यमान धोवन क्षमता में वृद्धि किए जाने हेतु मधुबंद (भा.को.को.लि.) तथा केडला (से.को.लि.) में दो नए वाशरियों को शीघ्र चालू किया जाना।

अध्यक्ष की नियुक्ति

3297. श्री उत्तम सिंह पवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान किन-किन सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों के सेवानिवृत्त होने की संभावना है और इनकी सेवा निवृत्ति की तिथि क्या है;

(ख) क्या इन पदों के भावी पदधारकों का अब तक चयन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनका चयन कब तक कर लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) सरकारी क्षेत्र के उन बैंकों के नाम जिनके अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उनके सेवानिवृत्त होने की तारीख नीचे दी गई है :—

क्रम सं.	बैंक का नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक	31.3.1997
2.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैंक आफ इंडिया	30.4.1997
3.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैंक आफ महाराष्ट्र	30.4.1997
4.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	30.9.1997
5.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सिंडिकेट बैंक	30.11.1997

(ख) से (घ) उपर्युक्त क्रम सं. 1, 2 और 3 में वर्णित रिक्तियों को भरने के लिए नियुक्त किए जाने वाले भावी पदधारकों ("प्रॉस्पेक्टिव इन्कम्बेंट्स") की पहचान कर ली गई है और उनकी नियुक्तियों के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन मांगा गया है। क्रम सं. 4 और 5 में वर्णित रिक्तियां क्रमशः 1 अक्तूबर, 1997 और 1 दिसम्बर, 1997 को होंगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

3298. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कोई ऋण प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि ऋणस्वरूप ली गई;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1997-98 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से आगे और ऋण प्राप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दिए गए सुझाव

3299. श्री पंकज चौधरी :

डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा वित्तीय हानि को नियंत्रित करने तथा राजसहायता को कम करने हेतु दबाव डाला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) नीति-निर्माण करना भारत सरकार का सार्वभौम अधिकार है और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा किसी विदेशी एजेंसी का उसके सुझावों को स्वीकार करवाने के लिए दबाव डालने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, विश्व बैंक ने अपने देशीय आर्थिक ज्ञापन 96, में सुझाव दिया है कि भारत को राजकोषीय घाटे में कमी लानी चाहिए और आर्थिक सहायता, विशेषतौर से उर्वरक और खाद्य आर्थिक सहायता को घटाना/पुनर्लक्षित करना चाहिए। इसी प्रकार के सुझाव अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भी दिए गए थे।

[अनुवाद]

वित्तीय संस्थानों की बाहरी लेखा परीक्षा

3300. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्तीय संस्थानों में त्रुटियों का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरीक्षण के अतिरिक्त इनका बाहरी लेखा परीक्षा आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया लि., भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तथा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लिमिटेड जैसी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लेखों की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक वर्ष लेखा-परीक्षा की जा रही है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं और गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों सहित वित्तीय प्रणाली के पर्यवेक्षण की निगरानी करने के लिए नवम्बर, 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक के तत्त्वावधान में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। इस समय, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं का छःमाही आधार पर "स्थल पर" निरीक्षण किया जाता है।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन

3301. श्री सनत मेहता : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के संबंध में गोस्वामी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकान्त डी. खलप) : (क) से (ग) मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की रीति निर्वाचन सुधारों से संबंधित उन प्रस्तावों में से एक है जिन पर सरकार द्वारा राजनैतिक दलों के साथ चर्चा की जा रही है। तथापि, इस विषय में, अभी तक कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

विदेशी मुद्रा का देश से बाहर जाना

3302. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रायल्टी मशीनों के आयात, प्रौद्योगिकी की खरीद, सी.के.डी. स्थिति में किट्स की खरीद, विनिर्मित वाहनों के आयात और देश में चार पहियों वाले वाहनों सहित तिपहिए और दुपहिए वाहनों का विनिर्माण करने वाले ऑटोमोबाइल क्षेत्र द्वारा अर्जित मुनाफे के अंतरण के कारण देश से विदेशी मुद्रा के बाहर जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश से वाहनों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की तुलना में काफी अधिक विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा बाहर जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) मशीनों का आयात आदि खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत है तथा विभिन्न प्रकार के आटोमोटिव वाहनों से सम्बन्धित रायल्टी, प्रौद्योगिकी का आयात, लाभ आदि के फलस्वरूप मुद्रा भेजने में बहुसंख्यक अभिकरण शामिल हैं। ऐसे आंकड़ों को एकत्र करने में अधिक धन लगता है तथा इन्हें केन्द्रीयकृत रूप में नहीं रखा जाता है।

(ग) मशीनों के आयात, रायल्टी आदि पर विशेष मुद्रा का देश से बाहर प्रवाह एक मुश्त भुगतान के रूप में होता है जबकि आटोमोटिव वाहनों के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा निरन्तर आधार पर अर्जित की जाती है। इसलिए, विदेशी मुद्रा के देश में आने तथा देश से बाहर जाने की यथार्थवादी तुलना करना सम्भव नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्व की वसूली

3303. श्री अनन्त कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक वर्ष आयकर,

सम्पत्ति कर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से राज्यवार कुल कितने राजस्व की वसूली हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार करों की वसूली तथा इसके अंतर्गत दावों के निपटान के लिए संबंधित केन्द्रीय एजेंसियों के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ अथवा उन्नयन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो करदाताओं को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कर वसूली करने वाली एजेंसियों को सुदृढ़ करने अथवा इनका उन्नयन करने हेतु उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर, धनकर, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से अर्जित किया गया कुल राजस्व संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ख) और (ग) बेहतर कर प्रशासन, राजस्व वसूलीकरण और करदाताओं की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए कर वसूली करने वाली एजेंसियों की पुनर्संरचना और अन्य समुचित प्रशासनिक एवं विधिक उपाय नियमित आधार पर किए जाते हैं।

विवरण

(रुपए करोड़ों में)

1.	सीमा शुल्क	1993-94	22240
		1994-95	26683
		1995-96	35502
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1993-94	31711
		1994-95	37467
		1995-96	40565

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली के राज्य-वार आंकड़े नहीं रखे जाते।

3. **आयकर और धनकर**

राज्य	1993-94		1994-95		1995-96	
	आयकर	धनकर	आयकर	धनकर	आयकर	धनकर
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	340.61	5.45	479.63	18.72	607.90	1.91
अरुणाचल प्रदेश	1.72	—	2.58	—	3.03	—
असम	68.61	0.96	88.04	0.48	132.53	0.24
बिहार	207.80	0.90	232.61	0.23	361.06	0.27
गोवा	44.45	0.82	55.78	0.78	71.23	0.85
गुजरात	793.00	10.35	910.44	5.02	1164.90	3.96
हरियाणा	103.66	1.09	130.50	0.76	161.09	0.13
हिमाचल प्रदेश	24.76	0.19	26.88	0.08	44.74	0.05
जम्मू-कश्मीर	40.62	0.12	37.48	0.05	27.95	0.05
कर्नाटक	491.52	9.36	631.35	6.07	874.48	4.10
केरल	243.54	4.17	301.81	2.32	370.77	2.58
मध्य प्रदेश	252.35	3.88	278.24	2.30	408.22	1.18
महाराष्ट्र	2847.81	48.89	3954.13	33.53	4871.54	32.40
मणिपुर	6.72	0.03	5.32	0.01	4.23	0.01
मेघालय	9.98	0.19	8.10	0.08	11.72	0.04

1	2	3	4	5	6	7
मिजोरम	0.03	—	0.08	—	0.55	—
नागालैंड	4.75	0.01	7.00	—	6.46	—
नई दिल्ली	1048.59	22.16	1608.10	7.97	2065.12	6.99
उड़ीसा	93.66	0.20	101.35	0.12	168.83	0.09
पंजाब	241.37	2.49	317.24	1.07	336.78	0.60
राजस्थान	181.77	1.83	226.84	0.82	297.39	0.52
सिक्कम	0.16	—	0.26	—	0.08	—
तमिलनाडु	723.53	22.18	962.32	15.36	1261.97	11.63
त्रिपुरा	5.36	0.05	7.08	—	9.30	0.01
उत्तर प्रदेश	493.69	3.89	600.18	1.73	858.66	1.42
पश्चिम बंगाल	535.06	13.16	644.97	7.19	804.80	5.47
कुल	8805.12	153.37	11618.31	104.69	14925.33	73.96

साख-पत्र

3304. श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया ने सरकारी क्षेत्र के पांच बैंकों, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, विजया बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक जिनकी साख कम हो गई है, को साख-पत्र स्वीकार न करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों की निवल परिसंपत्ति बढ़ाने के लिए इस बीच क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने प्रश्न में उल्लिखित पांच बैंकों के साख-पत्रों के अंतर्गत बिलों की भुनाई करने के लिए अपनी किसी भी शाखा को कोई निदेश जारी नहीं किए हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि साख-पत्रों के संबंध में दिसम्बर, 1996 में उनके द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में पांच बैंकों के साख पत्रों को अस्वीकार करने की किसी भी तरह से अपेक्षा नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त बिन्दु (क) के उत्तर को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

3305. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1996 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक संबद्ध ऋण वसूली प्राधिकरणों के समक्ष कितने-कितने मामले दर्ज किए गए और इसमें प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की कितनी राशि शामिल थी;

(ख) क्या और ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, गुवाहाटी और पटना में अब तक आठ ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं। जबलपुर और मुम्बई में भी दो और ऋण वसूली अधिकरणों को स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी शुल्क समाप्त करने की योजना

3306. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 1997 के अंतिम सप्ताह में होने वाली विश्व व्यापार संगठन की आगामी बैठक में प्रदर्शित किए जाने वाले सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) उत्पाद 2005 पर सभी शुल्क को समाप्त करने के बारे में अपनी योजना को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में भारत के दृष्टिकोण के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) और (ख) सिंगापुर में डब्ल्यू. टी. ओ. में शामिल होने की

प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के व्यापार के बारे में मंत्रीस्तरीय घोषणा-पत्र को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के कुछ सदस्यों तथा राज्यों द्वारा या अलग-अलग सीमाशुल्क क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विश्व व्यापार के प्रसार को अपनाया गया। भारत ने घोषणा-पत्र के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के संबंध में भागीदारों द्वारा समीक्षा और स्वीकृति के लिए आयात शुल्कों में कमी करने की विस्तारित अवस्था की पेशकश की है।

इसे अधिक से अधिक 1 अप्रैल, 1997 तक पूरा किया जाना है।

सोने की जब्ती

3307. श्री कचरू भाऊ राउत :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर माहवार कितना तथा कितनी कीमत का सोना जब्त किया गया था;

(ख) इस संबंध में कितने तस्करों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

3308. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कपास का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कपास के उत्पादन को देखते हुए नई कपास मिलों की स्थापना करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य में और विद्युत करघा स्थापित करने का भी प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कपास के उत्पादन की मात्रा निम्न अनुसार है :—

(लाख गांठ में प्रत्येक गांठ 170 किग्रा.)

1993-94	0.124
1994-95	0.116
1995-96	0.151

स्रोत : (कृषि मंत्रालय)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (च) सरकार का किसी भी विद्युतकरघे की स्थापना करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

दिल्ली शेयर बाजार

3309. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शेयर बाजार के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 19 दिसम्बर, 1996 को प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा शेयर बाजार में आ रही मंदी को समाप्त करने के लिए बदला प्रणाली बहाल करने का आग्रह किया तथा इस संबंध में कई सुझाव दिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान इस संबंध में कितने अनुरोध/सुझाव सरकार को प्राप्त हुए; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लि. ने सूचित किया है कि उनके अध्यक्ष ने 19 दिसम्बर, 1996 को प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और पूंजी बाजार के पुनरुत्थान के लिए विभिन्न सुझावों से युक्त एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। इस अभ्यावेदन में निहित एक सुझाव शेयरों में लेन-देन की "बदला" प्रणाली को फिर से चालू करने से संबंधित था। "बदला" प्रणाली के पुनःप्रचालन और स्टाक एक्सचेंजों में लेन-देन की मौजूदा वायदा-व्यापार की प्रणाली में आशोधन किए जाने से संबंधित ऐसे ही सुझाव सरकार को स्टाक एक्सचेंज, मुम्बई और कुछ अन्य व्यक्तियों से भी प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्रतिभूतियों में लेन-देन की संशोधित "बदला" प्रणाली की अनुमति भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अक्तूबर, 1995 में दी गई थी। स्टाक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों में लेन-देनों को विनियमित करने के लिए सेबी ही सांविधिक प्राधिकरण है। सरकार ने दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन के अभ्यावेदन को उपयुक्त विचार किए जाने हेतु सेबी को सौंप दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन

3310. श्री राम नाईक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का पुनर्गठन करने तथा कर्मचारियों की छंटनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन के प्रस्ताव सहित इन बैंकां का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन बैंकों को कुल कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इन बैंकों की बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति के कारणों का पता लगाने हेतु इनके कार्यकरण की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नाबार्ड का पुनर्गठन

3311. श्री दिनशा पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के पुनर्गठन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषीय, ऋण के वर्धित आधारभूत स्तर-प्रवाह में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि नाबार्ड की शेयर पूंजी पांच वर्षों की अवधि के लिए 500 करोड़ रु. से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रु. कर दी जाए। इस संबंध में आवश्यक सांविधिक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए, नाबार्ड अधिनियम, 1981 को संशोधित करना आवश्यक होगा जिससे कि उसकी प्राधिकृत शेयर पूंजी को 2000 करोड़ रु. तक बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में एक प्रधान एजेंसी के रूप में नाबार्ड की भूमिका को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए, नाबार्ड ने ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के लिए एक वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। वित्तीय बाजारों की बढ़ती हुई उदारता के साथ-साथ, यह आवश्यक है कि नाबार्ड को इस प्रकार सुसज्जित किया जाए कि वह ग्रामीण ऋण के मामले में प्रमुख स्रोत की भूमिका निभा सके और ग्रामीण ऋण संस्थानों को नेतृत्व प्रदान कर सके। इस प्रयोजन के लिए, नाबार्ड अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि, बाजार के जरिए संसाधन जुटाने, ऋण के नए लिखित विकसित करने और ऐसी लिखतों, जो सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं, में अपने अधिशेषों का निवेश करने हेतु सक्षम बनाने के लिए नाबार्ड के सामर्थ्य पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाया जा सके।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

3312. श्री परसराम भारद्वाज :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में बैंकों तथा सरकार कार्यान्वयनकारी अभिकरणों की भूमिका क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अधिक स्व-रोजगार/रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक प्रस्ताव बनाया गया है। जब नौवीं योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा तो प्रस्ताव सुनिश्चित कर दिया जाएगा।

निगमित क्षेत्र द्वारा ऋण लिया जाना

3313. श्री माधवराव सिंधिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों से निगमित क्षेत्रों द्वारा लिए जा रहे ऋण में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा औद्योगिक वृद्धि दर में कमी के लिए यह कहां तक उत्तरदायी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने निवल खाद्येत्तर ऋण में चालू वित्तीय वर्ष (31 जनवरी, 1997 तक) के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में 31,615 करोड़ रु. (15.9 प्रतिशत) की तुलना में 14,395 करोड़ रु. (5.9 प्रतिशत) की धीमी वृद्धि दर्शाई है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निवल खाद्येत्तर बैंक ऋण में वृद्धि को पूर्ववर्ती वर्षों में निवल बैंक ऋण में अत्यधिक बढ़ोत्तरी के संदर्भ में देखा जाना है। सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया खाद्येत्तर ऋण में 18 मार्च, 1994 और 29 मार्च, 1996 के बीच 59.1 प्रतिशत (90,713 करोड़ रुपए) की वृद्धि हुई और यह 244,224 करोड़ रुपए हो गया।

बैंक ऋण की वृद्धि पर विचार करते समय बैंकों और गैर-बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को निधियों के कुल प्रवाह में वृद्धि पर विचार करने की आवश्यकता है। बैंकों और गैर-बैंक स्रोतों दोनों से वाणिज्यिक क्षेत्र को निधियों के कुल प्रवाह की राशि 1995-96 की तदनुरूपी अवधि में 73,929 करोड़ रुपए की तुलना में 31 जनवरी, 1997 तक 67,956 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम को कोयले की आपूर्ति

3314. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने मैथन राइट बैंक में 1000 मेगावाट क्षमता वाला विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु कोल इंडिया लिमिटेड से 5 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दामोदर घाटी निगम ने कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से यह अनुरोध किया है कि वे उनके प्रस्तावित मैथन राईट बैंक थर्मल पावर परियोजना हेतु कोयले की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करें जिसकी 1000 मे.वा. (4 × 250 मे. वा.) की क्षमता हो।

(ग) दामोदर घाटी निगम का इस संबंध में प्रस्ताव कोयला मंत्रालय में फरवरी, 1997 में प्राप्त हुआ है, जिसकी यथावत रूप में जांच किए जाने के बाद उपयुक्त निर्णय हेतु स्थाई संयोजन समिति (दीर्घावधि) को प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

बैंक अधिकारियों के खिलाफ सी.बी.आई. के मामले

3315. श्रीमती मीरा कुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1991 से जनवरी, 1997 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के कितने मामलों को मशविरे हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजा गया है;

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने मामलों में जांच के पक्ष में अपनी राय प्रकट की है; और

(ग) कितने मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो को ऐसे मामलों की जांच करने की अनुमति दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिलीगुड़ी में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यालय

3316. श्री महबूब जहेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिलीगुड़ी, हल्दिया, मालदा, अगरतला में भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडलीय कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) जीवन बीमा निगम ने सूचित किया है कि चूंकि इसके शाखा कार्यालय स्वयं में सम्पूर्ण क्रियाकलाप केन्द्र हैं और उल्लिखित सभी स्थानों पर संतोषजनक तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसका सिलीगुड़ी, हल्दिया, मालदाह, और अगरतला में मंडल कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल को ''नाबार्ड'' द्वारा ऋण

3317. श्री एस. अजय कुमार : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ने केरल के सहकारी बैंकों को कृषि ऋण प्रदान करना बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने प्रभावशाली ढंग से सहकारी ऋण ढांचे का पुनर्गठन करने हेतु राज्य सरकार/राज्य सहकारी बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रतिज्ञापत्र भी शामिल किया गया है जिसके अनुसार सहकारी संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को केवल नाबार्ड के परामर्श से ही नियुक्त किया/हटाया जा सकता है। इसे बाद में नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त की मंजूरी/जारी करने के लिए नियंत्रित करने वाली शर्तों में से एक के रूप में शामिल किया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि इस अपेक्षा की अनुपालना न करने पर पुनर्वित्त को रोक दिया जाएगा।

जहां तक केरल का संबंध है, राज्य सरकार ने नाबार्ड से पहले परामर्श किए बिना केरल राज्य सहकारी बैंक और केरल राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दोनों के मुख्य कार्यपालकों को बदलने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसलिए नाबार्ड ने पुनर्वित्त सुविधा की मंजूरी/जारी करने को नियंत्रित करने वाली सम्बद्ध प्रतिज्ञापत्र की शर्तों के अनुसरण में, सभी श्रेणी के ऋणों के अंतर्गत दोनों संस्थानों को पुनर्वित्त सहायता जारी करना

निलम्बित कर दिया है।

असम में लीड बैंक योजना

3318. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 दिसम्बर, 1996 के "द असम ट्रिब्यून" में "नान-फंक्शनिंग ऑफ आई. बी. एस. ए. कामन फेनामेनन इस असम" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों और उठाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा ऋण

3319. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिए गए ऋण के इस्तेमाल पर निगरानी रख रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार से नए ऋण देने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कृषि और ग्रामीण विकास कार्यकलापों के लिए उनके द्वारा दिए जाने वाले उधारों के बदले पुनर्वित्त सहायता देता है। नाबार्ड द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ मध्यावधि पुनरीक्षाओं और विशेष अध्ययन कर इन योजनाओं की निगरानी करता है।

इसके अलावा, नाबार्ड, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों को ऋण मंजूर करता है। मंजूरियों की शर्तों के अंतर्गत, राज्य सरकारों से ऐसे ऋणों के उपयोग की निगरानी करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, नाबार्ड, योजना के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों के सहयोग से भी निगरानी करता है।

(ग) और (घ) नाबार्ड ने सूचित किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एपीएससीबी) और आंध्र प्रदेश सरकार ने रबी की फसल (1996-97) संबंधी परिचालनों में सहायता करने हेतु अक्तूबर-नवम्बर, 1996 के दौरान चक्रवात से प्रभावित जिलों में कार्यरत सहकारी बैंकों को अतिरिक्त निधियां आबंटित करने के लिए नाबार्ड से अनुरोध किया है। नाबार्ड ने तदनुसार, सहकारी बैंकों द्वारा संपरिवर्तन की औपचारिकताएं पूरी होने तक मौसमी शेष परिचालनों फसल ऋण को वित्तपोषित करने के लिए एपीएससीबी का आबंटन 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 900 करोड़ रुपए कर दिया है। नाबार्ड ने विपत्ति पीड़ित किसानों को आवश्यक राहत उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों को संपरिवर्तन सुविधाओं की मंजूरी के लिए अपने राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (स्थायीकरण) निधि से निधियां प्रदान की हैं।

राष्ट्रीय बैंकों के चेयरमैन

3320. श्री गुलाम रसूल कार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन, निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम सहित ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार):

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के नाम निम्नलिखित हैं :—

क्रमांक	बैंक का नाम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का नाम
1.	इलाहाबाद	श्री हरभजन सिंह
2.	आंध्रा बैंक	श्री जी. नारायणन
3.	बैंक आफ बड़ौदा	श्री के. कन्नन
4.	बैंक आफ इंडिया	श्री जी. कथुरिया
5.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री एस. ए. कामथ
6.	केनरा बैंक	रिक्त पद
7.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	श्री एस. दोरे स्वामी
8.	कारपोरेशन बैंक	रिक्त पद
9.	देना बैंक	श्री रमेश मिश्रा
10.	इंडियन बैंक	श्री एस. राजगोपाल
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	श्री के. सुब्रमणियन
12.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	श्री दलबीर सिंह
13.	पंजाब नेशनल बैंक	श्री रशीद जीलानी
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	श्री एस. एस. कोहली
15.	सिंडिकेट बैंक	डा. एन. के. थिंगालया
16.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	श्री ए. टी. पण्णीर सेलवम
17.	यूको बैंक	रिक्त पद
18.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	श्री बिश्वजीत चौधरी
19.	विजया बैंक	श्री के. सी. चौधरी

बैंक धोखाधड़ी से निपटने हेतु बोर्ड

3321. **श्री चित्त बसु :**

श्री बी. एल. शंकर :

श्री एन. जे. राठवा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री नारायण अठावले :

श्री राधा मोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक धोखाधड़ी के कितने मामलों को आज की तिथि तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सलाहकार बोर्डों के पास भेजा गया है;

(ख) ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ग) इस समय बोर्ड के पास कितने मामले लम्बित हैं;

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भेजे गए कितने मामलों को बोर्ड ने निपटाया है; और

(ङ) ऐसे मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा बैंक धोखाधड़ी के मामलों के लिए 17.2.1997 को गठित किए गए सलाहकार बोर्ड को दिनांक 11.3.1997 तक धोखाधड़ी का कोई मामला संदर्भित नहीं किया गया है।

प्रतिभूति घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति

3322. **श्री बी. एल. शंकर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिभूति घोटाले के बारे में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर कार्यवाही की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो अभी तक कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) संयुक्त संसदीय समिति की शेष सिफारिशों पर सरकार द्वारा कब तक कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (घ) प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं के बारे में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा वर्ष 1994 में संसद में रखी गई कार्रवाई की रिपोर्ट में दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट पर "की गई कार्रवाई की रिपोर्ट" के संशोधित पैराग्राफों में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के सारांश में दिसम्बर, 1994 में संसद को सूचित स्थिति निम्नानुसार है :—

कुछ ऐसे क्षेत्रों से संबंधित स्थिति, जिनमें प्रणालीगत सुधार करने के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सरकार/आरबीआई द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सका, निम्नानुसार हैं :—

(i) संयुक्त संसदीय समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पीएमएस लेन-देन करने को निषिद्ध करने की सिफारिश की थी। इस पर पूर्ण विचार करने के बाद सरकार की राय है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने स्रोतों को अस्थाई तौर पर पीएमएस किस्म के परिचालनों में लगाने की आवश्यकता हो सकती है, अतः इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना व्यावहारिक नहीं होगा। बहरहाल, सरकार ने इस सुविधा के दुरुपयोग के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति की चिन्ता को ध्यान में रखकर निवेश परिचालनों में लगे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुपालनार्थ नए दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं, जिनमें इस सुविधा का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा।

(ii) संयुक्त संसदीय समिति ने सिफारिश की थी कि बैंकों के बोर्डों में आरबीआई द्वारा मनोनीत निदेशकों को शामिल करने की पद्धति को बन्द किया जाए। इस पर पूर्ण विचार करने के बाद सरकार की राय है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब बैंकिंग उद्योग में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, बैंकों के बोर्डों में आरबीआई द्वारा मनोनीत निदेशक के होने की प्रक्रिया को जारी रखने की आवश्यकता है।

(iii) विदेशी बैंकों के खिलाफ व्यापक दण्डात्मक कार्रवाई कर लिए जाने को ध्यान में रखकर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वह प्रतिभूतियों संबंधी अनियमितताओं में अंतर्ग्रस्त विदेशी बैंकों के लाइसेंस रद्द अथवा निलम्बित किए जाने जैसे कड़े कदम उठाने के पक्ष में नहीं है। सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से सहमत है।

सरकार ने अन्य कई मदों पर जेपीसी की रिपोर्ट पर असहमति के आभास को दूर करने के लिए तथा विपक्षी सदस्यों से प्राप्त प्रश्नों और टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अपने उत्तर को संशोधित और स्पष्ट किया है।

जीवन बीमा निगम द्वारा संग्रहीत/निवेशित प्रीमियम

3323. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में बीमाधारकों से जीवन बीमा निगम द्वारा कितनी धनराशि का प्रीमियम एकत्रित किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में विकास कार्य पर कितना धन लगाया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा यथा प्रस्तुत अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	प्रीमियम की राशि	किए गए सकल निवेशों की राशि (करोड़ रुपए में)
1994-95	1135.58	656.98
1995-96	1331.43	350.38

राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड में नाम निर्देशित निदेशक

3324. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बैंकों में अधिकारी-नाम-निर्देशित कर्मचारी निदेशकों के स्थान रिक्त पड़े हैं तथा अधिकारी कर्मचारी नाम-निर्देशित निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैंकों में बोर्ड में अधिकारी-कर्मचारी निदेशक की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) इस समय पांच राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारी-कर्मचारी निदेशक का पद रिक्त है। छः अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारी-कर्मचारी निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो गया है, परन्तु वे सांविधि के उपबंधों की शर्तों के अनुसार निदेशक के पद पर बने हुए हैं, क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों की नियुक्ति लम्बित है। इन बैंकों के नाम हैं : इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, बैंक आफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, यूको बैंक और सिंडिकेट बैंक।

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अधिकारी-कर्मचारी निदेशकों का नामांकन संगत संविधियों में निर्धारित मानदंडों एवं प्रक्रियाओं तथा इस संबंध में सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। अभ्यावेदनों को देखते हुए इस संबंध में अगली कार्रवाई करने से पहले इन मार्ग-निर्देशों की पुनः जांच करना आवश्यक समझा गया है।

लघु उद्यमों के ग्रामीण लाभार्थियों को सहायता

3325. डा. असीम बाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान लघु उद्यमों के ग्रामीण लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) बैंकों द्वारा राज्यवार कितने लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की आंकड़ा सूचना प्रणाली से पूछे गए ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तथापि, मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों और अति लघु उद्योगों सहित लघु उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

मार्च, 1995 के अन्तिम शुक्रवार को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए अग्रिम राशियों का (राज्य-वार/संघ-राज्य वार) विवरण (अद्यतन उपलब्ध)

(राशि रु. में. 000)

क्षेत्र/राज्य	लघु उद्योग	
	खातों की संख्या	राशि
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	161895	15609912
2. अरुणाचल प्रदेश	1147	43193
3. असम	67335	2190376
4. बिहार	228297	7341886
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	44240	22136615
6. गोवा	4523	857388
7. गुजरात	107831	19382643
8. हरियाणा	47873	9071385
9. हिमाचल प्रदेश	21984	1279415
10. जम्मू एवं कश्मीर	7412	922536
11. कर्नाटक	124729	15345043
12. केरल	200512	8715613
13. मध्य प्रदेश	132095	9448962
14. महाराष्ट्र	151828	42091443
15. मणिपुर	13744	282449
16. मेघालय	3048	83191
17. मिजोरम	1754	53488
18. नागालैंड	5092	192731
19. उड़ीसा	154190	1871252
20. पंजाब	109737	5319951
21. राजस्थान	104472	6210713
22. सिक्किम	746	35385
23. तमिलनाडु	208363	30863573
24. त्रिपुरा	13678	173312
25. उत्तर प्रदेश	338899	23842750
26. पश्चिम बंगाल	616058	18776416

1	2	3
27. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	639	30301
28. चंडीगढ़	5964	1744109
29. दादर एवं नगर हवेली	68	28511
30. दमन एवं दीव	330	114160
31. लक्षद्वीप	36	580
32. पांडिचेरी	6183	299711

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन

3326. श्री विजय पटेल :

श्री एस. पी. जायसवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ने सरकार को ग्रामीण बैंकों के अफसरों तथा कर्मचारियों को प्रायोजित बैंकों के बराबर वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा है;

(ख) केन्द्र सरकार ने 6 फरवरी, 1995 तथा 23 जून, 1995 को छठे वेतन समझौते को लागू करने की बजाय एक वेतन युक्तिकरण समिति का गठन किया है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वेतन युक्तिकरण समिति का गठन किए जाने से देश भर के 75 हजार ग्रामीण अफसरों तथा कर्मचारियों में रोष व्याप्त है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ग्रामीण बैंकों के अफसरों तथा कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर एक रैली आयोजित की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17(1) के अंतर्गत, निर्धारित किए जाने हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसरण में, सरकार ने वर्ष 1987 में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (एनआईटी) का गठन किया था। न्यायाधिकरण को, रिट याचिका के पक्षों द्वारा की गई पैरवी के संबंध में, आरआरबी के कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते तथा लाभों से संबंधित विवादों पर निर्णय देना था।

न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के अनुसरण में, सरकार ने आरआरबी के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते निर्धारित करने के लिए दिनांक 22.02.1991 को एक आदेश जारी किया जो दिनांक 1.9.1987 से प्रभावी था। तथापि, वाणिज्यिक बैंकों के लिए छठे द्विपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन के बाद आरआरबी के कर्मचारी इस बात पर अड़ गए कि समझौता उन पर भी लागू किया जाए। कुछ कर्मचारियों ने मामला उच्चतम न्यायालय में उठाया। सरकार के विचार से राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय आरआरबी तथा उनके प्रायोजक बैंकों के कर्मचारियों के बीच अनवरत समानता लाने के लिए प्राधिकृत नहीं हो सकता। उच्चतम न्यायालय ने प्रार्थित सहायता को स्वीकृति नहीं दी है और कहा है कि कर्मचारी वर्ग औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध राहत प्राप्त कर सकते हैं।

अधिनियम के उपबंध व विधिक स्थिति को देखते हुए तथा एक व्यापक पैकेज उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो कि कर्मचारियों, ग्राहकों तथा बैंकों के हितों का समाधान करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक समिति का गठन किया है जो कि अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार को सिफारिश करेगी। आशा है कि कर्मचारी वर्ग अपने विचारों को समिति के समक्ष रखेंगे जिससे कि उनकी मांगों पर सिफारिश करने के लिए विचार किया जा सके।

[हिन्दी]

बिहार में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक

3327. श्री आर. एल. पी. वर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस बैंक द्वारा किन-किन क्षेत्रों में निवेश किया गया है और यह राशि कितनी है; और

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा चालू वित्त वर्ष में अपना निवेश बढ़ाने के लिए क्या नीतियां तैयार की जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

इंडियन ओवरसीज बैंक में अस्थायी नियुक्ति

3328. श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिखलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओवरसीज बैंक में संदेश वाहकों की नियुक्तियों के संबंध में सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण देने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) इंडियन ओवरसीज बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने अधीनस्थ

कर्मचारी संवर्ग में संदेशवाहकों, चौकीदारों और ड्राइवरों का एक ही रोस्टर बनाया हुआ है और ऐसी नियुक्तियों के मामले में वे सरकार के मार्गनिर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऋण तथा नकदी ऋण हेतु ब्याज की दर

3329. श्री तारीक अनवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऋण तथा नकदी ऋण दिए जाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दो प्रकार की उच्चतर ब्याज दर अपनाए जाने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमाओं वाली अपनी अग्रिम राशियों पर अपनी स्वयं की उधार संबंधी ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। बैंकों से उच्चतर ब्याज दर (पीएलआर) की घोषणा करने की अपेक्षा की जाती है, जो बैंकों द्वारा 2 लाख रु. से अधिक की ऋण सीमा पर प्रभारित न्यूनतम दर होगी। बैंकों से उपभोक्ता ऋण को छोड़कर सभी अग्रिम राशियों के लिए पीएलआर के अधिकतम विस्तार की घोषणा करने की भी अपेक्षा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1997 में बैंकों को स्पष्ट रूप से बताया है कि उन्हें संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से ऋण संघटक एवं नकद ऋण संघटक के लिए निर्धारित पीएलआर और पीएलआर विस्तार अलग-अलग निर्धारित करने की अनुमति है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना

3330. श्री अंचल दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997-98 के दौरान उड़ीसा में खोली जाने वाली बैंकों की शाखाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान उड़ीसा के लिए बैंकों द्वारा जारी किए गए आशय पत्रों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य में कोआपरेटिव बैंकों का विस्तार करने और शाखाएं खोलने के लिए कोई सहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) और (ख) उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए जिन्हें अभी खोला जाना है, दिनांक 01.04.95 से 28.2.97 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किए गए प्राधिकारों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) राज्य सरकार को जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इन बैंकों की शाखाओं की स्थापना और विस्तार के लिए जो अर्थक्षम हैं, योजनाएं राज्य सरकारों को तैयार करनी पड़ती है। नाबार्ड ने क्रमशः वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान उड़ीसा में सहकारी ऋण संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए क्रमशः 0.96 करोड़ रु., 2.93 करोड़ रुपए और 6.41 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है।

विवरण

उड़ीसा में उन शाखाओं को, जिन्हें अभी खोला जाना है, खोलने के लिए 1.4.95 से 28.2.97 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को जारी किए गए प्राधिकार पत्र।

बैंक	केन्द्र	जिला
केनरा बैंक	शाहदेवकुठा	बालासोर
केनरा बैंक	राउरकेला	सुन्दरगढ़
आंध्रा बैंक	झाड़सासुगुडा	सम्भलपुर
कार्पोरेशन बैंक	राउरकेला	सुन्दरगढ़
आंध्रा बैंक	बारीपाड़ा	मयूरभंज
आंध्रा बैंक	बारबिल	क्योंझर
पंजाब नेशनल बैंक	शहीद नगर	भुवनेश्वर
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	सम्भल पुर	सम्भल पुर
देना बैंक	बालासोर	बालासोर
देना बैंक	बेहरामपुर	बेहरामपुर
इंडियन बैंक	भुवनेश्वर	भुवनेश.
इंडियन बैंक	एम टी एम भुवनेश्वर	भुवनेश.
इंडियन बैंक	शैलश्री विहार	भुवनेश.
इंडियन ओवरसीज बैंक	झारसुगुडा	सम्भलपुर
इंडियन ओवरसीज बैंक	तालचेर	अंगुल
इंडियन ओवरसीज बैंक	बारघर	बारघर
इंडियन ओवरसीज बैंक	बारीपाड़ा	मयूरभंज
इंडियन ओवरसीज बैंक	धरमगढ़	कालाहांडी
इंडियन ओवरसीज बैंक	नयागढ़	नयागढ़

जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम के लिए नई पेंशन योजना

3331. श्री चमन लाल गुप्ता : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा बैंक कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वे कर्मचारी जो 1 जनवरी, 1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा रहा है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) जी हां।

(ख) जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम के सम्बन्ध में दि. 1.11.1993 से एक पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी जिसमें दि. 1.1.1986 और दि. 1.11.1993 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए यह विकल्प था कि वे ब्याज सहित भुगतान किए गए लाभों की वापसी के पश्चात् योजना में शामिल हो सकते हैं। इसका ब्यौरा जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 और साधारण बीमा (कर्मचारी) पेंशन नियम, 1995 में दिया गया है। इन नियमों के जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम के सम्बन्ध में दि. 28.6.1995 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया। इन नियमों को दि. 8.12.1995 को सदन के पटल पर रखा गया था। बैंकों के मामले में (भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर जिसमें पहले ही पेंशन योजना है) दि. 29.9.1995 से अंशदायी भविष्य निधि के स्थान पर एक पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में जो, दि. 29.9.1995 से पहले से बैंक में सेवारत हैं और दि. 29.9.1995 तक सेवा में बने रहते हैं, यह विकल्प था कि वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के बदले में पेंशन का चुनाव करें अथवा अंशदायी भविष्य निधि योजना में ही बने रहें।

(ग) और (घ) जीवन बीमा निगम, साधारण बीमा निगम और बैंकों के संबंध में समापन तिथि 1.1.1986 हैं इसे भारतीय रिजर्व बैंक की तर्ज पर जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम और उसके कर्मचारी यूनियनों के प्रबंध के बीच हुए समझौते के साथ अपनाया गया था। बैंकों के मामले में यह, भारतीय बैंक एसोसिएशन और बैंक कर्मचारी/अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच हुई सहमति के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की तर्ज पर किया गया था। जीवन बीमा निगम/साधारण बीमा निगम/बैंक का विचार यह है कि उनके लिए उन कर्मचारियों के रिकार्ड का पता लगाना संभव नहीं होगा जो बहुत पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने अंशदायी भविष्य निधि के लाभों का भी उपयोग किया है। यहां यह भी उल्लेख करना है कि कोई भी नई लाभ योजना प्रारंभ करते समय समापन तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, पिछले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कवर करना न तो व्यवहार्य होगा और न ही व्यावहारिक होगा।

आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

3332. श्री वेंकटरामी रेड्डी अन्नथा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं कार्यरत हैं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कितना ऋण वितरित किया गया; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान बैंकों में कुल जमा राशि की तुलना में इस प्रकार दिए गए ऋणों का प्रतिशत क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) आंध्र प्रदेश राज्य में 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जिनकी 1123 शाखाएं कार्यरत हैं। इनमें से 931 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा संवितरित ऋण और कुल जमाराशियों की तुलना में इसके प्रतिशत के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

(धनराशि लाख रुपए में)

	1994-95	1995-96
संवितरित ऋण	42464.86	59821.55
कुल जमाराशि में प्रतिशत	44.40	51.52

पंजाब एंड सिंध बैंक

3333. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री वी. वी. राघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त बैंकिंग विभाग ने जुलाई, 1995 में पंजाब एंड सिंध बैंक से बैंकों के अधिकांश अधिकारी प्रतिनिधि संघों से अधिकारी-निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु पांच पदाधिकारियों का पैनल तैयार करने के लिए कहा है;

(ख) क्या पंजाब एंड सिंध बैंक ने मंत्रालय को अक्तूबर/नवम्बर, 1995 में पांच पदाधिकारियों का पैनल भेज दिया है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भी उपरोक्त पैनल के संबंध में मंत्रालय को अपनी सिफारिशें भेजी हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पंजाब एंड सिंध बैंक बोर्ड में किसी भी नाम-निर्देशित अधिकारी निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो पंजाब एंड सिंध बैंक के अधिकारियों के प्रति भेदभाव के क्या कारण हैं तथा पंजाब एंड सिंध बैंक बोर्ड में अधिकारी निदेशक की नियुक्ति पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार): (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अधिकारी कर्मचारी निदेशकों का नामांकन इस संबंध में संगत सांविधियों में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रियाओं और सरकारी मार्ग-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। इन मार्ग-निर्देशों को जुलाई 1995 में संशोधित किया गया था। पंजाब एंड सिंध बैंक ने इन मार्ग-निर्देशों के अनुसार बैंक के अधिकांश अधिकारी संघ के पदधारियों के नामों का एक पैनल प्रस्तुत किया था। भारतीय रिजर्व बैंक से इस मामले में परामर्श लिया गया था।

(घ) पंजाब एंड सिंध बैंक का राष्ट्रीयकरण होने से अब तक इसके बोर्ड में कोई अधिकारी कर्मचारी निदेशक नामित नहीं किया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय स्तर के कुछ बैंक अधिकारी संघों से प्राप्त कतिपय अभ्यावेदनों के आलोक में, इन मार्ग-निर्देशों की पुनः जांच करना आवश्यक हो गया था। इन मार्ग-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के तत्काल बाद ही अधिकारी कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खनिज और धातु व्यापार निगम

3334. श्री बुद्धसेन पटेल : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश में भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा कतिपय परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजनाओं पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी तथा उनसे रोजगार के कितने अवसर सृजित होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) एम.एम.टी.सी. का उड़ीसा में दुबरी में 1.1 मिलियन टन पिग आयर/स्टील बिल्लेट्स/वायर रॉड प्रति वर्ष उत्पादन की एक इस्पात संयंत्र परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1550 करोड़ रु. आंकी गई है और इससे लगभग 1750 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। एम.एम.टी.सी. संयुक्त उद्यम के तहत 480 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 8.8 लाख टन प्रति वर्ष धात्विक कोक उत्पादन करने वाला कोक ओवन प्लांट तथा 55 मेगावाट क्षमता वाला कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। इस परियोजना से लगभग 350 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

एम.एम.टी.सी. ने लगभग 290 करोड़ रु. की लागत से बुने हुए कपड़ों और परिधानों के विनिर्माण के लिए मध्य प्रदेश में एक करोड़ की मिल लगाने का गवेष्णात्मक प्रस्ताव पेश किया है। एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। जिसे अभी वित्तीय संस्थानों की मंजूरी नहीं मिली है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वर्ष 1995-96 के लिए भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(क) (एक) भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1575/97]

(ख) (एक) नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाइसिकल कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1576/97]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1577/97]

(घ) (एक) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आईलैण्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन

पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1578/97]

(ङ) (एक) प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1579/97]

(च) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकमण्ड के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिलम्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, ऊटकमण्ड का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण तथा महालेखापरीक्षण लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षण की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1580/97]

(3) (एक) फ्लूइड कन्ट्रोल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पालघाट के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूइड कन्ट्रोल रिसर्च इन्सटीट्यूट, पालघाट के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1581/97]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एन्टरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एन्टरप्रेन्योरशिप, गुवाहाटी के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए, विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1582/97]

(7) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अंतर्गत कंट्रोलर जनरल आफ पेटेंट्स डिजाइन्स एण्ड ट्रेड मार्क्स के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1583/97]

(8) लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सीमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण स्पष्ट करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1584/97]

(9) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1585/97]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) संशोधन विनियम, 1997

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी संस्थागत निवेशक) संशोधन विनियम, 1997 जो 12 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 105(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 जो 20 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 124(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1586/97]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 530(अ) जो 20 नवम्बर, 1996 के भारत

के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 565(अ) जो 11 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 1(अ) जो 1 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 30 सितम्बर, 1994 की अधिसूचना संख्या 171/94-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 8(अ) जो 8 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 16(अ) जो 17 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनका आशय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयात किए गए मुद्रित इंडियन बैंक नोट्स को सीमा-शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) दिनांक 29 नवम्बर, 1996 का तदर्थ छूट आदेश संख्या 194 जो अधिसूचना में उल्लिखित सामान जैसे कैमीकल्स, फिल्म्स, और ट्यूबिंग्स आदि को भारत में आयात किए जाने पर उस पर उद्ग्रहणीय समस्त मूलभूत, अतिरिक्त और विशिष्ट सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1587/97]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1996 जो 18 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 880(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(दो) आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 1997 जो 10 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1588/97]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1994 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 570(अ) जो 16 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 8/96-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 85(अ) जो 20 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे कागज और पेपर बोर्ड जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत गैर पारम्परिक कच्ची सामग्री अंतर्विष्ट है, को 16 मार्च, 1995 से आरंभ होने वाली तथा 19 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान 15 प्रतिशत मूल्यानुसार अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1589/97]

(5) 31 मार्च, 1996 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :—

(एक) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1590/97]

(दो) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजमुन्दरी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1591/97]

(तीन) दुर्ग राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक, राजनन्दगांव।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1592/97]

(चार) का बैंक नोंक्यिडोंग री खासी जयन्तिया, शिलांग।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1593/97]

(पांच) इलाकाई देहाती बैंक, श्रीनगर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1594/97]

(छः) काकातिया ग्रामीण बैंक, वारंगल।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1595/97]

(सात) रेवा सिधी ग्रामीण बैंक, सेवा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1596/97]

(आठ) औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1597/97]

(नौ) जम्मू रूरल बैंक, जम्मू।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1598/97]

(दस) ऋषिकुल्या ग्राम्या बैंक, बेहरामपुर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1599/97]

(ग्यारह) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भिवानी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1600/97]

(बारह) विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1601/97]

(तेरह) गुड़गांव ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1602/97]

(चौदह) मल्लाभूम ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1603/97]

(पंद्रह) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1604/97]

(सोलह) फरीदकोट-भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1605/97]

(सत्रह) चिकमंगलूर-कोडागू ग्रामीण बैंक, चिकमंगलूर

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1606/97]

(अट्ठारह) सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1607/97]

(उन्नीस) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1608/97]

(बीस) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, मंगलौर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1609/97]

(इक्कीस) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1610/97]

(बाइस) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1611/97]

(तेईस) लांगपी दिहांगी ग्रामीण बैंक, दीपू।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1612/97]

(चौबीस) पांड्यन ग्राम बैंक, सत्तू।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1613/97]

(पच्चीस) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1614/97]

(छब्बीस) मणिपुर रूरल बैंक, इम्फाल।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1615/97]

(सत्ताईस) कटक ग्राम्य बैंक, कटक।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1616/97]

(अट्ठाईस) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1617/97]

(उनतीस) संगमेश्वर ग्रामीण बैंक, महबूबनगर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1618/97]

(तीस) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतल्ला।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1619/97]

(इकतीस) देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1620/97]

(बत्तीस) श्री विशोखा ग्रामीण बैंक, श्रीकाकुलम।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1621/97]

(तैंतीस) मांडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मांडला।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1622/97]

(चौंतीस) श्रीराम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1623/97]

(पैंतीस) शोखावाटी ग्रामीण बैंक, सीकर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1624/97]

(छत्तीस) प्रयागज्योतिष गांवलिया बैंक नालबाड़ी।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1625/97]

(सैंतीस) लखिमि गांवलिया बैंक, गोलाघाट।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1626/97]

(अड़तीस) मिजोरम रूरल बैंक, एजवाल।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1627/97]

(उनतालीस) श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक, करीमनगर।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1628/97]

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (1997 का संख्यांक 10) केन्द्रीय सरकार-राजस्व प्राप्ति-अप्रत्यक्ष कर (सीमा-शुलक) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1629/97]

(7) वर्ष 1997-98 के लिए संसद, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालयों की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1630/97]

ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे।

वस्त्र मंत्री (श्री आर. एल. जालप्पा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1631/97]

(3) (एक) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1632/97]

(5) वर्ष 1997-98 के लिए वस्त्र मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1633/97]

(6) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोएडा के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नोएडा के 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1634/97]

(8) जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का.आ. 199(अ) जो 15 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे जिसकें द्वारा यह आदेश दिया गया था कि 15 मार्च, 1995 से अधिसूचना में उल्लिखित वस्तुओं को उनकी पूर्ति अथवा वितरण हेतु जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा।

(दो) का.आ. 462(अ) और का.आ. 666(अ) जो क्रमशः 28 जून, 1996 और 30 सितम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसके द्वारा 15 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या का.आ. 199(अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(तीन) का.आ. 905(अ) जो 31 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 1996 की अधिसूचना संख्या का.आ. 666(अ) में प्रकाशित आदेश में कतिपय संशोधन किए गए थे।

(9) उपर्युक्त (8) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1635/97]

(10) अधिसूचना संख्या का.आ. 202(अ) जो 16 मार्च, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा यह निदेश देने वाला आदेश दिया गया था कि 100 मीटर टन प्रतिदिन की अधिष्ठापित क्षमता वाले लघु और छोटे सीमेंट संयंत्रों को जूट पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं का पैकिंग में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत 15 मार्च, 1995 के का.आं. 199(अ) में प्रकाशित आदेश के प्रवर्तन से छूट दी जाएगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1636/97]

वार्षिक प्रतिवेदन, सरकार द्वारा समीक्षा और पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : मैं श्री बोला बुलली रमैया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1637/97]

(3) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार, संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष

1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1638/97]

(5) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1639/97]

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) गरम मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गरम मसाला व्यापार निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1640/97]

(ख) (एक) भारत व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत व्यापार संवर्धन संगठन नई दिल्ली वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1641/97]

(ग) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1642/97]

(घ) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त मद संख्या (7) के (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1643/97]

(9) वर्ष 1997-98 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1644/97]

वर्ष 1997-98 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगें

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी खलप) : श्री दिलीप कुमार राय की ओर से मैं वर्ष 1997-98 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1645/97]

नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड नेयवेली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड नेयवेली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, नेयवेली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा निरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1646/97]

(3) वर्ष 1997-98 के लिए कोयला मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1647/97]

संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान नई दिल्ली के पूर्व 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित खाते।

(दो) संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान नई दिल्ली के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1648/97]

(3) विधि और न्याय मंत्रालय के वर्ष 1997-98 की विस्तृत अनुदानों की मांगों की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1649/97]

सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 की धारा 21 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 591(अ) जो 27 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिनमें 18 अक्तूबर, 1996 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 485(अ) का शुद्धि-पत्र है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1650/97]

(2) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त) एक सौ रुपए का सिक्का (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित है), पचास रुपए और पांच रुपए के सिक्के (जिनमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित हैं) जिन्हें "राजनीति में पुरुषों और महिलाओं की सहभागिता" नियम 1997 संबंधी अंतर-संसदीय सम्मेलन के अवसर पर निर्मित किया गया है, जो 14 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 73(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त) सौ रुपए का सिक्का (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित हैं), पचास रुपए दस रुपए और दो रुपए के सिक्के (जिनमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल हैं) जिन्हें "सुभाष चन्द्र बोस" नियम 1997 की स्मृति में निर्मित किया गया है, जो 17 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (मानक वजन और गुणवत्ता के अंतर की सीमा से युक्त) सौ रुपए का सिक्का (जिसमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निकल और 5 प्रतिशत जिंक सम्मिलित है), पचास रुपए और दो रुपए के सिक्के (जिनमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल सम्मिलित हैं) जिन्हें "सुभाष चन्द्र बोस" नियम 1997 की स्मृति में निर्मित किया गया है, जो 17 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 82(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1651/97]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का.आ. 820(अ), जो 26 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 821(अ), जो 26 नवम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात के निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 898(अ), जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 899(अ), जो 26 दिसम्बर, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का

निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 13(अ), जो 15 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश में चक्रवात से प्रभावित लोगों के राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए भारत में आयात किए गए और दान में दिए गए माल को कतिपय शर्तों के अध्यधीन उद्ग्रहणीय संपूर्ण मूल, अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट दिए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 28(अ), जो 22 फरवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 36/96-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का.आ. 65(अ), जो 28 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने की विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 66(अ), जो 28 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो निर्यात का निर्धारण करने के उद्देश्य से कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुदाओं में संपरिवर्तित करने की विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1652/97]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा.का.नि. 12(अ), जो 15 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय शर्तों के अध्यधीन आन्ध्र प्रदेश में चक्रवात पीड़ितों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए दान दिए गए माल पर उत्पाद-शुल्क से सम्पूर्ण छूट दिए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 35(अ), जो 27 जनवरी, 1997 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 8/96-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 46(अ), जो 30 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 नवम्बर, 1967 की अधिसूचना संख्या 266/67-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 63(ङ), जो 7 फरवरी, 1997 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 8/96-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन करता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1653/97]

(5) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.वि. 47(ङ) जो 31 जनवरी, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनका आशय जर्मनी एवं कोरिया गणराज्य में उद्भूत अथवा से निर्यातित एवं भारत में 30 जुलाई 1997 तक आयातित एक्रीलोनीट्राइल बूटाडील रबड़ (एन.बी.आर.) पर अस्थायी रूप से पाटन-रोधी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन;

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1654/97]

(6) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (1997 का संख्यक 11) संघ सरकार राजस्व प्राप्तियां—अप्रत्यक्ष कर (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल. टी. 1655/97]

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जिले में पहली बार छात्रों पर गोलियां चलाई गईं। ...*(व्यवधान)* आप मेरी बात सुनें। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं धरना दे दूंगी। ...*(व्यवधान)* जिले के अंदर तीन हजार छात्रों को बंद कर दिया गया ...*(व्यवधान)* जिसमें 700 लड़कियां भी थीं। ...*(व्यवधान)* छात्रों का पता नहीं चल रहा है।

अपराह्न 12.01 बजे

(इस समय कुमारी उमा भारती सभा पटल के निकट फर्श पर खड़ी हो गईं।)

(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए]*

इस समय कुमारी उमा भारती सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गईं।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.02$\frac{1}{2}$ बजे

राज्य सभा से संदेश

महासचिव महोदय : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

"राज्य सभा में कार्य और प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 127 के प्रावधानों के अनुरूप, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 13 मार्च 1997 को हुई अपनी बैठक में उस औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसे लोक सभा ने 5 मार्च, 1997 को हुई बैठक में मंजूरी दी थी।"

अपराह्न 12.03 बजे

रेलवे अभिसमय समिति

दूसरा प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं "नौवीं योजना परिप्रेक्ष्य—भारतीय रेल की आधारभूत आवश्यकता" संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन और तत्संबंधी कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

[अनुवाद]

भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब मद संख्या 12 श्री रमाकांत डी. खलप।

विधि कार्य, विधायी विभाग और न्याय विभाग के राज्य मंत्री (श्री रमाकांत डी. खलप) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दूर संचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि दूर संचार सेवाओं" को विनियमित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमाकांत डी खलप : मैं विधेयक वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सदन अब सांविधिक संकल्प पर विचार करेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मैं अनशन पर हूं जब आप मुझे बोलने का मौका देंगे तब मैं अपना अनशन तोड़ूंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे मिलिए। मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज शून्य काल नहीं होगा। आज गैर सरकारी सदस्यों का दिन है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ...*(व्यवधान)* चाहे आप मुझे सदस्यता से वंचित कर दीजिए। ...*(व्यवधान)* मेरे जिले के छात्रों का जीवन मरण का सवाल है। ...*(व्यवधान)* सैकड़ों छात्र-छात्राओं का पता नहीं चल रहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उमाजी, मैं आपकी समस्या पर ध्यान दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उमाजी, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री जसवन्त सिंह को बोलने का मौका दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उमा भारती जी, कृपया आप वापिस जाइए। मैंने आपको कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी समस्या की ओर ध्यान दूंगा। मैं सरकार के पास इस मामले को उठाऊंगा। मैं इस मामले के संबंध में प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले का अध्ययन करूंगा। आप मेरे नोटिस में लाइए। मैं स्वयं इससे निपटूंगा। मैं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे

(इस समय कुमारी उमा भारती वापिस अपने स्थान पर लौट गईं)

अध्यक्ष महोदय : यह विद्यार्थियों से संबंधित मामला है। मैं स्वयं इसे देखूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 12.06 $\frac{1}{2}$ बजे

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा की गई उद्घोषणा के प्रवर्त्तन को जारी रखने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, आपने मेरे सहयोगी के लिए जो आदर दिखाया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने वास्तव में उनका ध्यान रखा है।

इस चरण पर, जब उत्तर-प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की अवधि में वृद्धि के संकल्प पर विचार किया जाने लगा है, मैं अपने दल की रोक के बावजूद अपने दल का विरोध अभिव्यक्त करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। हमारा लगातार यही विचार रहा है और हमने बार-बार यही दोहराया है कि यह कदम राजनीतिक रूप से ईमानदारीपूर्ण नहीं है, संवैधानिक रूप से यह अस्पष्ट है और बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है; यह खराब दृष्टान्त स्थापित करता है; यह जनतंत्र का घातक है, और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए भी हानिकारक है। हम केवल इसलिए किसी ऐसे कदम का समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि शासक दल के सब लोग अपनी तर्कशक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते, केवल गणना की खातिर देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं; एक सीधा गणनांक 1 हम यह नहीं कर सकते। मैं इसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

"इस समय श्री जसवन्त सिंह तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, बाकी सब कुछ छोड़ो, जो कहा गया है वह निश्चित रूप से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आज बहुत उदासी वाला दिन है। वे लोग जो उत्तरदायित्वपूर्ण विपक्ष होने का दावा करते हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो आपके निर्णय की निन्दा है। इसके बाद कोई भी रूख नहीं अपनाए रह सकता। यह सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल आपने विचार करके जो विनिर्णय दिया था, हम सबको सुनने के पश्चात् वह विनिर्णय दिया था। ...*(व्यवधान)* हमने इस पर चर्चा की है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अध्यक्ष पीठ के प्रति जान-बूझ कर दिखाई गई अवज्ञा है। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि यह दल कहीं भी सत्ता में नहीं है, भारत या उत्तर प्रदेश में कहीं भी सत्ता में नहीं आ सकता। यह इस देश के लिए अच्छा है। यह बेहद गैर-जिम्मेदाराना रवैया है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : पंजाब ने रास्ता प्रशस्त किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जैन, यदि आप जाना चाहते हैं, आराम से चले जाइए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि हम इस संस्था का तिरस्कार करेंगे तो फिर विपक्ष क्या करेगा ? यदि हम अध्यक्षपीठ के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं करते और उसके द्वारा प्रदत्त निर्णयों का आदर नहीं करते। हमारी अपनी भावनाएं चाहे कुछ भी हों, हमें निर्णय का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इसे तो इसी प्रकार बनाया जाता है। केवल बड़े-बड़े शब्दों के प्रयोग से स्थिति को नहीं बदला जा सकता। वह तेज-तर्रार अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु यह तो अच्छा मुद्दा नहीं है। जो कुछ कहा गया है हम उसका दृढ़ता से विरोध करते हैं और बी.जे.पी. के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की भर्त्सना करते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान मोहन रावले, हम एक अलग विषय पर विचार कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज कोई शून्य काल नहीं होगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कुछ और है ?

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई-उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

उस दिन, शून्य काल के दौरान मैंने सदन में किसी मामले का उल्लेख किया था और सरकार से उस मामले पर वक्तव्य देने का निवेदन किया था। माननीय गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्त ने कल इस विषय पर एक वक्तव्य दिया ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप फिर किसी दूसरे विषय पर बोल रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : परन्तु उन्होंने उसका हवाला नहीं दिया। मैं तो केवल इतना ही याद दिलाना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आपने याद दिला दिया। हम तो संकल्प पर विचार कर रहे हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं तो यह याद दिलाना चाहता था कि कल मुम्बई में एक पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार किया गया था। जो कुछ मैंने कल कहा था 200% सही है। यही तो विवाद का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"कि यह सभा उत्तर प्रदेश के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 17 अक्टूबर, 1996 को जारी की गई उद्घोषणा का प्रवर्तन 17 अप्रैल, 1997 से और छः महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं, हम परम्परा को भंग नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

डा. शफीकुर रहमान बर्क (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय मस्जिद का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आज शुक्रवार है, आज जीरो आवर नहीं होगा, चाहे जो भी मसला हो।

अपराह्न 12.10 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

प्रो. अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में इस प्रकार का सुधार लाया जाना चाहिए कि सामाजिक न्याय की झलक मिले तथा यह अधिक पारदर्शी बने। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को न्यायाधीश नियुक्त करने का है। इस शब्द का अभिप्राय केवल उच्च न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं से मान लिया गया है जो सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत करने वाले अधिवक्ता उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति होने के लिए कम उपयुक्त नहीं है। संविधान में सुझाए गए तीन माध्यमों :—(न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं एवं पारंगत विधिवेत्ताओं) को समान रूप से महत्त्व देना चाहिए। अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए। इसके अलावा आज सार्वजनिक हित के मुकदमों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस प्रवृत्ति पर कड़ाई से विराम लगाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

(दो) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में दीघा में राजकीय जलजीवशाला शीघ्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर गिरि (कन्टाई) : दीघा बंगाल की खाड़ी में स्थित एक सुन्दर समुद्री पर्यटन-स्थल है। जो पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में पड़ता है, जिससे प्रतिदिन बहुसंख्या में पर्यटक आकर्षित होते हैं। सैर करने वाले लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने यहां एक जलजीवशाला बनाई है। पर्यटकों द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बावजूद यह जलजीवशाला आम लोगों के लिए खोली नहीं गई है। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इसे आम जनता के लिए खोले इसे सभी समस्त आवश्यकताओं से सुसज्जित करे।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त उच्चाधिकारियों पर शीघ्र मुकदमा चलाए जाने की आवश्यकता

श्री अमर पाल सिंह (मेरठ) : उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन चल रहा है इसलिए उत्तर प्रदेश की समस्त जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। उत्तर प्रदेश में बहुत से उच्च अधिकारियों के यहां अभी हाल ही में विजीलेंस ने छापे मारे और उनको भ्रष्टाचार का दोषी पाया है तथा उन उच्च अधिकारियों के खिलाफ विजीलेंस को भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण भी मिले हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति न मिलने का कारण दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ अदालत में आरोप-पत्र दाखिल नहीं किए जा रहे हैं, तथा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। ऐसे नए व पुराने करीब 50 अधिकारी हैं।

अतः मैं भारत सरकार के गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में तुरंत हस्तक्षेप करके, जिन अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया है, उनके विरुद्ध अदालत में आरोप-पत्र दाखिल करने की अनुमति विजीलेंस को प्रदान किए जाने हेतु, आवश्यक निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार को देने का कष्ट करें ताकि दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध जल्दी से जल्दी आवश्यक कार्यवाही हो सके।

[अनुवाद]

(चार) महानगरों, विशेष रूप से हावड़ा, पश्चिम बंगाल में गंदी बस्तियों के प्रतिस्थापन के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान बनाए जाने की आवश्यकता।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, नवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जा रहा है ताकि देश के ग्रामीण और शहरी विकास की ओर विशेष ध्यान देकर देश के भाग्य का निर्माण किया जा सके। शहरी केन्द्रों पर दबाव दिन प्रति दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। 510 वर्ष पुराने, प्राचीनतम शहरों में से एक हावड़ा महानगरी को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिनमें से प्रमुख है गन्दी बस्तियां, सफाई स्वास्थ्य, सड़क और पेय जल सम्बन्धी समस्याएं। नवीं पंचवर्षीय परियोजना के प्रारूप में ऐसे प्राचीन शहरों के पुनरोद्धार हेतु समुचित जीवन परिस्थितियों के पैदा करने और गरीब से गरीब के लिए सही जीवन-निर्वाह-परिस्थितियां पैदा करने के लिए गन्दी बस्तियों के चरणबद्ध

बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक वृहत् योजना होनी चाहिए। हावड़ा और कलकत्ता के बीच एक आदर्श ट्विन नगरी परियोजना के विकास कार्य को जोड़ने के विचार को निश्चित आर्थिक विकास में विशेष प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए ताकि आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाया जा सके यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कलकत्ता और हावड़ा के नगरीय समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं। कलकत्ता तो कुछ गतिशील हो रहा है परन्तु हावड़ा तो ह्रासोन्मुख है। हावड़ा के सम्पूर्ण पुनरोद्धार के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए वहां पर्याप्त भूमि और रोजगार के अवसर हैं नगर में प्रदूषण है, पीने के पानी की कमी है, कलकत्ता नगरी और कलकत्ता पत्तन के काफी निकट स्थित यह शहर प्रदूषण, पेयजल के अभाव, सफाई और संचार व्यवस्था की कमी से प्रभावित है।

अनेक अभ्यावेदनों के माध्यमों से यह मामला प्रधानमंत्री और योजना आयोग के ध्यान में बार-बार लाया जा चुका है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकार से विचार विमर्श करके इस नगरी को बचाने के लिए किसी ऐसे प्रस्ताव के लिए समुचित कदम उठाए, जिसे योजना प्रारूप-पत्र में शामिल किया जा सके।

(पांच) सुन्दरवन डेल्टा परियोजना चरण दो को पूरा करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : कुछ समय पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सुन्दरवन डेल्टा परियोजना चरण-एक सम्बन्धी प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने विचार किया। सुन्दरवन सरोवर का 3400 किलोमीटर का किनारा क्षेत्र अचानक आने वाली बाढ़ और अन्य आपदाओं से आशंकाग्रस्त रहता है। चाहे सुन्दरवन क्षेत्र अपनी फल-फूलों और जैविक विविधता के लिए विख्यात है, तथापि यहां पर कोई भी उद्योग नहीं है और यहां के गरीब लोग केवल मछली पकड़ने और लकड़ी काटने के धंधे से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। यह परियोजना गंगा बाढ़ नियंत्रण परियोजना का भाग थी। महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, पश्चिम बंगाल सरकार वित्तीय संकट में होने के कारण, इस परियोजना को और आगे नहीं बढ़ा पा रही। इस परियोजना की सम्पूर्ण अनुमानित लागत 225.39 करोड़ रुपए है। पता नहीं दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए कोई प्रावधान किया गया है या नहीं। महोदय, अब समय आ गया है जब केन्द्रीय सरकार को सुन्दरवन के गरीब निवासियों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए, उन्हें सुन्दरवन सरोवर की तरंगों की उच्छृंखलता से बचाना चाहिए और पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि वह इस परियोजना को पूरा कर सके।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष जी, कल महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक विस्फोट हुआ। उसमें 58 लोग मारे गए और 22 लोग घायल हुए। हम इस बारे में केन्द्र सरकार से जानकारी चाहते हैं कि आज देश में आर.डी.एक्स. बड़ी भारी मात्रा में आर रही है। गुजरात में आर.डी.एक्स. पकड़ा गया। माननीय गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, वह बताएं कि ए.के. 47 जो आती हैं, हथियार आते हैं, वेस्ट बंगाल में हथियार डाले गए। ये हथियार कहां से आते हैं ? कितने हथियार पकड़े गए और कितने अभी भी बाहर से आ रहे हैं ? आई.एस. आई. दंगा करना चाहती हैं। परसों हमारे आदरणीय नेता श्री मधुकर सर्पोतदार जी ने यह मामला उठाया था, मैंने भी यह मामला उठाया था। इसकी सच्चाई मुम्बई में सामने आ गई। अखबार में फोटो भी आया है : "बाल ठाकरे की हत्या की साजिश का पर्दाफाश"। एक सलाफी नाम का आदमी जो आई.एस.आई. के थ्रू महाराष्ट्र में आया था और महाराष्ट्र में उसे गिरफ्तार किया गया। "सामना" जो हमारा कार्यालय है, उसके पास वह बाल ठाकरे साहब का घर "मातुश्री" को उड़ाने के लिए आया था। मुम्बई में बम-विस्फोट हुआ, उसमें भी वह शामिल था। आंध्र प्रदेश में जो बम-विस्फोट हुआ, उसमें भी वह शामिल था।

हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि आईएसआई की जो एक्टीविटीज बढ़ गई हैं, क्या सरकार इसके बारे में हमें जानकारी देगी ? आज बालासाहेब ठाकरे को उठाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि सरकार इस बारे में स्टेटमेंट दे। यह मामला हमने परसों भी उठाया था लेकिन उस समय गृह मंत्री जी यहां नहीं थे। आज गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं, मेरी उनसे आपके माध्यम से विनती है कि वह इस बारे में अपना स्टेटमेंट दें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें। यह एक गम्भीर मामला था इसलिए मैंने इसकी अनुमति दी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब हमें सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा शुरु करनी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले जी, शून्यकाल के दौरान आपको हर बात का उत्तर नहीं मिल सकता। बिना नोटिस दिए आप यह कैसे आशा कर सकते हैं कि मंत्री जी उत्तर देंगे ?

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : सरकार की तरफ से कहा गया था कि हम स्टेटमेंट देंगे तो अब वह क्यों नहीं दे रहे हैं ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट प्रोबलम है।

[अनुवाद]

यह कानून और व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का है वही इसका समाधान करेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आज मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। आप प्रतिदिन नियम और प्रक्रिया को भंग नहीं कर सकते। मैंने श्री अटल बिहारी वाजयेयी को बोलने को कहा है।

अपराह्न 12.22 बजे

सामान्य बजट 1997-98–सामान्य चर्चा

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, भारत के वित्त मंत्री श्री प्लानिअपन चिदम्बरम ने 28 फरवरी को अपना बजट पेश किया था। आज 14 मार्च है, अभी दो हफ्ते बीते हैं किन्तु इन 14 दिनों में मौसम कितना बदल गया है। कहां वह 28 फरवरी की सुनहरी शाम थी, उस समय कुछ लोगों को लगा था कि मानो जमीन के तारे धरती पर उतर आए हैं। चारों तरफ वसंत के वैभव के बिखरने का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि जैसे देश के आर्थिक संकट से उबरने के बाद अब खाओ-पीओ और मौज करने के दिन आ गए हैं। किन्तु आज 14 दिन बाद स्थिति क्या है ? वसंत पर पतझड़ क्यों छा रहा है, सितारे फिर से धूमिल क्यों लगने लगे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी के बजट का स्वप्न बजट के रूप में, ड्रीम बजट के रूप में स्वागत करने वाले आज बगलें क्यों झांक रहे हैं ? 28 फरवरी और 1 मार्च को किसी ने वित्त मंत्री के बजट को अनेक दशकों का सर्वोत्तम बजट कहा था। किसी ने लिखा था कि चिदम्बरम जी ने असंभव को संभव कर दिखाया है। यह शीर्षक पढ़कर ऐसा लगा कि चर्चा भारत के बजट की नहीं, किसी क्रिकेट मैच की हो रही है, जिसमें जीतने की सारी आशाएं छोड़ दी गई थीं। लेकिन उसी समय हमारे सबसे चतुर खिलाड़ी ने मैदान में आकर तेंदुलकर की तरह से असंभव को संभव करके दिखा दिया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री चिदम्बरम एक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हैं, आर्थिक मामलों में उनकी बुद्धि बड़ी पैनी है। किन्तु फिर भी मैं बजट के मामले में पूर्व वित्त मंत्री और श्री चिदम्बरम के सहयोगी श्री मनमोहन सिंह जी से अपनी सहमति प्रकट करना चाहूंगा कि बजट को लेकर बना हुआ वाहवाही का वातावरण ज्यादा दिन नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, बजट एक गंभीर अनुष्ठान है और इसे धूम-धाम भरे प्रदर्शन में नहीं बदला जाना चाहिए। विशेषकर विकासशील देशों में बजट आर्थिक विकास की यात्रा में मील के पत्थरों की तरह है और हमें उसे सपनों के बजट के रूप में परिवर्तित करने से बचना चाहिए। इस प्रकार का वाकचापल्य सिर्फ यही पूछने के लिए उकसा सकता है कि यदि यह बजट सपनों का बजट है तो वह किस के सपनों का बजट है।

इसके साथ यह प्रश्न भी उठता है कि कौन से सपनों का बजट है ? ऐसे देश में, जहां 50 करोड़ लोग यह भी नहीं समझ पाते कि बजट क्या होता है ? बजट बनाने के काम को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री चिदम्बरम ने 28 फरवरी को जो बजट पेश किया उससे लगता है कि डगमगाती सरकार भ्रम का यह ताना-बाना बुनने का विफल प्रयास कर रही है कि और मोर्चों पर भले ही गड़बड़ हो लेकिन आर्थिक मोर्चे पर सब कुछ हरा-भरा हो। बजट उन गम्भीर प्रश्नों की ओर ध्यान देने में पूरी तरह से विफल हुआ है जिनकी ओर सरकार की अपनी 1996-97 की आर्थिक समीक्षा में ध्यान खींचा गया है। ऐसी परिस्थिति में, जिसमें खाद्य पदार्थों के दाम सरकार की अपनी गणना के अनुसार पिछले आठ महीनों में 30 प्रतिशत बढ़ गए हैं, यह आशा की जाती थी कि बजट कीमतों में कमी करेगा। दुर्भाग्य से सरकार मुद्रास्फीति की दरों को घटाने के प्रयास में उलझी रह गई। अस्वाभाविक तरीके से पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई कीमतों को घटाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। फिर भी यह सरकार मुद्रास्फीति की दर घटाने का श्रेय नहीं ले सकती। पिछले छः महीने में वह लगभग दुगुनी हो गई है। बजट आम आदमी के लिए महंगाई का परवाना लेकर आया है। रेल यात्रा तथा माल-भाड़े के दरों की वृद्धि से 1800 करोड़ रुपए का भार डाला गया है। 300 करोड़ रुपया पोस्ट तथा तार के खाते में पड़ने वाला बोझ, एक नया टैक्स-सर्विस टैक्स, जिसका प्रभाव व्यापक रूप से आम आदमी पर पड़ेगा। उसके द्वारा सरकार 1200 करोड़ रुपया कमाने का इरादा रखती है। ऑयल पूल डैफिसिट 19 हजार करोड़ रुपया है जिसे पूरा करने का सरकार अभी कोई रास्ता नहीं बता रही है। वेतन आयोग सिफारिशों को अमल में लाने का खर्चा सात हज़ार करोड़ रुपए के लगभग होगा। जहां तक इस वर्ष का सवाल है, अनुमानतः पांच हजार करोड़ रुपए का व्यय भार इसके माध्यम से पड़ेगा। इसके बाद भी, यदि सरकार यह दावा करती है कि बजट में आम आदमी की दशा सुधर रही है, यह जले पर नमक छिड़कने के बराबर है।

बजट में विकास के जो अनुमान लगाए गए हैं, वे अतिरंजित और अयथार्थवादी हैं। सरकार के अनुसार जी.डी.पी. ग्रोथ 7 प्रतिशत अनुमानित है। इसमें उद्योग में 10 प्रतिशत, कृषि में साढ़े तीन प्रतिशत और सर्विसेज़ में 8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। मैं चाहूंगा और हम सभी चाहेंगे कि देश का विकास और तेजी से हो किन्तु विकास के राजमार्ग पर जो ऊंचे-ऊंचे अवरोधक खड़े हैं, उनकी ओर आंख मूंदने की कोई भूल नहीं होनी चाहिए। बिजली की भारी कमी है। यह कमी आगे भी रहेगी। इसका औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अन्य क्षेत्रों पर भी उसके दुष्परिणाम होंगे। हमारी कृषि आसमान पर निर्भर है। पर्याप्त वर्षा हुई तो फसल अच्छी वरना सूखा, अभाव, संकट। पिछले 8-9 वर्षों से लगातार हमें अच्छे मानसून का लाभ मिला। यदि पर्याप्त वर्षा नहीं हुई, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो तो फिर हमारे सारे अनुमान गलत हो जाएंगे। दूरदर्शिता का तकाजा है कि भविष्य का विचार करना चाहिए, हम अयथार्थवादी न हो जाएं। सर्विसेज टैक्स से 1200 करोड़ रुपए आय का अनुमान भी ऊंचा सिद्ध हो सकता है जिसे सप्लाई साईड टैक्स डैफिसिट कहा जाता है, वह आड़े आ सकता है। गरीबों को सस्ते दर पर अनाज वितरित

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

करने पर 8 हजार करोड़ रुपए व्यय होंगे।

इसका अनुमान लगाना भी जरूरी है।

महोदय, जहां तक रोज़गार का सवाल है, वर्तमान बजट तथा सरकार की बहु-प्रचारित नीतियां रोजगार बढ़ाने की अतीव आवश्यकता में रुचि लेती हुई दिखाई नहीं देतीं। रिसाव से समृद्धि प्राप्त करने की उसकी आशा अब तक सूख गई होगी। आठवीं योजना के दस्तावेज ने 1991 तथा 2000 के कालखंड में 100 मिलियन रोज़गार की रचना करने का उल्लेख किया था। इसका अर्थ है प्रति वर्ष 10 मिलियन रोजगार। पिछले छः वर्षों में प्रति वर्ष छः मिलियन रोज़गार भी उपलब्ध नहीं किए गए। सरकार ने ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जिनसे आगामी कुछ वर्षों में प्रति वर्ष 12 से 15 मिलियन नए रोज़गार उपलब्ध हो सकेंगे ? मैं देखता हूं कि इस संबंध में मुख्य अपराधी एक के बाद एक आने वाली वे सरकारें हैं जिन्होंने भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को खड़ा करने में विफलता पाई है। मैं फिज़िकल और सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं।

आर्थिक समीक्षा में मुझे देखकर गहरा धक्का लगा कि कृषि में पूंजी के रूप में सार्वजनिक विनियोग पिछले 15-16 वर्षों में बहुत घट गया है। हरित क्रांति के बाद शायद यह पहला अवसर है कि गत वर्ष हमारा अन्न उत्पादन बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मेल नहीं खा सका। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की मात्रा एक वर्ष में 184 किलोग्राम से घटकर 181 किलोग्राम हो गई। आंकड़ों में यह कमी छोटी दिखाई देती है, किन्तु हम जानते हैं कि उसकी वजह से बाजार में गेहूं के दामों में कितनी वृद्धि हुई है। संयुक्त मोर्चा सरकार यह कह सकती है कि वह इन विफलताओं के लिए दोषी नहीं है। कुछ मात्रा में यह ठीक भी है, लेकिन वर्तमान सरकार खुलकर यह बात कह भी नहीं सकती। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक वाक्य इस परिस्थिति की ओर संकेत करने वाला था, मगर उसे काट दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति का अभिभाषण छप जाए और सदस्यों के हाथों में पहुंचने से पहले ही उसे काट दिया जाए, लेकिन इस तरह से काटा जाए कि उसे पूरी तरह पढ़ लिया जाए। इसमें तो थोड़ी चतुराई दिखाई जा सकती थी। लेकिन मैं संयुक्त मोर्चे की सरकार से जवाब मांग रहा हूं। क्या मैं उन्हें याद दिला सकता हूं कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के सभी भागों में निर्धारित धन से कम खर्च किया है ? कुल मिलाकर इस सरकार के गत वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास समेत सामाजिक क्षेत्र के लिए 20,324 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी, किन्तु केवल 18,805 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जो कम खर्च हुआ है, उसका विवरण इस प्रकार है :

शिक्षा में 3388 करोड़ रुपए की जगह 2574 करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास में 2195 करोड़ रुपए की जगह 1798 करोड़ रुपए। ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी निवारण के लिए 6437 करोड़ रुपए रखे गए थे, पर पूरी रकम खर्च नहीं हुई। उसमें से केवल 5977 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कृषि तथा सहकारिता में 1471 करोड़ रुपए रखे गए थे। उसमें से केवल 1338 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण मद में भी कम खर्च हुआ है, जबकि इन मदों की बड़ी तीव्र आवश्यकता है। 1248 करोड़ रुपए की जगह केवल 815 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। एक ऐक्सपेण्डीचर कमीशन बनाने का सुझाव था।

वह खटाई में पड़ गया है, किसी को तो नजर रखनी चाहिए कि खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी की तरफ इशारा कर रहे हैं, यह टालमटोल से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी से भागने से बात नहीं बनेगी। वर्तमान सरकार उत्तरदायी है और शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी निवारण, कृषि तथा सहकार, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण के लिए धन रखने के बाद भी धन खर्च न करना, क्या इन मदों में विकास की आवश्यकता नहीं है ? धन की कमी है, यह लगातार शिकायत की जाती है। लेकिन जब यह सदन सरकार को अधिक धन दे देता है तो सरकार खर्चा नहीं करती है और ये वे क्षेत्र हैं जो बड़े नाजुक क्षेत्र हैं, जिनके कारण हमारा विकास अभी तक अवरुद्ध रहा है। वर्तमान बजट में श्री चिदम्बरम ने घोषणा की है कि केन्द्र सामाजिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास पर 23 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगा। यह पिछली राशि की तुलना में 22 फीसदी अधिक है। इस पर काफी तालियां बजी थीं। यह आंकड़ा प्रभावित करने वाला है। लेकिन 1996-97 का रिकार्ड निराशाजनक है, वादा कुछ है और अमल कुछ है। यहां मैं इस क्षेत्र में राजनेताओं तथा अफसरों द्वारा किए जा रहे सरकारी धन में भ्रष्टाचार की चर्चा नहीं कर रहा हूं। यद्यपि हम सबको याद है कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने किस तरह से इसकी ओर संकेत किया था, जब उन्होंने कहा था कि हम केन्द्र से एक रुपया भेजते हैं और जहां भेजते हैं वहां पहुंचते-पहुंचते वह केवल 16 पैसे रह जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस तथ्य को बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि वर्तमान बजट देश में अमीर-गरीब के बीच की खाई को और बढ़ाएगा। यदि भविष्य में निर्धारित 23 हजार करोड़ की राशि पूरी तरह खर्च कर दी जाए तो वह जी.डी.पी. का 1.6 परसेंट ही होगा। यह कांग्रेस सरकार द्वारा अपने अंतिम वर्ष में इस क्षेत्र में किये गये खर्चे से 0.1 परसेंट से कम ही होगा। जी.डी.पी. का 0.1 परसेंट कम होना कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, इसका अर्थ है 14 सौ करोड़ रुपया। बात साफ है, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था के विकसित होने का दावा किया जाएगा सामाजिक शिक्षा तथा ग्रामीण विकास में सरकारी खर्च अधिकाधिक कम होता जाएगा। गरीब और अमीर की खाई पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप जो सामाजिक तनाव पैदा होंगे वे अनदेखे नहीं रहने चाहिए। जी.डी.पी. के हिस्से के रूप में सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक विकास पर व्यय होने वाली राशि जो 1995-96 में 1.7 परसेंट थी वह 1996-97 में 1.5 परसेंट रह गई। सच्चाई यह है कि प्रति व्यक्ति के अनुसार यह सरकार प्राथमिक शिक्षा पर अफ्रीका के सब-सहारा क्षेत्र की बहुत सी सरकारों से भी कम खर्च कर रही है। अध्यक्ष महोदय, 1996-97 की आर्थिक समीक्षा

से यह पता लगता है कि खेत मजदूर की दैनंदिन दिहाड़ी वास्तविक अर्थों में 1994-95 में जो 0.5 थी और 1995-96 में 0.7 प्रतिशत घटकर रह गई। यह एक औसत आंकड़ा है, जो यह विश्वास करने का तर्कसंगत आधार देता है कि वास्तविक दरों की दृष्टि से सर्वाधिक गरीब खेतिहर मजदूर और सर्वाधिक गरीब क्षेत्रों में काम करने वाला खेतिहर मजदूर अपनी मजदूरी में सबसे ज्यादा कटौती का शिकार हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के 50 साल के बाद भी हम इस बात का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि इस देश में आखिर गरीबों की संख्या कितनी है।

गरीबी मिटाओ के नारे लगाए जाते हैं और लगने भी चाहिए। केवल नारे ही नहीं, उन्हें व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। गरीबी एक अभिशाप है, एक पाप है लेकिन इस देश में गरीब हैं कितने? क्या उनकी संख्या घटती-बढ़ती रहती है ? क्या हम इसकी कोई एक कसौटी तय नहीं कर सकते ? क्या इस सवाल पर हम एकराय नहीं हो सकते ? क्या इसका आंकड़ा भी राजनीति के हिसाब से तय होगा ? अभी इस सरकार ने ऐलान किया है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा, गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। राज्यों से कहा जा रहा है कि वे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की संख्या का पता लगाएं—क्या उनके पास आंकड़े हैं? इस संबंध में अभी तक जो भी निर्णय लिए गए, क्या वे निर्णय सही नहीं थे ? हम कैसे नियोजन सफल कर सकते हैं और कैसे गरीबी-उन्मूलन की योजनाएं सार्थक बना सकते हैं जब तक हमें यही नहीं पता कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वाले इस देश में कितने लोग हैं।

अभी एक नई गणना सामने आई है, जिसके अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिताने वालों की संख्या, पिछली गणना के निर्धनों की संख्या से दुगनी हो गई है पहले वह 160 मिलियन थी, जो अब बढ़कर 320 मिलियन हो गई है। अगर नई पद्धति को स्वीकार किया जाए तो उसके अंतर्गत 36 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। मैं नहीं जानता कि गणना कहां तक ठीक है। ...*(व्यवधान)* क्या नई गणना आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं ?

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : आपने कहा कि संख्या दुगनी हो गई है, यह बहुत अचम्भे की बात है। यदि ऐसा है तो हमारे लिए बहुत गम्भीर बात है। इसलिए जिन्होंने आपको यह आंकड़ा लिखकर दिया है, आपको उससे पूछना चाहिए।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : नहीं, मुझे किसी ने लिखकर नहीं दिया है, मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूं।...*(व्यवधान)*

अभी दो दिन पहले के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए हैं और मैं उनके आधार पर बोल रहा हूं। विरोधी दल में रहते हुए, हम आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकते, यह काम उधर बैठने वाले लोगों का है। फिर भी, यादव जी मुझ से इस बात पर सहमत होंगे कि अगर हम गरीबी उन्मूलन करना चाहते हैं, निवारण करना चाहते हैं या गरीबी घटाना चाहते हैं तो कितने लोगों की गरीबी घटाना चाहते हैं, कितना महान कार्य हमारे सामने है, इसका सही अनुमान लगना चाहिए लेकिन अभी कोई ऐसा अनुमान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दरिद्रता पर विजय पाना हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है, समृद्धि हमारा उद्देश्य है किन्तु इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए देशवासियों को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने की बजाए, आंकड़ों को वोट की राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आमदनी में अनुशासित और दायित्वपूर्ण प्रबंधन का मुख्य कारण वित्तीय घाटा होता है, जिसे फिस्कल डैफिसिट कहते हैं, उसे नियंत्रित करने में यह सरकार विफल रही है। हमें यह नहीं भूलना नहीं चाहिए कि प्लान पर खर्च होने वाली रकम का पुनर्निर्धारित अनुमान 10,000 करोड़ रुपए से कम हो गया है। बजट में यह अनुमान पहले 87,686 करोड़ रुपए था जो अब 77,718 करोड़ रुपए रह गया है। वित्त मंत्री जी ने 1997-98 के बजट में जिस अनुमान के लिए अपनी पीठ थपथपाई है और कहा है कि वह अभी तक के अनुमानों में सबसे ज्यादा है जबकि गत वर्षों के बजट अनुमानों से वह केवल 4000 करोड़ रुपए ही अधिक है। यदि मुद्रास्फिति की दर 8 प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ने का हिसाब लगाया जाए तो यह गत वर्ष के अनुमान से भी कम होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार योजना पर होने वाला खर्च वास्तविक रुपयों के हिसाब से घटा है। सरकार का अनुत्पादक गैर-योजना व्यय साल-दर साल बढ़ता जा रहा है। जैसा मैंने कहा वित्त मंत्री ने आयल पूल डैफीसिट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। पेट्रोल पदार्थों की खपत जो वर्तमान स्तर है उसके अनुसार 19000 करोड़ के आसपास है। यदि हम विकसित देशों की भांति पेट्रोलियम पदार्थों का उपभोग करेंगे, तो कितना घाटा होगा। यह अनुमान लगाने का काम मैं आप पर छोड़ता हूं। इसके बाद जब हम पेट्रोलियम पदार्थों पर तथा तेल के घरेलू उत्पादन में 10 फीसदी की गिरावट की तस्वीर देखते हैं, तो पेट्रोलियम पदार्थों की भारी कमी का एक चिन्ताजनक चित्र हमारे सामने आता है। सौभाग्य से पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कुछ गिरी हैं। घाटे को लाभ में बदलने का एक अवसर हमारे सामने है। आवश्यकता इस बात की है कि हम तेल क्षेत्र की कंपनियों के वित्तीय ढांचे को बदलने के लिए कदम उठाएं और कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने तथा तेलशोधक कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने के लक्ष्य को सामने रखकर समूचे तेल क्षेत्र की कार्य-क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें।

प्रधानमंत्री श्री देवेगौडा, जो सदन में उपस्थित हैं, गरीब किसान के रूप में पहचाने जाएं, इस तरह का प्रयास करते हैं, और यह

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

छवि अच्छी है। दुर्भाग्य से मैं उसे नहीं ओढ़ सकता, लेकिन इसके बावजूद कृषि तथा ग्रामीण गरीब को जो सुविधाएं दी गई हैं, वे कास्मेटिक हैं। इससे ज्यादा गहराई वाली नहीं हैं। जैसा मैंने कहा अन्नोत्पादन हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ मेल नहीं खाता है। 1996-97 में गेहूं का उत्पादन 3.15 मिलियन टन गिरा है। सरकार ने दो मिलियन टन गेहूं आयात करने का फैसला किया है। खाद्य तेलों में आवश्यकता और उपलब्धि के बीच में 940 मिलियन टन की कमी का अन्तर है। 1996 की अप्रैल से दिसंबर के समय में एस.टी.सी. में 1.99 लाख टन पामोलीन आयात किया। इसकी कीमत 295 करोड़ रुपए होती है। ओपन जनरल लाइसेंस के अंतर्गत 9.40 लाख मिलियन टन खाद्यान्न तेल और भी मंगाया गया जिसकी कीमत 2195 करोड़ रुपए है।

अध्यक्ष महोदय, छोटे उद्योग के साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर मैं कहूं कि अन्याय हुआ है, तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां संतुष्ट हैं। देश के भीतर औद्योगिक घराने भी संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन छोटे उद्योगों पर क्या बीत रही है इसका विचार किया जाना चाहिए। छोटे उद्योग और उनका क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाता है। निर्माताओं का भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उन्हें ऊंची ब्याज की दर का सामना करना पड़ता है। ऋण नहीं मिलता है। आम औद्योगिक मंदी और कस्टम ड्यूटी में जो एक्रास दि बोर्ड की कमी की गई है, वह उन्हें परेशानी वाली है। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि 14 वस्तुओं के उत्पादन को सरकार ने डी-रिजर्व कर के छोटे उद्योगों को बड़े राष्ट्रों और बड़ी कंपनियों की दया पर छोड़ दिया है। क्या आवश्यकता है डी-रिजर्वेशन की ? उसमें बिस्कुट आता है। आइसक्रीम आती है। अगर छोटे पैमाने पर अच्छा बिस्कुट बन सकता है, तो बड़े पैमाने पर बनाने की क्या आवश्यकता है। जिसे हम छोटा पैमाना कहते हैं, वह इस देश के हिसाब से छोटा पैमाना नहीं है। आइसक्रीम अगर छोटे पैमाने पर, छोटे स्तर पर बने, तो क्या कठिनाई है ? क्या हम अपने देश में स्वादिष्ट बिस्कुट का भी निर्माण नहीं कर सकते हैं ? क्या इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की आवश्यकता है ?

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : पान मसाला कैसे छूट गया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पान मैं खाता नहीं। मसाले की बात मैं करता नहीं।

अध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक क्षेत्र में जो बैंक हैं उन्होंने परिणाम दिखाना शुरू किया है। जरूरी है कि हम पुरानी भूलों से पाठ पढ़ें और उन भूलों की पुनरावृत्ति न होने दें। बैंकों की अधिकांश समस्याएं अदायगी न होने और बड़े साधनों के कारण होती हैं। बैंकों को चाहिए कि वे एक सीमा के भीतर नॉन परफार्मिंग लोन की सूची प्रकाशित करें।

बजट में वित्त मंत्री ने काले धन वालों के लिए खुली छूट का ऐलान किया है। मैं उस पर बाद में टिप्पणी करूंगा। यह *भी जरूरी है कि बैंक 50 लाख से ऊपर भुगतान न करने वालों के नामों की सूची प्रकाशित करे। दूसरी सूची नॉन परफार्मिंग लोन लेने वालों की होनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले बैंकों की वास्तविक बैलेंसशीट में यह सूचना मिलनी चाहिए।*

वित्त मंत्री महोदय ने टैक्सों की परिधि को बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। यह प्रयास पहले ही होना चाहिए था। हम इस प्रयास से सहमत हैं। इतने बड़े देश में केवल 1 करोड़ 20 लाख भारतीय आयकर देते हैं और इनमें भी कुल 12 हजार व्यक्ति ऐसे हैं जो 10 लाख से ऊपर आय रखते हैं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : एक करोड़ बाईस लाख रुपए के आंकड़े, केवल व्यक्तिगत जनों के नहीं; इनमें कम्पनियां और अन्य निकाय भी शामिल हैं, केवल 88 लाख व्यक्ति कर अदा करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सही है। परिवर्तन के तौर पर, मैं उनसे सहमत हूं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : जब मैं बोल रहा हूं यदि आप बैठ जाएं तो मैं आशा करता हूं कि आपको बी.जे.पी. से न सही, परन्तु आपके विचारों में परिवर्तन कर सकता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, कम्युनिस्ट भी अब कम्युनिस्ट नहीं रहे। यदि मुझे एक गैर-बीजेपी व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, भाजपा वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की निरंतर मांग करती रही है और हम चाहते हैं कि देश की जो वास्तविक स्थिति है। व्यक्तियों और कारपोरेट सैक्टर की जो आमदनी है, उस पर दिया जाने वाला टैक्स है, लोगों के सामने आना चाहिए। उसकी सूचना मिलनी चाहिए। कॉनफिडेंशियलिटी का स्थान है मगर इस सीमा तक नहीं होना चाहिए कि उस कॉनफिडेंशियलिटी के परदे में गोल-माल चलते रहे।

जब मैंने फ्लोरिडा यूनीवर्सिटी के तीन प्रोफेसरों की यह रिपोर्ट पढ़ी कि 1994 तथा 1996 के दो वर्षों में 11 बिलियन डालर से अधिक पूंजी भारत से विदेश गई तो मुझे गहरा धक्का लगा। इसका जाना माना तरीका इम्पोर्ट का ओवर इन्वॉइसिंग और एक्सपोर्ट का अंडर इनवॉइसिंग है, यह धड़ल्ले के साथ चल रहा है।

मुझे विश्वास है कि सरकार इस रिपोर्ट को देखेगी और लिबर्लाइजेशन के बाद और ग्लोबलाइजेशन के पश्चात् भी, और अब तो काले धन को खुली छूट दे दी है। मैं उसका भी उल्लेख करने वाला हूं। लोग काले धन को सफेद बना सकते हैं और केवल 30 परसेंट टैक्स देने की जरूरत है। जो अभी तक इससे ज्यादा टैक्स देते रहे हैं, ईमानदारी से टैक्स अदा करते रहे हैं, वे तो ऐसा समझेंगे कि उन्हें सजा दी जा रही है। कारपोरेट टैक्स

भी 35 परसेंट है और ये जो वालंटरी डिस्कलोजर स्कीम के अंदर धन देंगे, काले को सफेद करेंगे।

वे भी 30 परसेंट टैक्स देकर छूट जाएंगे। अगर मेरा अनुमान गलत है तो मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री उसकी सही करें।

भारतीय जनता पार्टी संयुक्त मोर्चा के बजट को अलग-थलग करके नहीं देखती। 13-14 पार्टियों की संख्या याद रखना भी मुश्किल है, यह इनका एक जमघट है, जिसके अस्तित्व की रक्षा एक चौदहवीं पार्टी द्वारा हो रही है। जैसा मैंने कहा कि श्री चिदम्बरम कांग्रेस की न तो तारीफ कर सकते हैं और न उसकी आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करने पर समर्थन खो देने का भय है और तारीफ करने पर जन-समर्थन खो देने की चिन्ता है।

बढ़ता हुआ वित्तीय घाटा, कृषि में पूंजी निवेश की कमी और बुनियादी ढांचे के विकास की पूर्ण उपेक्षा, ये कांग्रेस सरकार की देनें हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, वित्त मंत्री एक ओर व्यक्तिगत आयकर की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 30 फीसदी कर रहे हैं और दूसरी ओर एक मकान, एक टेलीफोन, एक मोटर रखने वालों तथा एक विदेश यात्रा करने वालों को दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह आवश्यक है, क्या यह व्यावहारिक है ? वे अपना जाल विस्तृत फैलाएं, यह तो समझ में आ सकता है, लेकिन ऐसा जाल नहीं होना चाहिए कि मगरमच्छ तो निकल जाएं और छोटी-छोटी मछलियां चिदम्बरम जी के जाल में फंस जाएं। आयकर को भी 40 प्रतिशत से घटाकर जो 30 प्रतिशत किया गया है, हम उससे सहमत नहीं हैं।

मैं जानता हूं, प्रतिपक्ष में रहते हुए यह बात कहना लोकप्रियता के खिलाफ जा सकता है, लेकिन एक गरीब देश में जो धन कमाता है, क्या उन्हें अपने धन का 40 फीसदी राष्ट्रीय खजाने में देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए ? क्या इसको कम करना आवश्यक था ? अब एक बार इसमें कमी हो गई है तो वित्त मंत्री अब वापस नहीं जा सकते, मैं जानता हूं। लेकिन वित्त मंत्री जो सपनों का संसार बुनना चाहते थे, उसका एक धागा यह भी है। बड़े-बड़े उद्योगपतियों, पूंजीपतियों का टैक्स घटाएं, शेयर बाजार की चिन्ता करें, सेंसैक्स किस तरह से ऊंचा जा रहा है, किस तरह से नीचा जा रहा है। पहले बहुत ऊंचा गया था, क्या इसके सहारे ही चलेंगे ? इस पर विचार करना चाहिए कि यह निर्णय कहां तक सही है। इसका एक और पहलू है। जो पहले टैक्स देता था, उसका टैक्स घटा दिया गया। अब पांच लाख पर 50 हजार रुपया बचेगा, 50 हजार रुपया टैक्स के रूप में उसे नहीं देना पड़ेगा। उसकी आमदनी में वृद्धि होगी। वह 50 हजार रुपए का क्या करेगा ? क्या वह कन्ज्यूमरिज्म में जाएगा, क्या वह उसकी बचत करेगा या उसको खर्च करेगा ? लेकिन बचत का कोई रास्ता वित्त मंत्री जी ने नहीं दिखाया है। पांच लाख की आय पर अगर 50 हजार रुपए का मुनाफा होता है तो वह 50 हजार रुपया विकास में लगे, 50 हजार रुपया देश के निर्माण में लगे। कोई इंश्योरेंस की स्कीम, कोई नई योजना, वित्त मंत्री का बजट भाषण इसके बारे में बिल्कुल चुप है। हम नहीं चाहते कि देश में लोग अनाप-शनाप खर्चा करें, यह खाई को बढ़ाने वाली चीज है। वैसे ही देश में खाई बढ़ रही है, इस खाई को घटाने की आवश्यकता है। लोगों में यह भाव भरने की आवश्यकता है कि ठीक है, आपका टैक्स कम हो गया तो इसे फाइव स्टार होटल में खर्च करने की गलती मत करिए, इसको बचाइए, इसको देश के विकास में लगाइए। लेकिन इस तरह की कोई अपील, इस तरह का कोई कदम वित्त मंत्री के भाषण में मुझे दिखाई नहीं देता।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सोमनाथ जी कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटिड है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर चुका हूं कि वालेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम एक अनैतिक कदम है। पहले भी वालेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम अपनाई जा चुकी है। उससे कालाधन बनना बंद नहीं हुआ है। कालेधन की जड़ पर कुठाराघात करना होगा। जब उदारीकरण हो गया है और कंट्रोल रेगुलेशन घट गए हैं तो फिर कालाधन इतनी मात्रा में बन रहा है, इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। केवल कालेधन को सफेद करने की छूट देकर हम समझें कि हमारा कर्त्तव्य पूरा गया, यह होने वाला नहीं है। कभी–कभी लगता है कि वालेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ईमानदारी का मजाक है। लेकिन वित्त मंत्री का पूरा का पूरा बजट लखनऊ की भूल–भुलैया है। आप एक तरफ से घुस सकते हैं, उस तरफ से निकल नहीं सकते। लगता है एक छलावा है। जैसा मैंने कहा कि बजट एक अनुष्ठान है। एक गम्भीर कदम है। बजट से आम आदमी को उत्साह से भरना चाहिए। बजट में बचत की प्रेरणा मिलनी चाहिए। जो भी टैक्स लगाए जाएंगे, और लगाए कहां जा रहे हैं, कैसा असंतुलन हो रहा है। टैरिफ कमीशन नहीं है। आयात शुल्क कम किया जा रहा है, एक्साइज नहीं घटाई जा रही है। विदेशों से आने वाला माल सस्ता हो रहा है और देश के भीतर जो माल बन रहा है उसको सस्ता नहीं किया है, क्यों ? ये टिकेंगे कैसे, फिर उसमें भी एक्साइज कम होना चाहिए था। घरेलू उद्योगों को बचाने की जरूरत है। खुली अर्थव्यवस्था का यह मतलब नहीं है कि विदेशी कम्पनीज आएं और देश में कोई उत्पादन न करने के बजाए यहां की कम्पनीज को निगलना शुरू कर दें। एक के बाद एक को निगलना शुरू कर दिया है। वे कह रही हैं कि हम ऐसे माल का उत्पादन करेंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो एक बार उनको सीमित दायरे में छूट देने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन उनकी रुचि माल पैदा करने में नहीं है, मुनाफे में है। ठीक मुनाफा सब कमाना चाहते हैं, मगर किसकी कीमत पर मुमाफा कमाना चाहते हैं और हम कितनी कीमत देने के लिए तैयार हैं। उस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।

वित्त मंत्री का कहना है कि हम करों को और अच्छी तरह

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

से वसूल करेंगे। अगर दर कम होगी तो लोग ज्यादा टैक्स देंगे। प्रामाणिकता को प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे देखना है कि यह चिंतन वास्तविकता से कहां तक मेल खाता है।

अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय है कि देश पर कर्जा बढ़ रहा है। हम आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हम जो भी कमाते हैं उसका 27 प्रतिशत ऋण के ब्याज के रूप में अदा करते हैं। यह रकम 68,000 करोड़ रुपए होती है। 180 में यह राशि 1200 करोड़ रुपए थे। 1986-87 में 9246 करोड़ रुपए हुई, अब 68,000 करोड़ रुपए है। क्या हम ऋण के फंदे में नहीं फंसते जा रहे हैं ? क्या यह समृद्धि की निशानी है ? 1990-91 में फिस्कल डेफिसिट में 48 प्रतिशत ब्याज के रूप में जाता था। अब यह आंकड़ा 103 प्रतिशत हो गया है। जहां तक सरकार की देनदारी का प्रश्न है उसमें तीन लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, देश में आर्थिक सुधार हो रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आर्थिक सुधार बिना प्रशासनिक सुधार के सफल नहीं हो सकते, सार्थक नहीं हो सकते।

प्रशासन में सुधार लाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? वित्त मंत्री कह सकते हैं कि यह मेरे दायरे का प्रश्न नहीं है। यहां पूरी सरकार बैठी हुई है। क्या हम इस प्रशासनिक ढांचे से आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित कर सकते हैं ? जो प्रशासनिक ढांचा जर्जर हो गया है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, विलंब लगाना जिसकी प्रकृति है, जिसका स्वभाव है, क्या इस प्रशासनिक ढांचे से हम देश को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं ? केन्द्रीय बजट में ग़रीबी के निवारण के लिए धन जाता है और हम अपने-अपने चुनाव-क्षेत्रों में देखते हैं कि वह धन जिस तरह से खर्च होना चाहिए, खर्च नहीं होता। किससे जवाब मांगें ? कौन उत्तरदायी है ? हम तो पहले से ही डी-कंट्रोल, डी-रेग्युलेराइजेशन की बात करते रहे हैं।

आज फाइलें रुकी पड़ी हैं। आज भी फैसलों में विलंब हो रहा है और जब देरी होती है तो वहां सुविधा शुल्क चलता है। उत्तर प्रदेश में हमारे साथी सुविधा-शुल्क से पीरचित हैं। काम निकालने के लिए कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। उसे सुविधा-शुल्क का नाम दिया गया है। ...*(व्यवधान)* प्रशासनिक ढांचे का सुधार बहुत आवश्यक है। जो स्कीम सरदार पटेल साहब ने फ्रेम की थी, उसकी प्रशंसा की गई थी और उससे लाभ उठाया गया था। वह उस वक्त के लिए थी। आज परिवर्तन का तकाजा है और उस परिवर्तित माहौल में अगर प्रशासन में सुधार नहीं हुआ, अगर प्रशासन में गति नहीं आई, अगर प्रशासन में लोगों के प्रति जवाबदेही की भावना नहीं जागी तो आर्थिक सुधारों में हम कितने भी तेजी से कदम उठाएं, उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचेगा। यह हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, देश में जो बिजली की कमी है, उसका मैं उल्लेख कर चुका हूं। वित्त मंत्री ने कोई इशारा नहीं किया कि वह बिजली की कमी को कैसे पूरा करेंगे ? 40000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ना चाहिए। इसमें से 30000 मेगावाट पब्लिक सैक्टर में है। इसके लिए पांच वर्ष में एक लाख पचास हजार करोड़ लागत की जरूरत होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रति वर्ष 30000 करोड़ चाहिए। बजट में इसके लिए कुल सौ करोड़ रखा गया है। शेष धन कहां से आएगा ? राज्यों से तो नहीं आ सकता। हम कितना विदेशी निवेशकों पर निर्भर करेंगे ?

यह पेट्रोलियम-पूल का जो मामला है, उस पर भी सफाई की जरूरत है। जब उसमें लाभ होता है तो लाभ का सरकार फायदा उठा लेती है और जब नुकसान होता है, घाटा होता है, उसकी चर्चा ही नहीं करती। वित्त मंत्री के भाषण में 19000 करोड़ का घाटा है, इसका कोई उल्लेख नहीं है कि यह कैसे पूरा किया जाएगा ? इसका कोई संकेत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, रक्षा पर हम जो खर्च कर रहे हैं, वह 35000 करोड़ रुपया है। आवश्यक है। देश की रक्षा सर्वोपरि है। लेकिन इस 35000 करोड़ की राशि में पेंशन आदि शामिल नहीं है। इसमें पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडीचर कुल 8500 करोड़ रुपया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल व्यय का एक चौथाई भी सेना के तीनों अंगों पर आधुनिकीकरण पर खर्च नहीं किया जा रहा है। यह सिलसिला पिछले 11 साल से चल रहा है।

दुनिया बदल रही है। हमारी सेनाओं का आधुनिकीकरण होना चाहिए—शस्त्रों की दृष्टि से, ट्रेनिंग की दृष्टि से तथा अन्य उपकरणों की दृष्टि से। वे आज की चुनौतियों का जवाब दे सकें, इसकी बहुत आवश्यकता है। मगर बजट में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अध्यक्ष जी, मैं एक और छोटी सी बात कह कर अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाऊंगा। बजट प्रस्तावों के कारण जूट तथा प्लास्टिक में एक लड़ाई चल रही है। जूट भी जरूरी है, प्लास्टिक की भी आवश्यकता है। एक ऐसा सामंजस्य बैठाना चाहिए कि प्लास्टिक के भी कारखाने चल सकें और जूट पैदा करने वाला जो किसान है उसका भी लाभ हो। उसके भी हित की रक्षा हो और ऐसा सामंजस्य बिठाना कोई कठिन काम नहीं है। सवाल यह है कि पैकेजिंग किस में हो ? सीमेंट की पैकेजिंग किस में करने से लाभ होगा, किस में करने से टिकेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जो प्रस्ताव है वह एकतरफा है और उससे प्लास्टिक पैदा करने वालों में एक असंतोष की लहर दौड़ गई है। उस पर वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : जूट के खिलाफ मत बोलिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने जूट के खिलाफ नहीं बोला। ...*(व्यवधान)* हम तो चाहते हैं कि जूट के उपयोग को डायवर्सीफाई किया जाए। जूट का सामान बने।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: आप जानते हैं कि पटसन विकास परिषद् यह कह रही है परन्तु वह सब खर्चे पूरे नहीं ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे लगता है कि आप इस परिषद् के सभापति हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, काश मैं होता।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं अब समाप्त करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगे, अगर मैं यह कहूं कि यह बजट पूरा बजट नहीं है, यह आधा बजट है बाकी का आधा अभी आना है। गुलाब के फूल हमारे सामने आए हैं, अभी गुलाब में कांटे होते हैं उनकी चुभन होनी बाकी है।

अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी बजट निर्माण की प्रक्रिया को भी पारदर्शी बनाएं, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक्साइज बढ़ाना है, कस्टम के बारे में कोई फैसला करना है तो खुले में हो सकता है, चर्चा करके हो सकता है। एक राष्ट्रीय मतैक्य बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। बजट को भी अगर वोट लेने का साधन बनाया जाएगा तो फिर देश के विकास के साथ बजट न्याय नहीं कर सकेगा और इस कसौटी पर जब हम वर्तमान बजट कसते हैं तो यह नहीं कह सकते हैं कि यह गरीब का बजट है, आम आदमी का बजट है। हां, बड़ी-बड़ी कम्पनियों को लाभ हुआ है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर बड़ी-बड़ी कम्पनियां सारा हिन्दुस्तान नहीं हैं, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : परसों से सदन, पूरी रात में भी कार्य कर रहा है। आज मैं भोजनावकाश के लिए आधा घण्टा अधिक देता हूं।

अपराह्न 1.13 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.51 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.51 बजे पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

सामान्य बजट 1997-98 सामान्य चर्चा—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा करेगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : उपाध्यक्ष जी, संयुक्त मोर्चा सरकार की तरफ से जो इस वर्ष का बजट पेश किया गया है, मैं इसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसे जिस हालत में, जिस परिस्थिति में और जिस दशा में हमने रखा है, उस बारे में भी मैं अपनी बात को विस्तार से रखना चाहता हूं।

माननीय अटल जी चले गए। मैं उनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जो बजट पेश किया है, यह उसके द्वारा पेश किया गया दूसरा बजट है। हम पहले एक बजट छः महीने के लिए लाए और छः महीने में इस देश की आर्थिक दशा और जो हालात हैं, उनमें अपनी कूवत के हिसाब से हम लोगों ने इसे छः महीने की कसौटी पर रखा और आज हमारी सरकार को नौ महीने हो गए हैं। हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार में वित्त मंत्री चिदंबरम जी ने जो बजट रखा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं लेकिन इसलिए नहीं कि मैं संयुक्त मोर्चा का सदस्य हूं। आप देखें तो देश का चाहे कोई तबका हो, मध्यम वर्ग हो या उद्योग-धंधे में लगे हुए लोग हों, सब तरह के लोगों ने इस बजट के हक में और इस बजट के बारे में खुशी का इज़हार किया है। अटल जी कह रहे थे कि बड़ी वाहवाही लूटी है।

तो हमने तो साधारण तरीके जो हमारी सीमाएं हैं उनके अंदर यह बजट रखा है और जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने यह नहीं कहा कि मेरी पीठ ठोक दो। तो देश भर के जो लोग हैं, चाहे वे मेहनत करने वाले लोग हैं, चाहे वे मध्य वर्ग के लोग है, चाहे वे औद्योगिक घरानों के लोग हैं और चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था की चिन्ता में तथा नए भारत को मजबूत बनाने वाले लोग हैं और निश्चित तौर पर जो बजट हमारे चिदम्बरम साहब लाए हैं, वह संयुक्त मोर्चा सरकार और उसके प्रधान मंत्री जी हरदनहल्ली देवगौड़ा की अगुवाई में यह बजट रखा गया है। उपाध्यक्ष जी, हमारी आजादी का यह 50वां वर्ष है और मैं यह मानता हूं कि 50 वर्ष जो हमने गुजारे हैं उसमें अकेले इस बात से नहीं बचा जा सकता है कि राज किसका था। मैं पक्ष और विपक्ष में नहीं खड़ा हूं, मैं इस देश की सर्वोच्च सदन में खड़ा हूं। हमने आजादी के 50 वर्ष के पहले तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन आजादी के 50 वर्ष के बाद इस देश को अपने हाथों से चलाया है। इस देश की जनता ने अपने लोगों को, चाहे वह सूबाई सरकार हो, चाहे वह देश की सरकार हो, उसको बनाने का काम हिन्दुस्तान की जनता ने बनाया है और लोगों के द्वारा बनाए हुए लोगों ने 50 वर्ष इस देश पर राज चलाया है और 50 वर्ष में जो अर्थतंत्र हैं, हमने एक तरह से उसे बनाने और उसके निर्माण करने का काम किया है। जो राज में रहे उन्होंने भी और जो विरोध में रहे उन्होंने भी इसमें अपना सहयोग दिया है। राजनीति में जो लोग थे, मैं ऐसा मानता हूं कि उन सबके बैठे-बैठे 50 वर्ष का यह ढांचा, 50 वर्ष का यह राज हमको विरासत में मिला है। अटल

[श्री शरद यादव]

जी ने ठीक कहा कि यह 13 पार्टियों की सरकार है। यकीनन बहुत सी पार्टियों से मिलकर यह संयुक्त मोर्चा सरकार बनी है, पार्टियों में निर्दलीय लोग भी बहुत हैं और कांग्रेस पार्टी जिसके खिलाफ जिंदगी भर हम लड़ते रहे, वह पार्टी हमको और इस सरकार को समर्थन दे रही है। यह तो परिस्थिति है, कभी आप भी उधर थे।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आपकी नीतियां, सिद्धांत और कार्यक्रम चले गए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जाएगी। कभी-कभी कमेंट्स हो जाएं तो ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं। ...*(व्यवधान)* ठीक है, कोई बात नहीं, वह भी इशारा नहीं करेंगे।

श्री शरद यादव : जोशी जी, जो आपने कहा कि आप यहां थे, आपने निश्चित रूप से ठीक कहा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शरद यादव कृपया पीठासीन अध्यक्ष को संबोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, जोशी जी ने जो कहा मैं उसे सहमति व्यक्त करता हूं, सिद्धांत ने ही यह उलट-फेर मचा दी, जो यहां थे वे वहां खिसक गए और जो वहां थे वे यहां खिसक गए। मैं इसको मानता हूं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : आप भूल गए हैं चंद्रशेखर जी को कांग्रेस और उन दोनों ने मिलकर समर्थन दिया था। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, जोशी जी मस्ती में हैं, आप कहते हैं कि उनकी तरफ देखकर मत बोलिए। जब तक मैं उन्हें नहीं देखूंगा, उन्हें मजा नहीं आएगा। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय : बस, इतना ही काफी है।

श्री शरद यादव : अगर कुछ न कहें तो मजा नहीं आता। जोशी जी देसी आदमी हैं, जिन्हें देखकर थोड़ी धरती की याद आ जाती है। वे देसी घी खाते हैं और आयुर्वेद के वैद्य हैं। मैं आपकी बातों से सहमति व्यक्त करते हुए अपनी बात रख रहा हूं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं यहां किसी पक्ष या विपक्ष के नाते कोई बात कह रहा हूं। आप इस देश की हालत देखिए।

हमारा आजादी का संग्राम महात्मा जी, सुभाष बाबू और शहीदे आजम भगत सिंह की अगवाई में लड़ा गया था। मोटे तौर पर देखें तो हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में अगर कोई सबसे बड़ा आदमी रहा तो वे महात्मा जी थे लेकिन महात्मा जी ने अकेले आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि सैद्धान्तिक और आर्थिक रूप से देश को एक दिशा दिखाई, सामाजिक और आर्थिक रास्ता दिखाया कि देश कैसे बनेगा। महात्मा जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान के 75-80 प्रतिशत आदमी गांवों में बसते हैं। दस्तकारों के बारे में महात्मा जी ने कहा था कि इस देश में दूसरे नम्बर की सबसे लार्जेस्ट पॉपूलेशन दस्तकारों की है और वे खुद दस्तकार बन गए थे।

इस संयुक्त मोर्चे की सरकार ने महात्मा जी के सपने को भी अपने कार्यक्रमों में जोड़ा है। अटल जी ने ठीक बात कही कि किसी बजट को बनाते समय एक सपना सामने रखना चाहिए, हमने गांधी जी के सपने को अपने कार्यक्रमों में डाला है। जवाहरलाल नेहरू के सपने को भी शामिल किया है। उसके बाद, इस देश में गांव, देहात में रहने वाले किसान, मजदूर, दस्तकार, पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर आदि सभी को मिलाकर इस देश के अर्थ-तंत्र को खड़ा किया है। इसमें किसी एक तरह का सपना नहीं है।

जब अटल जी बोल रहे थे, वे हमारे अग्रज हैं और उन्होंने व्यापक तौर पर काफी बीमारियों का बढ़िया और बेहतर इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है, फलां बीमारी है, उसका भी कोई इलाज नहीं है। मैं समझता हूं कि इस देश को चलाने में उनकी कोई कम महत्त्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है।

एक राजशक्ति होती है, दूसरी लोकशक्ति होती है। अटल जी भी राज में रहे हैं, भले ही कम दिनों के लिए रहे। मोरारजी भाई की सरकार में, 1977 में वे राज में थे। उनके अलावा आजादी का संग्राम लड़ने वाले कई ऊंचे नेता जैसे चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम आदि उस सरकार में थे लेकिन वे दिशा नहीं बदल पाए। आज जो तंत्र खड़ा है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमने क्रांति कर दी—ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, मगर अटल जी ने जो बीमारी चित्रित की थी, अच्छा होता, बेहतर होता यदि वे उसका इलाज भी बताते। मैं हैरान था, जब उन्होंने अपने मैनिफैस्टो के हवाले से सेविंग्स के बारे में यहां कहा कि हम किसी तरह सेविंग करेंगे। आपके यानी भाजपा के मैनीफैस्टो के पेज 18 और 20 पर आपने साफ कहा है।

आपने वह साफ कहा है, जो पैरेलल इकानौमी द्वारा ब्लैकमनी पैदा हो रही है उसे आप निकालेंगे और हमने दिसंबर तक के समय में निकालने के लिए कहा है, तो वित्त मंत्री चिदम्बरम जी को वे कह रहे हैं कि इस बात से मेरी सहमति नहीं है। यानी लेखी में तो सहमति है।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : चोरों को सजा देकर निकालना है। चोरों को रिवार्ड नहीं देना है।

श्री शरद यादव : आपने कैसे समझ लिया कि हम रिवार्ड देंगे ? आप कौन से तरीके से निकालेंगे, जिससे ब्लैक मनी बाहर आ जाए ?

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (दमोह) : यह तो जब हम उधर आएंगे, तब बताएंगे।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : चोरों को रिवार्ड नहीं देना है। उनको सजा देनी चाहिए। आप रिवार्ड देने का काम कर रहे हैं।

श्री शरद यादव : यानी कबड्डी खेल कर आप निकालेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शरद यादव जी के माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यदि काले धन को मंदिर निर्माण में लगाया जाए, तो क्या उस पर वित्त मंत्री जी टैक्स माफी करेंगे क्योंकि वह भी तो एक अच्छा काम है ?

श्री शरद यादव : जो पैसा मंदिर निर्माण के लिए आया है, उसकी तो ये हवा नहीं लगने देते हैं। तुरंत लाठी चला देते हैं।

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, ये बजट पर नहीं बोल रहे हैं। अटल जी के भाषण पर बोल रहे हैं।

श्री शरद यादव : मैं तो अटल जी ने जो बात कही है उस बहस को मजबूत कर रहा हूं कि वे रास्ता बताएं। उन्होंने कहा है कि पैरेलल इकोनॉमी से वे पैसा निकालेंगे। हमारा तरीका यह है, जो हमने कहा है और वे यदि इससे बेहतर तरीका जानते हैं, तो वह बताएं। मैं समझता हूं कि संयुक्त मोर्चा प्रधान मंत्री जितनी आसानी से बात को मान लेते हैं, जितने खुले दिमाग से वे काम करते हैं, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात को भी मानने में कोई दिक्कत हो। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं सरकार का आदमी नहीं हूं, लेकिन यदि वे कोई बेहतर तरीका बताएंगे, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। आपकी लाठी का क्या तरीका होगा क्योंकि लोकशाही है, लोकतंत्र है। लेकिन काला धन निकालने की बात तो मोटे तौर पर, सिद्धान्ततः आपने कही है।

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम क्यों तरीका बताएंगे ? हम तो खुद लड़ रहे हैं कि हम उस जगह पर आएं। हम क्या करेंगे यह हम वहां आने पर बताएंगे।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, चौबे जी, सच्चे आदमी है। हम उन्हें बहुत सालों से जानते हैं। ये हमारे साथ 1977 में जेल में रहे हैं और इन्होंने बहुत ठीक बात कही है। अब ये जो कह रहे हैं वह इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें यहां पहुंचना है।

श्री लालमुनी चौबे : उपाध्यक्ष महोदय, यादव जी, इतने मंजे हुए आदमी हैं, फिर भी ऐसी बात कह रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि हम वहां आना चाहते हैं ? जब हम वहां आएंगे, तब ये बताएंगे। हम तो वहां थे, लेकिन आपने नहीं रहने दिया। जोड़-तोड़ कर के आप आ गए।

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, कभी-कभी फुलझड़ी हो जाए, तो अच्छा है, लेकिन लगातार नहीं चले।

श्री शरद यादव : जो चल रहा है, वह ठीक चल रहा है। इसमें मैं कोई एतराज नहीं मानता हूं।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, लगता है यादव जी आज बजट की तैयारी कर के नहीं आए हैं।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : असली बात यह है कि यह समाजवादी बजट है ही नहीं इसलिए ये ठीक नहीं बोल रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो शरद यादव जी के साथ अन्याय कर रहे हैं।

श्री लालमुनी चौबे : जब यादव जी समाजवादी नेता हैं और यह बजट समाजवादी नहीं है, तो इस पर बोल क्यों रहे हैं।

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, जो मैं कह रहा था वह यह है कि माननीय अटल जी ने ऐसी जबर्दस्त तैयारी पहली बार की है और यह मैं सिर्फ आज ही नहीं बोलूंगा बल्कि आगे भी मेरा बोलना जारी रहेगा क्योंकि मैं कितने दिल से बोल रहा हूं, वह तो जेरे बहस चलता रहेगा। यदि इस बजट के हक में मेरा दिल नहीं होता, तो मैं यहां बोलने के लिए कतई खड़ा नहीं होता। मैं इसी सदन में बाद में सारी चीजें साफ-साफ रखूंगा। माननीय अटल जी, जो हमारे अग्रज हैं, उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी कहीं हैं, जिनके बारे में मैं थोड़ा-थोड़ा अपनी बात को रखते हुए कहना चाह रहा हूं। वे अपने भाषण में कह रहे थे कि ऐसी गाय लाओ जो कम चारा खाए, दूध ज्यादा दे और गोबर ज्यादा करे।

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : चारा बचा ही कहां है। चारा तो खत्म हो गया।

श्री नीतीश कुमार : चारा तो आजकल आदमी खा रहा है। पशु चारा कहां से खाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, कृपया विषय पर बोलिए।

श्री शरद यादव : अटल जी का मकसद था, जो उनका कहना था, वह सारी आलोचना है। चाहे वह महंगाई के बाबत हो, चाहे बेकारी, बेरोजगारी के बाबत हो। जितने भी सवाल उन्होंने उठाए हैं उनके बारे में मैं सिलसिलेवार कहना चाहता हूं। आज देश की जो स्थिति हमें विरासत में मिली है, उसको देखते हुए, इन 8-9 महीनों में कोई माई का लाल अंगुली उठाकर नहीं कह सकता है कि हमने किसी तरह से इस देश के खजाने के साथ कोई दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का उदाहरण दिया और कहा कि 15 फीसदी सिर्फ जमीन पर पहुंचता है बाकी 85 फीसदी धन रिस जाता है। घट जाता है। बिचौलिया पी जाता है और जो बीच में होता है वह ताकतवर हो जाता है। नौ महीने में हमने कोई दुरुपयोग इस देश के खजाने के साथ नहीं किया है, यह तो आप मानेंगे। इस सदन के 540 सदस्य हैं। किसी प्रकार का कोई ठोस प्रमाण हमारी सरकार के खिलाफ, प्रधान मंत्री से लेकर, कैबीनेट के किसी भी मंत्री पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। हम लोगों को मालूम है, ...*(व्यवधान)*

वैद्य दाऊ दयाल जोशी :...*

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। यह बहुत आपत्तिजनक है। ...*(व्यवधान)* यह प्रधानमंत्री के आचरण और प्रधान न्यायमूर्ति के आचरण पर सीधा आरोप है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)* इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए ...*(व्यवधान)*। नहीं, इसकी भी कोई सीमा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोशी, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो हिन्दुस्तान की प्रैस कह रही है। जो प्रैस में छपा है, उसका खंडन नहीं किया गया है। हिन्दुस्तान की प्रैस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बारे में प्रधानमंत्री का जवाब आ चुका है कि वे इस परपज के लिए नहीं गए थे।

[अनुवाद]

यह मामला यहां पर समाप्त होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. दासमुंशी : नहीं, नहीं, महोदय ...*(व्यवधान)* यह उचित नहीं है ...*(व्यवधान)* यह सर्वथा अनुचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही निर्देश दे चुका हूं कि उन शब्दों को हटा दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, यह कुछ ऐसी बात है जो प्रधानमंत्री और उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायमूर्ति की *सदाशयता* पर प्रश्न चिह्न लगाती है। ...*(व्यवधान)* यह सर्वथा अनुचित है। यह सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही निर्देश दे चुका हूं कि उन शब्दों को हटा दें। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, हमें समझना चाहिए ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ...*(व्यवधान)**

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय, यदि मैं सभा की मर्यादा के विपरीत जो चाहे वह बोलूं और माननीय प्रधानमंत्री के आचरण और राष्ट्र के उच्चतम पद के बारे में कुछ कहूं तो...

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें हटाने के लिए मैं पहले ही निर्देश दे चुका हूं।

श्री पी. आर. दासमुंशी : क्या उपाध्यक्ष पीठ द्वारा टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देने मात्र का आदेश पर्याप्त है? क्या आप सदस्य की भर्त्सना नहीं करना चाहेंगे जिससे कि इसे भविष्य में दोहराया न जा सके ...*(व्यवधान)*

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, माननीय अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें सभा में सदस्यों के आचरण के बारे में सैकड़ों-हजारों पत्र प्राप्त हो रहे हैं। यह सत्य है कि लोग आजकल हमारी ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देख रहे हैं। उन्होंने हमसे मर्यादा के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न करना आरम्भ कर दिया है। संसद की परम्पराओं को जीवित रखने के प्रति हमारे दृष्टिकोण के बारे में प्रश्न करना शुरू कर दिया है। यदि ऐसी प्रतिक्रियाएं और ऐसे वक्तव्य सभा में फिर से दिए जाते हैं तो यह न केवल उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायमूर्ति, कार्यपालिका के प्रमुख प्रधान को कलंकित करने के समान होगा अपितु सभा को कलंकित करना होगा ...*(व्यवधान)* इसलिए यदि आप सोचते हैं कि इन टीका-टिप्पणियों को हटा देना पर्याप्त है तो हमें दुख है क्योंकि यह संसद को कलंकित करना है। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और इन शब्दों को वापस लेना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उन शब्दों को हटाने के लिए निर्देश दे चुका हूं। मामला वहीं खत्म हो जाता है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं, महोदय। उन्हें अपना वक्तव्य वापस लेना चाहिए। सभा की भावना का आदर करते हुए मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अभी इस वक्तव्य को वापस लें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब पीठासीन अधिकारी खड़ा हो तो अन्य सभी को बैठ जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही कहा था कि कभी-कभार फुलझड़ी हो जाए तो समझ में आता है। नतीजा यही होता है जो हुआ है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

कृपया इन सब विवादग्रस्त बातों को छोड़िए और उन्हें भाषण को जारी रखने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि सभा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वह यह कह सकते हैं कि वे खड़े होकर कह सकते हैं कि वे इसे उस समय आवेश में कह गए थे और यह कि वो उन सभी बातों को अब वापस लेते हैं ...(व्यवधान) महोदय, मैं उनका आदर करता हूं . ..*(व्यवधान)* मैंने सभा में उनका आचरण देखा है। वह आदर्श हैं ...*(व्यवधान)* इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि वो हमारी मान-मर्यादा की रक्षा के लिए खड़े हों और कहें कि उन्होंने उन शब्दों को आवेश में कह दिया और उन बातों को अब वापस ले रहे हैं। इससे सभा की प्रतिष्ठा बनी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वो शब्द अब कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं है। मैं पहले ही उन्हें इसे हटा देने के लिए निर्देश दे चुका हूं। अब कृपया श्री शरद यादव को अपना भाषण जारी रखने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक ही बात पर जोर मत दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे क्षमा करें। मैंने आपको अनुमति नहीं दी। मैंने केवल उन्हें अनुमति दी है।

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं। मुझे एक बात की सूचना देनी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात की सूचना देने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी. धनंजय कुमार : यह तथ्य कार्यवाही वृतांत में चला गया है। प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित हैं। उन्हें हमें इस बारे में बताना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : प्रधानमंत्री जी बता दें कि गए थे या नहीं गए थे। सारे देश में भ्रम फैला हुआ है, यह भ्रम टूटे। प्रधानमंत्री जी बताएं तो यह भ्रम टूटे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन सब बातों को दोहरा क्यों रहे हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : इसी कारण मैंने अनुरोध किया था कि...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : केवल शब्दों को हटाया जाना पर्याप्त नहीं है।...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ दोनों तरफ से कहा जा रहा है।

[अनुवाद]

मैं केवल खेद प्रकट कर सकता हूं।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : श्री धनंजय कुमार उन्हें उकसा क्यों रहे हैं ? कृपया बैठ जाइए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया सभा की मर्यादा बनाए रखिए। उन्हें बोलने दीजिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : उपाध्यक्ष जी, अटल जी जब यहां बोल रहे थे तो एक आदमी ने भी टोका-टाकी नहीं की होगी। मैं सरकार की तरफ से खड़ा हूं और मैं टोका-टाकी के बारे में कुछ बहुत नहीं कहता। मैं विनती करना चाहता हूं कि बात गम्भीर है, उसकी गम्भीरता से इस बहस को हल्का नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक है।

श्री शरद यादव : मैं अपने विषय पर आना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा की सरकार ने जो देश की गरीबी है, उसके बारे में लक्ष्य बनाया है। हमारा जो जेहन है, हमारी जो सोच है, वह गांधी, लोहिया और जयप्रकाश की सोच है या हम जो सब लोग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शरद यादव]

हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के चलते जो सोच है, उसका आधार है कि जो श्रम करने वाला है, मेहनत करने वाला है, पसीना बहाकर दौलत बनाने वाला है, वह आदमी मजबूत हो। वह देश में मजबूत होगा, तभी इस देश का अर्थशास्त्र, इस देश का आर्थिक तंत्र, इस देश की आर्थिक दशा, भारत राष्ट्र मजबूत होगा।

हमने हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार 1300 करोड़ रुपया सिंचाई पर दिया है और जब हम कहते हैं, देश का संविधान फैडरल है, संघ राज्य है, हम कहते रहे, हो सकता है, हम 13 लोगों की पार्टी हैं, लेकिन इस संघ राज्य की भावना को धरती पर उतारने का आज तक किसी ने काम नहीं किया। हमने 1300 करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के संघ राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए देश के सूबों को दिया है। सिंचाई का पैसा जो केन्द्र सरकार के हाथ में रहता था, तो जो अटल जी कह रहे थे कि बजट में सिंचाई के ऊपर कम हुआ है, कम नहीं हुआ है। पिछली बार 900 करोड़ रुपया था, इस बार 1300 करोड़ रुपया दिया है।

हमने गंगा कल्याण योजना में 200 करोड़ रुपया दिया है। हमने हिन्दुस्तान में जो रूरल सोशल अपलिफ्टमेंट का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो पैसा दिया है, वह भी सूबों को वितरित किया है।

देश की जो बुनियादी जरूरतें हैं, उनके लिए हमने बजट में 15,707 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, इतिहास में सबसे ज्यादा हम लोगों ने इस बार इतना पैसा देने का काम किया है, फिस्कल डेफिसिट के बारे में वित्त मंत्री ने कहा था कि पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं होने देंगे। क्योंकि महंगाई का घाटे के बजट के साथ गहरा सम्बन्ध होता है। हमने छः महीने पहले जो कहा था उसको इस बजट में साबित किया है। हम आशा करते हैं कि इसको 4.5 प्रतिशत और इससे भी नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे।

बिजली के मामले में हम मानते हैं और अटल जी की आलोचना को स्वीकार करते हैं। हमें देश में अभी 25,000 मेगावाट बिजली की और जरूरत है। हमारे पास सीमित साधन हैं। 50 साल से एन.टी.पी.सी. जो हमारा केन्द्रीय संस्थान है, मुख्य रूप से वही बिजली दे रहा है। हर सूबे के लोग अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें, चाहे किसी भी दल का राज हो और आज तो हर दल कहीं न कहीं सत्ता में है, कि हमने उसको क्या दिया। अभी दिल्ली के डेसू का कितना बकाया है, यह बात कहूंगा तो आप कहेंगे कि राजनैतिक तरीके से बोल रहा हूं। यह केन्द्रीय संस्थान बिजली का उत्पादन करता है और जब वह सूबों को देता है तो वे पैसा नहीं देते, फिर कैसे विकास होगा। देश में पानी और बिजली देश का विकास करने में सबसे बड़ी बुनियादी चीजें हैं। ये पर्याप्त मात्रा में हों तो देश ऊपर की ओर छलांग लगा सकता है। हम दोनों चीजों पर हमने ध्यान दिया है। यह सदन भी ध्यान दे और इस पर एक व्यापक बहस हो। इस देश में जो पानी है और पानी से निकलने वाली बिजली है उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। इसके लिए हमने प्रयास भी किया है। मैं बजट के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमने नेपाल के साथ महाकाली की संधि की है। हिन्दुस्तान का सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ इलाका बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश है। यहां पर सारी नदियां नेपाल से आती हैं। संयुक्त मोर्चा की सरकार नेपाल से बात करने में और समझौता करने में, अगर वह तैयार हो तो जान की बाजी लगा देगी। हमारी नीयत में खोट नहीं है। नेपाल और हिन्दुस्तान के बीच जो पानी है उसका ठीक से समझौता हो जाए। पानी से निकलने वाली बिजली अगर हमें मिल जाए तो दो हिन्दुस्तान को बिजली वह पानी दे सकता है।

श्री लालमुनी चौबे : क्या समझौता करेंगे ?

श्री शरद यादव : सब तरह से तैयार हैं। चौबे जी इस मामले में गंभीरता से चिंतन करें। इस देश की सबसे बड़ी पूंजी पानी है। पानी सिर्फ हरियाली देने के लिए ही नहीं है। उपाध्यक्ष जी, आप जिस सूबे से आते हैं वहां डेढ़-दो लाख में ट्यूबवैल बन जाता है, लेकिन बिहार में दो हजार में बोरिंग होती है, चौबे जी जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री लालमुनी चौबे : महोदय, मुझे एक छोटी-सी बात कहनी है। जब नेपाल के प्रधानमंत्री जी. पी. कोइराला जी थे तब हम लोग उनके पास गए थे। तब तटबंध टूटा था तो उनके पास बिहार की कोसी तटबंध कमेटी गई थी। उस समय हम लोगों ने यह बात की थी कि हमको बिजली दीजिए तो उन्होंने कहा कि हम तो देने के लिए तैयार हैं, भारत सरकार बात करे। हम इतनी बिजली पैदा करके कहां ले जाएंगे, क्या इतनी बिजली पैदा करके हम नेपाल को जलाएंगे। ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार बात करे। ...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव : यकीनन है। ...*(व्यवधान)* मैं आपसे यह कह रहा हूं कि महाकाली ट्रीटी किसी ने नहीं की। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब साढ़े तीन बज गए हैं।

[अनुवाद]

आप कृपया अपना भाषण सोमवार को जारी रखें।

अपराह्न 3.32 बजे

अवैध आप्रवासन के बारे में संकल्प

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जगतवीर सिंह द्रोण द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे। श्री मनोरंजन भक्त

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह) : उपाध्यक्ष महोदय, विगत दिन जब मैं इस संकल्प पर बोल रहा था, मैंने कहा कि जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है, यह अत्यधिक

उपयुक्त प्रतीत होता है परन्तु जब हम संकल्प के उद्देश्य पर चर्चा करना आरम्भ करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह विषय विवादित है और यह विषय इतना गम्भीर है कि इसका परोक्ष प्रभाव पूरे देश पर पड़ सकता है।

जहां तक नागरिकता के मुद्दे का सम्बन्ध है, विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान के विभिन्न भागों से शरणार्थी आए थे। उन्हें नागरिकता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में अभी भी निर्णय नहीं किया गया है।

असम समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात् एक निर्धारित दिनांक के भीतर वहां पर रह रहे लोग भारत के नागरिक बन गए हैं। परंतु अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में मामलों को अभी भी अन्तिम रूप से निपटाया नहीं गया है। जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश विशेषकर नैनीताल, पीलीभीत, बिजनौर और अन्य कई क्षेत्रों के लोग यह शिकायत लेकर आ रहे कि वे वहां पर 25 या 30 वर्षों से रह रहे हैं परन्तु इसके बावजूद भी उनकी नागरिकता हेतु प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

वहां पर मैं एक माननीय सदस्य, श्रीमती मेनका गांधी द्वारा लिखा गया पत्र उल्लेखित करना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं :

[हिन्दी]

मेरे संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में पिछले बीस वर्षों से एक विशेष समुदाय में नागरिकों के प्रति उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा उपेक्षत व्यवहार किया जा रहा है। जहां उन्हें जीवन-यापन की आवश्यक सुविधाएं, जो कि स्थानीय प्रशासन सामान्य तौर पर उपलब्ध कराता है वह भी नहीं मिलती है। इसके साथ-साथ गुप्ता कालोनी, जोशी कालोनी, नुरिया कालोनी, मौफ कालोनी, रानी कालोनी व अन्य ऐसे क्षेत्र हैं, यह सब इन्होंने इसमें मेंशन किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर जुल्म होते रहे हैं।

[अनुवाद]

इस संदर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह एक छोटा मुद्दा नहीं है। यह एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में 40 लाख नेपाली नागरिक रह रहे हैं। भारत में भूटानी भी रह रहे हैं; भारत में तिब्बती भी रह रहे हैं; श्रीलंका के तमिल और एल.टी.टी.ई. के लोग भारत आ रहे हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि यह संकल्प नागरिकता के मुद्दे और भारत के अन्य भागों में अवैध अप्रवासियों के आने के सम्बन्ध में कोई सरोकार रखता है तो मैं समझ सकता हूं कि इसमें कोई तथ्य है। यदि वे किसी एक समुदाय मात्र को छांट रहे हैं तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पीछे कोई स्वार्थ है। इस स्थिति में मुझे एक आपत्ति है। मेरे विचार से हम इस क्षेत्र में न्याय नहीं कर सकते हैं।

महोदय, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रश्न को उठा सकता है। ऐसे अन्य समझौते भी हैं। यहां तक कि नेहरू-लियाकत समझौता भी है। शेख मुज़िबुर्रहमान और कईयों के साथ समझौता हुआ था। उन समझौतों के आधार पर भूतपूर्व पाकिस्तान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बारे में निर्णय लिए गए थे। उन्हें सहायता करने के बारे में किसी ने भी आकलन नहीं किया है। उन्हें बांग्लादेशियों का नाम देकर और सरकार से उन्हें हटाने की मांग करना अत्यधिक आपत्तिजनक बात है। मैं यहां पर यह आपत्ति उठाता हूं।

महोदय एक और अन्य महत्त्वपूर्ण तथ्य भी है। क्योंकि वर्तमान बांग्लादेश सरकार के साथ भारत सरकार के बेहतर सम्बन्ध हैं मैं सरकार से उनके साथ इस विषय पर चर्चा करने का अनुरोध करना चाहता हूं। विदेशी, शरणार्थियों की सम्पत्तियों का क्या होगा? क्या वे सम्पत्तियां बांग्लादेश की सम्पत्तियां नहीं हैं। लोग उसे छोड़कर यहां पर शरणार्थियों के रूप में आए। उनकी सम्पत्ति का क्या हुआ। आज उनकी क्या स्थिति है मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के साथ विचार-विमर्श करना चाहेगी।

साथ ही हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि दक्षेस देशों में भारत एक समृद्ध राष्ट्र है। दक्षेस देशों में भारत सबसे अधिक धनी है। सारे विश्व में ऐसी प्रवृत्ति है कि गरीब देशों के लोग नजदीकी अमीर देशों की ओर नौकरियां और अपनी जीविकोपार्जन के लिए प्रवास करना आरम्भ कर देते हैं। यहां एक कि भारतीय भी अमेरिका या कनाडा या खाड़ी या ऐसे अन्य देशों को जाते हैं, वैध या अवैध रूप से। क्योंकि वे धनी देश हैं और वे अपनी जीविका अर्जित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : दस-बीस साल रहने के बाद भी नागरिकता मिल जाती है।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह): कहां मिल जाती है ?

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अमरीका वगैरा में मिल जाती है।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : वे उन्हें 'ग्रीन कार्ड' देते हैं। वे उन्हें 'वर्क परमिट' देते हैं। आप इसे यहां पर भी शुरू क्यों नहीं करते हैं ? मैं कह रहा हूं कि मैं अवैध अप्रवासियों के यहां आने के विरोध में नहीं हूं और उन्हें इस देश में आने से रोका जाना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि उनमें से सभी अवैध अप्रवासी नहीं हैं। यह कहना सही नहीं होगा कि वे सभी अवैध अप्रवासी हैं। यह देश एक था। जातीय और सांस्कृतिक रूप से भी हम एक थे। हमारी एक ही नागरिका थी। केवल विभाजन केबाद ही यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। विभाजन के समय यह आश्वासन दिया गया था कि जो अल्पसंख्यक देश के इस भाग में आएंगे उनको आश्रय दिया जाएगा। आप उन्हें आश्रय दीजिए। यह एक बड़ा मुद्दा है। आजादी के समय हमारी आबादी 33 करोड़ थी। आज बढ़ कर यह 93 करोड़ हो गई है। केवल आबादी बढ़ने के कारण कई समस्याएं पैदा हो गईं और हम उन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसी

[श्री मनोरंजन भक्त]

कारण सरकार को इन सभी मामलों की जांच का प्रयास करना चाहिए।

हमारे देश में आ रही नेपाली जनसंख्या के बारे में आप क्या सोचते हैं ? उनके बारे में आपका क्या विचार है ? आप उनके बारे में कुछ कहते क्यों नहीं है ? उन्हें नौकरियां भी मिल रही हैं। तिब्बतियों का क्या होगा ? भूटानी लोगों का क्या होगा ? एल.टी.टी.ई. के वे लोग जो देश के इस भाग में आ रहे हैं उनका क्या होगा ? इन सभी प्रश्नों पर सरकार को एक श्वेत-पत्र लाना चाहिए जिससे कि समस्या की व्यापकता को जाना जा सके। इसके बाद निर्णय लिया जा सकता है। परन्तु आज एक समुदाय को बांग्लादेशियों के नाम पर अलग करना और उन्हें विदेशी कहना उचित नहीं है। वे अवैध रूप से आए होंगे। मैं अवैध अप्रवासियों को देश से निकाले जाने के विरोध में नहीं हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि अवैध अप्रवासियों के नाम पर शरणार्थियों को देश से बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए।

आपको यह बात समझनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह 'द्रोण' (कानपुर) : क्या मैं कुछ देर के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं। मेरा संकल्प स्पष्ट है। यह किसी विशेष समुदाय को इंगित नहीं करता है। मैंने कहा है कि भारत में 1975 के बाद अवैध रूप से अप्रवास कर रहे सभी लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें देश से बाहर भेजा जाना चाहिए। श्री भक्त, ये किसी विशेष समुदाय के विरोध में नहीं हैं। इसी कारण मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : मुझे खुशी हुई है कि आपने स्थिति को स्पष्ट किया। इसके पहले जब कभी भी आप बोले तो केवल बांग्लादेशियों का ही नाम लिया गया किसी और का नहीं। आपने केवल बंगलादेशियों का ही नाम लिया था किसी और का नहीं। अब मुझे खुशी हुई कि आपने स्पष्ट किया कि आपने उन सभी को समाविष्ट किया है जो अन्य देशों से आ रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : श्री भक्त, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे भाषण को पढ़ें वो केवल बांग्लादेशी ही नहीं थे, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया था मैंने अन्य देशों का नाम लिया था और उनमें से अधिकांश लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। ये मैंने कहा था ...*(व्यवधान)*

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उनका संकल्प एक प्रकार से अच्छा भी है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने हमें इस मुद्दे के जरिए विशेष रूप से नागरिकता के मुद्दे और अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर परिचर्चा का अवसर दिया। अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर एक श्वेत-पत्र लाए जिससे कि समस्या की व्यापकता को समझा जा सके और सरकार द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके। मैं माननीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री जो कि यहां उपस्थित हैं, से अनुरोध करता हूं कि जब वे सभा में उत्तर दें तो वह स्पष्ट रूप से यह बताएं कि बांग्लादेश में विदेशी संपत्तियों का क्या होगा, नेपालियों का क्या होगा, यहां रह रहे तिब्बतियों और श्रीलंकाइयों का आधार क्या है; वे उन अल्पसंख्यकों का क्या करेंगे जो यहां आए और 25 या 30 वर्षों से रह रहे हैं—और यहां तक कि कुछ स्थानों में उनका पुनर्वास भी किया गया है और आप उन्हें किस प्रकार से नागरिकता प्रदान करेंगे और कितनी जल्दी आप उन्हें नागरिकता प्रदान करने वाले हैं।

इन शब्दों के साथ मैं आपको मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विदेशियों के घुसपैठ की समस्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम है।

महोदय, मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में असम का प्रतिनिधित्व करता हूं। हमारी सीमा निर्धारित करने के बाद, पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा जो कि अब पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे बांग्लादेश कहा जाता है, वर्ष 1957 तक खुली हुई थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के साथ पश्चिमी क्षेत्र के बार्डर को विभाजन के समय सील कर दिया गया था। केवल यही नहीं वर्ष 1957 के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान अर्थात् बांग्लादेश के उदार दृष्टिकोण के कारण बड़ी संख्या में घुसपैठिए असम तथा पूर्वोत्तर भारत के अन्य भागों में घुस आए। सन् 1965 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद स्थिति और खराब हो गई जब काफी संख्या में शरणार्थी भारत की सीमा पार कर वहीं बस गए। सन् 1964 में विदेशियों की पहचान करने तथा उनके निर्वासन के सम्बन्ध में विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत कुछ ट्रिब्यूनल गठित किए गए थे। राजनीतिक प्रभाव के कारण उसे भी सन् 1969 में बंद कर दिया गया। यह समस्या आगे और भी खराब हो गई जब सन् 1971 में बांग्लादेश बना। चकमा, बौद्ध, हिंदू तथा मुस्लिम आदि सभी धार्मिक समुदायों के काफी लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न भागों में बस गए। वार्ताएं की गईं।

इंदिरा-मुजीब संधि हुई। लेकिन उस समय शरणार्थियों को वापस भेजने के लिए बहुत कम जोर डाला गया। उस समय जब स्थिति बहुत संकटपूर्ण हो गई थी तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन तथा ऑल असम गण संग्राम परिषद् के नेतृत्व में असम के लोगों ने गांधीवाद के नियमों पर आधारित एक जन आंदोलन शुरू किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधीवाद के सिद्धांतों पर आधारित यह प्रथम आंदोलन था। यह प्रथम अहिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन उस समय असम के लोगों को संकीर्ण संकुचित विचारों वाला राष्ट्र के विरोधी, तथा पृथक्कतावादी आदि कहा गया।

मैं खुश हूं कि आज बीस वर्ष बाद, इस सभा में देश की इस सम्माननीय सभा के सदस्य सीमा पार भी घुसपैठ बढ़ने पर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। यह घुसपैठ न केवल म्यांमार सीमा से ही हो रही है बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं तथा कुछ अन्य देशों से भी हो रही है घुसपैठ पाकिस्तान की सीमा से भी होती है।

मैंने कुछ माननीय सदस्यों का तर्क सुना था जब वह पिछले शुक्रवार को बोल रहे थे। यह आरोप लगाया गया था कि ऑल

असम स्टूडेंट यूनियन जो अन्ततः असम गण परिषद के रूप में गठित हुई और अब सत्ता में है, इस मुद्दे को भूल गई है। मुझे ऐसे तर्क पर कठोर आपत्ति है। असम समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे ? केन्द्र सरकार भी एक पक्ष था और उस समय के दौरान जो सरकार सत्ता में थी, उसने भी असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद अनेक समस्याएं उत्पन्न हुईं।

अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम 1983 जैसे कुछ भेद-भावपूर्ण अधिनियम थे। न केवल वही अधिनियम बल्कि अनेक ऐसे अन्य अधिनियम हैं जो कि उन घुसपैठियों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं जिन्होंने सीमा पार कर असम में प्रवेश कर लिया है।

यह आई एम डी टी अधिनियम जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना है, एक भेद-भावपूर्ण अधिनियम है। यह अधिनियम केवल असम पर लागू होता है और न कि देश के अन्य भागों पर। यदि संपूर्ण राष्ट्र कुछ घुसपैठियों को रखना चाहता है, यदि वह अभी भी कुछ हद तक घुसपैठ होने देना चाहते हैं और उनको आश्रय देना चाहता है तथा उनको मतदान का अधिकार देना चाहता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्हें देश के अन्य भागों में ऐसा करना चाहिए।

लेकिन अपनी पहचान खोकर उस क्षेत्र में अपने सांस्कृतिक और आर्थिक हितों को खोकर सारी जनसंख्या चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुस्लिम का भार हमेशा असम पर ही क्यों पड़े ?

यह जानकार दुःख हुआ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में मूल नागरिकों की संख्या अल्पसंख्यकों से कम हो गई है जैसे कि त्रिपुरा में है। राष्ट्र के हित में असम ने सन् 1971 तक बड़ी संख्या में शरणार्थियों को स्वीकार कर महानता का परिचय दिया है और उन्हें असम समझौते के अनुसार नागरिकता के अधिकार भी प्रदान किए गए थे।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक मिनट रुकिए। इस रिजोल्यूशन को दो घंटे अलॉट हुए थे जो पूरे हो चुके हैं। अगर हाउस चाहे तो एक घंटा बढ़ा दें।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप समय बढ़ाइए, यह बहुत महत्त्वपूर्ण मामला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप जारी रखिए।

डा. अरूण कुमार शर्मा : यह एक गंभीर विषय है और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि यहां उपस्थित माननीय सदस्य इस विषय पर चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। असम के लोगों ने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखकर बड़ी संख्या में शरणार्थियों तथा घुसपैठियों को शरण देकर एक अच्छा कार्य किया। जो लोग निर्धारित अवधि सन् 1971 तक बांग्लादेश अथवा किसी अन्य देश से आए हैं उन्हें नागरिकता का दर्जा प्रदान किया है। उन्हें मतदान के अधिकार भी प्रदान किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन सभी घुसपैठियों को आश्रय, भूमि, आर्थिक लाभ, आर्थिक दर्जा, मतदान का अधिकार तथा हमारा राजनीतिक भाग्य निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया जाता रहे जो यहां अगले 100 वर्षों तक आते रहेंगे। इस स्थिति पर सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और मैं सभी दलों से अपील भी करना चाहूंगा। हमें विदेशियों की घुसपैठ रोकने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करना है। कुछ दलों के सदस्यों ने उल्लेख किया है कि अवैध प्रवासी अधिकरणों द्वारा अवधारण अधिनियम ही केवल ऐसा अधिनियम है जो कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कर सकता है।

यह अधिनियम भेद-भावपूर्ण है जिसके कारण अनेक लोग अन्य सीमाओं से भारत में प्रवेश कर गए हैं वे आकर असम में बस गए हैं और उन्हें इस अधिनियम द्वारा सभी प्रकार का संरक्षण मिल रहा है। यह उन भारतीय अल्पसंख्यकों के हित में है जिनको असम समझौते के अनुसार स्वीकार करने के पश्चात् नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। भारतीय अल्पसंख्यक जो अनादि काल से अपने घरों को स्थानान्तरित करते रहे हैं यह उनके हित में है कि असम समझौते में किए गए उपबंधों के अनुसार इस अधिनियम को संशोधित किया जाए और यदि इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो इसे रद्द किया जाना चाहिए।

अपराह्न 3.52 बजे

[**श्री चित्त बसु** *पीठासीन हुए*]

मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह अधिनियम केवल असम पर लागू होता है और घुसपैठियों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी आम नागरिकों को सौंप दी गई है। पहचान के लिए किसी भी नागरिक को पर्याप्त सबूतों के साथ एक याचिका दायर करनी होती है ताकि यह साबित किया जा सके कि यह व्यक्ति विदेशी है, उसको उसके लिए फीस भी अदा करनी होती है और उसके बाद उसे यह साबित करने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष गवाही भी देनी होती है कि वह व्यक्ति-विशेष जिसे उन्होंने विदेशी कहा है, विदेशी है।

यह अधिनियम भेदभावपूर्ण है; यह देश में विद्यमान कानूनों, संविधान, देश में रह रहे भारतीय नागरिकों के अधिकारों के प्रति भेद-भाव करता है और यह अधिनियम भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह केवल असम पर लागू होता है अतः इस अधिनियम की तत्काल समीक्षा करने की आवश्यकता है अथवा इसमें उपयुक्त संशोधन करना चाहिए जिसके द्वारा यह अधिनियम पूरे देश पर लागू हो सके न कि केवल असम पर। मैं यह बात फिर कहूंगा कि असम को सभी घुसपैठियों अथवा सभी शरणार्थियों का अड्डा नहीं बनने देना चाहिए। मैं पूर्व माननीय वक्ता के रवैये की कठोरता से भर्त्सना करता हूं जिन्होंने असम गण परिषद् को निष्प्रभाव बनाने तथा उन पर यह आरोप लगाने की कोशिश की कि असम गण परिषद् जो एक समय में असम आन्दोलन चला रहे थे वे अब चुप हैं।

[डा. अरूण कुमार शर्मा]

मुझे अपने तर्कों को साबित करना चाहिए कि पांच वर्षों के दौरान जबकि असम गण परिषद् सत्ता में थी, सभी वार्ताएं भारत सरकार के साथ हो रही थीं और विदेशियों की पहचान और निर्वासन की प्रक्रिया भी आरम्भ हो गई थी। साझा न्यूनतम कार्यक्रम जो कि संयुक्त मोर्चा सरकार के गठन के समय जारी किया गया था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि इसकी कार्यसूची में असम समझौते को भी शामिल किया जाए। उसे शामिल कर भी लिया गया। मैं आपकी अनुमति से साझा न्यूनतम कार्यक्रम का एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं।

"असम तथा पूर्वात्तर क्षेत्र असम में घुसपैठियों अथवा विदेशियों की समस्या का हल असम समझौते के अनुसार किया जाएगा, जिस पर केन्द्र सरकार ने भी हस्ताक्षर किए थे।"

केवल यही नहीं जब अक्तूबर माह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया था तो विदेशियों के प्रश्न पर एक घोषणा की गई थी। यह एक प्रकाशित अधिसूचना है। "पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए नई पहल।"

उसमें कहा गया है :—

"उत्तरोत्तर राज्यों के लोगों की पहचान में बाधा उत्पन्न करने वाला एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है विदेशियों का प्रश्न। मैंने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और अनेक अन्यों के साथ अपनी चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर विस्तृत समीक्षा की है। यह कहा गया था कि विदेशियों का पता लगाने के लिए विद्यमान कानूनों जैसे यथा संशोधित, अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 (आई. एम. डी. टी.) कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। हम राज्यों के साथ परामर्श से इन अप्रभावी कानूनों को रद्द करने के लिए कदम उठाएंगे और विदेशियों के मुद्दे से निपटने के लिए कानूनी तथा प्रशासनिक उपायों को सुदृढ़ करेंगे। इसके साथ ही, उपयुक्त स्थानों पर बाढ़ लगाने सहित सीमा की निगरानी को भी सुदृढ़ किया जाएगा।"

संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा कार्यभार संभाले हुए एक वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है। हाल ही में परसों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के सदस्य आए और माननीय गृह मंत्री से मिले जहां असम समझौते के कार्यान्वयन की प्रगति की खंडवार समीक्षा करने का निर्णय लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी वचनबद्ध हैं और असम गण परिषद् संयुक्त मोर्चा का एक अंग है और हम तत्परता से मामले पर विचार कर रहे हैं। हमारे बारे में ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस प्रक्रिया में हमारी गति धीमी है और हम चुप बैठ गए हैं। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। हमने इसे 20 वर्ष पहले आरम्भ किया था। अब क्योंकि समस्या देश के अन्य भागों में भी पहुंच गई है इसलिए हम सभी इस समस्या से चिन्तित हैं। उस समय, जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमें देश-विरोधी संकीर्ण विचारों वाला, भारत-विरोधी और बहुत कुछ कहा गया। विद्रोही गतिविधियां बढ़ गई क्योंकि असम समझौते को सच्ची भावना से कार्यान्वित नहीं किया गया। असम समझौता अहिंसात्मक आंदोलन गांधीवाद आंदोलन का परिणाम है। कट्टर आतंकवादियों ने यह कहकर इस बात का लाभ उठाया कि भारत सरकार के साथ किसी तरह की बातचीत तथा आपसी समझ-बूझ का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि अहिंसा तथा किसी समझौते का यहां कोई मूल्य नहीं है।

अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जैसे पंजाब समझौता, मिजोरम समझौता और असम समझौता। लेकिन कितने समझौतों को कार्यान्वित किया गया? यह केवल नाजुक स्थितियों में आन्दोलन को असफल बनाने के लिए है कि कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करवाए गए। लेकिन हमारी विदेश नीति का क्या हुआ ? हमारी गलत नीतियों के कारण श्रीलंका में भी घुसपैठ हो रही है और उस देश में घुसपैठ अभी भी जारी है। जहां तक बांग्लादेश का संबंध है, क्या यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम जाएं और कुछ अन्य देशों के मामलों में दखल दें ? इसके परिणामस्वरूप भारतीय संघ के एक भाग को विभिन्न प्रकार के दबावों जैसे भूमि पर अर्थव्यवस्था पर, संस्कृति पर तथा भाषा पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इस विदेशियों के मुद्दे को धर्म की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुछ दल घुसपैठियों को केवल हिन्दू अथवा मुसलमानों का नाम देकर इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। अब बांग्लादेश में एक करोड़ से भी अधिक हिन्दू हैं। यदि, राजनीतिक स्थिति के कारण वह सारे एक करोड़ लोग आकर असम में बस जाएं तो मैं नहीं जानता कि असमी लोग अपनी पहचान बनाए रख सकेंगे या नहीं। निश्चय ही ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत एक बड़ा राष्ट्र है, यह छोटे राष्ट्रों के संघ की तरह है। यह भारत संघ है। लेकिन नागरिकता अधिनियम तथा विदेशियों विषयक अधिनियम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा पहल के लिए उपयुक्त कदम न उठाए जाने के कारण विदेशी यहां प्रवेश कर गए।

अपराह्न 4.00 बजे

विदेशी यहां आए। उन्होंने अपना नाम मतदाताओं की सूची में शामिल करवाया। उन्हें हमारे राजनीतिक भाग्य का निर्णय लेने का अधिकार मिल गया। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब समय आ गया है जबकि हमें एक साथ बैठकर इस बारे में निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह से सीमा को पूरी तरह से सीलबन्द करके भविष्य में घुसपैठ को रोका जाए। भारत-बांग्लादेश सीमा को सीलबन्द करना असम समझौते का एक अंग है लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1985 से सीमा को सीलबंद करने के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए।

अपराह्न 4.01 बजे

[श्री नीतीश कुमार *पीठासीन हुए]*

अभी भी हमारे देश के अधिकतर भागों में सीमा को सीलबंद नहीं किया गया है और घुसपैठ अभी भी जारी है।

असम में रह रहे भारतीय नागरिकों के हित में उनके धर्म को ध्यान में रखे बिना, उनके अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक होने के बावजूद घुसपैठ को रोका जाना चाहिए और घुसपैठ को रोकने

और वहां रह रहे भारतीय जनसंख्या की पहचान को बनाए रखने के लिए सरकार तथा गृह मंत्रालय द्वारा पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए।

असम समझौते में एक खण्ड था जिसमें असम के लोगों के संरक्षण करने के लिए संवैधानिक रक्षोपाय प्रदान करने की बात कही गई है। जिन विदेशियों को विभिन्न अधिनियमों द्वारा तथा नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, उनके कारण जाति, पंथ, धर्म अथवा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को ध्यान में रखे बिना राज्य के मूल नागरिकों की अपनी पहचान पर दबाव पड़ रहा है। उसकी सुरक्षा के लिए इस खण्ड संख्या 6 को समझौते में अंतःस्थापित किया गया है लेकिन अभी भी उन रक्षोपायों को विनिर्दिष्ट करने के लिए कोई उपयुक्त कदम नहीं उठाए गए हैं जो कि असम के लोगों को प्रदान किए जाने हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह समस्या है जबकि पूरा देश विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्द्धा में जुटा हुआ है। यहां तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्ष बाद भी असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के ये लोग केन्द्र सरकार से इस बात को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि असम तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग भी देश के अन्य विकसित राज्यों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। अन्य देशों की तो बात ही क्या, हम कलकत्ता अथवा मुम्बई के साथ भी प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते। इस पिछड़ेपन के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर सन् 1993 तक विदेशी पर्यटक पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नहीं जा पाए। लेकिन उस समय काफी संख्या में घुसपैठियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई। हमें बाहर के देशों से पर्यटकों को अपने राज्य में आने देने की अनुमति नहीं थी लेकिन हमें अपनी पहचान खोकर काफी संख्या मे घुसपैठियों के बोझ को वहन करने के लिए मजबूर किया गया चाहे वह हिन्दू हो अथवा मुस्लिम अथवा बौद्ध। अब यह अच्छी बात है कि संयुक्त मोर्चा सरकार क्षेत्रीय असमानताओं तथा आर्थिक असंतुलन को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठा रही है ताकि देश के सभी क्षेत्र समान हो जाएं और 2000 ई. तक हम उदार अर्थव्यवस्था द्वारा अन्य विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।

इस समय, हमें यह और डर है कि जब यहां विकास के लिए पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं जब उदार अर्थव्यवस्था के कारण विकसित राष्ट्रों के सामने ला खड़ा किया है। और जब बगावत के कारण वहां कोई नहीं जाना चाहता तो केवल सेना भेज देने से इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। व्यवहारवादी विचारधारा होनी चाहिए और इस समस्या के समाधान के लिए वार्ताएं होनी चाहिए। मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि रेलवे परामर्शदात्री समिति की बैठक में जहां असम के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के साथ परियोजनाओं की घोषणा की गई थी, उस समय रेल मंत्री की काफी आलोचना की गई थी।

लेकिन पिछले पचास वर्षों में यह क्षेत्र अपने हिस्से से वंचित रहा है। इसमें क्या नुकसान है यदि देश के अन्य भाग पूरी आबंटन की राशि में से एक छोटा सा हिस्सा इस क्षेत्र के विकास के लिए दे दें, ताकि यह क्षेत्र भी अन्य विकसित क्षेत्रों के बराबर हो जाए? यह हमारी वैध मांग है। विदेशियों का वहां जाना मना था। क्या यह हमारी वैध मांग नहीं है कि बाहर के लोगों को हमारे क्षेत्र में आने दिया जाए ? अभी भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में विदेशी पर्यटकों को आने की अनुमति नहीं है। इसका क्या कारण है ? आतंकवाद को नियंत्रित करने का यह तरीका स्थिति को और बिगाड़ सकता है।

वहां रोजगार के साधन नहीं हैं। वहां पर रोजगार के सारे अवसरों का लाभ लोगों के एक विशेष वर्ग द्वारा उठाया जाता है और वर्तमान संसाधनों में भविष्य में रोजगार के और अवसरों की संभावना नहीं है। यदि सरकारी धनराशि उस क्षेत्र को आवंटित नहीं की जाएगी और यदि केवल निजी धनराशि की अनुमति ही दी जाएगी तो विकास नहीं होगा और क्षेत्र और भी अलग-अलग हो जाएंगे। इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा के सभी माननीय सदस्यों तथा हमारे महान् प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में केन्द्र सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि वे क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने और छोटे-छोटे राज्यों की सुरक्षा के लिए आगे कार्यवाही करें जो कि इस संघ का एक हिस्सा है।

हम राष्ट्रीय अखण्डता की बात कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अखण्डता कैसे आएगी ? कुछ सैन्य ताकतों को भेजने अथवा कुछ सेनाओं को भेजने से ही हम राष्ट्रीय अखण्डता प्राप्त नहीं कर सकते। राष्ट्रीय अखण्डता तभी सम्भव है जब सभी यह महसूस करें कि यह हमारा देश है और यहां हमारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यदि हमें हमेशा यहां अपनी वैध मांगों के लिए भी लड़ना पड़ेगा तो राष्ट्रीयता भावना उत्पन्न नहीं होगी। अब असम के लोगों में पृथक्कतावादी तथा आतंकवादी गतिविधियों की भावना भी समाप्त हो गई है। राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमें बीच का रास्ता अपनाने वाले लोगों के समूह को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे अपना विकास देश के अन्य विकसित राज्यों के विकास के बराबर कर सकें और उन्हें राष्ट्र के रोजगार के अवसरों, अन्य अर्थव्यवस्था तथा अन्य विकासशील गतिविधियों में उनका हिस्सा मिल सके। उन्हें इस बात की अनुमति मिलनी चाहिए कि वे बाहर के विकसित देशों के पर्यटकों को आमंत्रित कर सकें। लेकिन हमें इससे वंचित रखा गया है जैसे कोई इस क्षेत्र से न गुज़र सकता हो।

क्या आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अभी भी पूरे विश्व में दक्षिण अमरीका में अमेजन घाटी के बाद दूसरा प्रदूषण मुक्त क्षेत्र है ? पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से इस क्षेत्र का पर्यावरण देश में सबसे अधिक उपयुक्त है और यह ऐसा ही रहेगा। विश्व में इसका दूसरा स्थान है। इस क्षेत्र के पर्यटन का विकास करने

[डा. अरूण कुमार शर्मा]

और पूर्वोत्तर क्षेत्र के माध्यम से दक्षिण-पूर्व एशिया देशों जैसे पड़ोसी देशों के साथ निर्यात का विकास करने की क्षमता है। लेकिन यहां संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। रेल विभाग कहता है, चूंकि यहां कोई उद्योग नहीं है इसलिए यहां बड़ी लाइन बिछाना आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है और उद्योग विभाग कहता है चूंकि यहां बड़ी लाइन की व्यवस्था नहीं है इसलिए उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : ये रेलवे पर भाषण कर रहे हैं या उस पर कर रहे हैं ?

सभापति महोदय : आपका टाइम आए तो आप भी बोलिएगा।

[अनुवाद]

डा. अरूण कुमार शर्मा : मैं अपनी भावना व्याप्त कर रहा हूं। यह हमारे देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन का परिणाम और प्रभाव है जिसके कारण कुछ छोटे राज्य और अलग-थलग पड़ गए और उनको और दबाया गया। अपनी पहचान खोकर उन पर घुसपैठियों का भार आ गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र समृद्ध है। निर्यात की जाने वाली चाय का पचास प्रतिशत उत्पादन असम में होता है और 50 प्रतिशत तेल के भंडार और 50 प्रतिशत कोयले के भंडार भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। समस्त टिम्बर तथा प्लाईवुड की सप्लाई भी पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा की जाती है। अब उच्चतम न्यायालय इसमें अपना हस्तक्षेप करेगा।

इस क्षेत्र की परिस्थिति का शोषण किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी देश का दूसरा जलमार्ग है। इसकी घोषणा 1988 में की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग, गंगा को इतना विकसित कर दिया गया है कि जहाज भी चल रहे हैं लेकिन ब्रह्मपुत्र का विकास नहीं किया गया इसलिए जहाज नहीं चल सकते हैं। किसी भी सभ्यता के विकास के लिए नदी तथा समुद्र दो परम्परागत मार्ग हैं। लेकिन ब्रह्मपुत्र को कभी विकसित नहीं किया गया।

इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के लिए अब अनेक क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा यदि हम उन्हें केवल राष्ट्र-विरोधी, पृथक्कतावादी अनुदार और संकीर्ण विचारों वाले कहें, तो इससे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में मदद नहीं मिलेगी। यदि हम एकजुट तथा मज़बूत भारत चाहते हैं, तो प्रत्येक छोटे राज्य और पिछड़े हुए क्षेत्र को काफी हद तक विकसित होने देना चाहिए ताकि सभी राज्यों के लिए विकास, रोजगार और शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो सकें।

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र सभी ओर से उपेक्षित रहे हैं इसका एक उदाहरण है प्राकृतिक गैस। असम देश में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य था। सौ वर्ष पहले प्रथम तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी। तब से गैस जलनी आरम्भ हो गई। असम औद्योगिक विकास निगम ने भारत सरकार से एक गैस क्रैकर परियोजना आरंभ करने के लिए आवेदन किया था जो कि काफी संख्या में सहायक उद्योगों की भी स्थापना कर सके। इस आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन उसके बाद देश में चार गैस क्रैकर परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्हें अन्य देशों से आयातित नाप्था अथवा गैस से चलाया जाएगा। लेकिन असम में अभी भी गैस जल रही है और गैस क्रैकर परियोजना को आरम्भ नहीं किया गया। तेलशोधक कारखाने के लिए असम के लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा। अब, 12 वर्ष बीत गए हैं।

मुझे सच बोलना चाहिए। सन् 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया। तेजपुर तथा अरुणाचल प्रदेश से सारी भारतीय सेना भाग गई। सभी अधिकारी भाग गए और भारतीय मुद्रा को जला दिया गया।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस सम्माननीय सभा से स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक वक्तव्य दिया था—"मेरा हृदय असम के लोगों के साथ है।" वह समय था जबकि दिल्ली में अफसरों का यह विचार था कि किसी भी समय पूर्वोत्तर क्षेत्र पर चीन द्वारा कब्ज़ा कर लिया जाएगा। इसलिए, वहां कोई बड़ा निवेश नहीं किया गया।

असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 33 प्रतिशत जल भंडार है और वहां 50,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने की क्षमता है जिससे न केवल देश की आवश्यकता पूरी हो सकती है बल्कि अन्य देशों को भी विद्युत का निर्यात किया जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की नदियों से जिस प्रकार की विद्युत का उत्पादन किया जाता है वह भौगोलिक परिस्थिति पहाड़ियों की ढलान और अन्य सुविधाओं के कारण देश में सबसे सस्ती पड़ती है। लेकिन वर्ष 1980 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया गया और उसे बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के लिए योजनाएं तैयार करने का काम सौंपा गया।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. अरूण कुमार शर्मा : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

इस ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पांच नहीं घाटी परियोजनाओं के लिए योजनाएं बनाईं। आज तक एक भी परियोजना को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। यदि उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई होती तो यहां बिजली भी होती और विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं भी होतीं। अब, वहां पर किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती क्योंकि यहां विद्युत नहीं है। हमारे पास सभी प्रकार की क्षमताएं हैं लेकिन लोगों के लाभ के लिए उनका उपयोग नहीं किया गया है। केवल उनकी उपेक्षा की जा रही है। इसलिए विद्रोह बढ़ रहा है।

महोदय, ब्रह्मपुत्र नदी का तट जंगल की कटाई तथा झूम खेती के कारण बढ़ रहा है। नदी का स्तर ऐसा हो गया है कि नदी का कोई विशेष मार्ग नहीं है। यह नदियों में गाद जमने के कारण हुआ है। अब प्रत्येक वर्ष- जल प्रणाली के कारण 500 से 1000 गांव डूब जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई

15 किलोमीटर से भी अधिक है। छोटे-छोटे द्वीप समूह बन गए हैं और कृषि योग्य भूमि अनुपजाऊ गाद से ढकती जा रही है। असम में मुख्य कृषि योग्य भूमि चाय के बागानों के पास है और शेष कृषि योग्य भूमि बाढ़ के पानी में डूब गई है। अब यह लोग कहां जाएंगे। कोई रोजगार नहीं है। इन जनजातीय लोगों के पास जो भी थोड़ी बहुत कृषि योग्य भूमि थी, वह भी अब कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। पिछले कई दशकों के दौरान 10,000 गांव जलमग्न हो गए हैं क्योंकि नदी का तट बढ़ गया है नदियां अपना मार्ग बदल रही हैं और अनेक क्षेत्र गाद से ढक गए हैं। जब इस बात को भारत सरकार के ध्यान में लाया गया तो उन्होंने कहा कि राज्य इस समस्या से निपटेगा। हमें बाढ़ से बचने के उपायों के लिए ऋण दिए गए थे। जब संसाधनों का प्रश्न आता है तो केन्द्र सरकार ही मालिक है। वह संसाधनों की मालिक है। लेकिन जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे कहते हैं कि राज्य उससे निपटेगा। यह कारण था जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही ताकतों को मज़बूती मिली। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए कड़े कदम उठाएं। मैं माननीय सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वे घुसपैठ को रोकने में हमारा साथ दें और आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करने में हमारी मदद करें ताकि उस क्षेत्र के लोगों को देश के अन्य भागों के बराबर लाया जा सके और उन्हें बन्दूक द्वारा नहीं बल्कि आर्थिक विकास को बढ़ाकर मुख्य धारा में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष हमारा देश स्वाधीनता की स्वर्ण जयंती मना रहा है और स्वर्ण जयंती मनाने में स्वाभाविक है कि देश के नागरिकों के मन में आए कि हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सीमाएं सुरक्षित रहें। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की तुष्टिकरण नीति के कारण और तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी लोग, जिन्होंने एक प्रकार का ऐसा वातावरण बना दिया जिसके कारण देश की सुरक्षा और सीमाओं के ऊपर आने वाला जो जबरदस्त खतरा है उस खतरे को भी वे पता नहीं कौन सी निगाहों से देख कर कभी विकास की समस्या और कभी अन्यान्य समस्याओं से जोड़ते हैं।

महोदय, देश का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लेकिन विभाजन के बाद और फिर 1971 में जब बांग्लादेश बना तो हमने सोचा था कि हमारा एक पड़ौसी भाई, छोटा राष्ट्र और हमारा सहयोगी मित्र देश बनेगा। परन्तु उसके बाद में धीरे-धीरे वहां जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई उन लोगों ने योजनाबद्ध ढंग से भारत के अंदर अपने नागरिकों को घुसाना प्रारम्भ किया। उसका परिणाम यह हुआ कि यह जो अप्रवासियों की समस्या है या यह कहूं कि जो घुसपैठियों की समस्या है उनकी दिन दुनी, रात चौगुनी संख्या बढ़ती गई। उनकी संख्या बढ़ने के साथ-साथ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ देश का सामाजिक संतुलन, पूर्वी राज्यों के अंदर जो सामाजिक संतुलन बना हुआ था, वहां जो शांति का वातावरण था उस शांति के वातावरण में और सामाजिक संतुलन के वातावरण के अंदर भी एक प्रकार का असंतुलन पैदा हो गया। वहां लोगों में असंतोष पैदा हुआ।

महोदय, अभी मेरे मित्र असम गण परिषद् के बंधु बड़े जोर-शोर से कह रहे थे। आप बेकार की बातें कर रहे हैं और मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं।

यह जो समस्या है कि उनको भारत से निकाला जाए। देश की सुरक्षा से उनका संबंध है, देश की एकता और अखंडता से उनका संबंध है। वे खतरे में डाल रहे हैं और वे एक प्रकार से देश के दुश्मन हैं। उनको निकालने की बात तो दूर रही यह वोट बैंक की राजनीति इस ढंग से काम कर रही है कि इसके कारण जो देश के दुश्मन हैं या जो घुसपैठिए हैं वे भी वोट बैंक नजर आ रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि उनके बारे में इस प्रकार की कई दलीलें दे रहे हैं जिनको देख कर आश्चर्य होता है।

सभापति महोदय, कहने की आवश्यकता नहीं कि जब 1962 में चीन ने हमारे देश पर हमला किया, उस समय पूर्वी पाकिस्तान-जो बाद में बांग्लादेश बना—से आए हुए घुसपैठिए असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या पूर्वोत्तर राज्यों में घुसे हुए थे, उन्होंने चीन के हमले के प्रति खुशी जाहिर की और हमदर्दी जताई। उसके बाद पाकिस्तानी झंडा फहराया तब जाकर भारत सरकार की आंख खुली, गृह मंत्रालय जागा। उसके बाद जाकर भारत सरकार ने समझा की पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए इन अवैध घुसपैठियों को भारत से निकाला जाए। इतिहास गवाह है कि जब दरांग और नौगांव जिलों में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मिली तो योजना बनाई गई कि घुसपैठियों की पहचान करके उनको देश से निष्कासित किया जाए। इस योजना को असम, मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल में क्रियान्वित करने का प्रयास किया गया। लेकिन 1971 में जब बांग्ला देश का निर्माण हो गया तो इस योजना का नाम बदल कर पी.आई.एफ. की एक फोर्स ऐसे घुसपैठियों को निकालने के लिए बनाई गई जिसका नाम मोबाईल टास्क फोर्स रखा गया। बांग्लादेश और भारत की सीमाओं पर बार्डर सिक्यूरिटी फोर्स काम करती है, उसकी दूसरी रक्षा पंक्ति मोबाईल टास्क फोर्स का गठन कर पी.आई.एफ. का सुदृढ़ीकरण किया गया ताकि घुसपैठियों को रोका जा सके और वे भारत के अंदर प्रवेश न कर सकें तथा उनकी पहचान करके उनको वापस अपने देश में भेज दिया जाए। इस संबंध में मैं अपने साथी श्री अरुण शर्मा को याद दिलाना चाहता हूं कि वे स्वयं असम के हैं और जिनकी पार्टी के मुख्यमंत्री ए.जी.पी. से हैं, उन्होंने उस समय छात्र आन्दोलन शुरु किया था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि 1979 से लेकर 1985 तक छः साल तक असम के अंदर बड़ा भारी आंदोलन चला था। इसमें आल असम स्टूडेंट्स यूनियन, ए.जी.पी. और दूसरी राष्ट्रवादी पार्टियां शामिल थीं और हमारी विचारधारा के लोग भी शामिल थे। सब ने मिलकर 1979 से 1985 तक 'विदेशी भगाओ' छात्र आंदोलन

[प्रो. रासा सिंह रावत]

चलाया था। 'बांग्ला देशी विदेशी भगाओ' देश के अंदर छुपकर घुसपैठी आ गए हैं, उनको भगाओ। असम के अंदर 1983 में नेल्ली में भीषण नर-संहार हुआ था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इन्दिरा गांधी ने इन घुसपैठियों की पहचान कर उनको यहां से निकालने के लिए आई.एम.डी.टी. कानून बनाया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि यह सरकार कितनी अस्पष्ट है, अनिर्णय की स्थिति में है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा अक्तूबर, 1996 में असम गए और वहां उन्होंने कहा कि आई.एम.डी.टी. को जल्द ही समाप्त कर देंगे। इस बात को सुनते ही वहां की ए.जी.पी. सरकार हक्की-बक्की रह गई। कांग्रेस के लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया कि वे सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। वे तो किसी न किसी मौके की तलाश में हैं कि कब कोई ऐसी बात हो और वे इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। जब जनता दल के लोगों को पता चला तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी से अपनी नाराज़गी जाहिर की कि असम में उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करके यह बावेला खड़ा कर दिया। अब यह नाटक क्यों करना पड़ा ? इसके पीछे केवल तुष्टिकरण की नीति है, वोट बैंक की नीति है। वही घुसपैठिए यहां आकर अपना राशन कार्ड बनवा चुके हैं और यहां की आबादी में आकर बस चुके हैं और काम-धंधा करने लगे हैं। असम के अंदर मुख्य वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो इन्हीं लोगों ने करवाया है। सभापति महोदय, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जान-बूझकर पूर्वी पाकिस्तान और बांग्लादेश के घुसपैठियों को प्रवेश करने दिया गया।

उनको सब तरह की सुविधाएं प्रदान की गईं और वोट बैंक की राजनीति चली। अब उनको खतरा नज़र आया। ये ए.जी.पी. वाले बहुत जोर-शोर से कहते थे कि घुसपैठियों को यहां से निकालो। अब ये हिन्दू-मुसलमान का सवाल खड़ा करने लग गए हैं। द्रोण जी के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। इसमें न कहीं हिन्दू का नाम है, न कहीं मुसलमान का नाम है। इसमें साफ लिखा है—

> "यह सभा 1975 से देश में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध आप्रवासन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और यह सिफारिश करती है कि उन सभी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें उनके मूल देश को विवासित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।"

अब जब भी यह मांग की जाती है तो वह कहते हैं कि बांग्ला भाषी लोगों को निकाला जा रहा है। यह ठीक है कि बांग्लादेश की भाषा भी बंग्ला है और हमारे देश के पश्चिम बंगाल की भाषा भी बंग्ला है। अपने देश के लोगों को निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बना था तो उस समय अंग्रेज़ों के साथ यह समझौता हुआ था और बाद में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, उस समय भी तय हुआ था कि उधर के अल्पसंख्यक हिन्दू इधर आएंगे और इधर के अल्पसंख्यक उधर जाएंगे। उनकी संपत्ति के बारे में और उनको बसाने के बारे में समझौता हो गया। इसलिए अगर किसी हिन्दू का नाम भी विदेशी नागरिक की सूची में है और 1975 के बाद से वह भारत में हैं तो वह भी विदेशी है। विदेशी आप्रवासी जो भी हैं, उनको निकालने की बात हम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि 'चोर की दाढ़ी में तिनका।' जब भी यह बात आती है तो कहा जाता है कि माइनॉरिटीज़ को तंग करने के लिए बीजेपी के लोग घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। फिर माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात, फिर समाज में विघटन पैदा करने की बात, फिर देश के नागरिकों को बांटने की बात की जाती है। मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर नागालैण्ड तक सारा देश एक है। यहां के 95-96 करोड़ हिन्दू-मुस्लिम-सिख-ईसाई सब एक हैं। सबको एक नागरिकता प्राप्त है, सबके लिए एक राष्ट्र है और एक संविधान है। लेकिन ये बातें तो दूर रही, कहीं अल्पसंख्यक और कहीं बहुसंख्यक का नाम लेकर कहा जाता है कि माइनॉरिटी और बांग्लादेशी लोगों को निकालने की बात की जा रही है। यह कहा जाता है कि हिन्दुओं को क्यों नहीं निकाला जा रहा। धर्म के नाम पर जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। उसका परिणाम यह हुआ कि वहां देश के दो टुकड़े हुए। हम लोग अखण्ड भारत की बात कहते थे। दुर्भाग्य से धर्म के नाम पर इसके दो टुकड़े हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। गांधी जी ने कहा था कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान बनने की बात को स्वीकार कर लिया था। जो लोग अपने धर्म को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी संपत्ति को वहां छोड़कर आए उनको इस देश से निकालने का कोई प्रश्न नहीं है। 1971 के बाद 1975 के बाद जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आए थे, वे गरीबी के कारण या रोजगार के साधन सहज सुलभ होने के कारण या यहां तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी लोगों के बहकावे में यहां पर आए हैं, देश की सुरक्षा का तकाजा है, देश की एकता का तकाजा है, देश में शांति और प्रेम बनाए रखने का तकाजा है कि उनको देश की सीमाओं से बाहर निकाला जाना चाहिए, चाहे वह पाकिस्तानी हों या बांग्लादेशी हों। वैसे तो तिब्बत के लोग भी यहां शरणार्थी बनकर आए थे। उनको हमारे देश ने शरण दी और दलाई लामा के साथ जितने लोग आए उनको धर्मशाला में और देश के विभिन्न भागों में शरण दी। लेकिन ऐसे घुसपैठिए, जो यहां आई.एस.आई. की गतिविधियों में संलग्न हैं, चाहे वह पाकिस्तानी हों या बांग्लादेशी हों उनको निकाला जाना चाहिए। जब बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना यहां आईं और फरक्का के जल के बारे में हमने फैसला किया तो हमें यह चाहिए था कि जहां बांग्लादेश को हम पानी देते वहीं चकमाओं के बारे में बारे में भी बात करते कि चकमा यहां के नागरिक नहीं हैं, उनको वापस लिया जाए। वह त्रिपुरा में तंबुओं में रह रहे हैं। हमें यह कहना चाहिए था कि इस देश में लाखों की संख्या में घुसपैठिए आए हैं और दिल्ली में ही दो-तीन लाख की आबादी में रहते हैं। मैं अजमेर में रहता हूं। वहां ख्वाजा साहब की दरगाह है। वहां लोग ज़ियारत करने के लिए जाते हैं।

वहां भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या आठ-दस हजार के करीब हो गई है। बीकानेर में पाकिस्तान से लगने वाली जो राजस्थान

की सीमा है, वहां पर हर दूसरे, तीसरे दिन 50-60 और कभी 100 बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं। कहां बांग्लादेश और कहां सारे हिन्दुस्तान से होकर पाकिस्तान में कहीं भी जाने के लिए वहां सीमा पर पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचता है, उनको मदद करने वाली कौन सी शक्तियां हैं, उन सब की पहचान करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य से जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर है उनका इस तरफ ध्यान नहीं है। सभापति महोदय, मैं आई.एम.डी.टी. कानून की बात कर रहा था, यह कानून एक बवाल बन गया है, क्योंकि यह कानून जान-बूझकर ऐसा बनाया गया है, इंदिरा गांधी बड़ी चतुर राजनीतिज्ञ थीं, उस समय ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण परिषद् का आंदोलन चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कानून बनाओ जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो उन्होंने इस कानून में यह रख दिया कि नागरिकता की पहचान करने के लिए एक ट्रिब्यूनल (पंचाट) बनाया जाएगा और वह यह फैसला करेगा कि कौन विदेशी घुसपैठिया हैं और कौन नहीं है और इसके साथ-साथ एक और शर्त यह लगा दी, कि जैसे मैं शिकायत करता हूं कि अमुक आदमी बांग्लादेशी है तो मुझे उस पंचाट के सामने यह बांग्लादेशी है यह प्रूव करना पड़ेगा। अब बेचारा शिकायत करने वाला व्यक्ति, शिकायत करने वाली एजेंसी या शिकायत करने वाली संस्था कैसे प्रूव करेगी, क्योंकि वह तो राशन कार्ड में चढ़ गया। यहां पर उनके कुछ हमदर्द लोग हैं, उनकी वजह से उसका नाम राशन कार्ड में चढ़ गया, उसका नाम मतदाता सूची में चढ़ गया और हम लोग नागरिकता के रजिस्टर की बात करते हैं कि भारत सरकार नागरिकता का रजिस्टर बनाए, सीमा पर रहने वाले लोगों को पहचान-पत्र प्रदान करे। लेकिन उनकी बातों की तरफ इनका ध्यान नहीं है और वहां आई.एम.बी.टी. के नाम पर पंचाट बना दिया उसका नतीजा "खोदा पहाड़ निकली चुहिया", मुझे आज हंसी आती है। इसके द्वारा 2,89,767 मामलों की जांच इस आई.एम.बी.टी. कानून के अंतर्गत की गई और इसमें से केवल 8937 लोगों को 30 जून 1995 तक घुसपैठिया माना गया और उनमें 1305 को निकाला गया। कहां तो हम कहते हैं कि लगभग एक करोड़ की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों आ गए बड़े-बड़े शहरों में और पश्चिमी बंगाल में तो कुछ जिलों में उनका बहुमत हो गया, आसाम के अंदर कुछ जिलों में उनका बहुमत हो गया और इसलिए असम गण परिषद् को भी यह लगा कि ये एक तरह से वोट बैंक बनते चले जा रहे हैं और जब कांग्रेस ने देखा कि हमारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी, इसलिए उस सत्ता के लालच में इन लोगों ने इस कानून के बारे में जो पहले इनका उत्साह था कि विदेशियो भारत छोड़ो, विदेशियों को भारत से निकालो, वह उत्साह इनका ठंडा पड़ गया और अल्पसंख्यकों के संगठनों से बातचीत की और ऐसा मामला ढीला कर दिया कि बस अब तुम भी रहो और हम भी रहें, हम राज में रहें और मजे से रहो और घूमो-फिरो। कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलेगा। मान्यवर, जब देश का रक्षक ही भक्षक बन जाए या देश के राजनीतिज्ञ, जिनकी अभी तक इस देश के अंदर हुकूमत थी, उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र किया, इससे बढ़कर देश के प्रति क्या गलत हो सकता है। इसलिए इस कानून के बारे में जो कहा जाता है कि बंगला भाषियों के बारे में या हिन्दुओं के बारे में, माइनोरिटी के बारे में, मुसलमानों के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है 'न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरी वही है जिसकी नीयत बुरी है" तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एकत्रित होने वाले लोगों की नीयत वोट बैंक की है और राजनीति ऐसी है कि वहां पर संतुलन बना रहे कि भारत में फूट डालो और शासन करो जिससे कि उनकी कुर्सी सही-सलामत रहे। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण परिषद् 1985 से 1990 तक मात्र कुछ विदेशी घुसपैठियों की पहचान कर पाए। इस कानून को रद्द करने की मांग पहले हुई थी लेकिन बाद में श्री हितेश्वर सैकिया कांग्रेस के मुख्य मंत्री बन गए और उन्होंने इस मांग को छोड़ दिया और फिर बांग्लादेशी मुसलमानों से उनको समर्थन भी मिला और फिर असम गण परिषद् भी पीछे नहीं रही, उनके हाथ में शासन की बागडोर आ गई तो उन्होंने भी सख्ती करना छोड़ दिया। मान्यवर, इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आई.एम.बी.टी. कानून हटाने के जवाब ने संयुक्त मोर्चा सरकार की गरदन पर एक प्रकार से तलवार लटका दी है और जिसकी मूंठ कांग्रेस के हाथ में है। परिणाम यह हो रहा है कि इनमें आपस में खीचतान चल रही है, इसलिए देवेगौड़ा जी भी चुप हैं, जनता दल भी चुप है और कांग्रेस की स्थिति यह है कि ठीक है अगर आप यह कानून नहीं चाहते हो तो हम भी आपका समर्थन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह आपस में मिली-भगत चल रही है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है यानि विदेशी घुसपैठियों को यहां पर लाकर बसाय जा रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार में विदेशी घुसपैठियों से निपटने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति का अभाव है, जो फर्म विल पॉवर होनी चाहिए वह नहीं है।

सभापति महोदयः आपमें तो अभाव नहीं है। तीन मिनट पहले आपने वचन दिया था कि में समाप्त कर रहा हूं। इच्छा-शक्ति का परिचायक यही है कि जो कहा जाए वही किया जाए।

प्रो. रासा सिंह रावत : मैं चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के साथ होने वाले खिलवाड़ की तरफ आपके माध्यम से ध्यान खींचा जाए ताकि हमारे सभी बंधुगण उससे परिचित हो सकें। आज से 30-32 वर्ष पहले केन्द्र सरकार ने एक स्कीम-पी.आई.एफ. एंड एम.टी.एफ. शुरू की थी यानी प्रिवेंशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फॉर्नर्स एंड मोबाइल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसके अंतर्गत असम में 3153 सिपाहियों की भर्ती की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि आज वे सिपाही कहां हैं ? क्या वे पी.आई.एफ. या एम.टी.एफ. के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं। जिस उद्देश्य से उनकी भर्ती की गई थी, क्या वे विदेशी घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें देश से निकालने का काम कर रहे हैं, या बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं—ऐसा नहीं है। आज वे असम के दिसपुर और गौहाटी में मिनिस्टरों के बंगलों पर या किसी थाने में ड्यूटी दे रहे हैं। जिस उद्देश्य से उस फोर्स को बनाया गया था, आज उसका कुछ पता

[प्रो. रासा सिंह रावत]

नहीं है जबकि उसके गठन के लिए सारा पैसा केन्द्र सरकार ने दिया था और सभी राज्यों को दिया था। केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा आदि अनेक राज्यों को पैसा दिया था ताकि वहां इन फोर्सेज का गठन किया जा सके।

आज बिहार के ऊपर सब आरोप लगा रहे हैं कि केन्द्र से पैसा जाता है और सभापति जी, आपने महा-लेखाकार की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था लेकिन वहां जिस उद्देश्य के लिए पैसा दिया गया था, उस फोर्स का पता नहीं है, उसके सिपाही इधर-उधर साहब लोगों के बंगलों पर अर्दली के रूप में ड्यूटी दे रहे हैं। उसका परिणाम यह है कि हमारी बी.एस.एफ. के साथ जो सैकेंड डिफैंस लाइन बननी चाहिए थी, वैसा नहीं हो पाया।

मान्यवर, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि असम में जो 3153 सिपाही, पश्चिम बंगाल में 165 सिपाही, मेघालय में 194 सिपाही, त्रिपुरा में 144 सिपाही भर्ती किए गए थे, उन्हें निकाल दिया गया है जबकि दूसरी तरफ अनेक घुसपैठिए इस देश में घुसे हुए हैं, जिनकी पहचान करना आवश्यक है। यदि सारे देश के पैमाने पर देखें और हमारा गृह मंत्रालय उनकी पहचान कराए तो करोड़ों की संख्या में आपको विदेशी घुसपैठिए देश के सभी राज्यों में मिल जाएंगे। आज आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार उनकी जांच कराए। मैं समझता हूं कि उनकी सर्वाधिक संख्या असम, उत्तर-पूर्वी राज्यों और बिहार के किशनगंज में है जहां वे बहुमत में हो गए हैं। देश के सभी बड़े नगरों में करोड़ों की उनकी संख्या पहुंच गई है।

इस महत्त्वपूर्ण सवाल पर, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि स्वाधीनता की स्वर्ण जयन्ती के वर्ष में, सुभाष चन्द्र बोस के शताब्दी वर्ष में, जिन्होंने कहा था—

कदम-कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा,

ये जिन्दगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा।

असम गण-परिषद और उनके जितने सहयोगी-साथी हैं कि अगर उनमें देशभक्ति की भावना है—

सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है,

देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है।

तो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे क्रांतिकारी जो नारा लगाते थे, उनके परिप्रेक्ष्य में, इन विदेशी नागरिकों को हिन्दुस्तान के हर शहर और सीमा के बाहर निकालने का काम तुरन्त होना चाहिए। सभापति जी, आपका मन भी इसके लिए तड़प रहा होगा। चाहे वे तमिलनाडु में लिट्टे के लोग हों या देश के अन्य राज्यों में जो इधर-उधर से लोग आ गए हों, पाकिस्तान के लोग हों, बांग्लादेश के लोग हों, जहां भी विदेशी नागरिक हों, उन्हें देश के बाहर निकालने की मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

मेरी मांग है कि सीमाओं पर कांटेदार बाड़ लगाई जाए तथा बी.एस.एफ. और जो दूसरी फोर्स बनाई गई है, उसे यह काम सौंपा जाए। उन्हें आप मोबाइल वैन दीजिए, वायरलैस सैट दीजिए ताकि कोई हमारे बॉर्डर पर घुसपैठ न कर सके। इसके अलावा एक रजिस्टर ऐसा बनाया जाए जिसमें सभी भारत के नागरिकों के नाम लिखे जाएं।

(इति)

सभापति महोदय : अब आप बैठिए। यदि कोई और सुझाव आपके पास हों तो लिखकर भेज दीजिए।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसट) : माननीय सभापति महोदय, जहां तक कि मेरे सम्माननीय मित्र श्री द्रोण द्वारा प्रस्तुत संकल्प का संबंध है, उसमें दो विशेष और एक दूसरे से संबंधित मुद्दे हैं। पहला तो यह है जैसा कि वे कहते हैं संकल्प में अवैध घुसपैठियों के प्रति चिन्ता व्यक्त की गई है और उन्होंने एक निश्चित समय-सीमा निर्धारित की है अर्थात् 1975 संकल्प का दूसरा पहलू यह है कि उन्हें उनके अपने देश में भेजने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं। जहां तक कि मंशा का संबंध है, मेरा विचार है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। भारत भारतीय नागरिकों का देश ही है, भारत विदेशी नागरिकों का देश नहीं हो सकता; भारत की सरकार भारत की सरकार होनी चाहिए; भारत की सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा ब्रिटेन की सरकार नहीं होनी चाहिए। मेरा विचार है कि हम सभी लोग देशभक्त हैं तथा राष्ट्र के प्रति सजग हैं तथा तभी हमें लोगों द्वारा चुनकर बिठाया गया है। इसलिए, यदि यह संकल्प इस मंशा से लाया गया है, तो मेरे विचार में न तो सरकार और न ही सभा का कोई पक्ष इस संकल्प के मूल उद्देश्य पर आपत्ति करेगा। लेकिन आपत्ति है जो कि किन्हीं वैध कारणों से है। पहला वैध कारण यह है कि यह संकल्प इतना देशभक्ति पूर्ण नहीं है जितना कि यह प्रतीत होता है।

महोदय हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। इसलिए इसमें अन्य छिपी आशंकाएं हैं। यह छिपी आशंकाएं ठोस वास्तविकताओं के आधार पर हैं, हमने इन ठोस वास्तविकताओं को असम में देखा है, हमने इन ठोस वास्तविकताओं को अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में देखा है, हम इन ठोस वास्तविकताओं को दिल्ली में देखते आए हैं और हम इन वास्तविकताओं को आज भी महाराष्ट्र में देख रहे हैं। यहां तक कि आज के समाचार-पत्र में भी एक समाचार प्रकाशित हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने सभी बांग्लादेशियों के विरुद्ध एक अभियान आरम्भ किया है। यहां कोई नहीं जानता कि बांग्लादेशी कौन हैं। जो बंगला भाषा बोलते हैं उन्हें बांग्लादेशी माना जाता है और इस तरह से मैं भी बांग्लादेशी हूं। मैं अपनी मातृभाषा, बंगला भाषा बोलता हूं जिसे मैं किसी भी चीज़ से अधिक प्यार करता हूं। बंगला बोलना ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : आपको बांग्लादेशी नहीं माना जाएगा।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु : बंगला में बोलना तथा बंगाली कविता से

उद्धरण देना कोई अपराध नहीं है। मैं बंगला में बोलने के लिए अपने अधिकार को खोने की बजाय अपनी बंगाली संस्कृति को समझने-बोलने के लिए जान लगा दूंगा। अतः मेरा प्रश्न भिन्न है, क्या यह भावना सभी वर्गों के लोगों में है जो उन लोगों को देश से निकालने की बात कर रहे हैं जो अवैध रूप से आप्रवासी हैं।

अब मैं सम्पूर्ण स्थिति को बताऊंगा, जिसके बात स्पष्ट होंगी। जहां तक असम का संबंध है—मेरे प्रिय मित्र डा. अरूण कुमार शर्मा जो कि वास्तव में बहुत ही सज्जन हैं—असम गण परिषद् द्वारा उठाए गए कदम की मैं प्रशंसा करता हूं। लेकिन उन्हें 1980 के अंत में असम की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद से असम में राजनैतिक, सांस्कृतिक अनुरूपता, सामाजिक और आर्थिक मामलों की दृष्टि से असम में बहुत कुछं हो चुका है।

बात यह है कि अवैध अथवा वैध रूप से आप्रवासी का यह मामला देश के बंटवारे को अस्वस्थ सुझाव को बढ़ावा देता है। मैं मानता हूं कि वास्तविकता, वास्तविकता है और केवल मेरे भाषण देने से अथवा परोपकारी विचारों अथवा दार्शनिक या सैद्धान्तिक टिप्पणियों से इसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान एक वास्तविकता है जैसे भारत एक वास्तविकता है, बांग्लादेश एक वास्तविकता है जैसे भारत एक वास्तविकता है। हम इन वास्तविकताओं से इंकार नहीं कर सकते। हमें प्रसन्नता होती यदि हम बंटवारे को न होने देने में सफल रहते। भारत का बंटवारा किया गया था।

इतिहास साक्षी है ऐसा कुछ नेताओं के राजनैतिक विचार-विमर्श के बाद किया गया था जो कि उस समय देश के कर्णधार थे। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन सच यह है कि बंटवारा वास्तविकता है। बंटवारे ने कथित रूप से अवैध आप्रवास को बढ़ावा दिया। मैं चाहूंगा कि असम के मामले को एक विशेष मामले के रूप में लिया जाए। एक नई मांग है कि 1983 के अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 को निरस्त किया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि सदस्यों को समझना चाहिए कि यह पता लगाने के लिए कौन वैधानिक रूप से आप्रवासी है और कौन अवैधानिक रूप से आप्रवासी है केवल अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवाधारण) अधिनियम, 1983 ही एक न्यायिक तंत्र है। दूसरी तरफ, देश के कुछ भागों की मूर्त्त वास्तविकताएं हैं। कुछ लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और सैकड़ों, हज़ारों लोगों के नाम की सूची प्रस्तुत करते हैं जो कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं अथवा भाषायी दृष्टि से अल्पसंख्यक हैं और पुलिस अधीक्षक से कहते हैं कि जबरदस्ती उन्हें उनके मूल देश अर्थात् बांग्लादेश भेज दिया जाए। क्या कहीं कोई न्याय नहीं है ? क्या कहीं कोई कानून नहीं है ? क्या कोई कानून नहीं बनाया जा सकता क्या कोई न्यायिक तंत्र नहीं बनाया जा सकता ? क्या यह निर्णय लेना न्याय नहीं है कि कौन वैध रूप से नागरिक है और कौन नहीं है ?

न्यायिक उपबंधों के कारण मैं अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 का समर्थन करता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को यह कहने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की अनुमति नहीं दूंगा कि वह किन्हीं पुलिस अधीक्षक अथवा कानून के दावेदार प्राधिकरण से यह कहें कि किसी विशेष समुदाय के लोगों को जबरदस्ती देश से निकाल दिया जाए।

सभापति महोदय : कृपया क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

[हिन्दी]

इसके लिए निर्धारित समय से एक घंटा पहले बढ़ाया गया, लेकिन अब भी इस पर बुहत बोलने वाले हैं और यह बहुत महत्त्वपूर्ण भी है। इसलिए क्या इस पर एक घंटा और बढ़ा दिया जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। सदन की अनुमति से इसके लिए एक घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री सनत मेहता (सुरेन्द्र नगर) : मैं जानना चाहूंगा कि अगला संकल्प लिया जाएगा अथवा नहीं।

सभापति महोदय : पहले, इस संकल्प को पूरा हो जाने दें। तब अगले को लेंगे।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैं अपना भाषण पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। मेरे पास समय नहीं है। मुझे एक बैठक में जाना है।

मैं असम के सभी मित्रों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस न्यायिक व्यवस्था को समाप्त न करें। न्यायाधिकरण को निर्णय लेने दें और उन्हें वापिस भेजने दें। मेरे पास आंकड़े हैं कि क्या वह प्रभावकारी है अथवा नहीं। वर्ष 1991 में 2,913 मामले न्यायाधिकरण में भेजे गए। 1993 में केवल 349 मामले अवैध रूप से आप्रवास के पाए गए। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से चौंकाने वाले आंकड़े हैं। लाखों मामले न्यायाधिकरण में भेजे गए हैं। अंततः कुछ सौ मामले अवैध रूप से आप्रवास के पाए गए। वास्तव में, मैंने इस वाद-विवाद में भाग लेने का निर्णय भाषायी रूप से अल्प संख्यकों, धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लिया था जिन्हें अवैध आप्रवासी कहा जा रहा है। जबकि वे भारत के नागरिक हैं, जबकि वे पिछले 30-40 वर्षों से उनकी पीढ़ियां भारत में रह रहे हैं और जबकि वे असम और देश के अन्य भागों जैसे दिल्ली, मुम्बई आदि में रह रहे हैं। उनका दोष केवल इतना है कि वे बंगला बोलते हैं। वे अभी भी अपनी बंगाली संस्कृति अथवा रीति-रिवाजों को नहीं भूले हैं। इसलिए उन्हें वहां से निकाले जाने के लिए लक्ष्य बनाया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी कीमत पर इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

जहां तक प्रधान मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी का संबंध है, जैसा कि समाचार में कहा गया है उनका अभिप्राय आई.एम.डी.टी. अधिनियम को समाप्त करने अथवा निरस्त करने का नहीं था।

[श्री चित्त बसु]

जहां तक इस देश के माननीय प्रधान मंत्री का संबंध है उन्होंने कहा है कि इस विषय में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है। अतः आई.एम.डी.टी. अधिनियम लागू रहना चाहिए और यह अवैध आप्रवासियों का पता लगाने के लिए न्यायिक मंच के रूप में अस्तित्व में रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि दूसरी तरफ से इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब तक उन्हें साम्प्रदायिक रूप से न भड़काया जाए और जब तक कि मुसलमानों अथवा बंगालियों के विरुद्ध घृणा पैदा करने के लिए कोई अभियान ही न चलाया जाए।

मैं महाराष्ट्र सरकार, शिव सेना और भा.ज.पा. में अनुरोध करूंगा। मुख्य मुंबई में अनेक बंगाली दस्तकार हैं वह आभूषण बनाते हैं। वे हावड़ा के मुसलमान हैं, हुगली से हैं और मेरे अपने जिले के हैं। अब उन्हें नोटिस जारी किया जा रहा है कि वे भारत के नागरिक नहीं हैं। कृपया आप मेरे साथ सहानुभूति रखें। मेरे पास हज़ारों लोग आ रहे हैं और मुझसे उनके बंगाली होने का प्रमाण-पत्र देने को कह रहे हैं और वह मेरे जिले अथवा मेरे क्षेत्र के हैं। वह प्रमाण-पत्र शिव सेना के मुख्यालयों अथवा अन्य जगहों पर दिखाया जाएगा। मैं नहीं जानता कि उन्हें किसलिए यह प्रमाण-पत्र दिखाना है।

संसद सदस्य के रूप में, इसके लिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अपने सगे-सम्बन्धियों के साथ यह नहीं होने दे सकता। मैं अपने गांव के लोगों के साथ यह नहीं होने दे सकता। मैं अपने पड़ोसियों के साथ मुंबई में इस प्रकार का व्यवहार होने नहीं देना चाहता जो कि इस देश का एक भाग है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया इस पर ध्यान दिया जाए।

जहां तक इस संकल्प को प्रस्तुत करने वालों का संबंध है, जहां तक मैं जानता हूं, भारत सरकार स्थिति से भली-भांति परिचित है। 1992 में देश के सभी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था। इस समस्या के संबंध में कुछ निर्णय लिए गए थे। उन्होंने कुछ दलों का उल्लेख किया था जो इन अवैध आप्रवासियों को सहयोग दे रही हैं। उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। उन्होंने पहचान-पत्र जारी करने का सुझाव दिया था। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में सीमा सुरक्षा बल अथवा मोबाइल कार्य बल को सुदृढ़ बनाने का भी सुझाव दिया गया था। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मीडिया की मदद से जन जागरूकता का भी सुझाव दिया गया था। उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि भारत-बांग्लादेश संबंधों में सुधार हो और उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बार देश के मुख्यमंत्रियों की कार्य में प्रगति की निगरानी के लिए बैठक होनी चाहिए।

मेरी इस सरकार से शिकायत यह है कि उन्होंने इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। असम के अपने मित्रों से मेरा विनम्र निवेदन है—जैसा कि आपने स्वयं कहा है—कि असम की समस्या अवैध आप्रवासियों की नहीं है। असम की समस्या उनके आर्थिक, औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से पिछड़े होने से संबंधित है। मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं। जहां तक विकास का संबंध है, मैं भारत सरकार की भेद-भाव पूर्ण नीति के विरुद्ध उनकी लड़ाई में उनके साथ हूं। प्रदर्शनों में उनका साथ दूंगा। मैं उनके साथ जेल जाऊंगा। संसद में मैं उनके साथ हूं। असम के विकास, उत्तर-पूर्व एशिया के विकास के लिए वास्तविक कारणों की लड़ाई में मैं हर स्थान पर और हर मच पर उनके साथ हूं। मेरे प्रिय मित्रों को समझना चाहिए कि असम की समस्या उसके पिछड़ेपन के कारण है, मुसलमान अथवा बंगालियों के आप्रवास के कारण नहीं है। असम की समस्या यह है कि आप वास्तविकता को स्वीकार करने से इंकार करते हैं कि असम बहुतत्त्ववाद पर आधारित होना चाहिए। असम की भाषा, संस्कृति, जनसंख्या और रहन-सहन बहुलवाद पर आधारित है। यदि आप इस बहुलवाद को अस्वीकार करते हैं तो इसका अभिप्राय है कि आप अपनी संस्कृति, अपने भारतीय राजनीति की मुख्य धारा के एक भाग के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। जहां तक मेरे और मेरे दल का संबंध है, तो हमें इस देश की एकता और अखण्डता के लिए एक जुट होकर रहना चाहिए और भारत के गैर-नागरिकों से मुक्त होना चाहिए। प्रत्येक को भारत में शान्ति, सम्मान और गरिमा से रहने का अवसर मिलना चाहिए।

इस पृष्ठभूमि में मैं इस संकल्प को पारित करने की सहमति नहीं दे सकता क्योंकि मुख्य बात पर पहले ही ध्यान दिया गया है अन्यथा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि 1992 में मुख्यमंत्रियों के हुए सम्मेलन में उनके लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया जाए।

श्री अनादि चरण साहू (कटक) : सभापति महोदय, इस संकल्प पर मुझे बोलने का मौका देने के लिए में आपका आभारी हूं। मैं माननीय सदस्य श्री द्रोण द्वारा दी गई संदर्भिका पर (बेंच मार्क) कुछ हैरान हूं। यह संदर्भिका (बेंच मार्क) 1975 है। संभवतः उनके मन में बांग्लादेश में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की अवधि के बाद देश में हुई अशान्ति का दृश्य है। इस संदर्भ में मैं 'निष्क्रमण' शब्द के बारे में कहना चाहूंगा।

अपराह्न 4.57 बजे

[प्रोफेसर रीता वर्मा *पीठासीन हुईं***]**

निष्क्रमण तब होता है जब कोई उत्पीड़क आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक मजबूरियां होती हैं और निष्क्रमण से सदा अप्रवासन होता है। यह अप्रवासन वैध या अवैध हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जिस राज्य या देश में अप्रवासी जाते हैं वहां की सरकार का रवैया क्या है। यह विवाद का मामला है; यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह देश उस समय क्या सोचता है। इसलिए समय-समय पर बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जैसा कि श्री चित्त बसु और श्री रावत जी बनाए गए नियमों के बारे में कह रहे थे। इसीलिए, किसी विशेष स्थिति से हमें यह सोचना चाहिए कि इस खास समय में कौन सा नियम होना चाहिए। विदेशियों से संबंधित ये सभी नियम मूल विदेशी अधिनियम से लिए

गए हैं। विदेशियों के अधिनियम में यह कहा गया है कि देश में आने वाले व्यक्ति के संबंध में केन्द्र सरकार की स्वीकृति के बिना कोई अभियोग नहीं लगाया जा सकता और कई मामलों में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिए हैं जिसका अर्थ है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर अभियोग लगाना आवश्यक नहीं है जिसने देश में आप्रवास किया है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस देश में वे आए हों वह देश बहुत ही उदार हो। आप उपनिषद् का वह श्लोक देख सकते हैं जो केंद्रीय कक्ष के सामने लिखा हुआ है।

अयं निजः परोवेति, गणनाम् लघुचेतषाम्,

उदार चीरतानान्तुः, वसुधैव कुटुम्बकम।"

पूरा विश्व मेरा घर और परिवार है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो किसी पर कोई अभियोग लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगर वह देश, अगर उस समय की राज्य सरकार ऐसा सोचती है कि किसी पर अभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है तो अभियोग लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। बड़े दिल वाले हमेशा यह सोचते हैं कि सभी लोगों को एक होना चाहिए। इस संदर्भ में मैं कुछ असहमत हूं।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सामने वाला भी तो होना चाहिए, उदार चरितानन्तुः, वसुधैव कुटुम्बकम् यह भावना दूसरे लोगों में भी तो हो। वे तो देश को लूटने के लिए आ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू : महोदया, कृपया मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं आपसे श्रीमती हैदर द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास को पढ़ने का अनुरोध करना चाहता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्रीमती हैदर एक प्रसिद्ध उर्दू उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यास 'जलती हुई आग' (द बर्निंग फायर) को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उन्होंने बहुत ही साधारण सा विषय चुना है। वह साधारण विषय भारत में हर किसी को पता है। वह आत्मा का 'पुनर्जन्म' है। उन्होंने बौद्ध काल से शुरू किया है जब बुद्ध भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। एक ब्राह्मण लड़का तक्षशिला में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया था। उन दिनों में सबसे अच्छा विश्वविद्यालय तक्षशिला था।

एक माननीय सदस्य : सबसे अच्छा विश्वविद्यालय नालंदा था।

श्री अनादि चरण साहू : नहीं नालंदा तो बाद में बना। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह वाराणसी वापस आ गए। परंतु बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म से अर्थात् बुद्ध जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। बाद में मुस्लिम काल के दौरान उसी आत्मा ने फिर जन्म लिया—यह आत्मा का पुनःप्रवेश है—और उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। परंतु वह एक भारतीय था। मैं अन्य बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि यह बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अब हम 1946 की ओर मुड़ते हैं। 18 साल के उस नौजवान ने—आत्मा का वही पुनः प्रवेश-उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऑक्सफोर्ड जाने का निश्चय किया। जब वह 1947 में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा था तो देश का विभाजन हो गया। 1949 में उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी। वह पाकिस्तान आ गया। परंतु वह पाकिस्तान में नहीं रहा। उसे उत्तर प्रदेश में वापिस आना पड़ा था क्योंकि उसने कहा "मेरी आत्मा तो यहां है। मैं इस देश का हूं। भौगोलिक सीमाएं बाद में बनी हैं ये मेरे लिए निरर्थक हैं। मैं सांस्कृतिक रूप से, नैतिक रूप से और हर तरीके से इस देश से बंधा हुआ हूं।" वह वापिस आ गया। वह बहुत ही विख्यात उपन्यास है। कृपया उस उपन्यास को पढ़िए।

मैं पूर्वोत्तर भारत के माननीय सदस्य डा. अरूण कुमार शर्मा की आशंकाओं से पूरी तरह सहमत हूं। यह सच है कि बड़े पैमाने पर आप्रवासन से राष्ट्र या जाति संबंधी संविरचना चाहे वह धार्मिक आर्थिक, राजनैतिक या कुछ भी हो, में बाधा उत्पन्न होती है। यही डर मन में आता है। 1975-80 में मैं कटक में पुलिस का सुपरिटेंडेंट था। मैंने देखा कि बहुत सारे बांग्लादेशियों को कटक के लोगों द्वारा डकैतियां डालने के लिए लाया जा रहा था क्योंकि उनके पास हथियार बहुतायत में थे। खाने की कमी के कारण बांग्लादेश से बहुत से लोग डिंघियों में आ रहे थे। 'डिंघी' एक प्रकार की नाव होती है जो तली में बहुत नुकीली होती है तथा समुद्र से जा सकती है तथा संकरी खाड़ियों/नदियों से होकर गहरे भागों में जा सकती है। वे संकरी खाड़ियों/नदियों से होकर आते थे तथा उड़ीसा के कटक और बालासोर क्षेत्रों से पूर्वी तटों को चावल लेकर पूर्वी समुद्र तट चले जाते थे। उनमें से कुछ वहीं बस गए। वे अब बहुत ही धनाढ्य लोग हैं। उनमें से कुछ बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होने पर वापस चले गए। उनमें से कुछ लोग बांग्लादेश में ब्राह्मणों के रूप में पैदा हुए थे कुछ दंडाकरण्य आ गए। आप को यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वे नाम शुद्र बन गए और वहां रहकर अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं ले रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। एक नास्तिक होने के नाते मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि लोगों ने उस क्षेत्र में उपलब्ध उस क्षेत्र की स्थिति में से उपलब्ध कुछ आर्थिक सुविधाएं पाने के लिए अपना धर्म और अपनी जाति भी बदल दी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें संकीर्ण भावना से यह नहीं सोचना चाहिए कि 'अवैध आप्रवासन' का क्या अर्थ है। यह बात लोगों के निर्णय पर छोड़ देनी चाहिए कि इसके लिए क्या कार्रवाई की जाए। कोई भी संकल्प पूरी तरह व्यापक आधार पर आधारित होना चाहिए। अगर कोई संकल्प गलत भावना से शुरू किया जाता है तो यह बुरी बात है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने कहा है, अगर किसी प्रस्ताव के पीछे कोई भावना है, अगर किसी खास समूह के लोगों पर ही प्रहार करना है, तो मैं समझता

[श्री अनादि चरण साहू]

हूं इस तरह का कोई संकल्प नहीं करना चाहिए। हमें इसी दृष्टि से सोचना चाहिए। इससे अच्छा यह होगा कि उन लोगों की पहचान की जाए जो इस देश में आए हैं। उन्हें देश से निकालने का एक अलग मामला होना चाहिए। हम दोहरी राष्ट्रीयता के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे कई देश हैं जहां लोगों को बाहर जाकर काम करने हेतु अनुमति-पत्र, वर्क पर्मिट्स दिए जाते हैं। अगर अन्य पड़ोसी देशों में किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है, जैसा कि मैंने पहले कहा है, चाहे वह उत्पीड़न, आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक हो, तो वे लोग हमारे देश में आने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उन्हें स्वीकार करना ही चाहिए।

हमें ऐसे लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो यहां आते हैं। अन्यथा, ऐसे बड़े देश, ऐसे उदार दिल वाले देश का नागरिक होने का क्या फायदा ? स्थिति का जायज़ा लो, उनकी पहचान करो और बाद में अगर आवश्यक हो तो आप उन पर अभियोग लगा सकते हैं, उन्हें वापस भेज सकते हैं; या उन्हें यहीं बसे रहने की अनुमति भी दे सकते हैं। मैंने उड़ीसा के बालेश्वर और कटक जिलों में 2 लाख लोगों को ठहरे हुए देखा है और वे वहीं बस गए हैं। उन क्षेत्रों में इस मुद्दे को छेड़ने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अन्य क्षेत्रों के बारे में नहीं जानता। मैं उस पर विस्तृत चर्चा करना नहीं चाहता। परंतु इस बात को लेकर अभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

जैसा कि मैंने अभी कहा है, मैं आंशिक रूप से श्री जगत बीर सिंह द्रोण द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। सबसे पहले, पहचान की जानी चाहिए। परंतु साथ ही, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। उन्हें वापस भेजना एक जटिल मुद्दा है क्योंकि प्रश्न यह उठता है कि उन्हें कब भेजा जाए, क्यों भेजा जाए और कैसे भेजा जाए।

श्री जगत बीर सिंह द्रोण : आप रोग की जांच के बारे में कह रहे हैं उसके इलाज के बारे में नहीं।

श्री अनादि चरण साहू : यह इलाज का प्रश्न नहीं है। उसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। मैं हमेशा महसूस करता हूं कि हमें बालू के कण में पूरी दुनिया देखनी चाहिए, वायु पुष्प में स्वर्ग देखना चाहिए। और हथेली में अनंतता के दर्शन करने चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं। मैं किसी बारे में प्रश्न नहीं कर रहा हूं। आप जानते हैं, एक कण भी पूरी दुनिया का प्रतीक हो सकता है। जो लोग आए हैं वे भी भारतीय हैं वे 1947 से पहले भारतीय ही थे। हम उन्हें उस तरीके से क्यों नहीं स्वीकार करते ? उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। अगर कोई गड़बड़ी होती है—मैं नहीं कहता कि धार्मिक गड़बड़ी है क्योंकि कोई भी धर्म महत्त्वपूर्ण नहीं है और कोई भी धर्म स्थायी नहीं है। कोई भी धार्मिक मसीहा या कोई भी धार्मिक पैगम्बर उस खास दिन, उस खास काल या उस अवधि की स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक विद्रोही रहा है। एक बार जब वह खास काल, वह खास अवधि या वह खास स्थिति समाप्त हो जाती है तो वह मसीहा अनावश्यक हो जाता है। मैं किसी एक धर्म की नहीं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि मैं नास्तिक हूं और मैं किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। धर्म स्थायी नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन कोई और धर्म आए; कोई पैगंबर आए और किसी अन्य धर्म का प्रचार करे तथा अन्य धर्म को मानने वाले लोग इकट्ठे होकर एक नए धर्म की स्थापना करें। इसलिए हमें धर्म को मानवीय समस्याओं को स्थायी समाधान नहीं समझना चाहिए। हमें आर्थिक समस्याओं को स्थायी आधार मानकर उस पर कार्य करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस संकल्प में कोई बुरी भावना नहीं होनी चाहिए।

मेरा यह विनम्र मत है कि पहचान की जानी चाहिए, परंतु पहचाने गए लोगों को अभी वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। बाद में स्थिति सुधर सकती है, स्थिति में सुधार हो सकता है और सरकार इस पर एक अलग मत अपना कर एक अलग फैसला दे सकती है।

पूर्वोत्तर भारत में क्या हुआ ? वहां कुछ आर्थिक सहायता (पैकेज) की आवश्यकता है। अधिक धन दो; लोगों को शिक्षा दो; और उन्हें रहने दो। बहुत से और लोग भी हैं जो भारत में आए हैं। तिब्बती, नेपाली, भूटानी, सिक्किमी और अन्य लोग भारत में आए हैं। यहां तक कि सिंघली भी आए हैं। सिंघली लोग एक हजार पंद्रह साल पहले भारत में आए थे और उड़ीसा में बस गए थे। उड़ीसा के लोग भी सीलोन गए और वहां बस गए। क्या हुआ ? एक मिली-जुली संस्कृति पैदा हुई। इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग आ और जा सकते हैं। किसी द्वारा कही गई कोई खास बात यह है कि इससे व्यवस्था भंजक कार्य हो सकते हैं। पुलिस विभाग के अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यदि मुझे व्यवस्था भंजक कार्यों के लिए किसी एजेंट को काम पर लगाना है तो मैं अपने ही लोगों को इस कार्य के लिए लगाऊंगा किसी विदेशी को नहीं क्योंकि अपने ही लोगों से विध्वंस कराने का काम आसान होता है। इसलिए विध्वंस करने का प्रश्न नहीं है। यह किसी व्यक्ति की मनःस्थिति है। यह किसी खास धर्म के लिए नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से अर्थात् अधिक धन पाकर ऐसा कार्य करना है। अगले दिन वह किसी और के लिए कार्य करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि और यह बात दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि लोगों की पहचान करो परंतु उन्हें वापस मत भेजो। बनाए गए सभी नियम स्थायी नहीं हैं और उन्हें स्थायी होना भी नहीं चाहिए।

***श्री के. परसुरामन (चेंगलपट्टू)** : सभापति महोदया, मैं श्री द्रोण द्वारा आप्रवास के संबंध में संकल्प पर की गई चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

---

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सभापति महोदय : सभा में कुछ व्यवस्था बनाए रखें।

श्री के. परसुरामन : आज हम देश के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तर-पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र में घुसपैठियों, आप्रवासियों और शरणार्थियों के प्रवेश की समस्या देखते हैं। बहुत से लोग आए और विभिन्न स्थानों में बस गए। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा 1948 या कहा जाए 1947 से ही नव काली हत्याकांड के परिणाम के रूप में होता रहा है। महात्मा गांधी जी के समय से ही हमें इस आप्रवासन और शरणार्थियों के आने की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान से लाखों लोग भारत आए और तमिलनाडु तथा अन्य भागों में बस गए। उनमें से अधिकांश को इस देश का नागरिक स्वीकार कर लिया गया। वे वहां बस गए और उन्हें वहां सम्पत्तियां भी प्राप्त हो गईं। इस प्रकार जो भी बाहर गए वे उन्हीं देशों में बस गए।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लाखों चकमा लोगों का आना और साथ लगे हुए राज्यों में बंगलादेशियों का आना, सीमा पार से लोगों के आप्रवासन का ही परिणाम है। वे लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से मिलते-जुलते स्थानों में बस गए। उसी प्रकार पाकिस्तान से बहुत से लोग आकर जम्मू-कश्मीर में बस गए।

इसी प्रकार दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि श्रीलंका से आप्रवासी आए और केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में बस गए। वे सभी हमारे ही लोग हैं और उनके वंशज हैं जो इन राज्यों से काफी पहले श्रीलंका में चले गए थे। अब यह पुनर्वापसी है और एक-एक करके वे लोग यहां आए और यहां बस गए।

इस प्रकार का अंतर्देशीय आप्रवासन और सीमा-पार का आप्रवासन कोई नई बात नहीं है। पड़ोसी क्षेत्र के लोग हमेशा साथ के अच्छे क्षेत्रों में जीविका उपार्जन के लिए जाते हैं। जैसा कि यहां हमारे एक मित्र ने कहा था, यह कहना गलत होगा कि उन्हें आने-जाने की और अपनी जीविका उपार्जन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आखिर, वे केवल अपने क्षेत्रों में जीविकोपार्जन का कोई और स्थान न होने के कारण जीविकोपार्जन के लिए ही यहां आते हैं।

तमिल में एक कहावत है, "यादुम ऊरे यावारुम के लिर" अर्थात् 'पूरा विश्व एक बड़ा गांव है और हम सभी एक बड़े परिवार में एक दूसरे के रिश्तेदारों की तरह जुड़े हैं। हम इसी सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इसलिए हम सभी आप्रवासियों को अपना दुश्मन या खराब लोग नहीं समझ सकते। हम श्रीलंका के सभी तमिल लोगों को पूरी तरह खराब लोग नहीं कह सकते।

1989-90 में जब हमारी डी.एम.के. पार्टी सत्ता में थी तो श्रीलंका छोड़कर आए जो तमिल तमिलनाडु आए थे उनकी पूरी तरह स्क्रीनिंग और छंटाई करके अलग-अलग कर दिया गया था। डी.एम.के. सरकार ने वास्तविक शरणार्थियों का पता लगाने के प्रयास किए गए और जिन्हें वैसा नहीं पाया गया उन्हें अलग रखा गया। जिन पर घुसपैठिए होने का संदेह पाया गया। उनपर रोक लगाई गई और हमाने कानूनों के अनुसार उन्हें जेलों में डाला गया। उसके बाद जब वहां राज्यपाल का शासन था तब ऐसा लगता है कि संभावित घुसपैठियों के आने को सही ढंग से रोका नहीं जा सका था। श्री राजीव गांधी की हत्या का यही एकमात्र कारण रहा होगा। यह हम सभी को पता है। हमारी केंद्र सरकार के पास अप्रवासियों में से घुसपैठियों का पता लगाने के लिए विभिन्न एजेंसियां हैं।

1991 में डी.एम.के. सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। उसके बाद ही अर्थात् राज्यपाल के शासन के दौरान ही घुसपैठिए देश में आए होंगे। हम सभी महसूस करते हैं कि इसी कारण से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई होगी और जैन आयोग की जांच अभी भी चल रही है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : सभी लोगों को यहां बुला लो ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक मिनट, देखिए, थोड़ी बहुत नोंक-झोंक ठीक रहती है मगर उनको बोलने में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं। थोड़ी बहुत नोंक-झोंक हाउस में ठीक रहती है। उससे डिबेट का रस बना रहता है। लेकिन इतना शाउट नहीं कीजिए कि उनकी आवाज ही डूब जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. परसुरामन : 1991 के बाद ही, जब कुमारी जयललिता कि ए.आई.ए.डी.एम.के. पार्टी सत्ता में आई तो जेलों से उन घुसपैठियों के जिन्हें पूर्व डी.एम.के. शासन में बंद किया गया था। भागने की घटना हुई। 1991 से 1996 के बीच जेलों से भागने की लगभग 8 घटनाएं हुईं। लगभग 80 लोग जेलों से भाग गए थे। यह सब घटनाएं केवल ए.आई.ए.डी.एम.के. के शासन में हुई थीं। केन्द्र सरकार के पास आई.बी.आर.ए.डब्ल्यू. आदि जैसी विभिन्न एजेंसियां हैं। उनका कर्त्तव्य यह देखना है कि जो लोग हमारे देश में आए उनमें से कौन अच्छा और कौन बुरा है। समुचित एजेंसियों द्वारा की गई ऐसी पहचान से घुसपैठियों को रोकने में मदद मिलेगी और सही कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। साथ ही वास्तविक, अभागे और आप्रवासी लोगों को मानवीय आधार हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। बुरे लोगों को वापस भेज दिया जाना चाहिए और सीधे-सादे लोगों को हमारे ही देश में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति महोदया, मैंने पिछले दिनों भी और आज भी इस प्रस्ताव पर चर्चा को बड़े ध्यान से सुना है। मैं सदन की जानकारी के लिए केवल इस प्रस्ताव की पहले भाषा पढ़ना चाहता हूं।

[श्री सत्य पाल जैन]

"यह सभा 1975 से देश में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध आप्रवासन पर गहरी चिन्ता व्यक्त करती है और यह सिफारिश करती है कि उन सभी अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें उनके मूल देश को विवासित करने हेतु ठोस कदम उठाए जाएं।"

मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस प्रस्ताव के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका कोई भी व्यक्ति, जिसका हिन्दुस्तान के संविधान में विश्वास है इसका विरोध कर सकता है। यह द्रोण जी की सज्जनता है कि उन्होंने 1975 का शब्द प्रयोग किया है। अगर उन्होंने 1975 की बजाए 1947 का शब्द लिखा होता, संविधान बनने के लिए एक दिन के बाद का शब्द भी लिखा होता तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का कोई नागरिक तब भी इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर सकता।

महोदया, हम जब यह शपथ लेते हैं तो भारत के संविधान के प्रति अपनी कटिबद्धता और उसकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं। मैं इस प्रस्ताव पर कुछ कहने से पहले संविधान की दो धाराएं पढ़ना चाहता हूं। जो संविधान देश की जनता ने स्वीकार किया था संविधान की धारा पांच हिन्दुस्तान के सिटिजनशिप को डिसक्राइब करती है।

[अनुवाद]

प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में स्थायी निवासी हैं और--

(क) जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है; या

(ख) जिसके माता-पिता में से कोई भी भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो; या

(ग) जो इसके आरंभ से कम से कम पांच वर्ष पहले से भारत के क्षेत्र में रह रहा हो।

[हिन्दी]

1947 तक जो लोग हिन्दुस्तान में थे या जिनके माता-पिता में से यहां कोई पैदा हुआ या जो यहां पैदा हुए वे हिन्दुस्तान के नागरिक होंगे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के हमारे कुछ सज्जन बोल रहे थे--हम कभी एक होते थे, हमारा डिवीजन हो गया, वे लोग यहां आ जाएं और ये लोग वहां चले जाएं। राष्ट्र और धर्मशाला में अंतर होता है। आप धर्मशाला में अब भी आकर ठहरना चाहें तो ठहर सकते हैं और जब आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। नेशन केवल पुरानी हिस्ट्री को देख कर नहीं बनता। लॉ ऑफ सिटीजनशिप भावनात्मक आधार पर नहीं होता। हिन्दुस्तान के और मुल्क के कानून से चलता है। इसलिए संविधान की धारा सात कहती है।

[अनुवाद]

अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च, 1947 के पश्चात् भारत के राज्यक्षेत्र से ऐसे राज्यक्षेत्र को, जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा।

[हिन्दी]

जो लोग एक मार्च, 1947 तक हिन्दुस्तान छोड़ कर चले गए वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। यह मैं नहीं कह रहा, यह हिन्दुस्तान् का संविधान कह रहा है। उसके बाद भी उस पार्टी के लोग, जो 50 साल मुल्क में शासन करते रहे वे बड़ी हिम्मत के साथ यह बात कह रहे हैं कि नहीं-नहीं, कुछ लोग 20-30 साल पहले आ गए। यह बात कहना कि कभी हम लोग कल्चरली एक होते थे। हमारा डिवीजन हुआ, हिन्दुस्तान का संविधान बना।

[अनुवाद]

हम भारत के लोगों का अर्थ है हम भारत के नागरिक हैं। हम भारत के लोगों का अर्थ उस व्यक्ति से नहीं है जिसके माता-पिता या पूर्वज लगभग 50-60 वर्ष पहले भारत में रहते थे। ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

आज यह प्रश्न नहीं है। यह बात कहना कि आ जाते हैं, चले जाते हैं, हमारा कानून सख्त नहीं है, उन्हें भारत का नागरिक माना जाना चाहिए और जो सदस्य इस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वे भारत के संविधान का विरोध कर रहे हैं एक ओर इस सदन में संविधान की शपथ लेते हैं कि हम भारत के संविधान की रक्षा करेंगे परन्तु वे उसी संविधान का उल्लंघन करते हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : मैं उनके उत्साह की सराहना करता हूं। वे कुछ भी नहीं जानते। आप इंदिरा-मुजीब संधि; इंदिरा-लियाकत अली संधि को पढ़िए और आप असम समझौते को पढ़िए। धारा 32 कहती है कि जो लोग असम में 1 मार्च 1971 के बाद इस संधि के बाद आए थे उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। यह संसद द्वारा किया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आएगी तब आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : आप कांग्रेस का नाम ले रहे हैं इसीलिए मैं जवाब दे रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : आपके लोगों ने यह कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : आप असम जाएं और कहें कि सभी मुस्लिम बाहर चले जाएं और सभी हिन्दू वहां रहें। यह साम्प्रदायिकता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं। बांग्लादेशी यहां आए हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बोल रही हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव जी, जब आपकी बारी आए तब आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, महोदया। जब किसी दल का नाम बार-बार बिना किसी कारण के लिया जाता है तो मुझे आपकी अनुमति लेकर बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने का समय दूंगी।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना समय आने पर जवाब दे सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव : मैंने आपसे अनुमति मांगी है। यह क्या है ? जो भी पीठासीन अधिकारी होता है वह केवल सदस्यों को झिड़कता ही रहता है। हद ही हो गई है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री संतोष मोहन देव : नहीं महोदया यह कोई तरीका नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। कुछ गरिमा बनाए रखें।

श्री सुरेश प्रभु : यह बहुत ही अपमान की बात है। ...*(व्यवधान)*। मैंने उनकी अनुमति लेकर बोला था अनुमति के बिना नहीं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : देव जी, आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। आप मेरी अनुमति के बिना ही बोले हैं।

श्री संतोष मोहन देव : तब मैं बिना शर्त ही माफी मांगता हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : तब ठीक है। आपने कोई अनुमति नहीं मांगी और न ही मैंने कोई अनुमति दी है। आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री संतोष मोहन देव : अगर आपने अनुमति नहीं दी तो मैं बिना शर्त ही क्षमा मांगता हूं।

सभापति महोदय : आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, आप कनिष्ठ सदस्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इस पर आप किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : कृपया याद कीजिए, महोदया, वे हमारे मुख्य व्हिप हैं। वे वरिष्ठ सदस्य है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह ठीक है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : परन्तु उन्हें पीठासीन अधिकारी पर नहीं चिल्लाना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : सभापति महोदया, जब कोई सीनियर मैम्बर होता है या लीडर्स होते हैं और इंटरवीन करते हैं तो कनविंस करते हैं।

सभापति महोदय : ठीक है, सभी को अपना-अपना व्यवहार देखना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : बस हो गया। हम सदन का कार्य जारी रखें।

श्री संतोष मोहन देव : यदि श्री अटल बिहारी वाजपेयी हस्तक्षेप कर सकते हैं तो दल के एक नेता के रूप में मुझे भी हस्तक्षेप करने का मौका मिलना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपने इसके बारे में पूछा तक नहीं।

श्री संतोष मोहन देव : मैं भी 140 सदस्यों का प्रतिनिधि हूं।

सभापति महोदय : आपने इसके बारे में पूछा तक नहीं। मैं कैसे दे सकती हूं ? कृपया सदन में कुछ गरिमा बनाए रखें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह एक छोटी सी बात है। आप अपना समय लीजिए और तसल्ली से अपनी बात कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन जो बिजनैस है, उसे चलने दीजिए।

श्री सत्य पाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापति महोदया, श्री देव हमारे सीनियर मैम्बर हैं। हम हर मैम्बर का सम्मान करते हैं। आपने अटल जी की बात कही। हम उनका बहुत अधिक सम्मान करते हैं लेकिन आपका सम्मान भी कम नहीं करते। इस सदन में जब भी हम लोग बात करते हैं तो अलग-अलग बात करते हैं क्योंकि हम अलग-अलग विचारधारा रखते हैं। अगर मैंने कोई बात कही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप भी अपनी जगह अपनी बात कह सकते हैं। यदि आपको कोई बात पसंद नहीं तो

[श्री सत्य पाल जैन]

हम समझते हैं कि इस सदन में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। आप हमारे सीनियर मैम्बर हैं। आप हमें बोलने का मौका दीजिए। जब आप बोलेंगे तो अपनी बात कर सकते हैं। मैं यह कभी नहीं कहता कि मुझे सब कुछ मालूम है। मैं तो एक नया और छोटा सा सदस्य और वकील हूं। मैं आपसे सीखना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप मुझे सिखाएं।

सभापति महोदया, मुझे दुख इस बात का है कि स्वतंत्रता के 50 साल बाद इस सदन में किसी मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट को यह प्रस्ताव लाना पड़ रहा है कि 1975 के बाद इस देश में आने वाले इस देश के नागरिक नहीं हैं, विदेशी घुसपैठिए हैं, उनको इस देश से बाहर निकाला जाए। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है कि इस वक्त की सरकार और उसका समर्थन करने वाली पार्टी इस बात का विरोध कर रही है और विरोध भी बिना कारणों से किया जा रहा है। मैंने माननीय सदस्यों की बातें सुनी हैं। वे बोल रहे थे कि कांस्टीट्वंसी में कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें दिक्कत हो रही है। यदि दिक्कत हो रही है तो क्या देश को कानून बदलना पड़ेगा। हम मर्डर केसों में 50 लोगों को पकड़ते हैं, ट्रायल करते हैं, उन 50 में से 5 कनविक्ट होते हैं और बाकी 45 बचकर निकल जाते हैं। तो क्या बाकी 45 कहें कि आई.पी.सी. को रिपील कर दीजिए क्योंकि मुझे परेशान किया गया है ? 107-151 के ला में रोज़ गांवों में शहरों में लोगों को पकड़ते हैं और उनका ट्रायल करते हैं। क्या उस कानून को छोड़ दें ? अगर संसद में आते हुए हमारी सैक्यूरिटी चैक होती है तो क्या सैक्यूरिटी चैक बंद कर दें ? सवाल इस बात का है कि क्या हम अपने देश के अंदर विदेशी घुसपैठियों को रखना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं ? कहा जाता है कि पहले सारा विश्व एक ही था। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं।

विश्व के जो अन्य मुल्क हैं, आप वहां जाना चाहें, तो उनकी सख्ती देखें। पंचों, सरपंचों को भी वहां कभी जाना होता है तो उनको वीज़ा लेने में बड़ी कठिनाई होती है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहां पंजाब से दो-तीन सौ नौजवानों को इल्लीगली दूसरी कंट्रीज में ले जाया जा रहा था तो रास्ते में जहाज से उनको एक किश्ती में बैठाकर उनको डुबोकर मार दिया गया। हिन्दुस्तान सरकार इसलिए इस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रही क्योंकि जिन मुल्कों ने यह काम किया है, जिनके गुनहगार हैं, उनकी कम्यूनिटी के लोगों के वोट यहां काफी ज्यादा हैं। तीन सौ नौजवान मार दिए गए। दूसरी कंट्रीज इल्लीगल इम्मीग्रेण्ट्स को अपने यहां नहीं आने देती और यहां वकालत की जाती है कि जो आ गया उसे यहां रखा जाना चाहिए।

हमारे देश में विदेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। न सिर्फ नॉर्थ-ईस्ट में असम में, बल्कि दिल्ली, मुम्बई और अब मेरे क्षेत्र चंडीगढ़ में भी भारी संख्या में ऐसे लोग आकर रहने लगे हैं। आप वहां की मतदाता-सूची देखें तो आपको हैरानी होगी और नाम पढ़कर ही लगता है कि शायद यह हमारे देश के रहने वाले नहीं हैं। बंग्ला भाषा बोलने वाले इस देश के नागरिक हैं। बंग्ला बोलने पर कोई आपत्ति नहीं करता, उर्दू बोलने पर कोई आपत्ति नहीं करता, हिन्दी या पंजाबी बोलने पर कोई आपत्ति नहीं करता लेकिन कोई विदेशी क्योंकि वही भाषा बोल रहा है जो हिन्दुस्तान में कुछ लोग बोल रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस भाषा के बोलने वाले इसी देश के नागरिक हैं। बंग्ला भाषा बोलने वाले हमारे यहां भी हैं, उर्दू बोलने वाले यहां भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं और पंजाबी और हिन्दी बोलने वाले भी पाकिस्तान में होंगे। तो क्या पाकिस्तान में कोई आदमी अच्छी हिन्दी, उर्दू और पंजाबी बोले और कहे कि मैं भले ही विदेशी हूं लेकिन मुझे यहां का नागरिक माना जाए तो ये आर्ग्यूमेंट्स कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या इन लोगों को हिन्दुस्तान में रहने का अधिकार है या नहीं।

सभापति महोदय, इन लोगों के यहां रहने से कई तरह की समस्याएं खड़ी होती हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉबलम आती है। जब विदेशी यहां आते हैं तो यहां शरण लेने के लिए वह कम रेट पर काम करते हैं। कहीं न कहीं वे छिपकर रहते हैं जिसके कारण इकोनॉमिक क्राइसैस होता है। रिक्शा चलाने वालों में, रेहड़ी चलाने वालों में और डेली वेजेज़ पर काम करने वाले लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग कम रेट पर अंडर हैण्ड मीन्स से काम लेकर इंप्लायमेंट के लिए समस्या पैदा करते हैं। इससे दूसरी समस्या पॉपुलेशन की होती है। सारा देश पॉपुलेशन के बारे में चिन्तित है। सबकी चिन्ता है कि मुल्क की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाए और इन लोगों में से ज्यादातर वह हैं जो बहु-शादी या बहु-पत्नी में विश्वास करते हैं। उस कारण हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन इस मुल्क की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण है। जो अस्पताल 5000 लोगों के लिए बनाया जाता है, उसमें 25000 लोग आते हैं। जो स्कूल 500 बच्चों के लिए बनाया जाता है, उसमें 2500 बच्चे पढ़ते हैं। जो कॉलेज 1000 लोगों के लिए बनाया जाता है, उसमें 8000 छात्र पढ़ते हैं। इन लोगों के कारण वाकई समस्या हो रही है और क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट की ओर देखे जहां इनकी आबादी अधिक है, वहां निरन्तर टैररिस्ट ऐक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं और जो इंटैलिजेंस की रिपोर्ट है, अगर उनका अध्ययन गहराई से करें तो जो विदेशी लोग आए हैं, वह अंडरहैण्ड मीन्स से अपनी सहरवाइवल के लिए, अपने इंटरस्ट के लिए शैल्टर लेते हैं। हमारे देश की सुरक्षा को इससे सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होता है। विदेश से आए हुए व्यक्ति की लॉयल्टी और कमिटमेंट हमारे देश के साथ नहीं हो सकता। कहीं न कहीं उनके मन में अपने देश के लिए भाव छिपा हो सकता है। अगर उसको समय पर पकड़कर वापस नहीं भेजा जाता है तो ऐसा व्यक्ति किसी मुख्य पद पर आकर हमारे देश के लिए समस्या खड़ी कर सकता है। मैं समझता हूं कि आपने बहुत सारे पैक्ट्स की बात की है, समझौतों

की बात की है जिनके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। मैं इतना क्लेम तो नहीं करता कि मुझे सारी की सारी जानकारी है पर संतोष मोहन देव जी की तसल्ली मैं करवा सकता हूं लेकिन आज वह विषय नहीं है। इन्होंने 1975 के बाद आए विदेशियों का जिक्र किया है। आप मुझे बताइए कि हिन्दुस्तान का कौन सा कानून है जो कहता है कि 1975 के बाद जो विदेशी आए हैं, उनको विदेशी नहीं माना जाएगा और उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। कोई भी समझौता और ऐक्ट अगर संविधान की धारा का विरोध करता है तो संविधान उससे प्रमुख माना जाएगा। कोई भी एक्ट संविधान की धाराओं का विरोध नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

अगर यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है तो यह अधिनियम अवैध हो जाएगा, यह अप्रचलित हो जाएगा।

इन सभी तर्कों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इसमें डिस्कशन का समय चार घंटे निर्धारित हुआ था, 5 बजकर 48 मिनट पर चार घंटे समाप्त हो जाएंगे। सदन की क्या इच्छा है इसे एक्सटेंड किया जाए ?

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : इसका टाइम बढ़ाया जाए और जिनके नाम हैं उनको बोलने दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदया हम इसका विरोध करते हैं। मैं इस समय को बढ़ाने की अनुमति नहीं देता। मैं अपने दल की तरफ से इसका विरोध करता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : बाकी सदन की क्या राय है ?

श्री सत्य पाल जैन : इसका टाइम बढ़ाया जाना चाहिए, इस पर डिस्कशन होना चाहिए, इस पर बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : सब बोलने वालों के नाम दिए हुए हैं। यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है, पता नहीं श्री संतोष मोहन देव जी कैसे उल्टा बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : हमें बोलने दिया जाना चाहिए। ..*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : श्री संतोष मोहन देव जी, आपको बोलने दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : आपके सभापति ने कहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : 'आपके सभापति' मत कहिए। वे हम सभी की सभापति महोदया हैं।

श्री संतोष मोहन देव : फिर तो उन्हें मुझे उत्तर देने के लिए बुलाना चाहिए। मुझे उत्तर देने का अधिकार है। *(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : यह कोई तरीका नहीं है। वे हमारी सभापति महोदया हैं। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको अनुमति लेनी होगी तभी आपको ऐसा करने दिया जाएगा। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : यह प्रोटोकोल नहीं है। मैं 1980 से सदस्य हूं। यह प्रोटोकोल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, यह सब कार्यवाही वृत्तांत में भी अवश्य शामिल होगा। आप कृपया इसकी जांच कर लें। उन्होंने यह कहा है कि आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और यदि आप अनुमति चाहें तो आपको बोलने की अनुमति दी जा सकती है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव जी, आपको सदस्यों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल जैन : सबसे ज्यादा तो आप बोल रहे हो और फिर कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदया, सदन की परम्परा तो यह है कि यदि किसी दल विशेष का उल्लेख किया जाए, तो उस दल का उत्तरदायित्व हो जाता है कि उसे उत्तर अवश्य देना होता है। यदि मैंने चर्चा में भाग लिया होता तो मैंने हस्तक्षेप नहीं किया होता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस मामले को छोड़ दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : महोदया, क्या मुझे आपसे कुछ कहने का अधिकार है ?

सभापति महोदय : जी हां।

श्री संतोष मोहन देव : मैं कुछ कहना चाहता था इसलिए खड़ा हुआ था। मैंने समझा आपने मुझे बोलने की अनुमति दे दी है। जब मुझे पता चला कि आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी तो मैंने बिना शर्त क्षमा मांग ली, चूंकि आपसे अनुमति लिए बिना मुझे बोलना नहीं चाहिए था। इस सदन का सदस्य होने के नाते यह तो मैं मानता हूं।

अब चूंकि माननीय सदस्य ने कुछ कहा है मुझे उसका उत्तर देने का हक है। मैं इस विधेयक का विरोधी नहीं हूं। जब वह

[श्री संतोष मोहन देव]

कहते हैं 1975 तो मैं भी उसका समर्थन करता हूं। परन्तु जब वह यह कहते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तो मैं कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की ओर संकेत करना चाहता हूं। उनका यह कथन तो सही है कि जब 1980 में आई.एम.डी.टी. अधिनियम आया तो सदन में ही प्रश्न उठाया गया था। यदि आई.एम.डी.टी. अधिनियम का अध्ययन किया जाए तो उसमें कहा गया है कि लियाकत अली पैकेज को कुछ देर विलोप कर दिया गया था। इन सब बातों की ओर ध्यान दिया गया है। मैं इसी बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता था। उन्होंने कहा "यह असंवैधानिक है।" मैंने कहा, "नहीं, संवैधानिक प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।" ...*(व्यवधान)*। उन्होंने कहा कि हम सब अपने द्वारा ली गई शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने यही कहा है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता था कि हमने अपनी शपथ का उल्लंघन नहीं किया। शायद माननीय सदस्य को अन्य विधेयकों की पृष्ठभूमि ज्ञात नहीं है। इसी कारण, उन्होंने यह कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी इसके विरुद्ध नहीं है, जब वह है कि '1975 के बाद' क्योंकि वास्तव में यह 1971 है। मैं इस सम्बन्ध में कोई विवाद खड़ा नहीं कर रहा। यदि 1975 के बाद आने वाले किसी विदेशी के सम्बन्ध में कोई अधिनियम विद्यमान है, तो हम उसका समर्थन करते हैं। हम उसके विरुद्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं और यह सदन के कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ..*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन : सभापति महोदय, मुझे स्पष्टीकरण देने दें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) आप कार्रवाई का रिकार्ड देख लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : उन्हें यह कहने दीजिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप इस बिल का विरोध नहीं कर सकते, चूंकि अभी इस बिल के तहत जो कानून बना हुआ है उसको देवेगौड़ा जी ने वापिस लेने की बात कही थी तो उसके विरोध में आसाम से श्री तरूण गोगोई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल रोष प्रकट करने के लिए आया था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री संतोष मोहन देव, मैंने आपका भाषण सुन लिया है। यदि आपने इसी सुर में बोला होता तो कोई समस्या ही न खड़ी हुई होती। आप पीठासीन अधिकारी पर चिल्ला रहे थे, मैंने इसी पर आपत्ति की और यह आपत्ति करने का मुझे पूरा हक था। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं आपको अन्य सदस्यों के सामने ऐसा उदाहरण नहीं स्थापित करना चाहिए। आप पीठासीन अधिकारी पर नहीं चिल्ला सकते। चलो, छोड़िए अब आगे बढ़ें।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : महोदया, क्या आप माननीय सदस्य को डांट रही हैं ?

सभापति महोदय : नहीं, मैं तो केवल स्थिति बयान कर रही थी।

(व्यवधान)

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : हमें समयावधि बढ़ा देनी चाहिए। वे भी चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वे संकल्प का समर्थन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : सरकार का इस विषय में क्या मत है?

श्री संतोष मोहन देव : माननीय सभापति के इस कथन के पश्चात् कि एक सदस्य अनुशासित नहीं है, मेरा कहना है कि मैं इसका विरोध करता हूं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। आप इस पर मतदान करवा लें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप आपस में बातें करना क्यों शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट की क्या इच्छा है ?

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : यह सरकारी कार्यवाही नहीं है यह तो गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी संकल्प है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है। सदन की इच्छा से मैं इस रिजोल्यूशन पर डिस्कशन के लि एक घंटे का समय बढ़ाती हूं।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : यह समय व्यर्थ नहीं जाएगा, इसे अगले सप्ताह लिया जाएगा।

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : अभी भी 25 मिनट का समय शेष बचा है।

श्री संतोष मोहन देव : आप समयावधि बढ़ा सकते हैं, परन्तु आज नहीं, आप चार घण्टे का समय बढ़ाइए, मुझे कोई एतराज नहीं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है। अवैध अप्रवासी संकल्प पर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जाता है।

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैं केवल दस सेकण्ड में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : इस संकल्प पर डिस्क्शन के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया गया है। आज की सिटिंग 6.00 बजे समाप्त हो जाएगी।

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : पिछले वक्ता श्री सत्यपाल जैन ने कुछ कहा था और शायद उससे माननीय सदस्य की भावनाओं को ठेस पहुंची।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह सब इसी तरह बोलते जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी।

[हिन्दी]

आप बैठिए। मैंने अगले स्पीकर को बोलने की अनुमति दी है।

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मैंने सोचा आपने मुझे बोलने की अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अच्छी बात है, जो बात खत्म हो गई, वह खत्म हो गई।

[अनुवाद]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : यह कार्रवाई में शामिल हो गया है। उन्होंने यह तो नहीं कहा कि "आप लोग संविधान में आस्था नहीं रखते।" उन्होंने यह हर्गिज नहीं कहा। उन्होंने कहा है "हम सबने संविधान की शपथ ग्रहण की है और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता।" उन्होंने तो केवल इतना ही कहा है।

सभापति महोदय : हम रिकार्ड देखकर निर्णय करेंगे।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : रिकार्ड तो कोई भी स्ट्रेट कर सकता है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रदीप भट्टाचार्य—अनुपस्थित श्री बनातवाला

[हिन्दी]

आप कृपा करके अगले आनरेबल मैम्बर को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : सभापति महोदया, आपकी कृपा है ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : तब तो मैं आपके विनिर्णय को मानता हूं। परन्तु इसे कोई दृष्टान्त नहीं बनाया जाना चाहिए। भविष्य में यदि कोई सदस्य आपत्ति करता है और अध्यक्ष अथवा पीठासीन सभापति गैर सरकारी सदस्य की कार्यवाही का समय एक घंटे के लिए बढ़ाता है तो वह अनिवार्य बन जाएगा।

सभापति महोदय : इए निर्णय में पूरे सदन की सहमति शामिल है।

श्री संतोष मोहन देव : नहीं, मैं भी सदन का सदस्य हूं। मैं इस निर्णय से सहमत नहीं हूं या तो आप मतदान करवाइए या आप सर्वसम्मति बनाइए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है यदि आप ऐसा चाहते हैं तो बताइए कि कितने माननीय सदस्य इस पक्ष में हैं कि इस संकल्प पर डिस्कशन के लिए समय बढ़ाया जाए।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैं खुद आपकी परमीशन से खड़ा हूं, आप मुझे बोलने के लिए कह चुकी हैं, फिर क्यों चेंज कर रही हैं ?

شری جی۔ ایم بنات والا (پونانی) : میں خود آپ کی پرمیشن سے کھڑا ہوا ہوں آپ مجھے بولنے کے لئے کہہ چکی ہیں پھر کیوں چینج کر رہی ہیں ؟

सभापति महोदय : जनाब, मैंने तो आपको परमीशन दी है मगर दूसरे माननीय सदस्य औब्जैक्ट कर रहे हैं। मैं तो चाहती हूं कि आप बोलें।

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : अभी आपने रूलिंग दी है कि इस संकल्प पर डिस्कशन के लिए एक घंटे का समय बढ़ाया जा रहा है। वह आज की सिटिंग के लिए नहीं है, यानी अगली बार जब यह विषय लिया जाएगा, उस समय तक, एक घंटे का समय आपने बढ़ाया है। इस पर आपको क्या औब्जैक्शन है ?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव : वह तो मैंने मान लिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : संतोष जी, वही मैं कह रही हूं। आप शायद ध्यान नहीं दे पाए। आप सबकी राय है कि एक घंटे का समय इस संकल्प पर चर्चा के लिए बढ़े, आज के लिए नहीं, अगली बार तक, जब यह संकल्प चर्चा के लिए लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : सभापति महोदया, श्री जगतवीर सिंह द्रोण ने अवैध अप्रवासियों अथवा देश में घुसपैठ का प्रश्न उठा कर बड़ा अच्छा कार्य किया है। उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया है, उसमें देश में कथित रूप से व्यापक स्तर पर अवैध अप्रवासियों के आगमन पर गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। फिर इस प्रस्ताव

[श्री जी. एम. बनातवाला]

में अवैध अप्रवासियों की पहचान और उनके मूल निवास स्थान पर भेजने की सिफारिश की गई है।

सदन में पेश किए प्रस्ताव में अवैध अप्रवासियों के आगमन सम्बन्धी चिन्ताजनक पहलुओं का उल्लेख किया गया है।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में अवैध अप्रवासियों के सम्बन्ध में बहुत अधिक चिन्ताजनक स्थिति दर्शाने के बार-बार प्रयास किए जाते रहे हैं। एक ऐसा ढकोसला बनाने का प्रयास हो रहा है कि देश में केवल व्यापक स्तर पर अप्रवासी ही नहीं आ रहे अपितु देश में उनके द्वारा आक्रमण की तैयारी हो रही है। सरकार बहुत असमर्थ और अकुशल है, जो स्थिति को नियोजित कर अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती। यह तो, मैं अवश्य कहूंगा कि ऐसा किन्हीं राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक दुष्प्रचार से किया जा रहा है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या हिन्दुस्तान में नहीं है ? सारे राजस्थान के बार्डर पर बांग्लादेशी भरे हुए हैं।

डा. शफीकुर्रहमान बर्क : इसके पीछे पालिटिकल प्रोपेगेंडा है।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : अभी 35 करोड़ रुपए की हैरोइन पकड़ी गई है। इन लोगों से राजस्थान का सारा बार्डर भरा हुआ है।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : इसी सदन में ही कितने प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि देश में अवैध अप्रवासियों की संख्या लाखों में है कुछ और लोग तो यह आंकड़े डेढ़ करोड़ बता रहे हैं। उन्हें स्वयं ही नहीं पता कि देश में अवैध अप्रवासियों की संख्या कितनी है। मात्र राजनीतिक लाभों के लिए इस प्रकार के आंकड़े दिए जाते रहे हैं। सबसे पहले तो यह बात स्वीकार की जानी चाहिए। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि अवैध अप्रवासियों की पहचान की प्रक्रिया में देश के वास्तविक नागरिकों को नाहक परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

उदाहरणार्थ, असम में राजनीतिक आंदोलन के परिणामस्वरूप इस सदन ने एक कानून लागू किया जिसका नाम है अवैध अप्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा विनिश्चय) अधिनियम 1993 इस अधिनियम के अधीन कई लाख मामले न्यायाधिकरण के सुपुर्द किए गए। कई लाख मामलों का जिक्र किया गया। कई लाख लोगों पर अवैध अप्रवासी होने का आरोप लगाया गया। यह एक न्यायिक मंच था। इसने इन शिकायतों की जांच की। फिर यह पाया गया कि अधिकतर शिकायतें झूठी थी और बहुत कम कुछ सौ शिकायतों को इस न्यायाधिकरण ने सही पाया। परन्तु इन सब चीजों के बावजूद एक बना बनाया प्रचार जारी है—और जैसा कि मैंने कहा वह राजनीतिक लाभों के लिए किया जा रहा है।

मैं जो कुछ कह रहा हूं यह सर्वथा स्पष्ट है। अतारांकित प्रश्न सं. 2376 दिनांक 17 अगस्त 1995 के उत्तर में माननीय गृह मंत्री ने जो आंकड़े दिए, उसका अध्ययन किया जा सकता है।

हमें अप्रवास सम्बन्धी मामलों की संख्या बताई जा रही है। अनेक राज्यों का उल्लेख किया गया है और वर्ष 1993, 1994 और 1995 के अप्रवास सम्बन्धी मामलों की गणना दी गई है। जम्मू कश्मीर में 1993 में 77, 1994 में 264 और 1995 में 154 उत्प्रवासी थे। पंजाब में 1993 में 68 वर्ष 1994 में 54 और 1995 में 36 उत्प्रवास संबंधी मामले थे। राजस्थान में 1993 में 208, 1994 में 196 और 1995 में 107 मामले थे। गुजरात में 1993 में 9, 1994 में 12, 1995 में 6 उत्प्रवास सम्बन्धी मामले थे। पश्चिम बंगाल में 1993 में 1713, 1994 में 1954 और 1995 में इन मामलों की संख्या 863 थी। असम में 1993 में 113, 1994 में 77 और 1995 में 53 एसे मामले थे। मेघालय में 1993 में 213, 1994 में 192 और 1995 में 37 ऐसे मामले थे। मिजोरम में 1993 में 2, 1994 में 2 और 1995 में 3 ऐसे मामले थे और त्रिपुरा में 1993 में 370 1994 में 299 और 1995 में 76 ऐसे मामले थे।

मैं सरकारी आंकड़ों का उल्लेख कर रहा हूं और सदन में अंतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिए गए और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तत्कालीन गृह मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करता।

महोदया, यह तो केवल राजनीतिक स्वार्थों के लिए है। फिर तथाकथित विदेशियों, घुसपैठियों या अवैध अप्रवासियों की पहचान के नाम पर निर्दोष नागरिकों, वास्तविक नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अकथनीय कष्ट दिए जाते हैं। हम सबको विदित है कि देश के विभिन्न भागों में क्या हुआ है। यदि आप उत्तर-पूर्व की बात कर रहे हैं तो अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से परेशान करने की शिकायतों का गड्डा सामने आ रहा है। उत्तर-पूर्व भारतीय प्रजातांत्रिक संस्था ने वर्तमान प्रधान मंत्री श्री एच. डी. देवगौड़ा और माननीय गृह मंत्री श्री इंद्रजीत गुप्त से अपील की है कि वे देश के उत्तर-पूर्वी भागों के उत्प्रवासी भारतीयों की परेशानियों को दूर करें, जिन्हें अवैध रूप से परेशान किया जा रहा है। अतः एक दुष्प्रचार-तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए परेशानी पैदा की जा रही है जिसका स्थिति के तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं। उदाहरणार्थ मुम्बई में शिव सेना के प्रमुख श्री बाल ठाकरे ने खुले-आम शिव-सैनिकों को बांग्लादेशियों अर्थात् अवैध अप्रवासियों की पहचान के कार्य में आगे आने को कहा है।

यह तो कानून को अपने हाथों में लेने का खुला निमंत्रण है और ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें शिव-सैनिक अप्रवासियों की तथाकथित पहचान के लिए नमाज के समय मस्जिदों में घुस गए। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया मान जाएं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : यह गलत बात कही जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको कार्यवाही से निकाला जाए।...

सभापति महोदय : एक मिनट, मि. बनातवाला।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : हमारे प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान राज्यपाल श्री पी. सी. एलेग्जेंडर से मुलाकात की। हमने राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया और सभी तथ्यों से उन्हें अवगत करवाया।

सभापति महोदय : एक मिनट, मि. बनातवाला। चूंकि आपने उस व्यक्ति के नाम का उल्लेख किया है, अतः उन्हें अपने पक्ष की बात कहने का हक है। यदि आप थोड़ी देर के लिए मान जाएं तो क्या मैं दो मिनट उन्हें दे दूं।

श्री जी. एम. बनातवाला : नहीं, निश्चित रूप से नहीं। जब उनकी बारी आए, तब वे बोल सकते हैं। मैंने माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया जब उनकी बारी आएगी, तब वे बोल सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदया, जब श्री संतोष मोहन देव अपनी पार्टी का पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं तो हमारी पार्टी अपना पक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकती।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : इन्होंने तो शिव सेना का नाम लिया है हममें से तो किसी ने मुस्लिम लीग का नाम नहीं लिया।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : ये सब रिकार्ड के मामले हैं। हम महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री पी. सी. एलेग्जेन्डर से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिया, जिसमें सभी तथ्य दिए और उन लोगों द्वारा अन्वेषित सब जगहों के नाम बताए। मुम्बई में क्या हुआ ? बांग्लादेशियों के नाम पर, एक आंतक सा मचा दिया गया। बांग्लादेशी स्त्रियां बांग्लादेशी ढंग से साड़ी बांधने से डरने लगी। लोग बंगाली भाषा बोलने से घबराने लगे। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश प्रभु : हमने गोबेल के बारे में सुना है परन्तु उनके पश्चात् यह हम पहली बार सुन रहे है। सदन में यह सब झूठ बोला जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : बंगाली लोगों से भरी हुई गाड़ियां विक्टोरिया टर्मिनल से, बंगाली भारतीयों ...*(व्यवधान)*

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : महोदया, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : यह मालूम पड़ता है कि देश के विभाजन के पहले की मुस्लिम लीग बोल रही है। मुस्लिम लीग जैसे स्वर्ग की बात करती थी, वही बात ये कह रहे हैं।

सभापति महोदय : मि. बनातवाला, वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जी. एम. बनातवाला : आपसे सच्चाई सुनी नहीं जाएगी।

شری جی۔ایم۔ بنات والا : آپ سے سچائی سنی نہیں جائیگی۔

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : सच्चाई बोलो, तो सुनी जाएगी।

श्री जी. एम. बनातवाला : सच्चाई यह है, इसे फेस करो।

شری جی۔ایم۔ بنات والا : سچائی یہ ہے اسے فیس کرو۔

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मि. द्रोण, आपका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है कि जो व्यक्ति सदन का मैम्बर नहीं है और बाहर है, अगर उसके नाम का उल्लेख करके कोई भी आरोप लगाया जाता है तो या वह प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाना चाहिए या जिस दल का नाम लिया जाए, उसका रिप्रजेंटेटिव यहां है, उसको क्लैरीफिकेशन का मौका देना चाहिए। उस दल का मैम्बर यहां है।

सभापति महोदय : मैं तो कह रही हूं, इनको सफाई देने का अधिकार है।

श्री जी. एम. बनातवाला : यह दल वाली बात का सवाल नहीं है। उनको मेरे टाइम में से लेने का उनका कोई हक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

شری جی۔ایم۔ بنات والا : یہ دل والی بات کا سوال نہیں ہے۔ان کو میرے ٹائم میں سے لینے کا ان کا کوئی حق نہیں۔۔۔۔۔(مداخلت)

सभापति महोदय : आपने नाम लिया है, उनको जवाब देने का अधिकार है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मेरे टाइम में से लिया जाता है तो यह गलत है।

شری جی۔ایم۔ بنات والا : میرے ٹائم میں سے لیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے۔

[श्री जी. एम. बनातवाला]

[अनुवाद]

यह केवल ऊपरी टोकाटाकी है जो यहां की जा रही है, क्योंकि सच्चाई उन्हें आहत करती है।

[हिन्दी]

श्री जगत वीर सिंह द्रोण (कानपुर) : आप मेरे पाइंट ऑफ आर्डर पर व्यवस्था दें।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : महोदया, आपके द्वारा विनिर्णय दिए बिना उन्हें इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जो व्यक्ति अपने बचाव में कुछ कहने के लिए सदन में उपस्थित नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, मैं रिकार्ड देखकर जो भी ऑबजैक्शनेबल होगा, उसको देखूंगी।

श्री सुरेश प्रभु : क्लैरीफिकेशन देना तो मेरा हक है, मुझे बोलने का हक दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : अब नहीं, मैं नहीं मान रहा। माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, आप बोलिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसमें कोई क्लैरीफिकेशन नहीं होगा। इनके भाषण के बाद आपको बोलने का अधिकार होगा।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदया, वे संसार भर के सब झूठ यहां बोले जा सकते हैं, परन्तु तथ्य तो यह है कि ये सब रिकार्ड सम्बन्धी मामले हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि हम महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय के पास गए और उन्हें यह सब बताया। परन्तु वहां सरकार तो बी.जे.पी. शिवसेना की है जिसका नियंत्रण-कक्ष *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मि. बनातवाला, आप बीस मिनट पहले ही बोल चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री जी. एम. बनातवाला : महोदया, यह उचित नहीं है ..*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ?

श्री जी. एम. बनातवाला : इतनी अधिक शोर में, मैंने तो अपनी बात अभी शुरू भी नहीं की।

सभापति महोदय : पहले आप मेरी बात सुनिए। यह सब रिकार्ड का मामला है। आप बीस मिनट पहले ही बोल चुके है। आपको और कितना समय चाहिए ?

श्री जी. एम. बनातवाला : इन बीस मिनटों में से 15 से 17 मिनट तो व्यवधान में ही बीत गए हैं। मुझे अपना पूरा वक्त दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आप और कितना समय लेंगे। कृपया इसका जवाब दें। आप पीठासीन अधिकारी की बात क्यों नहीं सुनते ?

श्री जी. एम. बनातवाला : अपने विचारों को संगठित और स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखने के लिए जितना समय आवश्यक होगा, उतना समय मैं लूंगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब आपको कितना समय चाहिए ?

श्री जी. एम. बनातवाला : सदन के समक्ष स्पष्ट रूप से रखने के लिए जितना समय पर्याप्त है, उतना समय मुझे चाहिए। ...*(व्यवधान)* और निश्चित रूप से मैं रुकूंगा नहीं।

सभापति महोदय : आपके पास अब दो मिनट हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : मेरा सदस्य के रूप में पूरा उत्तरदायित्व है।

सभापति महोदय : आपने पहले ही अधिक समय ले लिया है।

श्री जी. एम. बनातवाला : मैंने सदन के समय का कभी दुरुपयोग नहीं किया। आप रिकार्ड खोल कर देख सकते हैं।

सभापति महोदय : आप अपने विषय पर क्यों नहीं आते ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : अतः महोदया, आप अब मुझे इस संकल्प को प्रस्तुत करने वाले का धन्यवाद करने दें, जिनके कारण मुझे इन सब मामलों को सदन के सामने लाने का अवसर मिला।

सभापति महोदय : यदि आप पीठासीन अधिकारी का कहना नहीं मानेंगे तो आप अपना समय नष्ट करते रहेंगे यही आप कर रहे हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि सभापति महोदया कुछ अधिक ही टोक रही हैं। मुझे अपनी बात पूरी करनी है। मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। अगर बाकी सब ठीक रहा तो यह आश्वासन तो मैं देता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया, मैंने कहा है कि जो व्यक्ति देश के एक भाग से दूसरे भाग में गए हैं और जो नागरिक हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। जो यहां रह रहे हैं, पले बढ़े हुए हैं, यहीं शिक्षा पाई हैं और कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, उन्हें भी अवैध अप्रवासियों के नाम से तंग किया जा रहा है। सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1985 के प्रावधानों की ओर दिलाना चाहता हूं। इस अधिनियम के माध्यम के 1955 के नागरिकता

अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसकी धारा 6 ए में आसाम समझौते के अन्दर आने वाले नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। भारतीय मूल के वे सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी, 1966 से पहले बंगलादेश से आसाम में आए उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। तदन्तर जो व्यक्ति 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च 1977 के बीच में भारत आए उन्हें सिवाय वोट देने के अधिकार के शेष सभी अधिकार दिए गए। ये अधिकार भी उन्हें 10 साल बाद मिले, अब इन सबके अतिरिक्त जो लोग कई पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं उन्हें भी 'बांग्लादेशी' कहकर परेशान किया जा रहा है। इन सब बातों की एक निर्धारित सीमा होनी चाहिए।

जिन लोगों ने 'अवैध अप्रवासी' का दुष्प्रचार अभियान छेड़ रखा है, उन्होंने यह मांग की है कि आसाम में 1983 के अवैध अप्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा विनिश्चय) अधिनियम को हटा दिया जाए। मैं इसका जोरदार विरोध करता हूं क्योंकि इससे हमारे देश के नागरिकों को आगे और अकथनीय कष्ट सहने पड़ेंगे, विशेषकर अल्पसंख्यकों को।

मैं सरकार को एक दो सुझाव भी देना चाहता हूं। विदेशी अधिनियम में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। धारा 9 के अनुसार प्रमाण जुटाने का काम अभियुक्त का है। यह उपनिवेशी विरासत है और हमारे देश की वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भ में इसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है जिससे लोगों की मुसीबतें ही बढ़ेंगी। अतः इस धारा में उचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि प्रमाण जुटाने का काम शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी बने। इसी प्रकार विदेशी अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत केन्द्र सरकार को दूसरों को अधिकार देने की शक्ति है। मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि देश की वर्तमान राजनीतिक हालात को ध्यान में रखते हुए और नागरिकों को होने वाले उत्पीड़न को दृष्टिगत रखते हुए शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने पूर्व एक और तथ्य की ओर संकेत करना चाहूंगा और वह यह है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी : समय हो गया है, अब फिर बोलना।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला : हां, अब आपका समय पूरा हो गया है, अपना वक्तव्य पूर्ण करने से पहले मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार को इस सब का शिकार नहीं बनना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 15 मार्च, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार 15 मार्च, 1997, 24 फाल्गुन, 1918 शक के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।